खण्ड–492, अंक–2
गुरुवार, 30 माघ, शक संवत् 1936
(19 फरवरी, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में फैल रहे स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठाने का प्रयास (जारी) ...	7
प्रदेश में कानून–व्यवस्था विफल होने सम्बन्धी नियम–311 की सूचना को पहले लिये जाने की मांग	7–8
प्रदेश में फैल रहे स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठाने का प्रयास (जारी) ...	8–9
प्रश्नोत्तर	9–70
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	70–72
प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों को गांवों में इलाज करने के लिये किट दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद फिरोजाबाद में स्थित लेबर क्रासिंग संख्या–63 पर एक उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	72–73
प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री एवं शमशान में रख–रखाव का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद आगरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	73–74
जनपद मथुरा में लान टेनिस के 03 कोर्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने एवं विशेष औद्योगिक दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	74–75
जनपद हापुड़ में राजकीय पशुधन एवं कृषि परिक्षेत्र में हो रहे घोटाले व अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	75
उ0 प्र0 राज्य चीनी मिल निगम इकाई लक्ष्मीगंज व रामकोला को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	75

विषय	पृष्ठ–संख्या
लखनऊ महानगर के निशातगंज की गलियों से जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	75–76

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रदेश में दागी विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद मेरठ में जाम की समस्या के निराकरण हेतु सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76–77
जनपद सहारनपुर में दिनांक 15–2–2015 को तनिष्क शोरूम में हुई डकैती के आरोपियों को पकड़े जाने एवं माल बरामद किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की विभिन्न माइनरों व ड्रेनों की सफाई कराये जाने एवं नलकूपों की रि–बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77
इलाहाबाद महानगर में चैथम लाइन्स रेलवे क्रासिंग पर आर0ओ0बी0/फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77–78
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	78
विधान सभा के तीन अधिवेशन आय–व्ययक, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन और 90 उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	78–79
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	79–83
जनपद जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता श्री बी0डी0 गुप्ता द्वारा श्रीमती सीमा विधायक से अमर्यादित व्यवहार किये जाने का व्यक्तिगत प्रकरण ...	83–85
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय महिला इण्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री राम सुमेर वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	85
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री विनोद वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	85
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में इलाहाबाद–फैजाबाद	85–86

हाई–वे पर बकुलाही नदी पर स्थित गजेहड़ा पुल टूटने से मान्धाता के सभी ध्वस्त हुए मुख्य मार्गों के मरम्मतीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्रीमती साजिदा बेगम आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 सेमरियावां से ग्राम पंचायत बढ़या माफी होते हुए ग्राम पंचायत छपिया माफी मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री लाल चन्द्र आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	86
जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित ग्राम पंचायत अगया से सुकरौली होते हुए दसावां मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शमशुद्दीन आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	86
जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 दुधारा चौराहे से ग्राम पंचायत मदारपुर व ग्राम पंचायत धुसुरा से होते हुए ग्राम पंचायत कोहरियावां तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 असद आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	86
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	87–149
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	149–150
नत्थियां	151–327

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–324

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरुण कुमार कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
36. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
37. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
42. आशीष यादव, श्री बदायूं
43. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
44. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
45. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
46. इकबाल, श्री बिजनौर
47. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
48. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती

53. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
57. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम कुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
63. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
64. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
69. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री हापुड़
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
79. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जगपाल, श्री सहारनपुर
92. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
93. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
94. जफर आलम, श्री अलीगढ़
95. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
96. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
97. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
98. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
99. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
102. ज्योत्सना श्रीरवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
104. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
107. दलजीत सिंह, श्री बांदा
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
110. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्रीझांसी
111. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
112. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
114. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
115. धर्मराज, श्री बाराबंकी
116. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
117. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
118. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज

119. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
120. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
121. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
122. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
123. नवाज जान, श्री मुरादाबाद
124. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
125. नारद राय, श्री बलिया
126. नाँदि हसन, श्री शामली
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
130. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
131. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
132. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
133. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
134. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
135. पीतमराम, श्री पीलीभीत
136. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
137. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
138. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
139. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
140. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
143. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
144. फेरन लाल, श्री ललितपुर
145. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
146. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
147. बदलू खां, श्री उन्नाव
148. बाबूलाल, श्री गोण्डा
149. बावन सिंह, श्री गोण्डा
150. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
151. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
152. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
153. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
154. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
155. बैजनाथ, श्री मऊ
156. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
157. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
158. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
159. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
160. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
161. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
162. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
163. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
164. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
165. मनबोध, श्री देवरिया
166. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
168. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
169. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
170. महबूब अली, श्री अमरोहा
171. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
172. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
173. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
174. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
175. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
176. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
177. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
178. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
179. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
180. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
181. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
182. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
183. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
184. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
185. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर

186.मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
187.मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
188.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
189.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
190.मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
191.मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
192.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
193.मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
194.यासर शाह, श्री बहराइच
195.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
196. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्रीगोण्डा
197.रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
198.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
199.रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
200.रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
201.रणजीत सुमन, श्री एटा
202.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
203.रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
204.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
205.रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
206.रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
207.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
208.रवि शर्मा, श्री झांसी
209.रश्मि आर्य, डा0 झांसी
210.'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
211.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
212.राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
213.राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
214.राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
215.राजमती, श्रीमती गोरखपुर
216.'राजीव, श्री सहारनपुर
217.राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
218.राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
219.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
220.राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
221.राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
222.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
223.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
224.राधे श्याम, श्री अमेठी
225.राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
226.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
227.राम करन आर्य, श्री बस्ती
228.रामगोपाल, श्री बाराबंकी
229.राम गोविन्द, श्री बलिया
230.रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
231.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
232.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
233.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
234.राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
235.राम मगन, श्री बाराबंकी
236.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
237.राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
238.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
239.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
240.रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
241.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
242.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
243.रामहेत भारती, श्री सीतापुर
244.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
245.रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
246.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
247.रुचिवीस, श्रीमती बिजनौर
248.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
249.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
250.लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
251.लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
252.लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर

253.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
254.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
255.वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
256.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
257.विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
258.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
259.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
260.विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
261.विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
262.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
263.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
264.विजय सिंह, श्री रामपुर
265. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
266.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
267.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्ध नगर
268.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
269.वीर सिंह, श्री चित्रकूट
270.वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
271.वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
272.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
273.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
274.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
275.शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
276.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
277.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
278.शाकिर अली, श्री देवरिया
279.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
280.शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
281.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
282.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
283.'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
284.शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
285.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
286.शेर बहादुर, श्री अम्बेडकर नगर
287.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
288.श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
289.श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
290.श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
291.संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
292.संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
293.संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
294.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
295.सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
296.सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
297.सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
298.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
299.सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
300.सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
301.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
302.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
303.सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
304.सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
305.सीमा, श्रीमती जौनपुर
306.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
307.सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
308.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
309.सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
310.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
311.सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
312.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
313.सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
314.सुरेश राणा, श्री शामली
315.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
316.सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
317.सुल्तान बेग, श्री बरेली
318.सूरज पाल सिंह, श्री आगरा

319. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
320. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
321. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
322. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
323. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
324. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
325. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में फैल रहे स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठाने का प्रयास

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर खड़े होकर स्वाइन फ्लू पर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, स्वाइन फ्लू आज पूरे प्रदेश में पैर पसार रहा है।

ख्11.00, प्रदेश में कानून–व्यवस्था विफल होने सम्बन्धी नियम–311 की सूचना को पहले लिये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, 311 पर मेरी कानून व्यवस्था पर सूचना लगी हुई है। आज पूरा प्रदेश गुण्डाराज की आग में जल रहा है पूरे प्रदेश की जनता त्राहि–त्राहि कर रही है और बड़े पैमाने पर गुण्डे, माफिया, बदमाश अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। मान्यवर, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और आग की घटनाएं बढ़ी हैं उससे लोगों का जीना हराम हो गया है यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इन गुण्डे माफिया, अपराधियों के चंगुल से बच नहीं पा रहे हैं यहां तक कि पत्रकार भी इनका शिकार हो रहा है। मान्यवर, जिस तरह से अराजकता का माहौल है मैं चाहता हूँ कि इस पर आपकी विशेष रूप से अनुकम्पा हो और इस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा कराई जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह सही नहीं है कोई अराजकता नहीं है। हां, अराजकता पैदा करने की कोशिश जरूर की जा रही है और जिस तरह का आचरण बहुजन समाज पार्टी का इस वक्त देखने को मिल रहा है इससे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान हो रहा है ये अराजक तत्वों को उकसा रहे हैं। प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को अनस्टेबिल करने की साजिश है यह। अराजकता फैलाने का यह तरीका है ताकि लोगों को यह मालूम हो सके कि एक बड़ा राजनैतिक दल जो सत्ता में रह चुका है वह सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता का रास्ता अख्तियार कर रहा है। मान्यवर, मैं इस पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज कराता हूं यह अराजकता फैलाने का, पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने का यह षड़यन्त्र रच रहे है और यह सूचना है सरकार की कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता है यह अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ ले सकें।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, अब आप बैठ जायें। आपने अपनी कह ली अब आगे चले आपका भाषण होना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, देखिये सदन की अराजकता पर आपने काबू पा लिया अब सरकार प्रदेश की अराजकता पर काबू पाये हुए है और काबू रखेगी, सदन की अराजकता रोकी गयी।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू पैर फैला रहा है। बहुत गम्भीर मामला है जिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है सारे अखबार पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बारे में लिख रहा है इस मामले को प्रश्नकाल को स्थगित करते हुए आधे घन्टे का समय चर्चा के लिए दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया माथुर साहब अब आगे बढ़िये, प्रश्न लीजिए। माननीय माथुर साहब अब आप बैठ जायें आपने अपनी बात कह ली सरकार के संज्ञान में आ गया।

अब आपको क्या कहना है ?

ख11.05, प्रदेश में फैल रहे स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में दो ज्वलन्त मुद्दे हैं, एक कानून–व्यवस्था का और दूसरा स्वाइन फ्लू का। मान्यवर, यह दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत आवश्यक हैं और सदन की सारी कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा होनी चाहिये।

(श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री सतीश महाना, श्री दलवीर सिंह, श्री प्रदीप माथुर एवं श्री पूरन प्रकाश के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कल भी मैंने मीटिंग में कहा था और मा0 मुख्य मंत्री जी से भी कहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन स्वाइन फ्लू की वजह से बंद हो गया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा है और इसमें आप ही लोगों को बोलना है, आप आगे अपनी बात रख लीजियेगा, आपको कहने का पूरा मौका मिलेगा।

प्रेस ने भी आपकी बातों को सुन लिया और सरकार ने भी आपकी बातों को सुन लिया है। कृपया आप सब लोग बैठिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह बहुत बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर अभी चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, सरकार चर्चा कराने से भाग रही है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, कृपया आप बैठ जायें। आपके नेता की बात आ गई है, वह अपनी बात यहां पर रख चुके हैं, अब आप अलग से क्या कहेंगे ? अब कृपया आप बैठें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, हमारा अपने दल के नेता के प्रति पूरा सम्मान है और मैं अपने दल के नेता की अनुमति से ही बोल रहा हूं। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए।

(श्री प्रदीप माथुर एवं श्री सतीश महाना के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, आप अपनी बात पहले ही रख चुके हैं, कृपया आप बैठ जाये। आपकी बात पहले ही हमने सुन ली है, सरकार ने भी आपकी बात सुन ली है, आप बैठ जाये। महाना जी, आपको अनुमति नहीं दी गई है फिर आप कैसे बोल रहे हैं। अब प्रश्न ले लेने दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे सदन चलेगा, कृपया आप लोग बैठिये।

ख11.07, प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

अब मैं श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी का तारांकित प्रश्न संख्या–1 लेता हूं।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी/विवाद एवं बीमारी के लिये वित्तीय वर्ष 2014–15 मे अनुदान राशि दिये जाने विषयक प्रकरण

'01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाली शादी व बीमारी अनुदान राशि शासन

द्वारा स्थगित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुनः उक्त योजना को शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जी हां। प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी/विवाह एवं बीमारी के लिये आर्थिक सहायता देने की योजना के अन्तर्गत राज्य के संसाधनों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट प्राविधान अत्यन्त कम रु0 1.00 करोड़ होने तथा लाभार्थियों की संख्या में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत उक्त योजना का क्रियान्वयन स्थगित किया गया।

बजट प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनुग्रह नाराण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 2014–2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार है और आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि लोहिया जी ने नारा दिया था कि ''समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़ों को मिले सौ में साठ।'' तो जो पिछड़े वर्ग के निरे गरीब लोग हैं उनके बच्चों की शादी के लिए, बीमारी के लिए अनुदान मिलता है। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं, इन्होंने बताया कि बजट में प्राविधानित धनराशि एक करोड़ रुपये थी और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण एक करोड़ रूपये की धनराशि कम हो रही थी और इस कारण योजना का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया। आपने आगे कहा है कि बजट प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यथासमय कार्यवाही की जायेगी। तो जो आगे आने वाला बजट है, उनकी गरीबी को देखते हुये, उनके पिछड़ेपन को देखते हुये और समाजवादी पार्टी की सरकार के कमिटमेंट को देखते हुये, क्या आप इसको बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट को बढ़ाने या घटाने का जहां तक प्रश्न है, बजट के प्रस्तुत होने तक इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिये । बजट 24 तारीख को प्रस्तुत होगा और श्रीमन्, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी बहुत अनुभवी हैं, वह अच्छी तरह से अवगत हैं कि बजट प्रस्तुत होने के पहले उसके किसी प्रावधान का उल्लेख किया जाना नियम, संविधान सबकी मुखालफत करने जैसा है। तो बजट में क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान किये जायेंगे, इसका उल्लेख अभी बजट प्रस्तुत करने के पहले कैसे किया जा सकता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, अम्बिका चौधरी जी बहुत ही कुशल संसदीय ज्ञाता हैं। बजट कितना होगा, यह तो नहीं बताया जा सकता लेकिन बजट में क्या–क्या प्रावधान किये जायेंगे, उसमें किसको हमें उन्नति देना है, किसको प्रोत्साहित करना है, यह दिया जाता है और यह कोई संसदीय प्रणाली के खिलाफ भी नहीं है। आजकल तो बजट में क्या होगा, यह मीडिया और अखबार वाले पहले ही छापने लगे हैं। इसलिये इसको देखते हुये, चूंकि

राज्यपाल का जो अभिभाषण है, इसमें भी पिछड़े वर्गो के विशेष कल्याण के लिये बात कही गयी है, क्या इसको देखते हुये इस पर आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा विनम्र अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य से, कि मैनें जैसा उनको अवगत कराया कि बजट के प्राविजंस की जो रूपरेखा महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कल रखी है जो माननीय सदस्य के पास है, उस रूपरेखा के अतिरिक्त हम किसी राशि के घटने बढ़ने का उल्लेख मान्यवर, हम इस स्टेज पर नहीं कर सकते । यह बजट के कारण की मर्यादा है। वैसे आपकी चिन्ता स्वाभाविक है और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये सरकार सचेष्ट है। पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये सिर्फ इस राशि का प्रश्न नहीं है, समग्र रूप से इस प्रदेश में उनको कैसे आगे बढ़ाया जाये, इसके लिये कैसे किसको ट्रेनिंग दी जाय और सिर्फ पिछड़े वर्ग की नहीं, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, बाकी गरीब लोगों की, सबकी तरक्की के लिये यह सरकार निरन्तर काम करके यह कोशिश कर रही है कि प्रदेश का विकास हो और लोगों का कल्याण हो, इन दोनों दृष्टिकोण पर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। बजट आ जाने दीजिये उसकी रूपरेखा पर बात हो जायेगी, सदन लम्बा चलेगा, फिर आपसे बात कर लेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जब पिछला बजट प्रस्तुत हुआ था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ यह बात कही थी कि यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और तकरीबन 30 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार प्रदेश के विकास में दे रही है और यह जवाब आप पढ़िये यह बहुत आश्चर्यचकित करने वाला जवाब है। प्रदेश का एक मंत्री खुलेआम इस बात को लिखित रूप से स्वीकार कर रहा है कि प्रदेश सरकार ने उसके विभाग के लिए बहुत कम बजट की व्यवस्था की है। यह एक संवैधानिक संकट है, बजट की व्यवस्था जो भी होती है वह कैबिनेट से होती है और हर मंत्री उस कैबिनेट के पक्ष में पक्षधर होता है सदन में आ करके वह विभाग की बहस करता है और हम प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर यह बजट कम था और मा0 मंत्री जी यह महसूस करते थे कि इसके द्वारा इतनी महत्वपूर्ण योजना।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, सवाल तो पूछिये।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सवाल ही तो पूछ रहे हैं, अगर मा0 मंत्री जी यह जानते थे कि यह बहुत कम बजट है और इससे योजनाएं बन्द हो जायेंगी तो सवाल यह है कि फिर ऐसा किया क्यों किया गया है और यदि किया गया है तो यह किसको आरोपित कर रहे हैं अपने मा0 मुख्य मंत्री को या कैबिनेट को।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रश्न से सम्बन्धित उनका अनुपूरक नहीं है, उनका अनुपूरक मंत्री की योग्यता पर टिप्पणी करने का है जिसे मैं स्वीकार कर सकता हूं क्योंकि आपके बराबर योग्यता मेरी नहीं है। मा0 अग्रवाल जी के बराबर मेरी योग्यता नहीं है इसे स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है, मंत्री ने अपने विभाग की या मेरे विभाग की कोई बात नहीं कही है हो सकता है कि आपको सुनने में भ्रम हुआ है उसे आप फिर से सुन लीजिए। मैंने एक विभाग की बात कही है और विभाग का प्रभारी मंत्री होना एक बात है कैबिनेट में या मंत्रि–परिषद् के प्रत्येक निर्णय में प्रत्येक मंत्री की पूरी भागीदारी होना इसका आपको ज्ञान भी है और आपने उसे कहा भी है। आपकी बातों में कितना विरोधाभास है उसको आप तय कर लेंगे चूंकि अग्रवाल साहब ने दूसरे ढंग की टिप्पणी करने की कोशिश की है मूल प्रश्न से इनका कोई लेना–देना नहीं है और सच बात दूसरी और है कि पिछड़ों का मजाक उड़ाने के अलावा डा0 अग्रवाल के पास कुछ नहीं है इसलिए मान्यवर हम उनसे यह कहते हैं कि वह अपने इस ज्ञान का उपयोग पिछड़ों की हंसी उड़ाने में ना करें, यह मैं उनसे कहना चाहता हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। योजना सरकार ने बन्द की है, अनुदान देना सरकार ने बन्द किया है, व्यवस्था सरकार ने नहीं की है और सरकार अपनी कमियों के लिए विपक्ष को आरोपित करने का प्रयास कर रही है। मा0 मंत्री जी सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की है और न करने के बावजूद अपने बचाव में योग्यता का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अगर आप योग्य न होते तो पीछे खड़े हो करके मा0 मुख्य मंत्री पर आक्रमण कैसे कर रहे होते, यह योग्यता का ही परिचायक है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, एक बात और कि जो जानकारी मैंने दी है यह गोपनीय नहीं है, पिछले वर्ष इसी सदन में बजट पारित हुआ था और इस मद में डा0 अग्रवाल साहब ने पढ़ लिया था इसलिए यह गोपनीय जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

एक चीज मैं बता दूं कि यह हमारा ही प्रदेश है मा0 मौर्या जी जहां अनुपूरक प्रश्नों पर सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। अभी जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन विधान सभा में हुआ था उसमें यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जो सवाल करता है वही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है दूसरे सदस्यों को वह लोग एलाऊ नहीं करते हैं यह बात सम्मेलन में बहस में निकलकर सामने आई क्योंकि इसमें बहुत समय हो जाता है। हमारे यहां यह परम्परा है तो हम इस परम्परा को लागू रखते हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि थोड़ा सा संक्षेप में ही अनुपूरक प्रश्न पूछें ताकि और भी सवाल ले लिये जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न से पहले यह अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा 21 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उत्तर प्रदेश की विधान सभा को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विधान सभा के रास्ते पर ले जाने का।

श्री अध्यक्ष–

मैं ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूं, आप चिन्ता ना करें, आप परेशान न हों, मैंने केवल उद्धरण दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वैसे भी जब सभी मा0 सदस्य आपके हर आदेश का अनुपालन करते हैं तो हम समझते हैं कि किसी भी अन्य प्रदेश के दृष्टान्त को यहॉं रखना उत्तर प्रदेश की तौहीन है।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई तौहीन नहीं है। अनुपूरक पूछते–पूछते सारे प्रश्न रह जाते हैं बहुत से मा0 सदस्य हैं जो बड़े परिश्रम से सवाल लगाते हैं और इतने अनुपूरक हो जाते हैं एक सवाल पर कि उन प्रश्नों तक कोई पहुंच नहीं पाता है और बहुत मा0 सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं। इसलिए कोशिश यह की जाए कि कम से कम अनुपूरक प्रश्न पूछ करके सभी प्रश्नों को समय दिया जाए यह मेरा मन्तव्य है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर से माननीय मंत्री जी की पीड़ा अपने–आप स्पष्ट होती है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट प्राविधान अत्यन्त कम होने के नाते इसके क्रियान्वयन को स्थगित करने का इन्होंने उत्तर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं मा0 मंत्री जी पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, प्रश्न करने वाला भी पिछड़े वर्ग से संबंधित है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं तो क्या पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रस्तुत होने वाले आगामी बजट में इस धन को इनकी संख्या के सापेक्ष इसको और अधिक बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो बात कही है यद्यपि प्रश्न की परिधि में नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा किन्तु बजट 24 तारीख को आ रहा है और आज 19 तारीख हो गयी है, अगली बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे, इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहूंगा कि बजट के प्रस्तुतीकरण तक इंतजार कर लीजिए।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब और सवाल लेने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं यह ऐसा सवाल है जो प्रदेश के 56 से 60 प्रतिशत लोगों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, ये सारी बातें आ गयी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक समय जब पिछड़े वर्गों के शादी अनुदान के लिए व्यवस्था की जाती हैं तो मेजें थपथपायी जाती हैं और उसके बाद यह कहा जाता है कि अत्यन्त कम बजट होने के कारण योजना स्थगित कर दी गयी है। एक तरफ यह कहा जाता है कि संसाधनों की कमी नहीं है। प्रश्न के उत्तर में जो जवाब आया है उसमें पिछड़े वर्गों का गला काटा जाता है। पीड़ा यह है कि इस मद में पैसा कम नहीं होना चाहिए था, किसी मद में कटौती कर लेते लेकिन इस मद में कटौती करना सरकार की मंशा को जाहिर करता है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, अब दूसरा प्रश्न लेने दीजिए, इसमें 20 मिनट हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अभी आगे एक महीना है। सेकेण्ड सप्लीमेंटरी आता है वह इसलिए आता है कि जिन योजनाओं में पैसा कम पड़ गया उन पर हम बजट दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपापूर्वक हमारा संरक्षण करें, हम केवल इतना चाहते हैं अभी एक महीना है बहुत से गरीबों की शादी रुकी हुई है, लोग वर्षों से उम्मीद लगाये हुए बैठे हैं कि सरकार से जो शादी अनुदान का पैसा मिलता है वह पैसा हमें मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप पूछना क्या चाहते है जैसे मौर्या जी ने पूछा व अन्य लोगों ने पूछा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक महीने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाकर इस मद में पैसा पूरा दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार से सरकार ने मेजें थपथपायी थी उसी के अनुसार इसमें पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, हो गया, अब आप बैठिये, आप दल के नेता हैं। तारांकित प्रश्न संख्या–2।

उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन को देखते हुए उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराने विषयक प्रकरण

'02–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला प्रदेश होने के बावजूद भी

उत्तम किस्म के आलू के बीज उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन के क्षेत्र में इसका स्थान गुजरात व पंजाब के बाद तीसरा है ? क्या यह भी सही है कि विगत बुवाई वर्ष 2014 में आलू बीज की भारी कमी के कारण किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया था ? यदि हां, तो क्या सरकार मांग के अनुरूप उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)–

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं आलू उत्पादन का प्रदेश है। प्रदेश में 120 से 135 लाख मै0 टन आलू का उत्पादन होता है।

उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

इस वर्ष प्रचलित बाजार भाव के अधिक होने के कारण प्रदेश में आलू बीज की मांग में गुणात्मक वृद्धि हुई है जिसके कारण मांग के अनुरूप आलू बीज उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई हुई।

प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्रीडर आलू बीज को विभागीय प्रक्षेत्रों पर सम्बर्द्धित कराकर कृषकों को आधारित श्रेणी के आलू बीज अग्रेतर श्रेणी में आलू, बीज उत्पादन हेतु वितरित किये जाने की कार्य योजना विगत वर्षों से क्रियान्वित है।

उ0 प्र0 सरकार द्वारा 04 मार्च, 2014 को प्रख्यापित उ0 प्र0 आलू विकास नीति–2014 के अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आधारित द्वितीय श्रेणी के बीजों को भी भारत सरकार की संस्था एन0एच0आर0डी0एफ0 के माध्यम से क्रय करके उसे अन्य कृषकों को भी निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है।

कार्य योजना तैयार की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी सरकार जिस आलू नीति की बात कर रही है पूरे देश का 40 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में करीब साढ़े पांच सौ हेक्टेयर क्षेत्र में आलू बोया जाता है। प्रति हेक्टेयर करीब 30–37 कुंटल आलू बीज की जरूरत होती है। इस प्रकार से जो क्षेत्रफल आलू के लिए आच्छादित है उत्तर प्रदेश में इसके लिए करीब 17 लाख मीट्रिक टन आलू के बीज की जरूरत होती है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सरकार से करीब 6 हजार कुंतल सी0पी0आर0आई0 से ब्रीडर बीज मिलता है। सरकार अपने राजकीय प्रक्षेत्रों और अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है बागवानी योजना है इन सब योजनाओं को मिलाकर केवल 14 हजार मीट्रिक टन आलू के बीज को उत्पादित कर पाती है। माननीय अध्यक्ष जी साढ़े पॉच लाख मीट्रिक टन बीज की आवश्यकता होती है ओर सरकार केवल 14 हजार मीट्रिक टन बीज का उत्पादन कर पाती है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछें।

डा0 धर्मपाल सिंह–

अध्यक्ष जी प्रदेश का सबसे अधिक आलू आगरा और अलीगढ़ मण्डल में उत्पादित होता है। माननीय मंत्री जी हमारे आगरा के प्रभारी मंत्री भी हैं अध्यक्ष जी पिछली बार हमारे जिले में 17 हजार कुंतल आलू बीज की मांग आई सरकार ने केवल 1200 कुंतल ही आलू बीज उपलब्ध कराया ।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल करिए भाषण क्यों कर रहे हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मांग है 17 लाख मीट्रिक टन की और सरकार केवल 14 हजार मीट्रिक टन उपलब्ध करा रही है तो एक बहुत बड़ा गैप है उस गैप को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी दूसरा आगरा और अलीगढ़ मण्डल के किसानों को जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू उत्पादित होता है वहॉ के किसानों को मांग के अनुसार बीज उपलब्ध कराने पर सरकार क्या करेगी ?

श्री पारस नाथ यादव–

अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने जो जानने की जिज्ञासा किया है कि आलू के ब्रीडर बीज जो भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाता है उसकी वजह से जो हमारे बीज की कमी हुई हम इस बात को तस्लीम करते हैं इसलिए क्योंकि प्रदेश में 2013–14 में जो ब्रीडर बीज भारत सरकार को आवंटित करना था वह 8664 कुंतल आलू आवंटित किया गया था और 2014–15 में 4568 कुंतल आलू आवंटित किया गया था उन्होंने स्वयं इस बात को तस्लीम किया है कि उस ब्रीडर बीज को उत्तर प्रदेश सरकार अपने फार्मों में श्रेणी एक के बीज को उत्पादित कराकर किसानों को देती है। मैं इस बात को उनको बताना चाहता हूं कि नयी योजना के तहत 2014–15 में 307 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज उत्पादन हेतु प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकरण कराया गया है। इसमें लगभग 61 हजार कुंतल आलू बीज उत्पादित होगा। इस प्रकार से 2014–15 में 90 हजार कुंतल आलू बीज उत्पादित होगा जो उनकी पीड़ा है कि 17 कैसे पूरा किया जाएगा इसको हम पूरा कर लेंगे इस बार हमारी योजना बिल्कुल सही चल रही है। ब्रीडर बीज की भी हम मांग कर रहे हैं आपने आगरा मण्डल की चिन्ता जाहिर की है हमारे तीन मण्डल हैं। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में गुजरात और पंजाब से पिछड़ा है यह बात आपने कही है वह उत्पादन में नहीं पिछड़ा है उत्पादकता में पिछड़ा है उत्पादकता हमारी कम है वह इसलिए क्योंकि गुजरात और पंजाब में कुछ क्षेत्रों में क्लाइमेट और मिट्टी को देखते हुए आलू उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में भी आलू उत्पादन होता है यहॉ कुछ जिलों में कम आलू उत्पादित होता है कुछ जिलों में ज्यादा होता है हमारे तीन मण्डल हैं कानपुर मण्डल आगरा मण्डल और

अलीगढ़ मण्डल जहां सबसे अधिक आलू उत्पादित होता है गुजरात के प्रतिशत को जब हम देखते हैं तो केवल हाथरस जनपद हमारा है कन्नौज जनपद है जहां पर हमारा आलू का उत्पादन अधिक है आपकी यह जो जानकारी है कि गुजरात और पंजाब के बाद हम तीसरे नम्बर पर हैं वह सत्य नहीं है आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नम्बर एक पर है और हम गुणवत्तायुक्त आलू का उत्पादन नई टैक्नीक से करेंगे। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने नीदरलैंड के वैज्ञानिकों को बुलाकर कन्नौज में इसके लिये सेमिनार किया। अगले वर्ष आपको आलू के बीज की कमी नहीं पड़ने पायेगी इसके लिये हम आपको आश्वस्त करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी हैं और माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी खुद किसान भी हैं। सबसे पहले तो जो 2014 तात्कालिक उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति है इसके अन्तर्गत आपने खुद इस बात का प्राविधान किया है कि हम 17 लाख मीट्रिक टन बीज उपलब्ध करायेंगे। यह आपने स्वयं कह दिया है और मान्यवर 17 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष मात्र 14 हजार मीट्रिक टन आपने आपूर्ति की और अन्त में उत्तर में माननीय मंत्री जी यह भी कह रहे हैं कि भारत सरकार के माध्यम से क्रय करके अन्य कृषकों को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कार्य योजना तय होगी। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि प्रधान देश है, आलू प्रमुख उपज है उसकी बोआई का समय खत्म हो चुका है यह जब आलू का बीज उपलब्ध करायेंगे यह 2015–2016 के लिये उपलब्ध करायेंगे या 2014 के लिये करायेंगें। उस बोआई का सीजन खत्म होने के बाद उस बीज की आपूर्ति का औचित्य क्या है ? एक चीज, दूसरी चीज माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में प्रथम है यह सरकार की दया वया से नहीं वह किसान अपने खून पसीने की मेहनत पर, अपने बलबूते पर नम्बर एक है आप जब उसको बीज आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार का उस पर कोई योगदान नहीं है। लेकिन मान्यवर, यह उत्तर सदन को गुमराह करने के लिये है। जब आलू बीज बोने का समय खत्म हो गया तो बीज की आपूर्ति किसको सुनिश्चित करायेंगे। यह बीज की आपूर्ति इसी वर्ष के लिये होगी या अगले वर्ष के लिये होगी कृपया यह भी स्पष्ट कर दें।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी मैं बता दूं। बहुत सम्मान करता हूं माननीय नेता विरोधी दल का और इनके विचारों से अपने को हमेशा जोड़ता भी रहता हूं लेकिन शायद इनको सुनने और समझने में जरा दिक्कत हुई। बीज की व्यवस्था जो की जाती है वह समय से की जाती है। 2014–2015 में बीज आलू बो चुका है। आलू की जब यह खुदाई हो जायेगी इसके बाद जो हमारा सत्र आयेगा बोआई का उसकी व्यवस्था के लिये हमने यह बातें कही है। हमने गुमराह करने की कोशिश नहीं की है। सम्मानित सदस्य इतना तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर सीजन में बोआई के समय आलू बीज खुदाई के समय उसका रक्षण उसका रख–रखाव और उसको शीतगृहों में रख करके अगले वर्ष का प्राविधान करते हैं। इसलिये मैं नम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि हमने गुमराह करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2014–2015 में 1620 हमारे शीतगृह हैं जिनमें हम बीज को जो 121.24 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के हैं इसमें रखेंगे और आने वाले समय के लिये हम किसानों की मॉग के अनुरूप बीज की उपलब्धता करायेंगे। मैं पिछले के लिये उपलब्धता कराने की बात नहीं कर रहा हूं। यदि यह आपको फेर हुआ तो मुझे खेद है। आप उसको समझ लें कि हम आगे के लिये व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर स्पष्ट हो गया। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस वर्ष के लिये नहीं। आलू किसानों के लिये जो इस वर्ष बड़े पैमाने पर बीज की कमी आई और उनकी मांग के अपेक्षा बीज नहीं दिया जा सका इससे यह स्पष्ट है कि किसानों को बीज नहीं दे पा रही है, किसानों के प्रति यह सरकार न सजग है, न सावधान है न हितैषी है किसानों के प्रति न सजग है, न सावधान है, न किसानों की हितैषी है, सरकार की इस किसान विरोधी नीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने अपने दल सहित सदन से बर्हिगमन किया।)

प्रदेश में माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2014 को लागू करने विषयक

'03–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2014 को लागू करने एवं इसके क्रियान्वयन के लिये जनपद स्तर पर अभिकरणों का गठन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

राज्य के प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में भरण–पोषण अधिकरण का गठन किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या–2595/26–2–2014–100 (2)/2008, दिनांक 20–10–2014 द्वारा अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है। इसी प्रकार उसी जिले के किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिये राज्य के प्रत्येक राजस्व जिला में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अपील अधिकरण का गठन किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या–2596/26–2–2014–100 (2)/2008, दिनांक 20–10–2014 द्वारा अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है। अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुपूरक के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

हमारा ध्यान आकृष्ट करने से क्या होगा सरकार का ध्यान आकृष्ट करिए।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, यह तथ्य मैं आपको भी जरूर अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व में भी 28 फरवरी 2013 के सत्र में इस पर बहस हो चुकी है। तब माननीय मंत्री जी ने बड़ी संवेदना के साथ सदन को अवगत कराया था कि प्रदेश में बुजुर्गों के लिए, निर्बल असहाय और परिस्थितियों के हारे–मारे वृद्धजनों के लिए सरकार गम्भीर है और शीघ्रातिशीघ्र इसमें नियमावली जारी करेगी और इसको लागू करेगी, यह 2007 का कानून है। माननीय अध्यक्ष जी, 25 सितम्बर 2012 को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने इसको एडाप्ट कर लिया। यह 2007 का कानून छः साल बाद प्रदत्त कर सके। इसके बाद की परिस्थितियां ऐसी रहीं, माननीय मंत्री जी आप ही का आश्वासन रहा था तत्समय, कि दो–तीन महीने में नियमावली आ जाए, लेकिन नियमावली उसके डेढ़ साल के बाद आई 24 फरवरी 2014 को, अभी ट्रिब्यूनल का गठन किया आपने 30 अक्टूबर 2014 को, जिन्होंने आदेशित किया, मेरे कहने की भावना यह है कि 2007 का कानून लागू होते–होते आज लगभग आठ साल बीत चुके हैं इसमें कितने बुजुर्ग ऐसे होंगे माननीय अध्यक्ष जी..

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछें आप तो भाषण करते हैं।

श्री मनीष असीजा–

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज भी सरकार का यह कदम बुजुर्गों की देखभाल के लिए उनकी चिन्ता के लिए इसलिए गम्भीर नहीं है कि इसमें अभी तक एक पैसे का बजट पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं भेजा गया है। कानून का प्रचार–प्रसार नहीं किया गया। बिना बजट के आप बुजुर्गों का पुनर्वास उनकी मदद कैसे कर सकेंगे। उनके लाभ के लिए उनकी सहायता के लिए वृद्धाश्रम कैसे खोल सकेंगे ? मैं माननीय मंत्री जी से तीन प्रश्न जानना चाहता हूं पहला, क्या मा0 मंत्री जी आप इसी सत्र में उनके लिए हर जिले में पर्याप्त बजट भेजने का काम करेंगे ? दूसरा क्या प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक–एक वृद्धाश्रम खोलने का काम करेंगे ? तीसरा प्रदेश के सभी अस्पतालों में जरा रोग से संबंधित बुजुर्गों के लिए जब वह बीमार होते हैं उनकी चिकित्सा मुफ्त कराने और उनको वरीयता देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं तो समझता था कि माननीय सदस्य सरकार को बधाई देंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करेंगे। मान्यवर, यह अधिनियम 2007, भारत सरकार का है, वरिष्ठ नागरिक और माता–पिता के भरण–पोषण के सम्बन्ध में यह है। वर्ष 2007 में भारत सरकार की तरफ से श्रीमन्, तमाम राज्यों से अपेक्षा की गई कि इसको अपने–अपने राज्यों में एडाप्ट करें। पांच साल तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लेकिन उसने इस पर कभी चिन्ता नहीं की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनकी सोच में है, उनके संस्कार में है, वरिष्ठ को सम्मान देना, आदर देना, उनकी मानसिकता में है, सोच में है, उन्होंने कहा कि इसको एडाप्ट किया जाए, उन्होंने यह किया। स्वयं माननीय सदस्य ने इस पर चिन्ता नहीं व्यक्त की बल्कि इसको बताने का काम किया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में दो बातें हैं, एक तो नियमावली बनायी गयी, नियमावली प्रख्यापित हो गयी, जिसको हमने अपने जवाब में मेन्शन भी किया है और नियमावली के साथ–साथ अभिकरण का गठन 20 अक्टूबर, 14 को कर दिया गया है और इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। श्रीमन्, यही नहीं, आज भी मैंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, मण्डल के आयुक्तों को और परगना के एस0डी0एम0 को, समाज कल्याण अधिकारियों को, डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य को, इन सब को निर्देशित किया है और एक शासनादेश निर्गत करने के लिए कहा है और कहा है कि इस पर कार्यवाही शुरू कर दे। श्रीमन्, इसमें तहसील स्तर पर अभिकरण का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता वहां के एस0डी0एम0 की होगी और एस0डी0एम0 के आदेश के विपरीत अपील की सुनवाई जिलाधिकारी करेगा। श्रीमन्, इसमें सारा प्रोसेस चल रहा है। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा कि प्रदेश में कितने वृद्धाश्रम हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं पूछा है।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि इसमें बजट के प्राविधान के बगैर कानून को कैसे लागू कर पायेंगे और दूसरी बात क्या प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम खुलेंगे और बुजुर्गों का अस्पताल में वरीयता के आधार पर इलाज करायेंगे, यह मैंने पूछा है।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जहां तक कि जिलों में वृद्धाश्रम खोलने का सवाल है, जो सवाल आपने पूछा है। श्रीमन्, प्रदेश के जितने मण्डल हैं, सारे मण्डलों में वृद्धाश्रम खोलने के लिए कार्यवाही चल रही है और यह बहुत जल्दी ही अगले वित्तीय वर्ष में शुरूआत हो जायेगी। दूसरी बात आपने वित्त के बारे में चिन्ता किया है। श्रीमन्, बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में प्राविधान किया गया है और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आदरणीय सदन उसको पारित करेगा और जब यह हो जायेगा तो यह 09 करोड़ 95 लाख रुपये मांगा गया है और हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, निश्चित तौर से जब यह बजट में हो जायेगा तो अगले वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से जो प्राविजन है, उससे किया जायेगा और बुजुर्गों का सम्मान होगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सुना अभी मा0 मंत्री जी ने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं–नहीं, मंत्री जी ने अपनी बात कही है अब बजट में क्या प्राविधान हुआ यह तो बजट वाले जाने।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, अभी बजट आया नहीं, मंत्री जी ने बजट आने से पहले ही डिसक्लोज कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, कोई विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करता है और जब बजट बनता है तो वह विभागों से मांग मांगी जाती है, उन्होंने अपनी मांग, मांग ली।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मांग यह तब प्रस्तुत करेंगे जब माननीय मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे यह तो मा0 मुख्य मंत्री जी से भी आगे निकल गए।

श्री अध्यक्ष–

आप सुनिए, देखिए माननीय मंत्री जी बच गए अब आप उंगली क्या दिखा रहे हैं। अग्रवाल साहब बजट की मांग सब विभाग से मांगी जाती है तो बजट की मांग भेजी जाती है फिर बजट बनता है और जो वित्त मंत्री जी होते है, फिर माननीय मुख्य मंत्री

जी बजट तैयार करते हैं। वह गोपनीय रहता है वह तब सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन्होंने अपनी मॉग बताई, उन्होंने मॉग बताई इसलिए गोपनीयता भंग नहीं हुई।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के माननीय मंत्री जी ने अपने उस उत्तर में कहा कि 9 करोड़ का प्रावधान है और अप्रैल में वह पैसा चला जाएगा, आप प्रोसीडिंग देख लीजिए यह प्रावधान नहीं है, बजट डिस्कलोस हुआ है यह सदन की परम्परा नहीं है आप सदन के संरक्षणदाता है न कि सरकार के, आप देख लीजिए यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसे आप दूसरे प्रश्नों में लाएं।

प्रदेश में विकलांगों की सहायता हेतु संचालित सरकारी योजनाएं

'4–श्री सतीश महाना, श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों की सहायता हेतु कौन–कौन सी योजनायें सरकार द्वारा संचालित हैं ? क्या मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए विकालांगों के लिये निर्धारित सहायता राशि को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

वर्तमान में विकलांगजनों की सहायता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :–

1–विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना।

2–कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना।

3–विकलांगों से शादी करने पर विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

4–विकलांग जन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना।

5–उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांग जन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा।

6–विभिन्न श्रेणी के विकलांगों हेतु विभागीय विद्यालय/कौशल विकास केन्द्रों का संचालन।

7–स्वैच्छिक संस्थाओं को विकलांगता की रोकथाम हेतु प्रचार–प्रसार के लिये राज्य स्तरीय अनुदान।

8–शल्य चिकित्सा अनुदान।

जी नहीं।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी योजनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने यह पूछा था आपके सवाल में है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, गलती मेरी है।

श्री अध्यक्ष–

चलिए।

श्री सतीश महाना–

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि यह सारी योजनाएं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनको जो भरण–पोषण अनुदान है यह उतना दिया जाता है, और आजकल की मंहगाई के युग में इसे पर्याप्त मानते हैं कि नहीं और वह जितना दिया जाता है उसमें स्टेट गर्वनमेण्ट का क्या अंश है और गर्वनमेण्ट ऑफ इण्डिया का, कितना दिया जाता है और कितना–कितना किसका हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब सुन लीजिए।

श्री सतीश महाना–

दो बार में तीन–तीन बार में पूछ लूंगा मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अरे इतने छः प्रश्न पूछेंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, नौ तो इन्होंने उत्तर ही दिए। दो बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

तो पूछा था कि कौन–कौन सी योजनाएं चलाई हैं तो इन्होंने बता दिया। अब इनको सुन लीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, एक साथ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा बताईए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह कितने हैं, दूसरा मान्यवर यह प्रत्येक अंग उपकरण योजना हैं। यह भारत सरकार के लिम्बको के द्वारा भी और कोई दूसरी योजना है तो, उनको बांटने में जो विधान सभा के अंदर बैठे हैं, माननीय सदस्यों की भागीदारी होती है कि नहीं। ये दो प्रश्न हैं इनको पहले पूछवा दे एक प्रश्न फिर आपकी अनुमति से बाद में पूछूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इन्होंने चार प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा कि भरण–पोषण योजना में राशि कितनी मिलती है तो राशि तीन सौ रुपया प्रतिमाह मिलती है। दूसरा प्रश्न पूछा कि इसमें भारत सरकार का अंश कितना है, राज्य सरकार का अंश कितना है इसका उत्तर है कि इसमें सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकार के बजट से पोषित है, इसमें भारत सरकार का कोई अंश नहीं है। तीसरा प्रश्न कि लिम्बको में विधायकों के प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार चाहे तो कुछ हो सकता है। केन्द्र सरकार की बात कारपोरेशन है कि नहीं और केन्द्र सरकार के निर्देशों के अधीन और उसी के अधीन चलने वाली राज्य सरकार का लिमको से सिर्फ इतना रिश्ता है कि चूंकि यह कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाली केन्द्रीय सरकार के अधीन चलने वाली एक मान्यता प्राप्त संस्था है इसलिए मान्यवर हम उनसे इन उपकरणों को पैसा देकर खरीदते हैं। स्वयं लिमको अपनी ओर से केन्द्र सरकार की नीतियों के अन्तर्गत किस प्रस्ताव पर किसको कितना देती है यह उनका अपना विषय है। यह हमारे अन्तर्गत नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने यह बात उनसे नहीं पूछी थी। जो मेरी जानकारी में है। लिम्बको द्वारा निशुल्क इस प्रकार के उपकरण प्रदान किये जाते हैं चाहे ट्राई साइकिल हो या जो भी विकलांगों से संबंधित सुविधायें हों। मान्यवर, मैंने दो बातें पूछी थीं कि जो आप खरीदते हैं उसकी इस सदन के मा0 सदस्यों को जानकारी होती है या उनकी इसमें भागीदारी होती है ? इसका जवाब नहीं आया।

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रश्न आपने पूछा उसका मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया। लिम्बकों हमारे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था नहीं है। वह किसी को मुफ्त क्यों बांट रहे हैं इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब इसका उत्तर हो गया और कोई दूसरा प्रश्न हो तो पूछें।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से जब मा0 मंत्री जी ब्रीफ करते हैं तो वह सारा का सारा फीड कर लेते हैं जो वहॉ सुना होता है वही यहां बोल देते हैं। प्रश्न–उत्तर सुनते ही नहीं हैं। एक बात, वह बात मैंने इसीलिए पूछी थी वह कार्यवाही में है उसको दिखवा लीजिएगा। दूसरी बात, विकलांगों के लिए प्रदेश सरकार के अंदर नौकरियों के लिए कितना आरक्षण है ? क्योंकि नौकरियों में भी विकलांगों के लिए आरक्षण का प्राविधान है। वह कितना है और आज वर्तमान में उनके आरक्षण के हिसाब से कितने पद भरे हैं और कितने खाली हैं और जो पद नहीं भरे गये हैं उसको कब तक भरेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अब मा0 सदस्य आरक्षण पूछ रहे हैं। तो आपके प्रश्न में तो आरक्षण कहीं है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, उत्तर में है। मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। यह जो मेरा प्रश्न था कि उनके लिए कौन–कौन सी योजनायें हैं तो नौकरी भी उनकी सुविधा के लिए आती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाओ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अनुपूरक के माध्यम से जो प्रश्न करते हैं अगर मा0 मंत्री जी के पास उत्तर नहीं होता है तो मा0 मंत्री जी कह दें कि उत्तर नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी अब आप बैठ जायें। श्री इन्द्रजीत सरोज जी आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री सतीश महाना–

तो मान्यवर, इनके बाद पूछ लेने दीजिएगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह विकलांगों से संबंधित है। मा0 मंत्री जी ने तो जवाब दे ही दिया है कि हम इसमें धनराशि नहीं बढ़ा सकते। 300 रुपया राज्य सरकार के माध्यम से देते हैं। मैं इनसे यह नहीं पूछूंगा कि यह कब से 300 रुपया किया गया। लेकिन दूसरा प्रश्न है। मैं मा0 मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं। क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पात्र विकलांगजन आवेदन करते हैं, अनुदान सहायता राशि के लिए क्या उन सबको सहायता राशि सरकार उपलब्ध करा देती है और अगर सरकार सबको सहायता राशि नहीं उपलब्ध कराती तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग अनुदान सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके स्वीकृत आवेदन–पत्र इस प्रदेश में लम्बित हैं और उस पर कब तक सहायता राशि उपलब्ध करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह इसमें है नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, मैं बताना चाहता हूं कि 2012 से जब से माननीय अखिलेश यादव जी की सपा

की सरकार आयी मान्यवर उस समय संख्या थी तिहत्तर हजार। मान्यवर 2013–14 के सत्र में 54000 अन्य लोगों को इसमें शामिल किया गया तथा पिछले वर्ष 3000 अतिरिक्त लोगों को। उसके पहले पेन्शन की जो स्थिति थी कि जब कोई मर जाता था तब दूसरा पात्र होता था क्योकि संख्या सीमित होती थी। हमने संख्या को बढ़ाया और कुल 1,31,000 हजार लोगों को हम पेन्शन दे रहे हैं। यद्यपि यह हम स्वीकार करते है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे विकलांग जन हैं जिनको हम अभी पेन्शन नहीं दे पाये हैं किन्तु हमारा प्रयास है कि जितने पात्र है उन सभी व्यक्तियों को पेन्शन दी जा सके। हमारा प्रयास लगातार इसी दिशा में है और माननीय अध्यक्ष जी हमने यह संख्या हर साल बढ़ाई है। पिछले वर्ष 30,000 लोग जोड़े गये हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ पात्र इसमें छूट गयें हैं परन्तु हमारा प्रयास है कि जो लोग भी पात्र है उनको पेन्शन दी जा सके। आगे भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्य जी की जानकारी में, जो विशेष तौर पर लोग छूटे हुए हैं, उनकी आप हमें सूची दे दीजिये हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

सभी विकलांग कल्याण अधिकारियों के पास यह सूचना रहती है कि कितने स्वीकृत आवेदन–पत्र उनके पास लम्बित हैं। इसका मतलब ब्रीफिंग में आपको अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी है। मैं भी मंत्री रहा हूं। चार बार से लगातार विधायक हूं। अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या क्या है जिसमें अभी तक पेन्शन दी जानी है, सहायता राशि दी जानी है। यह तो गोल–मोल जवाब है।

श्री अम्बिका चोधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जवाब एकदम स्पष्टता से दिया गया है। गोल–मोल नहीं है लेकिन आप खैराती वरिष्ठता पर क्यों प्रश्न–चिह्न लगायें। आपकी वरिष्ठता है, आप मंत्री अनेक बार रहे हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं। आपने प्रश्न भी बहुत बढ़िया पूछा है इसमें दो राय नहीं है। मेरा उत्तर थोड़ा सा अन्तर हो सकता है परन्तु आपके प्रश्न के हिसाब से ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महाना जी आप कितना प्रश्न पूछेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 300 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 रुपया प्रति दिन। मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंहगाई के कारण उसको बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय महाना जी आगे बताने दीजिये ?

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी छोटा सा प्रश्न है। बस जवाब दे हां, या न। एक ही तो जवाब देना है। एक शब्द का उत्तर है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, महाना जी ने तो उत्तर भी बता दिया। उत्तर भी इन्होनें ही सजेस्ट कर दिया। यह बड़ा अच्छा है कि प्रश्न भी पूछ ले और उत्तर भी स्वयं बता दें। वैकल्पिक सवाल पूछने का रिवाज इस सदन में नहीं है। आप जानते हैं यहा मंत्री हैं, आप सवाल पूछ लीजिये और उत्तर मंत्री जी को देने दे। माननीय अध्यक्ष जी मैंने विस्तार से यह बात रखी थी और इसके बाद भी सदन को अवगत कराना चाहता हूं मान्यवर कि समाजवादी पेन्शन की इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो सरकार ने लागू की है, पूरे देश में और दूनिया में कल्याणकारी योजनाओं में इतनी बड़ी योजना कोई है ही नहीं। सन्दर्भ यह है कि जो विकलांग जन, विकलांग पेन्शन से आच्छादित सदस्य नहीं थे तो उसमें स्वयं विकलांग होना ही पर्याप्त मान लिया गया। विकलांगता में जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का जो मानक है जिसमें उन्हें विकालांग होने का प्रमाण–पत्र दिया जाता है वह समाजवादी पेन्शन के लिए पात्र हो जाता है। मान्यवर इतनी बड़ी योजना के लिए हमने सोचा था कि सराहना करेंगे पर मान्यवर इस तरह से किया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता

'05–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता शासनादेश 31 मई, 2005 द्वारा 300 रुपये प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि काफी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी नहीं। भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों/पहलवानों को वित्तीय सहायता योजना सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1730/बयालिस–2005–38/एस0पी0/104/82, दिनांक 31 मई, 2005 के प्रस्तर–(ख) के अधीन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रुपये 300/– नहीं अपितु रुपये 3,000/– प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

उल्लिखित धनराशि रु0 300/– न होकर रु0 3000/– प्रतिमाह है अतएव अभी इसमें बढ़ोत्तरी किये जाने पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का अपना बयान दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने के लिए पूरे 18 वर्ष की उम्र

से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक बड़ा परिश्रम और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा घर खाली हो जाता है, एक पहलवान के बनने में, आप भी जानते हैं कि पहलवान किस तरह से पूरे घर को खा जाता है। पहलवान बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा घर खाली हो जाता है, तब जाकर वह राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश और प्रदेश का नाम रोशन करता है। उसके बाद जब उसकी आयु 35–40 वर्ष हो जाती है, तो गांव में न वह हल हांक सकता है और न ही वह किसी प्रकार का कोई दूसरा काम कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर शिथिल और थक जाता है। ऐसी अवस्था में तीन हजार रुपये प्रतिमाह जो सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, यह कम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम उसे 10–15 हजार रूपये प्रतिमाह मिलना चाहिए। यह मेरी मांग है और सरकार को सुझाव भी है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी कुछ जवाब देंगे ? इन्होंने प्रश्न तो पूछा नहीं है, सिर्फ सुझाव दिया है।

श्री रामकरन आर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो सवाल किया था, यह सवाल ही गलत है, तीन हजार रुपये की जगह तीन सौ रुपया लिखा था इन्होंनें, लेकिन फिर भी जानबूझकर हमने इसका जवाब दिया है। मा0 सदस्य ने अपना सुझाव दिया है तो अब यह शासन का मामला है, विभाग का मामला है, इसको देखा जायेगा।

श्री दलवीर सिंह–

पिछले सत्र में मेरा सवाल था, उसके जवाब में तीन सौ रुपया लिख कर के आया था, उसमें शायद टाईपिंग की गलती हो गई है, उसमें आप सुधार करायें।

श्री अध्यक्ष–

अब तो आपको पता चल गया कि तीन हजार रुपया है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, तीन हजार रुपये बहुत कम है, इसको कम से कम 10–15 हजार रुपये करायें।

श्री अध्यक्ष–

आपने सुझाव तो दे दिया है। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पद पर कार्यरत प्रवक्ताओं को विनियमितीकरण तथा सेवा में बने रहने के लिये ठोस नीति का निर्धारण किया जाना

'06–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 363 संविदा प्रवक्ता वर्ष 2005– 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे, वर्तमान समय में आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के आने से वे सेवामुक्त हो रहे हैं

? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि 20 अगस्त, 2013 को कैबिनेट निर्णय द्वारा इन्हें वेतनमान व अन्य लाभ प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय महाविद्यालयों में 8–9 वर्षों में कार्यरत उक्त संविदा प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण एवं सेवा में बने रहने की कोई ठोस योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2005 व वर्ष 2006 में कुल 683 संविदा प्रवक्ताओं की तैनाती की गयी थी।

जी हां।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30–8–2013 के अनुसार संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान का न्यूनतम तथा ग्रेड पे एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता, आकस्मिक अवकाश तथा प्रसूति अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है।

विचाराधीन है।

(मा0 सदस्य श्री दीपक पटेल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाला–

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है।

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं, बाद में अगर समय बचेगा, तब इसको ले लिया जायेगा। अब प्रश्न संख्या–07 ले रहे हैं।

प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के डिग्री कालेजों द्वारा अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से प्रतिवर्ष एडमीशन शुल्क का वसूला जाना

'7–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के डिग्री कालेजों द्वारा अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से प्रतिवर्ष एडमीशन शुल्क वसूला जाता है जबकि यह शुल्क प्रथम वर्ष में लिये जाने का नियम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में अंकुश लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध निजी क्षेत्र के डिग्री कालेजों हेतु शासनादेश सं0–2851/सत्तर–2–2003–6(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 2003 द्वारा न केवल प्रवेश शुल्क अपितु समेकित रूप में प्रति छात्र प्रति वर्ष शुल्क का निर्धारण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने मा0 मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हमारे झांसी जनपद में बहुत से छात्रों ने हमसे यह शिकायत की थी कि बी0ए0 प्रथम वर्ष में जब एडमीशन लिया तो हमसे एडमीशन फीस ली गई और इसके बाद जब बी0ए0 द्वितीय वर्ष में हम पहुंचे तो फिर हमसे एडमीशन फीस ली जा रही है, उसी स्कूल में हम पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास में पहुंचने पर फिर दोबारा हमसे एडमीशन शुल्क लिया जा रहा है। तो मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि झांसी जनपद में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष एडमीशन शुल्क लिया जाता है, इसकी जांच करा कर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे यह बिल्कुल स्पष्ट है, वर्ष 2003 के शासनादेश का मैंने उल्लेख कर दिया और इसमें समेकित रूप से चूंकि फीस के भिन्न–भिन्न मद बताकर के और कई बार पता ही नहीं चलता था क्योंकि फीस तो उन्होंने रखी 04 हजार लेकिन वे दूसरी फीस, तीसरी फीस और चौथी फीस के नाम पर बढ़ाकर यह राशि ज्यादा कर देते थे तो इसमें स्पष्ट तौर पर उसकी एक सीमा बांध दी गई कि आप किसी भी हालत में चाहे वे ग्रैजुएशन में हों बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम0, इन पाठ्यक्रमों के लिये 05 हजार और एम0ए0, एम0ए0सी0, एम0काम के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं उनके लिये 06 हजार रुपये से ज्यादा फीस नहीं ले सकते तो जो समेकित है उसमें एडमीशन फीस भी इन्क्लूडेड है। इसलिये ये इसमें लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेण्ट फीस, कई तरीके की फीस, जो रसीद है, जब हम रसीदें देखते हैं तो बहुत तरीके की फीस शिक्षण संस्थान कई बार लेते हैं लेकिन इसमें निर्देश दिये गये कि यह 05 हजार और 06 हजार से अधिक नहीं होना चाहिये। अगर किसी भी महाविद्यालय में यह शिकायत पाई जाये कि उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। आप मुझे अवगत करा दीजियेगा और जहां तक एडमीशन फीस अलग से लिये जाने का सवाल है क्योंकि यह लिमिट बांधी गई थी, अलग से कोई प्राविधान नहीं किया गया था किन्तु एडमीशन फीस एक ही अवसर पर ली जानी चाहिये, बार–बार एडमीशन फीस लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि 05 हजार रुपये बी0ए0, बी0काम0, बी0एस0सी0 में हैं। मैंने जब वहां प्रधानाचार्य से बात की कि आप जो 07 हजार रुपये फीस ले रहे हैं तो उसका क्या ब्यौरा है तो उन्होंने कहा 02 हजार रुपये एडमीशन फीस है तो मैंने कहा कि वे आप ही के कालेज में पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास में जब वे जा रहे हैं तो एडमीशन फीस का मतलब क्या है ? वे एडमीशन तो पिछले साल ले चुके हैं, आपने एक बार एडमीशन फीस ले ली। इस बार जब वे बी0ए0 सेकेण्ड इयर में पहुंचे हैं तो 02 हजार रुपया आप फिर से एडमीशन फीस ले रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह हर साल लगती है। अतः मा0 मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि क्या आप ऐसे कालेज जहॉ छात्रों से पैसा ज्यादा लिया गया है, उनके खिलाफ जांच करा

करके, उनके विरुद्ध कार्यवाही करके, उनसे पैसा वसूल कराने और छात्रों को दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस विद्यालय का नाम आप मुझे दे दीजियेगा, इस पर कार्यवाही करा देंगे और जहां भी ऐसी शिकायत मिलेगी तो किसी भी स्थिति में छात्रों का शोषण नहीं होना चाहिये और एडमीशन फीस दो बार लेने के नाम पर कतई नहीं होना चाहिये। आप दे दीजिये, हम पूरी कार्यवाही करा देंगे।

श्री विजय कुमार दुबे–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि यह जो निजी क्षेत्र के महाविद्यालय हैं। हमारी खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत सरस्वती महाविद्यालय है वहां प्रतिवर्ष शुल्क की वृद्धि इतनी ज्यादा है कि उनके छात्र–छात्राओं ने अभी चन्द दिन पहले आंदोलन किया था। उनका कहना है कि हमारे ऊपर अंकुश किसी का नहीं है, हम अपनी सुविधा के अनुरूप शुल्क लेते हैं और हमें मा0 मंत्री जी को यह बताना है कि हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां गरीब वर्ग के बच्चे हैं। गरीब वर्ग के बच्चों का सुविधा के नाम पर अधिक शुल्क न दे पाने के कारण शोषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये, वह जॉच हो जायेगी। अभी एक और प्रश्न है। अब आप बैठिये।

प्रदेश में वर्ष 2012 से अगस्त, 2014 तक स्थापित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कम्पनियों से किये गये करार के अन्तर्गत निर्मित इकाइयों की जानकारी

'08–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012 से अगस्त, 2014 तक कितनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये किन–किन कम्पनियों से करार किया गया है और उनमें कितनी औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्नगत अवधि में निम्नलिखित निवेशकों के सहमति पत्र/एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए हैं :–

(1) मै0 कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लि0 (2) मै0 यशोदा हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि0 (3) मै0 रितनन्द बल्वेट मेडिकल फाउण्डेशन (4) मै0 फोर्टिस हेल्थकेयर लि0 (5) मै0 जे0वी0एल0 एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 (6) मै0 डंकन गोयनका ग्रुप (7) मै0 यू0पी0 फूड एण्ड लोजिस्टिक्स पार्क प्रा0लि0 (8) मै0 रिकृति फूड पार्क्स प्रा0लि0 (9) मै0 श्री सीमेण्ट्स (10) मै0 रिवर इंजीनियरिंग प्रा0लि0 (11) मै0 आई0टी0सी0 लि0

(12) मै0 गेल गैस लि0 (13) मै0 पसवारा पेपर (14) मै0 एस्सेल ग्रुप (सोलर पावर परियोजना) (15) मै0 रिलाएन्स जियो इन्फोकाम लि0 (16) मै0 सम्प्रास फूड एवं बेवरेजेज मार्केटिंग प्रा0लि0 (17) मै0 अल्ट्रा फेयरवुड इण्डिया प्रा0लि0 (18) मै0 यूफ्लेक्स लि0 (19) मै0 एज्योर पावर इण्डिया प्रा0लि0 (20) मै0 सोनालिका इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0।

उक्त के सापेक्ष अब तक निम्न इकाइयों द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है :–

(1) मै0 श्री सीमेण्ट्स (2) मै0 पसवारा पेपर (3) मै0 एस्सेल ग्रुप (सोलर पावर परियोजना) (4) मै0 रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लि0।

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''–

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के जो विभाग हैं, उनसे सम्बन्धित प्रश्न उन्हीं की उपस्थिति में आज प्रस्तुत हो सका है और मैं यह अपेक्षा करता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जब से पदासीन हुए हैं, प्रदेश को औद्योगीकरण की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में बहुत प्रयत्नशील हैं, वह अगर जवाब देते तो मुझे ज्यादा संतोष होता और जो संवाद जाता वह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छा होता। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय यह अनुपूरक करना चाहता हूं कि सरकार ने बताया है कि 20 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें से चार का निर्माण कार्य प्रारम्भ है। एक चीज यह स्पष्ट नहीं हो रही है कि निर्माण कार्य से क्या तात्पर्य है, जो चार निर्माण कार्य बताये जा रहे हैं, वहां प्रोडक्शन शुरू हो गया है अथवा एन्फ्रास्ट्रेक्चर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, यह बता दें और साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि अगर ये बीसों एम0ओ0यू0 जो साइन हुए हैं, ये कब तक चालू हो जायेंगे, वर्तमान सरकार के रहते चालू हो जायेगा ना ? क्योंकि आप जितना इनट्रेस्ट ले रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आपने प्रयास भी इसके लिए पिछले दिनों किये। आगरा में भी सम्मिट किया, ये किया, वो किया लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए, वह क्यों नहीं हो रही है। अगर यह सब इम्प्लीमेंट हो गए अपना कार्य शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, तो कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब यह कोई बहुत बड़ा सवाल तो हैं नहीं। कुछ कहना है मंत्री जी।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, 20 विभिन्न निवेशकों के साथ, 20 कंपनियों ने कुछ 22 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें से चार कम्पनियों ने अपना काम शुरू किया है। निर्माण का काम शुरू किया उद्योग लगाने का काम शुरू किया है। एक सिकन्दराबाद बुलन्दशहर में बिड़ला ग्रुप की कम्पनी ने 550 करोड़ की लागत से वहां निर्माण कार्य शुरू किया है। मै0 पसवारा पेपर मेरठ में 210.34 करोड़ की लागत का उन्होंने काम शुरू किया है। मै0 रिलाइन्स जियो इन्फोकॉम लि0 जालौन ने 5000 करोड़ की लागत की

कम्पनी का काम शुरू किया है। मै0 सम्प्राज फूड एण्ड बेबरेजेज मार्केटिंग इन चार कम्पनियों में कुल 160 करोड़ की लागत का काम शुरू किया है और कार्य प्रगति पर है, बाकी और कम्पनियों द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। इससे लगभग 1 लाख 28 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार का अवसर सृजित होना अनुमानित है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''–

उद्योग की दिशा में पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा से पिछड़ा रहा है, लेकिन जिन चार का आपने बताया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ, शायद जहां तक मेरी समझ है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आता। तो क्या यह सरकार बताएगी कि जो ये 20 एम0ओ0यू0 साइन हुये हैं, उसमें से चार तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हैं जो रेस्ट 16 हैं उनमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने वाले उद्योग कौन–कौन से हैं और वह कब तक अपना निर्माण कार्य या प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, सूचना है।

श्री राममूर्ति वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रयास से पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिये हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है और उसमें से कहीं से कोई यह प्रतिबन्ध नहीं है पूर्वांचल का या पश्चिमांचल का, हम लोग पूरे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं और सभी क्षेत्रों को समान रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूर्वांचल में भी बहुत जल्द ही हम लोग प्रयास करके इन कंपनियों को प्रेरित करेंगे कि पूर्वांचल में भी वह उद्योग लगाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष–

डा0 अरूण कुमार का नम्बर है।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे अनुपूरक पूछने की आज्ञा दी इसके लिये धन्यवाद। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपका फीगर है चार और बीस, मैं जानना चाहूंगा कि कुल कितने धन का एम0ओ0यू0 हुआ और उसमें से कितने धन वाली कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया और कब तक इनका प्रोडक्शन होने की उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष–

देखिये उन्होंने बता दिया कि चार कम्पनियों ने काम शुरू कर दिया है। धनराशि भी बता दी है। अब जो उन्होंने बताया है कि एम0ओ0यू0 हुआ है। अब दूसरा प्रश्न पूछिये।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, मेरा मतलब यह था कि कुल कितना एम0ओ0यू0 हुआ और उसमें से इन कंपनियों ने जिन्होंने काम शुरू किया उनका कितने का एम0ओ0यू0 है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने अपने उत्तर में बता दिया है कि इतने–इतने करोड़ का काम शुरू है। अब मा0 महाना जी।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि ये–ये एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं और चार कंपनियों द्वारा काम शुरू हुआ है। उसके साथ ही मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि 01 लाख 28 हजार लोगों को ये रोजगार देंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो इसमें कम्पनियां लिखी गई हैं जो हमारे सामने है इसमें से कौन सी ऐसी कम्पनी है जिसमें पांच हजार या दो हजार लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह 01 लाख 28 हजार संख्या मान्यवर इन कम्पनियों के हिसाब कैसे बनती है कैसे कैल्कुलेट किया है। यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह बड़ा व्यापक प्रश्न है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, 01 लाख 28 हजार लोगों को रोजगार देने की बात है, यह कोई छोटी–मोटी बात नहीं है और इसी में से मान्यवर उत्तर आया। अगर 01 लाख 28 हजार लोगों को रोजगार मिलता है तो हमें खुशी होगी। मान्यवर, इसकी हम प्रशंसा करेंगे। मान्यवर, आप कार्यवाही में देख लीजिये, यह उत्तर आया है कि 01 लाख 28 हजार लोगों को इन कम्पनियों के माध्यम से रोजगार मिलेगा। 20 कंपनियां हैं तो 01 लाख 28 हजार के हिसाब से छह–सात हजार लोग एक कम्पनी में काम करेंगे। 01 लाख 28 हजार की संख्या मा0 मंत्री जी के द्वारा आई है। मान्यवर, आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक इस बात की जानकारी करना चाहता हूं कि यह 01 लाख 28 हजार की संख्या इन कम्पनियों में कैसे समायोजित होगी। मान्यवर, उत्तर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो उत्तर आया है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष–

अब मंत्री जी बोल रहे हैं सुन तो लीजिये।

श्री राममूर्ति वर्मा–

मान्यवर, मा0 सदस्य महोदय ने जो पूछा है इसमें कुल 20 कंपनियों ने 22 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है जिसमें चार ने निर्माण कार्य शुरू किया है और 01 लाख 28 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार के अवसर सजित होंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह प्रदेश के उन नौजवानों को जिनको रोजगारी भत्ते के नाम से दिया जाना था नहीं दिया गया। मान्यवर, यह उत्तर में आया है तो यह बता दें कि कितना अनुमानित है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि एक लाख अट्ठाइस हजार है। यह बताया कि प्रत्यक्ष इतना है अप्रत्यक्ष इतना है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इनके पास संख्या तो होगी श्रेणीवार।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, जब कोई फैक्टरी लगती है और उत्पादन शुरु होता है तो वह बिकने के लिए जाता है। उसके लिये शॉप्स खुलती हैं उसमें भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से सृजित हो जाते हैं। अब यह बात कहां से आ गयी।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, केन्द्र में इनकी पार्टी की सरकार पिछले नौ महीने में कोई रोजगार सृजित नहीं कर पायी है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं और उद्योग लग भी रहे हैं। मान्यवर, हमारे यहां ताज टिपोजियम जोन है वहां पर धुंआ रहित उद्योग ही लग सकते हैं धुआं वाले उद्योग एलाऊ नहीं हैं। तो वहां पर उद्योगों के विकास के लिये एम0ओ0यू0 साईन करायेंगे ताकि वहां पर धुआं रहित उद्योग बड़ी संख्या में लग सकें और लोगों को रोजगार मिल सकें। मान्यवर, टी0टी0 जोन में आई0टी0 बेस्ड साफ्टवेयर के उद्योग लग सकते हैं। आप इस दिशा में एफ0डी0आई0 को ला सकते हैं। तो क्या मा0 मुख्य मंत्री जी ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप मथुरा के बारे में सवाल लाईये। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज्वाइंट वेनचर साईन हुआ है ताकि संयुक्त रूप से औद्योगीकरण हो सके।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैं यह तथ्य मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और है भी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश हर तरह से पिछड़ा हुआ है। अभी बात आयी कि पिछड़े की बात नहीं है अगड़े की बात नहीं है, उसका सवाल नहीं है। मान्यवर, जब हम उत्तर प्रदेश के पैमाने पर औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो यह न हो जो कमजोर है उसको और कमजोर किया जाये और जो सबल है उसे और मजबूत किया जाये। मान्यवर, मैं

अनुरोध करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार प्रयास करे। यह मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के किसानों को उन्नत बीज, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने तथा अनेक कृषि सम्बन्धी जानकारी हेतु कृषक मेला का आयोजन

'09–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उन्नत बीज, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने तथा अनेक प्रकार के कृषि कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये ब्लाक, जिला मण्डल स्तर पर किन्हीं प्रकार के कृषक मेलों का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उनकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

कृषि सम्बन्धी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कृषक मेलों का आयोजन ब्लाक एवं जिला स्तर पर किया जाता है। मण्डल स्तर पर कृषक मेले आयोजित नहीं किये जाते हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूखा की परिस्थितियों/सम्भावनाओं से निपटने हेतु कृत्रिम बारिस कराये जाने सम्बन्धी नीति का निर्धारण विषयक जानकारी

'10–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखा की परिस्थितियों/सम्भावनाओं से निपटने हेतु क्या सरकार ने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कृत्रिम वारिश कराये जाने के संदर्भ में कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में व्याप्त अनियमितता की शिकायत करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

01–श्री दलजीत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में व्याप्त अनियमितता की शिकायत करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26–8–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के विरुद्ध की गई जांच वर्ष 2011–12 में प्रस्तुत रिपोर्ट में की गयी संस्तुति के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

02–श्री दलजीत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के विरुद्ध जांचोपरान्त विजलेन्स टीम द्वारा शासन के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग में वर्ष 2011–12 में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उसके द्वारा की गयी संस्तुति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10502198/2014 कम्प्यूटर सं0–पी0जी0 10502198 पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रकरण में सतर्कता जांच की संस्तुति के आधार पर जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में निर्धारित मानक के अनुसार कम पड़ी भूमि को 90 वर्ष की लीज पर लिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा डा0 विपिन कुमार पाण्डेय, रीडर, अंग्रेजी विभाग की सेवायें विश्वविद्यालय से दिनांक 15–12–2014 से समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ शहर में चर्बी की भयानक दुर्गन्ध की शिकायत के अनुसार दुर्गन्ध को रोकने के उपाय

03–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में वर्ष 2012–13 व 2013–14 में चर्बी की भयानक दुर्गन्ध की शिकायत स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा शहर में फैलने वाली दुर्गन्ध को रोकने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु अपर जिला अधिकारी, (नगर) अलीगढ़ की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ नगर मजिस्ट्रेट तथा पशुवधशालाओं के प्रबन्धकों की उपस्थिति में बैठकें आयोजित की गयी हैं। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अपर जिलाधिकारी (नगर) अलीगढ़ के निर्देशन में पशुवधशालाओं के निरीक्षण हेतु दिनांक 17–06–2014 को समितियों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 19–08–2014 को भी पशुवधशालाओं के आकस्मिक निरीक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसके अनुपालन में गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय बदबू के नियंत्रण हेतु पशुवधशालाओं द्वारा क्षमता के अनुसार पशुवध किये जाने तथा उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को नियमित रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। अग्रेतर दिनांक 04–09–2013 को नगर मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में थानाध्यक्ष देहली गेट, पशु चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ डिप्टी कलेक्टर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ व क्षेत्राधिकारी, गभाना द्वारा मै0 एच0एम0ए0 एग्रो इण्ड0 तालसपुर खुर्द, अलीगढ़ का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के समय पायी गयी अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत उद्योग के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–133 के अन्तर्गत दिनांक 05–09–2013 को कार्यवाही की गयी। इससे पूर्व दिनांक 09–06–2012 को जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा नगर आयुक्त, एस0डी0एम0 कोल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर व जनसम्पर्क अधिकारी के साथ कुछ पशुवधशालाओं का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के समय पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नगत उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की गयी है।

अलीगढ़ शहर में बदबू की समस्या के समाधान हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार दिनांक 24–09–2014 को नगर मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में पुलिस उपाधीक्षक (प्रथम) पुलिस बल, नगर निगम पशुचिकित्सा विभाग एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कमेला रोड पर गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त अवैध गोदामों में अनियमितता पाये जाने पर गोदामों के विरुद्ध दिनांक 24–09–2014 को जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निर्देशानुसार थाना–कोतवाली नगर, देहली गेट में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर स्थित सूर्या कुआं अनुसूचित जाति बस्ती बसारतपुर में विभाग द्वारा संचालित विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया जाना

04–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर स्थित सूर्या कुआं अनुसूचित जाति बस्ती बसारतपुर में विभाग द्वारा अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय का भवन अत्यन्त जर्जर हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भवन के जीर्णोद्धार पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित प्रश्नगत विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को समाज कल्याण विभाग द्वारा वेतन भुगतान हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

स्वेच्छिक संगठन द्वारा संचालित उक्त विद्यालय का भवन अत्यधिक पुराना है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुदानित विद्यालयों के जीर्णोद्धार एवं भवन मरम्मत की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में राजनीति शास्त्र एवं दर्शनशास्त्र जैसे विषयों को बन्द किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

05–श्री दलजीत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगतगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में राजनीति शास्त्र एवं दर्शनशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विश्वविद्यालय द्वारा बन्द कर दिया गया है, को पुनः शुरू किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26–08–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाये जाने की मांग

06–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन 300/–रुपये प्रतिमाह दी जा रही है जबकि गोवा में 2000/– और दिल्ली में 1000/– रुपये प्रतिमाह मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में भी उक्त पेंशन राशि को बढ़ाकर 500/– रुपये प्रतिमाह करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 300/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 500/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन दी जा रही है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत गोवा में रु0 2000/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी एवं दिल्ली में 60 वर्ष से 69 वर्ष तक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 1000/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी एवं 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 1500/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन दी जा रही है।

जी हां।

उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना सम्भव नहीं है।

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने वाली बीमारी, शादी के अन्तर्गत अनुदान योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी

07–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीमारी, शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबों की बेटी को मिलने वाली शादी अनुदान योजना बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दोबारा शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में आवंटित भू–खण्डों के स्वामी की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों को हस्तानान्तरण में आवंटित भूमि का बैनामा के स्थान पर पट्टा विलेख किया जाना

08–श्री दलवीर सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में आवंटित भू–खण्डों के स्वामी की मृत्यु पर उसके वारिसानों के नाम हस्तान्तरण हेतु पुनः उस भू–खण्ड का बैनामा कराना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः बिना बैनामा के वारिसान प्रमाण–पत्र के आधार पर वारिसानों के नाम परिवर्तन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा आवंटित भूमि का बैनामा के स्थान पर पट्टा विलेख किया जाता है।

पट्टा का हस्तान्तरण सुसंगत अधिनियमों तथा नियमावली में विधिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ मण्डल में उच्च शिक्षाधिकारियों की तैनाती कराये जाने विषयक

09–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ को मण्डल बने कई वर्ष हो गये हैं परन्तु अलीगढ़ मण्डल पर मण्डल स्तरीय क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी की तैनाती अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मण्डलीय स्तरीय क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी की तैनाती करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था नहीं है। अलीगढ़ मण्डल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय, आगरा के क्षेत्रान्तर्गत आता है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी की मण्डी समिति द्वारा उदयपुर से बेल्तुआ विकास खण्ड ईसानगर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

10–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, लखीमपुर खीरी द्वारा ग्राम उदयपुर से बेल्तुआ विकास खण्ड ईसानगर तक बनी सड़क जो वर्तमान में पूर्ण रूप

से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्ष 2007–08 में कराया गया था। गांव के अन्दर निर्मित भाग पर जल भराव एवं ट्रैक्टर ट्राली के आवागमन के कारण गड्ढे हो गये हैं। गांव के बाहर निर्मित भाग का लेपन स्थिति समयान्तराल के कारण कहीं–कहीं क्षतिग्रस्त हो गयी है।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 के दृष्टिगत फिलहाल मरम्मत कराने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय महुअन, फरह, जिला मथुरा की बी0एड0 वर्ष 2011 की एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसीखुर्द मथुरा में वर्ष 2012 में पुनः परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं की अंक तालिका दिया जाना

11–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय महुअन फरह जिला मथुरा के छात्र–छात्राओं ने वर्ष 2012 में बी0एड0 की री–इगजैमिनेशन (पुनःपरीक्षा) एस0डी0एस0 डिग्री कालेज कोसी खुर्द मथुरा में दी थी परन्तु अभी तक मार्कशीट उपलब्ध नहीं होने के कारण कहीं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओं को शीघ्र मार्कशीट उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय, महुअन, फरह, जिला–मथुरा की बी0एड0 2011 की एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसीखुर्द, मथुरा में वर्ष 2012 में पुनः परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं को अंक तालिकायें पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा ग्वालियर हाई–वे रोड पर पुराना बी0टी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र बन्द होने के कारण पुनः चालू कराने विषयक

12–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में कोई भी राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण छात्र–छात्राओं को अध्ययन हेतु लगभग 50 कि0मी0 दूर आगरा आना पड़ता है, वहीं सैयां में ग्वालियर हाई–वे रोड पर पुराना बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कालेज बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र के बन्द पड़े उक्त भवन में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खेरागढ़ क्षेत्र में छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

जनपद झांसी में लम्बी अवधि से बन्द चल रही कताई मिल की भूमि को भू–माफिया से मुक्त कराने विषयक

13–श्री रवि शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में लम्बी अवधि से बन्द चल रही कताई मिल की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है ? यदि हां तो क्या शासन कताई मिल की भूमि को भू–माफियों से मुक्त कराने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तदैव।

तदैव।

14–डा0 धर्मपाल सिंह–

खाले बुधवार के अता0प्र0सं0–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद अलीगढ़ सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकार की औद्योगीकरण की कार्य योजना

15–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण की दिशा में वर्तमान सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कोई पृथक कार्य योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 बनाई गई है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी है।

ताज ट्रिपैजियम जोन के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में कुछ इकाइयों द्वारा क्षमता के विस्तारीकरण के विरुद्ध पर्यावरण निवारण के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना

16–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं कि वर्ष 1996 से ताज ट्रिपैजियम जोन के अन्तर्गत किसी भी प्रदूषणकारी उद्योग (कांच उद्योग) की क्षमता का विस्तारीकरण नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि ताज ट्रिपैजियम जोन के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में कुछ इकाइयों द्वारा क्षमता का विस्तारीकरण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–क्यू 17012/4/2010/सी0पी0ए0, दिनांक 4–4–2014 में निर्देश दिये गये हैं कि ताज ट्रिपैजियम जोन के अन्तर्गत स्थापित गैस आधारित ग्लास/अन्य उद्योगों में उत्पादन क्षमता के वृद्धि तथा किसी भी गैस आधारित नये ग्लास/अन्य उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वर्ष 1996 की यथास्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए।

जनपद फिरोजाबाद के ताज प्रतिबन्धित सीमा के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित 198 गैस आधारित उद्योगों में से 60 उद्योगों द्वारा अपनी फरनेस की होल्डिंग कैपेसिटी में वृद्धि की गई है।

ताज ट्रिपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण, आगरा (टी0टी0जेड0 अथारिटी) की बैठक दि0 07–01–2015 में ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्दर स्थापित एवं संचालित ग्लास उद्योग/अन्य उद्योगों में वर्तमान में स्थापित एवं संचालित फर्नेस की साइज एवं होल्डिंग कैपेसिटी को यथावत् रखते हुए भविष्य में उसमें वृद्धि/विस्तार नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत जिला फिरोजाबाद में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्रदूषणकारी उद्योगों का चलाया जाना

17–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपैजियम जोन के अन्तर्गत जिला फिरोजाबाद में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के कुछ प्रदूषणकारी उद्योग वर्ष 2014 से चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत जिला फिरोजाबाद में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना प्रदूषणकारी उद्योग वर्ष 2014 से नहीं चल रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

फारुखी ग्लास इण्डस्ट्रीज, ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद के पक्ष में वर्ष 2014 में व्यापार–कर में छूट का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने विषयक

18–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फारुखी ग्लास इण्डस्ट्रीज, ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद के पक्ष में वर्ष 2014 में व्यापार कर में छूट का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। सर्वश्री फारुखी ग्लास इण्डस्ट्रीज, ढोलपुरा, आगरा रोड, फिरोजाबाद के पक्ष में वर्ष 2014 में व्यापार–कर में छूट के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार, संयुक्त निदेशक, उद्योग आगरा मण्डल, आगरा द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र अपने आदेश संख्या–739–42 दिनांक 02–07–2014 द्वारा जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में तेल मिल मोहल्ला मदनपुरा तालाब वाली लाइन में स्थित मोदी शराब फैक्ट्री से फैल रही भयंकर दुर्गन्ध की रोकथाम

19–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में तेल मिल मोहल्ला मदनपुरा तालाब वाली लाइन में स्थित ई0टी0पी0 प्लान्ट जो कि मोदी शराब फैक्ट्री द्वारा संचालित है, से निकलने वाली जहरीली गैस एवं असहनीय दुर्गन्ध आस–पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण व गम्भीर संक्रमण रोग फैला रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रायः सभी आसवनी इकाइयों में प्रोसेस व उत्प्रवाह के स्टोरेज आदि से गंध आना स्वाभाविक है। जो कि पहले की तुलना में शून्य निस्तारण किये जाने पर अब कम हुई है। इसी प्रकार मै0 मोदी डिस्टलरी उद्योग में भी प्रोसेस से ही गन्ध आती है जो कि जहरीली नहीं है। गन्ध तथा रंग हेतु कोई विशिष्ट मानक प्राविधानित नहीं है बल्कि जितना हो सके उतना कम करने का प्राविधान है।

मै0 मोदी डिस्टलरी मोदीनगर औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1959 से स्थापित है एवं वर्तमान में 20 कि0ली0/दिन एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। प्रक्रिया जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु बायो गैस प्लान्ट, आर0ओ0 प्लान्ट एवं जैविक खाद बनाने का प्लान्ट स्थापित है तथा इस प्रकार से शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की व्यवस्था स्थापित की गई है अर्थात् उत्प्रवाह परिसर के बाहर नहीं जाता है। उद्योग में वाष्प की आपूर्ति पेराई सीजन में चीनी इकाई के व्वायलरों से की जाती है तथा आफ सीजन में 05 टन/घण्टा वाष्प जनन क्षमता के ब्वायलर से की जाती है जिसमें ईंधन के रूप में बायो गैस एवं राइस हस्क का प्रयोग होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित है। दि0 17–1–14 को की गई स्टैक मानीटरिंग में प्रचालक बोर्ड मानक के अनुरूप पाये गये हैं।

इस प्रकार डिस्टलरी उद्योग में समुचित जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित हैं। उद्योग को वर्ष 2015 हेतु जल/वायु सहमति प्रदान की गई है। उद्योग की गंध के कारण आस–पास के क्षेत्र में संक्रमण रोग फैलने की कोई कार्य सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कासगंज के अन्तर्गत मोहनपुर से गंजडुण्डवारा की मण्डी समिति की क्षतिग्रस्त रोड को ठीक कराया जाना

20–श्री ममतेश शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमांपुर जनपद कासगंज के अन्तर्गत मोहनपुर से गंजडुण्डवारा मार्ग मण्डी समिति विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व बनाया गया था जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण किसानों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सम्प्रति मण्डी समिति गंजडुण्डवारा की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मुकदम बिहारीलाल महाविद्यालय, महुअन, फरह, जिला मथुरा के छात्र–छात्राओं की वर्ष 2012 में बी0एड0 की री–इगजैमिनेशन परीक्षा की मार्कशीट उपलब्ध कराने विषयक

21–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय, महुअन, फरह, जिला–मथुरा के छात्र–छात्राओं ने वर्ष 2012 में बी0एड0 की री–इगजैमिनेशन (पुनः परीक्षा) एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसी खुर्द, मथुरा में दी थी

परन्तु उक्त छात्र–छात्राओं को अब तक मार्कशीट उपलब्ध नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी छात्र–छात्राओं को मार्कशीट उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय, महुअन, फरह, जिला–मथुरा की बी0एड0 2011 की एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसीखुर्द, मथुरा में वर्ष 2012 में पुनः परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं को अंकतालिकायें पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्राम पयागपुर को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में सम्मिलित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में ग्राम पयागपुर को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में सम्मिलित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0–10485781/2014, निदेशक, कृषि मण्डी परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्राम का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त हो गया है। स्वीकृति निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष 2014–15 की वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजे जाने विषयक

23–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष 2014–15 की वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के खाते में नहीं भेजी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि भेजने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं। जनपद मुरादाबाद में वृद्धावस्था पेंशन के 33412 पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष 18472 लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम किश्त तथा 10784 लाभार्थियों को दोनों किश्त की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित की जा चुकी है।

शेष पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेजने की कार्यवाही गतिमान है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समस्त पात्र लाभार्थियों को पेंशन प्रदान कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ व सहारनपुर मण्डल में कोरी जाति का जाति–प्रमाण पत्र जुलाहा जाति के रूप में दिये जाने की शिकायत

24–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ व सहारनपुर मण्डल में कोरी जाति के लोगों को हिन्दू जुलाहा जाति होने की रिपोर्ट लगाकर कोरी जाति का प्रमाण–पत्र देने से मनाकर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश जारी करेंगी ताकि कोरी जाति के लोगों को निर्वाध रूप से जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

25–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

ख्ले मंगलवार के अता0प्र0सं0–82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में निर्माणाधीन कृषि उत्पादन मण्डी की तकनीकी जांच कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

26–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में निर्माणाधीन कृषि उत्पादन मण्डी की तकनीकी जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10484202/2014, प्रमुख सचिव, कृषि विपणन, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वि0ख0 विशेश्वरगंज के ग्राम गेन्धरिया में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा कराये जाने विषयक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वि0ख0 विशेश्वरगंज के ग्राम गेन्धरिया में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10409241/2014, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0, शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मण्डी समिति, पयागपुर की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण निर्माण कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में निर्माणाधीन मण्डी समिति की तकनीकी जांच कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र पयागपुर में निर्माणाधीन मण्डी समिति की तकनीकी जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10476534/2014, प्रमुख सचिव, कृषि विपणन, उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर दिसम्बर 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जांच करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच में बिना जल शोधन किये फैक्ट्रियों द्वारा गन्दा व प्रदूषित पानी नदी व नालों में डाले जाने के कारण भू–गर्भ का जल प्रदूषित होने से जल जीवों की मरने की जानकारी

29–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशेषकर जनपद बहराइच में बिना जल शोधन किये फैक्ट्रियों द्वारा गन्दा व प्रदूषित पानी नदियों तथा नालों में डालने से नदियों का तथा भू–गर्भ का जल प्रदूषित होने तथा जल जीवों के मरने की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फैक्ट्रियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद बहराइच में कुल 6 उद्योग स्थापित है। इनमें से 2 आसवानी इकाई एवं 4 शुगर यूनिट वृहद एवं मध्यम श्रेणी के जल प्रदूषणकारी उद्योग संचालित है, जिनमें 4 शुगर उद्योग सीजनल हैं। इनमें औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। विगत क्रशिंग सीजन में इन इकाइयों से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 2 आसवनी इकाइयों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रख्यापित चार्टर के प्राविधानों के अनुरूप शुद्धिकृत प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु शून्य उत्प्रवाह व्यवस्था स्थापित एवं संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत गेन्धरिया सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत गेन्धरिया में गेन्धरिया सम्पर्क मार्ग से मुख्य ग्राम गेन्धरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कृषि उत्पादन मण्डी समिति उ0प्र0 से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5नं0–239754/5297, दिनांक 17–11–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर दिसम्बर 2014 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मण्डी समिति, पयागपुर की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण निर्माण कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि विशेषज्ञों की भारी कमी के कारण वैज्ञानिकों की नियुक्ति का प्रकरण

31–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केन्द्र चल रहे हैं ? क्या यह सही है कि इन कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि विशेषज्ञों की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिये कृषि विशेषज्ञों तथा कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, कानपुर, मेरठ, बांदा तथा डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सहित प्रदेश में कुल 05 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं। प्रदेश में कुल 68 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं जिसमें 49 कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत एवं शेष 19 कृषि विज्ञान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संस्थानों, गैर कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालयों तथा निजी संस्थाओं के अन्तर्गत स्थापित हैं।

जी हां।

जी हां।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से संचालित कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विश्वविद्यालयों को शासनादेश संख्या–1046/67–कृषि–14–1500 (20)/14, दिनांक 03–07–2014 द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
- कृषि विश्वविद्यालयों में सृजित शैक्षणिक पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को चरणबद्ध रूप से भरे जाने हेतु विश्वविद्यालयों को शासनादेश संख्या–1047/67–कृषि–14–1500 (20)/14, दिनांक 03–07–2014 द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार की ठोस नीति

32–श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना एवं उनकी मुख्य सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से राष्ट्रीय नदी संरक्षण

कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है एवं राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। उ0 प्र0 सरकार द्वारा भी मा0 मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उ0 प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2009 द्वारा किया गया है। मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति गठित की गई है जिसके द्वारा गंगा में प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाई गई योजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। राज्य बोर्ड द्वारा नेशनल वाटर क्वालिटी मानिटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न नदियों के किनारे 53 स्थलों पर नियमित रूप से जल अनुश्रवण का कार्य किया जाता है, जिसके अन्तर्गत गंगा नदी में 21 स्थानों पर तथा यमुना नदी में 04 स्थानों पर नियमित रूप से जल गुणता का अनुश्रवण किया जाता है। गंगा, यमुना एवं उनकी प्रमुख सहायक नदियों के जल को प्रदूषित करने वाले दो प्रमुख स्त्रोत क्रमशः नदियों के किनारे बसे शहरों/कस्बों से निकलने वाला अशुद्धिकरण घरेलू जल/मल एवं उद्योगों से निकलने वाला उत्प्रवाह है। प्रमुख उद्योगों की स्थापना के पूर्व इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि उद्योग से जनित होने वाले प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत किया जाएगा। उद्योग स्थापना के पश्चात् उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित न करने वाले/मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। राज्य बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्थित आसवनी उद्योगों में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण तकनीक स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा आसवनी उद्योगों द्वारा बायोकंपोस्टिंग व्यवस्था स्थापित कर संचालित की जा रही है। एगोबेस्ड पेपर उद्योगों को भी राज्य बोर्ड द्वारा केमिकल रिकवरी संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रदेश के प्रमुख नगरों जैसे आगरा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, वाराणसी, नोएडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, बुलन्दशहर, मेरठ आदि से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निगोही में नवयुवकों की खेल प्रतिभा बढ़ाने हेतु स्टेडियम निर्माण कराने विषयक

33–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निगोही में नवयुवकों को खेल में प्रतिभा बढ़ाने हेतु खेल स्टेडियम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

भारत सरकार की राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0ए0) योजना के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स विकसित किया जाना है।

उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानक 06 से 07 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने तथा योजना के मानकों से आच्छादित होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में एन0एच0 24 से सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग के गोदाम तक जाने वाली क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कराने की मांग

34–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शाहजहांपुर जनपद में एन0एच0–24 से सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग के गोदाम तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के तहसील धामपुर, परगना स्योहारा ग्राम याकूबपुर में संचालित पशु वधशाला की अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के तहसील धामपुर, परगना स्योहारा ग्राम याकूब–पुर के भू–खण्ड सं0 47, 52 व 54 पर संचालित पशु वधशाला मेसर्स उमर इण्टरनेशनल द्वारा जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 को सुसंगत धाराओं/नियमों के तहत सशर्त निर्गत अनापत्ति में निहित शर्त संख्या 11 व 12 का स्पष्ट उल्लंघन करने के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालय (पर्या0) बिजनौर के पशुवधशाला की अनापत्ति को निरस्त करने विषयक बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित पत्रांक 452/बी–10/बिजनौर, 2013 दिनांक 13–03–2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्लाट सं0–47, 52 व 54 पर उद्योग स्थापनार्थ जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारा–143 के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है तथा शर्त सं0–11 में ही हार्टीकल्चर हेतु प्रयोग किये जाने वाले भू–खण्डों पर जिलाधिकारी के अनापत्ति

प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं थी जिसे निक्षेपित किया गया है। शर्त संख्या–12 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त हो जाने के कारण उद्योग (पशुवधशाला) के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में प्रेषित कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निक्षेपित करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त नहीं किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग (पशुवधशाला) को ट्रायल उत्पादन करने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गढरोड के निकट राजवंश बिहार में अवैध रूप से कालोनी के अन्दर चल रही फैक्ट्रियों से उत्पन्न प्रदूषण की जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग

36–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गढरोड के निकट राजवंश बिहार में अवैध रूप से कालोनी के अन्दर चल रही फैक्ट्रियां जो वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण कर रही है, की सरकार जांच कराकर उन पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद मेरठ के मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गढ रोड के निकट राजवंश विहार में कुल 04 जल/वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को बोर्ड द्वारा संचालन हेतु सहमति जल/वायु निर्गत है, जिनमें से 03 उद्योगों में फैब्रिक ड्राइंग/प्रिटिंग का कार्य किया जाता है तथा 01 उद्योग में जिंग इन्गट्स के उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में कुल 32 इकाइयां, जिनमें 09 पावरलूम, 10 स्पोर्ट्स गुड्स उत्पादन की इकाइयां, (बैट, वेट लिफ्टिंग आदि) 02 फैब्रीकेशन इकाइयां, 02 ट्रासफार्मर के उत्पादन की इकाई, बर्फ की सिल्ली बनाने हेतु 02 आइस फैक्टरी, 01 टोमेटो सास बनाने की इकाई तथा अन्य 06 छोटी–छोटी इकाइयां स्थापित हैं। उक्त सभी 32 उद्योगों द्वारा बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है। उक्त सभी 32 उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत नोटिस दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में खेल विभाग द्वारा नवयुवकों के शारीरिक विकास हेतु नया स्टेडियम बनाये जाने की मांग

37–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में खेल विभाग द्वारा नवयुवकों के शारीरिक विकास हेतु कोई नया

स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्टेडियम कब और कहां बनवायेगी ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर जनपद अम्बेडकर नगर की विधान सभा आलापुर के ग्राम–सिरसिया सिसवा, विकास खण्ड जहांगीरगंज में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

बप्पा श्री नरायन वोकेशनल पी0 जी0 कालेज चारबाग लखनऊ द्वारा फर्जी अनुदान लेने सम्बन्धी प्रकरण पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

38–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में बप्पा श्री नरायन वाकेशनल पी0जी0 कालेज चारबाग, लखनऊ के नाम राजस्व अभिलेखों के अनुसार विद्यालय के नाम से कोई जमीन न होने के बावजूद भी फर्जी अभिलेखों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में अनुदान राशि जारी की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

बी0एस0वी0 पी0जी0 कालेज, चारबाग, लखनऊ 1994 से स्थापित अनुदानित महाविद्यालय है। महाविद्यालय जिस भूमि पर स्थित है, वह भूमि कान्य कुब्ज इन्टरमीडिएट कालेज के नाम 1934 से पट्टे पर है, जिस पर 1954 से डिग्री एवं इन्टर कालेज दोनों विद्यालय संचालित हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के तहत पंजीकृत होने के फलस्वरूप यू0जी0सी0 अनुदान हेतु अर्ह है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यू0जी0सी0 द्वारा पी0डी0एफ0 अनुदान प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में दी जा रही विकलांग जन पेंशन को वर्ष 2013–2015 तक कुल संख्या की जानकारी तथा पात्र विकलांगों को बजट के अभाव में पेंशन न मिलने की शिकायत

39–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च 2013 से जनवरी 2015 तक जनपद सोनभद्र में कुल कितने विकलांगजनों को पेंशन दे दी गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विकलांगता के पात्र लोग भी पेंशन से बजट के अभाव में वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें पेंशन कब तक दे दी जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जनपद सोनभद्र में मार्च, 2013 में कुल 7161 विकलांगजनों को विकलांग पेंशन से लाभान्वित कियाा गया था। माह मार्च, 2013 से माह जनवरी, 2015 तक 806 नवीन विकलांगजनों को विकलांग पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद में 7967 विकलांगजन को विकलांग पेंशन दे दी गयी है।

जी हां।

सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अन्तर्गत कुल चल रहे आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना के लक्ष्य की जानकारी अनिर्मित/निर्मित हो रहे विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराया जाना

40–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014–15 अन्तर्गत कुल कितने आश्रम पद्धति के विद्यालयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा कुल कितने विद्यालयों का निर्माण कार्य चल रहा है व कितने विद्यालयों का निर्माण होना शेष है ? क्या सरकार उनकी सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु रुपया 40 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। बजट की सीमा तक निर्माणाधीन तथा नवीन आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण किया जाता है।

यू0पी0 स्टेट कन्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्तमान में 12 आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2007 तक चल रहे उर्वरक कारखानों की जानकारी तथा जनवरी, 2015 तक संचालित कारखानों को अनुदान देने की व्यवस्था के साथ मानक के आधार पर खाद आपूर्ति न करने से कानूनी कार्यवाही की जानकारी

41–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 तक कितने उर्वरक कारखाने थे और जनवरी 2015 तक कितने हैं, इन कारखानों को सरकार द्वारा प्रति कारखाना कितना अनुदान दिया जाता है ? क्या यह सभी कारखाने मानक के अनुसार खाद आपूर्ति कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्ष 2007 तक भारत सरकार द्वारा पदत्त अनुदान पर संचालित यूरिया उर्वरक के 05 तथा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के 06 कुल 11 कारखाने कार्यशील थे। जनवरी, 2015 तक प्रदेश में यूरिया उर्वरक के 06 तथा सिंगल सुपर फास्फेट के 06 कुल 12 कारखाने कार्यशील हैं। इन कारखानों को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, प्रदेश सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

उक्त सभी कारखानों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों की वेतन विसंगति का प्रकरण

42–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक जिनका वेतनमान 5200–20200 तथा ग्रेड पे रु0 1900 है, को वित्त वेतन आयोग द्वारा, 23 सितम्बर, 2013 को संशोधित करते हुए ग्रेड पे रु0 2000/– कर दिया गया है ? यदि हां, तो उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अभी तक संशोधित ग्रेड पे रु0 2000/– न किये जाने के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए संशोधित शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–665(1) दस–54(एम)2008 टीसी, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के ग्रेड वेतन में संशोधन किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को संशोधित ग्रेड पे दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ग्रामीण मिनी स्टेडियम बड़हलगंज के जिम में समान न होने, फुटबाल खेलने तथा बैडमिन्टन कोर्ट बनाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ग्रामीण मिनी स्टेडियम बड़हलगंज के जिम में सामान न होने, मैदान का फुटबाल खेलने योग्य न होने की दशा में उसे उस योग्य बनाने तथा बैडमिन्टन कोर्ट बनाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

दिनांक 26–02–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेख यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में हापुड़ रोड, ग्राम अल्लीपुर, पीपली खेड़ा, नरहड़ा, बुढाला, ग्राम–आड व कौंल ग्रामों में बने वैध/अवैध पशुवधशालाओं से उत्पन्न प्रदूषण को रोका जाना

44–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में हापुड़ रोड, ग्राम अल्लीपुर, पीपलीखेड़ा, नरहड़ा, बुढला–ग्राम आड व कौल आदि ग्रामों में बने वैध, अवैध कमलों द्वारा प्रदूषित जल काली नदी एवं जमीन के अन्दर बोर करके छोड़ने से जल एवं वायु प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत हापुड़ रोड, ग्राम अलीपुर आदि के क्षेत्र में कुल 04 पशुबधशालायें स्थापित हैं जिनमें से तीन पशुवधशालायें बोर्ड से सशर्त सहमति प्राप्त कर संचालित की जा रही है। शेष 01 पशुबधशाला बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश के अनुपालन में पूर्णतः बन्द है। उक्त क्षेत्र में अवैध पशुवधशाला स्थापित नहीं पाई गई है।

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा समय–समय पर उक्त सभी उद्योगों का निरीक्षण किया गया है तथा किसी भी उद्योग द्वारा बोरिंग कर उत्प्रवाह जमीन में डाले जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा दिनांक 26–3–14 तथा 28–3–14 को हापुड़ रोड के आस–पास स्थित लगभग 23 ग्रामों में स्थित हैण्डपम्पों से जल के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में विश्लेषित कराये गये थे। विश्लेषित आख्या के अनुसार कुछ जगहों पर आयरन की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई थी जोकि नैसर्गिक कारणों से भी हो सकती है।

जनपद शाहजहांपुर में एन0एच0–24 के पास मेजवान होटल के सामने से सी0डब्लू0सी0 गोदाम तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

45–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में एन0एच0–24 बाईपास के पास मेजवान होटल के सामने से सी0डब्लू0 सी0 गोदाम तक जाने वाली सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उक्त मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय को खोले जाने की मांग

46–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र की 10 लाख आाबादी अति पिछड़ी बीहड़ क्षेत्र होने के कारण अभी तक कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कस्बा कोंच एवं टाउन एरिया माधौगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–जालौन के विकास खण्ड माधौगढ़ में 04 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जहां उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के कस्बा बंगरा में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

47–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कस्बा बंगरा में राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बंगरा मे राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–जालौन के कस्बा बंगरा से लगभग 10 कि0मी0 की परिधि में कुल 04 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जहां बंगरा क्षेत्र के छात्र/छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई में खेलों के विकास हेतु ग्रामीण स्टेडियम योजना के अन्तर्गत नदी गांव ब्लाक एवं रामपुरा ब्लाक में स्टेडियम बनाने विषयक

48–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई में नवयुवकों के खेल हेतु स्टेडियम है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि टाउन एरिया नदीगांव एवं रामपुरा टाउन एरिया उरई से लगभग 60 कि0मी0 की दूरी पर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक खिलाड़ी खेल प्रतिभा के विकास हेतु स्टेडियम से वंचित रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में खेलों के विकास हेतु ग्रामीण स्टेडियम योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नदीगांव ब्लाक एवं रामपुरा ब्लाक के अन्तर्गत स्टेडियम बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। खेल विभाग का स्टेडियम है।

जी हां।

भारत सरकार की राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) योजना के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स विकसित किया जाना है।

उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानक 06 से 07 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने तथा योजना के मानकों से आच्छादित होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में प्रस्तावित सिविलियन हवाई अड्डे हेतु भूमि अधिग्रहण के कार्य को पूर्ण होने के बाद नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सिविल इन्कलेव कार्य कराने विषयक

49–डा0 अरुण कमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में प्रस्तावित सिविलियन हवाई अड्डे हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सिविल इन्क्लेव कार्य कब तक शुरू होगा ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर एक नये सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वांछित 25 एकड़ भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रशस्त है।

सिविल इन्क्लेव का निर्माण कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उनको भूमि प्राप्त होने के बाद आरम्भ किया जायेगा।

जनपद अलीगढ़ तहसील गभाना के ग्राम कन्होई में स्थित श्रीभूमिया बाबा का मन्दिर ग्राम समाज की जमीन पर स्थित होने से उसके चढ़ावे की धनराशि ग्राम सभा में जमा कराने विषयक

50–श्री दलवीर सिंह–

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ तहसील गभाना के ग्राम कन्होई में स्थित श्रीभूमिया बाबा का मन्दिर ग्राम समाज की भूमि पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मन्दिर पर लगने वाले मेलें व चढ़ावे को ग्राम सभा की आय में जमा किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी गत 5 वर्षों की आय को ग्राम सभा में जमा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विजय कुमार मिश्र)–

जी हां।

जी नहीं।

श्रीभूमिया बाबा कन्होई प्रबन्धक हेतु एक ट्रस्ट पंजीकरण सं0–1100/2005 श्री सिद्धनाथ भूमिया बाबा आश्रम सेवा समिति ग्राम कन्होंई तहसील गभाना, जिला अलीगढ़ पंजीकृत है, जिसकी अवधि दिनांक 30–08–2015 तक है। उक्त समिति द्वारा अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, गभाना में खाता संख्या–122810100015223 खोला गया है, जिसमें आय का ब्योरा रखा जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के क्षेत्र कैसरगंज में कतिपय 4 ग्रामों को पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम्य विकास योजना में शामिल करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच में कतिपय 4 ग्रामों को पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम्य विकास योजना में सम्मिलित कर विकास कार्य कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी–10245501, पत्रांक संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0–पी0जी0– 10245501/2013, दिनांक 04–04–2013 निदेशक, कृषि मण्डी परिषद, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों को वर्ष 2013–2014 की सूची में सूचीबद्ध किया गया, किन्तु अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे के निर्माण के समय काटे गये हरे पेड़ों की संख्या की जानकारी तथा उनके स्थान पर नये पेड़ लगाये जाने विषयक

52–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे के निर्माण में अवरोधक कितने पेड़ काटे जाने हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इन पेड़ों से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति होगी ? क्या सरकार इन कटने वाले पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ लगवायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे संरेखण के अन्तर्गत लगभग 27582 पेड़ काटे जायेंगे।

संरेखण के अन्तर्गत आने वाले निजी वृक्षों को सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त वृक्ष स्वामी द्वारा स्वयं उपयोग किया जायेगा।

संरेखण के अन्तर्गत स्थित वन भूमि का सर्वेक्षण एवं वृक्षों की गणना का कार्य कराया जा रहा है, जिसके उपरान्त राजस्व का आंकलन किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अनुसार निजी वृक्षों का पातन करने के पश्चात् वृक्ष स्वामी द्वारा दो गुने पौधों का रोपण स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। वन भूमि पर स्थित वृक्षों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार वन विभाग द्वारा कैम्पा योजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले वृक्षों के स्थान पर तीन गुना क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मुकदम बिहारीलाल महाविद्यालय महुअन, फरह, मथुरा की बी0एड0 2011 की छात्र–छात्राओं ने वर्ष 2012 में बी0एड0 री–इनगौमिनेशन (पुनः परीक्षा) की मार्कशीट उपलब्ध कराने विषयक

53–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदम बिहारी लाल महाविद्यालय महुअन, फरह, मथुरा के कितने छात्र–छात्राओं ने वर्ष 2012 में बी0एड0 की री–इगजैमिनेशन (पुनः परीक्षा) एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसी खुर्द, मथुरा में दी थी ? उनके नाम व रोल नम्बर क्या हैं ? क्या सभी छात्र–छात्राओं को मार्कशीट दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक छात्र–छात्राओं को मार्कशीट उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मुदम बिहारी लाल महाविद्यालय महुअन, फरह, मथुरा की बी0एड0 2011 की 03 छात्र/छात्रायें वर्ष 2012 की बी0एड0 पुनः परीक्षा में एस0डी0एस0 डिग्री कालेज, कोसीखुर्द, मथुरा में सम्मिलित हुई थीं। उनके नाम व रोल नम्बर निम्नवत् हैं :–

(1) आरती चौधरी, रोल नम्बर–11333141013

(2) राजदेव, रोल नम्बर–11333141069

(3) वन्दना सिंह, रोल नम्बर–11333141022

जी हां। सभी सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को अंकतालिकायें पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दल विशेष द्वारा वर्ष 2012 के आम चुनाव के घोषणा–पत्र में अनाज गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना को वैट से मुक्त करने की घोषणानुसार मुक्त करने विषयक कार्यवाही की मांग

54–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी पार्टी के वर्ष 2012 के विधान सभा के आम चुनाव के चुनाव घोषणा–पत्र में अनाज को (गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना) वैट से मुक्त करने का वादा किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार अपनी घोषणा के अनुसार अनाज को वैट मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

समाजवादी पार्टी के घोषणा–पत्र में खाद्यान्न को व्यापार कर से मुक्त किया जाना शामिल था। गन्ना को वैट से मुक्त करना सम्मिलित नहीं था।

ज्वार एवं बाजरा वैट से मुक्त है तथा गन्ने पर वैट की कोई देयता नहीं है। शेष पर कार्यवाही सरकार की प्राथमिकताओं में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2013–2014 में कक्षा–1 से 8 तक के कितने विद्यालयों के छात्र/छात्राओं की फीडिंग कराकर फीडिंग एजेन्सी द्वारा मांग–पत्र शासन को प्रेषित जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा वेनिफिशरी में विद्यालयों एवं बैंक खातों में उत्तर का कारण

55–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2013–2014 में कक्षा 1 से 8 तक के कितने विद्यालयों के छात्र/छात्राओं की फीडिंग कराकर फीडिंग एजेन्सी द्वारा मांग–पत्र शासन को प्रेषित किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा उन्हीं विद्यालयों की

बेनिफिशरी बनाकर धनराशि उन्हीं विद्यालयों के शिक्षानिधि खातों में छात्रवृत्ति धनराशि स्थानान्तरित की गई जिन विद्यालयों का मांग–पत्र फीडिंग एजेन्सी द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था तथा फीडिंग एजेन्सी द्वारा जिन विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति धनराशि की मांग की गयी थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि फीडिंग एजेन्सी के मांग–पत्र एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी की बेनिफिशरी में विद्यालयों एवं बैंक खातों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं, फीडिंग एजेन्सी द्वारा मांग–पत्र शासन को प्रेषित नहीं किया जाता है। शिक्षा विभाग के माध्यम से वर्ष 2013–14 में कक्षा–1 से 8 तक के 3832 विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की डाटा इंट्री कराकर मांग–पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को उपलब्ध कराया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के 118660 छात्र, अनुसूचित जनजाति के 17 छात्र तथा सामान्य वर्ग के 82460 छात्र/छात्राओं की मांग जनरेट कराकर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु रु0 415.70 लाख, अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति हेतु रु0 0.08 लाख एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति हेतु रु0 297.14 लाख का मांग–पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशालयय को प्रेषित किया गया।

शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त मांग–पत्र के अनुसार उन्हीं विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि विद्यालयों के शिक्षा निधि खाते में स्थानान्तरित की गई है, जिसका मांग–पत्र शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

जी नहीं। मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर की आख्यानुसार बेनिफिशरी सूची में विद्यालयों एवं बैंक खातों के अन्तर प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा, आगरा, यमुना एक्सप्रेस–वे पर बिना टोल टैक्स जाने की अनुमति दिये जाने विषयक

56–श्री दलवीर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0–36 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस–वे पर सर्विस रोड का निर्माण कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण कर लिया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रस्तावित कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने पर सम्बन्धित के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में विगत 12 वर्षों पूर्व मण्डी परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा निर्मित जर्जर सड़कों की मरम्मत कराया जाना

57–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में विगत 12 वर्षों पूर्व मण्डी परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा निर्मित सड़कें जर्जर होकर गड्ढायुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कें यातायात के आवागमन एवं समयान्तराल के कारण क्षतिग्रस्त हैं।

जी हां। मरम्मत हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर, मण्डी समिति के पास धन की उपलब्धता के अनुरूप प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की ग्राम पंचायतों को भी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से विकसित कराया जाना

58–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर की ग्राम पंचायतें आती हैं ? यदि हां, तो इन ग्राम पंचायतों को भी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

ग्राम पंचायतों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने पर ही विकास कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा–सिकन्द्राबाद पुराने जी0टी0 मार्ग पर ग्राम घराऊ के पास फैक्ट्री एरिया के लिये भूमि देकर औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने की योजना

59–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा–सिकन्द्राबाद पुराने जी0टी0 मार्ग पर ग्राम

धराऊ के नजदीक में फैक्ट्री एरिया के लिए भूमि देकर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा–सिकन्द्राबाद (पुराना जी0टी0 रोड) पर निगम द्वारा इन्ट्रीग्रेटेड टाऊनशिप चोला की स्थापना की जा रही है, जिसके लिये तहसील–सिकन्द्राबाद के 10 ग्रामों की लगभग 2745.00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास खण्ड–खुर्जा के अन्तर्गत ग्राम धराऊ के लगभग 5.00 कि0मी0 दूर स्थित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के प्राचीन सिद्धेश्वर मन्दिर को जाने वाले मार्ग तथा परिसर को बनाये जाने का प्रकरण

60–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के प्राचीन सिद्धेश्वर मन्दिर के लिए जाने वाले रास्ते व मन्दिर के परिसर को बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय कुमार मिश्र–

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के प्राचीन सिद्धेश्वर मन्दिर के लिये जाने वाले रास्ते व मन्दिर के परिसर को बनाने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

सिद्धेश्वर मन्दिर श्री विनोद गिरि पुत्र वीर गिरि आदि की देख–रेख में है। जी0टी0 रोड से सिद्धेश्वर मन्दिर की ओर गाटा सं0–948 की दक्षिणी भुजा तक राजस्व अभिलेखों में कोई रास्ता अंकित नहीं है। गाटा सं0–948 की दक्षिणी भुजा से गाटा संख्या–1023 की दक्षिणी भुजा तक राजस्व अभिलेखों में रास्ता–गाटा संख्या–1024 अंकित है जो मौके पर पक्का बना हुआ है। गाटा संख्या–1023 की दक्षिणी भुजा से गाटा संख्या–987 जिसमें मन्दिर सिद्धेश्वर अंकित है, तक राजस्व अभिलेखों में कोई रास्ता अंकित नहीं है।

सिद्धेश्वर मन्दिर को जाने वाला रास्ता व सिद्धेश्वर मन्दिर परिसर नगर पालिका खुर्जा क्षेत्र से बाहर है तथा लोक निर्माण विभाग–खुर्जा के अधीन नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अरनियां में जनहित में माडल डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना

61–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अरनियां में जनहित में माडल डिग्री कालेज की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के तीनों ब्लाकों के 15 ग्रामों के जनेश्वर मिश्र योजना के तहत शीघ्र सम्पूर्ण विकास करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/ एम/पी0जी0 10466829/2014, दिनांक 20–06–2014 जो जनपद मथुरा के तीनों ब्लाकों बल्देव राया व फरह के 15 ग्रामों को जनेश्वर मिश्र योजना के तहत शीघ्र सम्पूर्ण विकास कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों को विचारार्थ सूचीबद्ध कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों की क्रय की प्रक्रिया की जानकारी

63–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग की योजनाओं में कृषि यंत्र, जैसे ट्रैक्टर, रोटा वेटर, सीड डील, चारा मशीन, पंखा, थ्रेसर आदि यू0पी0 एग्रो से वितरित किया जाता था, किन्तु विगत 2 वर्षों से यह कार्य यू0पी0 एग्रो से न कराकर बाजार में घटिया एवं अधिक दाम पर दुकानदारी सिस्टम से कराया जा रहा है, जिससे एक ओर किसानों का शोषण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर यू0पी0 एग्रो वित्तीय संकट से गुजर रहा है ? यदि हां, तो उक्त के निराकरण हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों की क्रय प्रक्रिया का निर्धारण शासनादेश संख्या–3544/ 12–2–2012–61/2012, दिनांक 05 नवम्बर, 2012 द्वारा किया गया है, जिसके अन्तर्गत कृषक स्वेच्छा से मानक के अनुरूप कृषि यंत्र बाजार से अथवा यू0पी0 स्टेट एग्रो से प्रथम आवत–प्रथम पावत के सिद्धान्त के आधार पर क्रय कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार में यू0पी0 स्टेट एग्रो कारपोरेशन के नारायणपुर क्रय केन्द्र पर किये गये धान का भुगतान में धांधली का प्रकरण

64–श्री दीपक पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मीरजापुर के तहसील चुनार में यू0पी0 स्टेट एग्रो कापोरेशन के नारायण पुर क्रय केन्द्र द्वारा वर्ष 2011–2012 में क्रय किये गये धान का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया गया था, किन्तु यू0पी0 एग्रो के खाते में पैसे न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के उक्त बकाये का भुगतान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। उक्त अनियमितता के लिये श्री हिंचलाल, केन्द्र प्रभारी, नरायनपुर, श्री राम बिलास एवं श्री अमरनाथ, जिला प्रबन्धक एवं श्री जे0पी0 राय, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 स्टेट एग्रो, मिर्जापुर के विरुद्ध जांच संस्थित की जा चुकी है।

जी हां।

जांच में देयता की स्थिति स्पष्ट हो गई है। 28 किसानों में से 14 किसानों को रु0 10,88,208/– की धनराशि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष का भुगतान किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 स्टेट एग्रो, मीरजापुर को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम को पूर्ण कराकर खेल संचालित कराने की मांग

65–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम को सरकार पूर्ण कराकर खेलकूद की गतिविधियां संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस स्टेडियम का भवन निर्मित हो चुका है, ट्रैक का निर्माण नहीं हुआ है। स्टेडियम की भूमि का विवाद वाद संख्या–241/2001 कुंवर भारत ट्रस्ट बनाम भारत सरकार मा0 न्यायालय सी0जे0जे0डी0 इलाहाबाद एवं वाद संख्या–242/2011 असगर

अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य सी0जे0जे0डी0 इलाहाबाद में विचाराधीन है। स्टेडियम को पूर्ण कराने की कार्यवाही वाद के निस्तारण पर निर्भर करेगी।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना

66–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शमशाबाद रोड भोले बाबा डेयरी से रजरई नौकरी सैमरी इरादतनगर रोड तक गढ़ी देवरी से वाया देवरी इरादत नगर रोड तक व मलपुरा रोहता नहर से जारूआ कटुरा बैंक तक मण्डी परिषद द्वारा निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शमशाबाद रोड भोले बाबा डेयरी से रजरई नौबरी सैमरी इरादतनगर रोड तक एवं मलपूरा रोहता नहर से जारुआ कटूरा बैंक तक का (सिरौली पुल से जारूआ कटरा नाम से) निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा कराया गया था, जो यातायात के आवागमन एंव समय अन्तराल के कारण वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। गढ़ी देवरी से वाया देवरी इरादतनगर रोड तक का निर्माण कार्य मण्डी परिषद् से नहीं कराया गया था।

स0 मा0 शमशाबाद रोड भोले बाबा डेयरी रोड तक (कुल लम्बाई–5.60 किमी0) में से 1.10 किमी0 लम्बाई में चौड़ीकरण सहित मरम्मत का कार्य अन्य विभाग द्वारा करा दिया गया है जो वर्तमान में ठीक है। इस मार्ग के अवशेष 4.50 किमी0 भाग की मरम्मत हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है। उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों की ही मरम्मत का दायित्व मण्डी परिषद् को दिया गया है और स0मा0 गढ़ी देवरी से वाया देवरी इरादतनगर रोड तक का निर्माण कार्य चूंकि मण्डी परिषद् से नहीं कराया गया है, इस कारण मण्डी परिषद् से इसकी मरम्मत कराये जाने में नीतिगत कठिनाई है। स0मा0 सिरौली पुल से जारुआ कटरा की मरम्मत हेतु दिनांक 13–01–2015 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को मझवार जाति का प्रमाण–पत्र जारी करने के शासनादेश के बावजूद अनुपालन न करने की शिकायत की कार्यवाही की मांग

67–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव समाज कल्याण अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–606 सी0एम0/26/03/1012 दि0 31–12–2012 तहत प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को मझवार जाति के पात्र व्यक्तियों

को प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शासनादेश संख्या–303 सी0एम0/26–03/2006–3(28) 78, दि0 03–02–2007 द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था दी गई है परन्तु अब तक इसका अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश का अनुपालन कराने हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही जनपद स्तर पर की जानी है। शासनादेश संख्या–606 सी0एम0/26–03–2012, दिनांक 31–12–2012 तथा शासनादेश संख्या–04 मंत्री/26–2–2014, दिनांक 17–01–2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार विभिन्न शासनादेशों द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नदियों में कल कारखानों का गन्दा पानी पहुंचने के कारण जल जीवों को रोकने हेतु दूषित पानी छोड़े जाने हेतु रोकथाम किया जाना

68–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में कल–कारखानों का गन्दा पानी पहुंचने के कारण दूषित हुये पानी से जलीय जीव–जन्तु व मछलियों मर जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कल–कारखानों के गन्दे पानी के बहाव पर रोक लगाने हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना एवं उनकी मुख्य सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है एवं राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा भी मा0 मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2009 द्वारा किया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति गठित की गई है जिसके द्वारा गंगा में प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाई गई योजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। राज्य बोर्ड द्वारा नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न नदियों के किनारे 53 स्थलों पर नियमित रूप से जल अनुश्रवण का

कार्य किया जाता है, जिसके अन्तर्गत गंगा नदी में 21 स्थानों पर तथा यमुना नदी में 04 स्थानों पर नियमित रूप से जल गुणता का अनुश्रवण किया जाता है। गंगा, यमुना एवं उनकी प्रमुख सहायक नदियों के जल को प्रदूषित करने वाले दो प्रमुख स्रोत नदियों के किनारे बसे शहरों/कस्बों से निकलने वाला अशुद्धिकृत घरेलू जल/मल एवं उद्योगों से निकलने वाला उत्प्रवाह है। प्रमुख उद्योगों की स्थापना के पूर्व इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि उद्योग से जनित होने वाले प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत किया जायेगा। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन वाद संख्या–3727/1985 एवं 196/ 2014 में मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदो के अन्तर्गत गंगा एवं सहायक नदियों में उत्प्रवाह का निस्तारण करने वाले कुल 993 उद्योग चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 15 ऐसे उद्योग जिनमें जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं थे। तथा 150 ऐसे उद्योग जोकि बोर्ड मानकों की पूर्ति नहीं कर रहे थे, के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित 1978) के प्राविधानों के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये गये हैं तथा 105 उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द हैं। उक्त के अतिरिक्त शेष इकाइयों में औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित है, की बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है तथा दोषी पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के प्रमुख नगरों जैसे आगरा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, वाराणसी, नोयडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, बुलन्दशहर, मेरठ आदि में घरेलू जल–मल के शोधन हेतु स्ट्रीट सीवर ट्रीटमेंट प्लाण्ट स्थापित है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में युवाओं के शारीरिक विकास के लिये स्टेडियम का निर्माण कराने की मांग

69–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में युवाओं के खेलकूद एवं शारीरिक विकास के लिये स्टेडियम का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त तहसील में स्टेडियम बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

ग्राम सथरा, धरमपुर, विकास खण्ड–कलान, तहसील जलालाबाद में भारत सरकार की राजीव गांधी खेल अभियान (आर0जी0के0ए0) योजना के अन्तर्गत स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत उ0प्र0 मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक

70–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत उ0प्र0 मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिससे आवागमन में नागरिकों को असुविधा होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मण्डी समिति, जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों में से कतिपय मार्ग अत्यधिक आवागमन एवं समयान्तराल के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक मार्ग की मरम्मत हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। धनाभाव के कारण शेष मार्गों की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गोविन्द बल्लभ पंत पी0जी0 कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर में पूर्व प्रबंधक एवं प्राचार्य द्वारा अपने पुत्रों, रिश्तेदारों की अवैध नियुक्ति विषयक पत्र पर कार्यवाही

71–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पंत पी0जी0 कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर में पूर्व प्रबंधक एवं प्राचार्य द्वारा अपने सगे पुत्र एवं अन्य रिश्तेदारों की अवैध नियुक्ति करने विषयक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के पत्रांक–क्षे0का0वा0/3152/2014–15, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शिक्षा डिग्री सेवा अनुभाग, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र के प्रस्तर–6 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा आवंटित भू–खण्ड इकाइयों पर नये उद्योगों को स्थापित करने की प्रत्याशा में भूमि अधिग्रहण का निरस्तीकरण नहीं किया जाना

72–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण 10 वर्ष या उससे अधिक समय पूर्व किया गया था, किन्तु अभी तक प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं की गयी है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त अधिग्रहण को निरस्त करके कृषकों को उनकी भूमि वापस करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

औद्योगिक भू–खण्डों का आवंटन एवं उन पर इकाईयों की स्थापना सतत प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिन आवंटित भू–खण्डों पर इकाइयां स्थापित नहीं हुई है। उनके आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही विद्यमान प्राविधानों के अनुसार की जाती है तथा निरस्त किये गये भू–खण्डों का आवंटन नये उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों के पक्ष में किया जाता है।

जनपद इलाहाबाद में विकलांग पेंशन हेतु वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में आवंटियों की संख्या की जानकारी तथा पात्र लोगों को वर्तमान में पेंशन का लाभ दिया जाना

73–श्री दीपक पटेल–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में विकलांग पेंशन कितने लोगों को प्रदान की जा रही है तथा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में कितने लोगों के द्वारा विकलांग पेंशन का आवेदन जनपद इलाहाबाद में किया गया ? क्या सरकार सभी पात्र लोगों जिन्होंने आवेदन किया है उनको पेंशन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जनपद इलाहाबाद में 19144 विकलांगजनों को विकलांग पेंशन प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 668 एवं 2012–13 में 1004 विकलांगजनों द्वारा विकलांग पेंशन हेतु आवेदन किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में समस्त पात्र कुल 1672 आवेदकों को विकलांग पेंशन से लाभान्वित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंजीकृत पात्र विकलांगजनों को मंहगाई को देखते हुए पेंशन उपलब्ध कराया जाना

74–श्री दीपक पटेल–

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग पेंशन की अनुदान राशि को वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये पंजीकृत पात्र शत प्रतिशत विकलांगों को पेंशन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

विकलांग पेंशन की अनुदान राशि को वर्तमान बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए पंजीकृत पात्र शत–प्रतिशत विकलांगों को पेंशन उपलब्ध कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण आगरा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव जारूआ कटरा विकास खण्ड अकोला में बीज गोदाम की बाउन्ड्रीवाल का बनाया जाना

75–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण आगरा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव जारूआ कटरा विकास खण्ड अकोला में बीज गोदाम की बाउन्ड्री वाल नहीं बनी है ? यदि नहीं, तो इसकी बाउन्ड्री वाल न होने के कारण किसानों को समस्याओं को सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त बीज गोदाम की बाउन्ड्री वाल बनवायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

बीज गोदाम की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बजाज हिन्दुस्तान लि0 शुगर मिल जनपद शामली से निकलने वाले जहरीले पानी के कारण फैल रही बीमारियों व दुष्प्रभाव रोकने के लिये कार्यवाही की मांग

76–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजाज हिन्दुस्तान लि0 शुगर मिल जनपद शामली से निकलने वाले जहरीले पानी की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल के आस–पास के क्षेत्र के लोगों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुये इसका उत्सर्जन रोकने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उद्योग मे0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 थानाभवन शामिली की क्रसिंग क्षमता दस हजार टी0सी0डी0 है तथा उद्योग सीजनल श्रेणी का है। उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित होने वाले उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है जिसकी प्रमुख इकाइयां आयल एण्ड ग्रीस टैप, क्वालाइजेशन टैंक, एरियेशन टैंक, प्राइमरी एवं सेकेण्डरी क्लेरिफायर, स्लज ड्राइंग वेड, कार्बन, फिल्टर इत्यादि है। उद्योग का नवीनीकरण निरीक्षण पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के साथ दिनांक 27–01–2015 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान एकत्र किये गये शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने में विभिन्न परिचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

77–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

ख्1ले सोमवार के अता0प्र0सं0–100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ नगर के चकगजरिया फार्म की भूमि पर अमूल दूध एवं दुग्ध उत्पादन की डेयरी विकसित किये जाने हेतु किये गये समझौते की जानकारी

78–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के चकगजरिया फार्म की भूमि पर अमूल दूध एवं दुग्ध उत्पादन की डेयरी विकसित की जानी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अमूल डेयरी और उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई समझौता या एम0ओ0यू0 तय किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

ख्12.20,नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 19–2–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :–

पहली सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों को गांवों में इलाज करने के लिये किट दिये जाने के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में स्थित लेबर क्रासिंग संख्या–63 पर एक उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में,

तीसरी सूचना श्री पीतम राम की प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री एवं शमशान के रख–रखाव का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

चौथी सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में लान टेनिस के 03 कोर्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में,

छठवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने एवं विशेष औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

सातवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ में राजकीय पशुधन एवं कृषि परिक्षेत्र में हो रहे घोटाले व अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

आठवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा में मृतक किसान को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, वह उपस्थित नहीं हैं,

नवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की उ0 प्र0 राज्य चीनी मिल निगम इकाई लक्ष्मीगंज व रामकोला को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में है, वह उपस्थित नहीं हैं,

दसवीं सूचना श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी) की लखनऊ महानगर के निशातगंज की गलियों से जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

ग्यारहवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की प्रदेश में दागी विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में,

बारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जनपद मेरठ में जाम की समस्या के निराकरण हेतु सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

तेरहवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

चौदहवीं सूचना श्री राजिव की जनपद सहारनपुर में दिनांक 15–02–2015 को तनिष्क शोरूम में हुई डकैती के आरोपियों को पकड़े जाने एवं माल बरामद किये जाने के सम्बन्ध में तथा

पन्द्रहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की विभिन्न माइनरों व ड्रेनों की सफाई कराये जाने एवं नलकूपों की रि–बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह,

2–श्री गेंदालाल चौधरी,
3–श्री ममतेश शाक्य,
4–श्री सुरेश बंसल,
5–श्री सत्यवीर मुन्ना,
6–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
7–श्री सतीश महाना,
8–श्री अरूण कुमार,
9–श्री जगन प्रसाद गर्ग,
10–श्री नीरज कुशवाहा मार्य,
11–श्री इन्द्रपाल सिंह,
12–श्री राम हेत भारती,
13–श्री उमेश पाण्डेय,
14–श्री रमेश चन्द्र बिन्द,
15–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
16–श्री भगवती प्रसाद,
17–श्री सुदेश शर्मा,
18–श्री दलवीर सिंह,
19–श्री दिलनवाज खान,
20–श्री कृष्ण कुमार ओझा,
21–श्री अगयश राम सरन वर्मा,
22–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा),
23–श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
24–श्री दलजीत सिंह तथा
25–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया।

चूंकि श्री विजय कुमार दुबे उपस्थित नहीं हैं अतः उनके स्थान पर श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना स्वीकार की गई।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों को गांवों में इलाज करने के लिये किट दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्महोदय, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना वर्ष 1977 में केन्द्रीय शासन के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री लोकबन्धु राजनारायन जी ने योजना की शुरुआत की थी। योजना का मूल उद्देश्य प्रत्येक एक हजार की आबादी पर एक शिक्षित व्यक्ति का चयन ग्राम पंचायतों द्वारा हुआ था। इनको तीन महीने का प्रशिक्षण देकर केन्द्र सरकार द्वारा केवल 50 रुपये मानदेय एवं दवा देकर ग्रामीण जनता की सेवा का अवसर दिया था। योजना काफी सफल रही। योजना के माध्यम से भयंकर से भयंकर बीमारियों को जड़ से समाप्त किया गया। वर्ष 2002 में केन्द्र सरकार इनके मानदेय व दवा को रोक कर प्रदेश स्तर से चलाने या न चलाने का आदेश जारी कर दिया गया। योजना को बन्द कर देने से जहां प्रदेश में लगभग 64,000 जन स्वास्थ्य रक्षक बेरोजगार हो गये। वहीं ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधायें बन्द हो गयीं। हालांकि 50 रुपये मानदेय बेरोजगारी के बराबर हैं। फिर भी ये जन स्वास्थ्य रक्षक आज भी 50 रुपये मानदेय पर सेवा देना चाहते हैं।

कृपया नियम–301 के अन्तर्गत अत्यधिक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य देने के साथ मांग करता हूं कि जन स्वास्थ्य रक्षकों को गांवों में इलाज करने के लिये किट देने का निर्णय लिया जाय।,

जनपद फिरोजाबाद में स्थित लेबर क्रासिंग संख्या–63 पर एक उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्महोदय, मैं आपकें माध्यम से नगर फिरोजाबाद की भीषण समस्या से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नगर फिरोजाबाद अपनी 100 वर्षों से अधिक पुरानी कांच चूड़ी एवं कांच के अन्य उत्पादों के निर्माण, निर्यात के लिये देश–विदेश में प्रसिद्ध है तथा हाल में नगर निगम का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नगर फिरोजाबाद में रेलवे क्रासिंग संख्या–63, लेबर कालोनी चौराहा के दोनों ओर विगत 40 वर्षों से अधिक समय से घनी आबादी, स्कूल, कालेज, अस्पताल एवं व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। परन्तु नगर फिरोजाबाद से गुजरने वाले अत्यन्त व्यस्त दिल्ली–हाबड़ा रेल मार्ग पर इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र में कोई ऊपरगामी सेतु (आर0बो0बी0) न होने के कारण क्रासिंग संख्या–63 के (रेलवे लाइन के दूसरी तरफ) क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले एवं आवागमन करने वाले नागरिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जब तक लेबर कालोनी क्रासिंग संख्या–63 पर ऊपरगामी सेतु का निर्माण नहीं होगा तक बहुत बड़े क्षेत्र का समुचित एवं सर्वांगीण विकास अवरुद्ध रहेगा। जिसके निदान हेतु क्रासिंग संख्या–63 लेबर कालोनी पर एक ऊपरगामी सेतु का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद नगर की जनता को भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतिशीघ्र लेबर कालोनी स्थिति क्रासिंग संख्या–63 पर एक ऊपरगामी सेतु के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री एवं शमशान में रख–रखाव का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पीतम राय–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री एवं शमशान के रख–रखाव हेतु वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में कितनी धनराशि शासन से जारी हुईं और कितनी धनराशि अवशेष है। जनहित में कब्रिस्तान एवं शमशान का रख–रखाव किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त कार्य न किये जाने से जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस गम्भीर प्रकरण को सदन के ध्यान में लाते हुए तत्काल सरकार से प्रत्येक जनपद में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री एवं शमशान के रख–रखाव का कार्य कराये जाने की मांग करता हूं। साथ ही यह भी मांग करता हूं। प्रत्येक जनपद में वर्षवार कितनी–कितनी धनराशि जारी की गयी।,

जनपद आगरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा आगरा में संचालित जो की विद्यालय में गरीब कमजोर तबके के छात्र–छात्राएं पढ़ते हैं। विद्यालय में बहुत भारी अनियमितता एवं खामियां हैं जिसके कारण छात्र–छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो इस प्रकार है।

विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा हेतु समय से प्रवेश–पत्र व अन्य कार्यवाही नहीं की जाती हैं। विद्यालय में पेयजल सम्बन्धित व्यवस्था ठीक नहीं है। विद्यालय छात्र–छात्राओं को मिलने वाला निःशुल्क भोजन सुबह नास्ता दोपहर का भोजन, शाम का भोजन अधीक्षिका से मिलकर बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। मीनू के आधार पर भोजन फल आदि का वितरण नहीं हो पाता है। विद्यालय में छात्र–छात्राओं को समय से निःशुल्क किताबें एवं ड्रेस, जूते वितरण न होना विद्यालय में पूर्णरूप से अध्यापक आदि स्टाप न होना विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल पूर्ण न होना आदि।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त **समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा आगरा में अनियमितताओं की जांच कर** की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा में लान टेनिस के 03 कोर्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्महोदय, लोक महत्व एवं जनहित के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मथुरा जनपद में स्थित जनपदीय स्टेडियम में स्थान न होने के कारण उसमें लान टेनिस खेलने का कोई प्राविधान नहीं है। स्थानीय जनता की मांग पर इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में जिला योजना में इसका प्राविधान कराया था किन्तु तत्कालीन ब0स0पा0 सरकार में कोई कार्य नहीं हो पाया। वर्तमान में मथुरा–वृन्दावन रोड पर 100 शैय्या हास्पिटल के पास 03 से 05 एकड़ भूमि उपलब्ध है। प्रमुख सचिव, खेलकूद, निदेशक, खेलकूद तथा जिलाधिकारी, मथुरा को आदेश प्रदान कर उक्त ग्राम सभा की भूमि इस कार्य के लिये ली जा सकती है और इस पर लान टेनिस के 03 कोर्ट, दर्शक–दीर्घा, वेटिंग रूम, ट्यूबवेल की बोरिंग, प्रकाश की व्यवस्था तथा मार्ग इत्यादि बनाकर एक अच्छा लान टेनिस स्टेडियम बनाया जा सकता है, **इसलिये जनहित में प्राथमिकता के आधार पर मथुरा जनपद में लान टेनिस का 03 कोर्ट का स्टेडियम बनाये जाने हेतु आगणन बनाये जाने तथा आगणन अनुसार धन आवंटित कर कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।**

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने एवं विशेष औद्योगिक दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर तीन राज्यों की (हिमांचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा) सीमा से मिला जनपद है। जनपद सहारनपुर से मिली सीमा के जनपद मुजफ्फरनगर व शामली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है व सहारनपुर जनपद को छोड़ दिया गया है। जबकि सहारनपुर जनपद से कुछ ही दूरी पर उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्दर भगवानपुर को विशेष औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। इसी के साथ सहारनपुर जनपद की सीमा से पावटा साहिब (हिमांचल प्रदेश) भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र रहा है। परिणाम स्वरूप जनपद सहारनपुर के सभी उद्यमी व व्यापारी वर्ग धीरे–धीरे पलायन कर रहे हैं। जनपद सहारनपुर में कुछ ही बड़े संयंत्र रह गये हैं जो राज्य एवं केन्द्र सरकार के भारी भरकम राजस्व के स्त्रोत हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बावजूद इसके सहारनपुर की लगातार अनदेखी होती आ रही है। जिससे जनपद सहारनपुर एक टापू के रूप में विकास की दृष्टि से अलग–अलग रह गया है। मेरी आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग है कि जनपद सहारनपुर को विशेष औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद हापुड़ में राजकीय पशुधन एवं कृषि परिक्षेत्र में हो रहे घोटाले व अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान–

ख्मान्यवर, जनपद हापुड़ में स्थित राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र बाबूगढ़ में गोवंश को पालने का कार्य व हजारों एकड़ भूमि में कृषि कार्य किया जाता है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन कई वर्षों से कम चारा व पशु खाद्य सामग्री में घोटाला वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किये जाने से गोवंश अत्यन्त कमजोर हो रहे हैं तथा मर रहे हैं। रख–रखाव अत्यन्त खराब है। गायों के दूध विक्रय करने में घोटाला हो रहा है। साथ–साथ कृषि कार्यों में फसल उत्पादन करने में भारी घोटाला व अनियमिततायें की जा रही हैं।

आपसे निवेदन है कि कम से कम तीन वर्षों की गोवंश पालने व कृषि कार्यों के घोटाले व कितनी आर्थिक हानि की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।,

उ0 प्र0 राज्य चीनी मिल निगम इकाई लक्ष्मीगंज व रामकोला को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पूर्णमासी देहाती–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के राज्य चीनी निगम इकाई लक्ष्मीगंज व उ0 प्र0 राज्य चीनी इकाई खेतान रामकोला कुशीनगर सहित प्रदेश के दर्जनों चीनी मिलें पूर्व सरकार द्वारा बन्द कर दी गयी है जिससे हजारों मजदूर व लाखों किसान बेरोजगार हो गये। उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। यह जनहित में जुड़ा हुआ सवाल है। लोक महत्व का है।

अतः अनुरोध है कि इस लोक महत्व को विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई लक्ष्मीगंज व रामकेला व खेतान चीनी मिल को चलाये जाने की मांग सरकार से करता हूं।,

लखनऊ महानगर के निशातगंज की गलियों से जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय, लखनऊ महानगर में निशातगंज एक बहुत घना बसा हुआ आवासीय क्षेत्र है और व्यस्ततम् बाजार भी है निशातगंज की सात लेन इस पूरे इलाके को आवागमन की दृष्टि से जोड़ती है। लेकिन अनेकों वर्षों से उक्त सड़कें बहुत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, सात में से चार सड़कें तो बहुत ही खराब स्थिति में हैं और वर्तमान में उनमें सीवर पड़ने के कारण तो और भी बदतर स्थिति हो गयी है। उस पूरे इलाके में रहने वाले हजारों नागरिकों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निशातगंज की उक्त गलियों एवं जल निकासी हेतु नालियों के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

प्रदेश में दागी विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 906 विद्यालय नकल कराने के आरोप में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग इन आरोपित विद्यालय में से दो सौ विद्यालय को पुनः परीक्षा केन्द्र बना दिया गया है। लड़कियों को परीक्षा केन्द्र से दूर जाने से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सरकार के निर्णय से प्रदेश की जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। लोगों को सन्देह है कि इस प्रकार का निर्णय रुपये के लेन–देन से हुआ है।

इस लोक महत्व के प्रश्न को गम्भीरता से लेते हुए बनाये गये दागी विद्यालयों से परीक्षा केन्द्र समाप्त किया जाय अथवा सभी दागी विद्यालयों पर परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।,

जनपद मेरठ में जाम की समस्या के निराकरण हेतु सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख्मान्यवर, मेरठ महानगर में यातायात को सुगमता की दृष्टि से मेघदूत पुलिया से मोहनपुरी/फूलबाग साइड की सड़क को जो श्रछन्ड के कारण खुदी हुई को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करके इसका सुदृढ़ीकरण कराया जाये।

उपरोक्त सड़क के समानान्तर पुलिस लाइन के सहारे की सड़क को मेघदूत पुलिया से फूलबाग की पुलिया तक जोड़कर व्यवस्थित सड़क बनाने की आवश्यकता है।

दोनों सड़कों का अधिकतम चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण होना मेरठ महानगर के यातयात की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में ग्राम मकनपुर जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम की जमीन से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को विकसित करने में काफी योगदान रहा है, किन्तु उक्त ग्राम–मकनपुर को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम–मकनपुर में सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, सीवर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां की जनता को पेयजल हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आम जन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर में दिनांक 15–2–2015 को तनिष्क शोरूम में हुई डकैती के आरोपियों को पकड़े जाने एवं माल बरामद किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख्महोदय, सहारनपुर नगर में दिनांक 15–02–2015 को सायं लगभग 7.30 बजे नगर के बीच में घण्टा घर के पास तनिष्क शोरूम में 5–6 बदमाशों ने ए0 के0 47 व अन्य हथियारों के बल पर तनिष्क शोरूम में खुलेआम 10 करोड़ की डकैती की। बदमाश बोलेरों वाहन में सवार होकर आये और डकैती कर बहुत आराम से निकल गये। पुलिस की लापरवाही है कि नगर के बीच में स्थित शोरूम में डकैती पड़ने की सूचना 5 मिनट के अन्दर मिलने पर भी कोई घेराबन्दी नहीं की गयी जिससे बदमाशों को नहीं पकड़ा जा सका। पुलिस की संवेदनहीनता के कारण बदमाशों के हौसले बुलन्द हैं और आये दिन इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तनिष्क शोरूम में हुए 10 करोड़ की डकैती का खुलासा करने तथा माल की बरामदगी करने एवं बरबाद हुए व्यापारी को आर्थिक सहायता देने हेतु कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की विभिन्न माइनरों व ड्रेनों की सफाई कराये जाने एवं नलकूपों की रि–बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव–

ख्महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र किसानों की फसलों की सिंचाई, नहरों, माइनरों, रजवाहों की सिंचाई विगत दो वर्षों से सिंचाई द्वारा नहीं कराया जा रहा

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

पानी टेल तक नहीं पहुंचा की 23 राजकीय नलकूप बन्द एक दर्जन नलकूप रि–बोर लाने का प्रस्ताव भी शासन में क्षेत्र की ड्रेनों की सफाई भी नहीं करायी गई है। जैथरी ड्रेन की सफाई की हजारों एकड़ भूमि नष्ट विभाग बाराबंकी/फैजाबाद रवैये से क्षेत्र के किसानों

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्य करता हूं।,

इलाहाबाद महानगर में चैथम लाइन्स रेलवे क्रासिंग पर आर0ओ0बी0/फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्महोदय, इलाहाबाद महानगर में बड़ा बड़ा बघाड़ा, सादिय चांदपुर, सलोरी, गल्ला बाजार, शुतुरखाना, ओम गायत्री ईश्वर शरण आश्रम, लाला की सरैंया, बड़ी बगिया, कैलाशपुरी, भुलई का पूरा, स्वराज्य नगर, जवाहरगंज तथा राजीव नगर आदि घनी आबादी वाले मुहल्ले हैं क्षेत्र पूरब में राष्ट्रीय गंगा नदी तथा शेष उ0 रे0 की रेल लाइन से घिरे हैं। यहां जाने के लिये चैथम्स लाइन व आई0ई0टी0 के पास स्थिति रेलवे क्रासिंगों से प्रतिदिन गुजरना पड़ता है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 1.5 लाख है। अक्सर क्रासिंग बन्द रहने से प्रतिदिन वरिष्ठ नागरिकों, नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों को भारी जाम तथा अन्य परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कई बार यहां पर रेल से कटकर मौतें भी हो चुकी हैं।

उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग तथा उ0 रे0 द्वारा कई बार सर्वे किया जा चुका है। चैथम्स लाइन रेलवे क्रासिंग पर आर0बो0बी0/फ्लाई ओवर ब्रिज बनना उपयुक्त पाया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को संज्ञान में लाकर अविलम्ब यहां पर एक आर0ओ0बी0 का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने की मांग करता हूं।,

ख्12.26, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 फरवरी, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई । इसमें एक भी पोषणीय नहीं हैं।

विधान सभा के तीन अधिवेशन आय–व्ययक, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन और 90 उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री सतीश महाना की विधान सभा के 3 आय–व्ययक वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन का उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह तो आप बार–बार उठाते हैं। असेम्बली आई है चल रही है यह हो जायेगा। क्या इसको दोहराइयेगा, इसमें सभी जानते हैं क्यों टाइम खराब करेंगे ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इसमें नई बात बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप कौन सी नई बात बतायेंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, हर बार कुछ न कुछ नया होता है अभी कुछ दिन पहले आपने स्पीकर से कांन्फ्रेंस कराई थी उसमें भी कुछ नई बात आई थी। मान्वयर, यह उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण और विशाल सदन है, उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हम यहां पर चुनकर आये हैं। मान्यवर, सदन वह जरिया है जिसके माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अपनी बात कह सकें और सरकार उसका संज्ञान लेकर हमारी उन बातों का निराकरण कर सके। मान्यवर विगत वर्षों का जो इतिहास है और जो इससे पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें 15 से 16 दिन से ज्यादा सदन नहीं बुलाया जाता था। मान्यवर, इस सरकार में यह संख्या बढ़कर 24–25 दिनों की हो गई है। इन 24–25 दिनों में कई बार आप कृपापूर्वक हम सब लोगों के प्रश्नों को स्वीकार करते हैं उसमें हमारे पास जो उत्तर आते हैं उसमें चौथा गुरुवार, पांचवा शुक्रवार इस प्रकार से लिखकर आता है। आप कृपापूर्वक हमारे प्रश्नों को स्वीकार करते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यह बात तो तय होती है कि चौथे गुरुवार और पांचवे शुक्रवार के लिए सदन आहूत ही नहीं होगा, तो मान्यवर उस समय हमारे मन में यह आशंका बनी रहती है कि जब यह प्रश्न लग नहीं पायेंगे, तो किस प्रकार से हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। हमें किसी समस्या का समाधान करा पाने में निराशा जब होती है, तो मान्यवर आप सहमत होंगे कि जब विधान सभा के अंदर बैठे हुए लोगों में निराशा का माहौल होगा तो हम प्रदेश के विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसके अलावा मान्यवर, कभी–कभी शाही सगाई हो जाती है, तो उसके कारण विधान सभा नहीं होती और कभी–कभी शाही शादी हो जाती है, तो उसके कारण विधान सभा नहीं हो पाती है। मान्यवर, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, यह आप क्या बोल रहे हैं आप नियम–300 की सूचना पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ हैं, फिर आप इस प्रकार की क्या बात कर रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप यहॉं पर हमारे संरक्षक हैं, आपको भी अच्छा लगेगा अगर ज्यादा दिन विधान सभा चलेगी। जो चीज आपको अच्छी लगेगी, तो वह हमें भी अच्छी लगेगी और अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी तो हम लोग चुपचाप बैठ जायेंगे। मान्यवर, स्वाभाविक है कि आप स्वयं ज्यादा से ज्यादा विधान सभा का सत्र चलाना चाहते हैं। मान्यवर पिछले दिनों आपने स्पीकर्स कान्फ्रेंस कराकर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया, जो 1985 के बाद आज तक नहीं हो सकी थी। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है।

श्री अध्यक्ष–

श्री महाना जी, आप कहॉ से प्रारंभ करके कहां चले जा रहे हैं। आपने कहां से प्रारम्भ किया और अब श्री राज्यपाल पर आ गये। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सरकार में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। आप एक अच्छी पार्टी के अच्छे नेता है, फिर आप इस तरह से क्या बोल रहे हैं। आपका जब समय आयेगा, तो आप अपने भाषण में सारी बातों का उल्लेख करियेगा। आपको समय दिया जायेगा।

श्री सतीश महाना–

ठीक है, मान्यवर। आप कह रहे हैं कि आप हमें समय देंगे, तो मैं बैठ जाता हूँ। मान्यवर, आप बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की दूसरी सूचना श्री सन्तराम कुशवाहा जी की है, इसे भी नहीं सुना जायेगा। यह विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के बीहड़ क्षेत्र में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। अगली सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की है, यह जनपद झांसी में स्थित परीछा थर्मल पावर कारपोरेशन में भूमि अधिगृहीत कृषकों के वारिसों को अभी तक नियुक्तियां न मिलने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है, यह भी नहीं सुनी जायेगी। अगली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है, जो जनपद पीलीभीत में नियुक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किए जाने तथा उनके विभागों में सामन्जस्य न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। यह भी नहीं सुनी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है, जो माननीय राज्यपाल एवं सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के मध्य सामन्जस्य न होने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है। मौर्या जी, यह सूचना यहां नहीं ली जायेगी, क्योंकि यह नियम–300 में नहीं आयेगी। नियम–300 के अन्तर्गत इस प्रकार की सूचनायें नहीं आती हैं। मौर्या जी आप तो वरिष्ठ हैं आप इसका पालन करवाइये, जो विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित होता है, वही इसमें आता है। यह दो व्यक्तियों का मामला है, वह इसमें कैसे उठेगा ? इसलिए आप आगे अपने भाषण में इसका पूरा उल्लेख करियेगा, यह मेरा निवेदन है आप मेरी बात मान लीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि यह सूचना सदन से संबंधित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सत्तापक्ष का उत्तर देते हैं, वह सरकार का पक्ष रखते हैं और मान्यवर, अगर उन्हें कहीं कोई पीड़ा है। इसी सदन के किसी माननीय सदस्य की पीड़ा है, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, जिन्होंने पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी से गुहार लगाई है।

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है, यह आप अपने भाषण में कहियेगा। आधे घण्टे बाद आपका भाषण आने वाला है, उसमें आप कहियेगा। आप नेता के रूप में बोल रहे हैं, कोई सामान्य सदस्य बोलता तो मान लेते। कृपया मेरी बात आप मान लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जहां आप आज बैठे हुये हैं, कल राज्यपाल जी बैठे थे। महामहिम राज्यपाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, यह देखने की बात है।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो सुना ही नहीं कि श्री राज्यपाल जी क्या बोल रहे थे, फिर आप कैसे उनकी बात कर रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला व्यक्तिगत नहीं रह गया। जो राज्यपाल जी हैं, वह हमारे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन की चीज नहीं है और सदन के संज्ञान में यह बात नहीं है, इसलिये इसको आप नहीं उठायेंगे। आप इन सारे मुद्दों पर अपने भाषण में व्यापक चर्चा कर सकते हैं, आपको अधिकार है, उसी में करियेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरे सूचना देने के बाद यह सदन के संज्ञान में आ गया और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब यह आपका नहीं सुना जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपने भाषण में कहियेगा, अब आप जिद न करिये । मेरी भी आप एक बात मान जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर इस सदन के किसी सदस्य के साथ अन्याय हो रहा हो तो क्या उसे यहां नहीं उठाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अन्याय किसी सदस्य का हो तो पहले सदस्य कहे न। सदस्य कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आप काहे कह रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान लीजिये हमारे सदन के किसी माननीय सदस्य द्वारा, जो वरिष्ठ मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के संविधान प्रमुख पर कहीं ऊंगली उठाते हैं तो क्या इससे संवैधानिक मर्यादा का हनन नहीं होता। क्या इससे सर्वोच्च जगह पर बैठे महामहिम राज्यपाल जी का अपमान नहीं होता। मान्यवर, यहॉ दोतरफा अपमान हो रहा है, एक तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल जी का अपमान हो रहा है और दूसरे हमारे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, जो विभिन्न विभागों के मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सरकार का पक्ष भी रखते हैं, उनका भी अपमान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, अब आप नेता हैं, अब आपकी कार्यवाही हम रोकने के लिये कहें, तो मुझे इसमें कष्ट होगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठ जायें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

चलिये मान्यवर, आप कहते हैं तो मैं रोक देता हूं, लेकिन इससे आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें, मैं आपका सम्मान करता हूं और पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि अब इस प्रकरण को खत्म करिये और जो भी कहना हो, अपने भाषण में कहियेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमारी पीड़ा यह है कि ..

श्री मोहम्मद आजम खां– माननीय अध्यक्ष जी, अब चूंकि बात आ गयी है, इसलिये मैं आपकी बात का जवाब दे दूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य– जवाब तो आप महामहिम राज्यपाल जी को देते हैं। हमें क्या देंगे ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष की मुझसे इतनी हमदर्दी है, इसके लिये उनका धन्यवाद । यह हमदर्दियां तो उस वक्त से हैं जब आप हमारी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवाते थे और जहॉ तक महामहिम की बात है, आपने कल जितना सम्मान उनका किया है, उसके लिये भी आपका धन्यवाद और महामहिम आपसे काफी खुश होकर भी गये हैं, आपने इस तरह सम्मान किया और आपके पड़ोसियों ने दूसरी तरह से सम्मान किया। हमारी तरफ से कोई शिकायत कल हुयी हो तो आप बताइये। कुछ हुयी, हमने टोपी ओढ़ी। आप तो टोपी ओढ़कर टोपी उतार देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, महामहिम राज्यपाल जी के बारे में सदन में बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

श्रीमन्, आज पूरा प्रदेश उनके विषय में जान रहा है। ख ग ग ग , और जिस तरह महामहिम राज्यपाल जी और मंत्रि–मंडल के बीच में एक गरिमा होती है, वह तार–तार हो रही है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। आपने अपनी सब बात कह ली, अब कुछ बचा। कोई चीज छिपा हो तो बतायें। आप सारी बात तो कह गये। अब आप बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, अब आप बार–बार यही निर्देश दे रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अराजकता फैल रही है, इससे एक गलत संदेश जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाइये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

काफी संतुलित रहे आप, मैं तो समझ रहा था कि असंतुलित हो जायेंगे, पर काफी संतुलित रहे, इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, महामहिम के बारे में जाहिर है कि कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद सरकार में रहे हों और नेता प्रतिपक्ष भी हों, आपके बार–बार मना करने के बाद भी महामहिम के बारे में वह शब्द इस्तेमाल कर रहे हों, जो नहीं करने चाहिये। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ख्गाग, और इस तरह के जो अससंदीय शब्द हैं जो महामहिम के लिये कहे गये हैं, वह कार्यवाही से निकाल दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इसको देख लूंगा।

ख्12.38, जनपद जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता श्री बी0डी0 गुप्ता द्वारा श्रीमती सीमा विधायक से अमर्यादित व्यवहार किये जाने का व्यक्तिगत प्रकरण

श्रीमती सीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन का ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं कि मैं 9 या 10 तारीख को जनपद मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग कार्यालय के अधिशासी अभियंता से मिलने के लिये गयी। कारण यह था कि मेरे क्षेत्र की बहुत सारी सड़कें खराब पड़ी थीं, मैंने 7, 8 दो दिन लगातार उनके मोबाइल पर फोन किया ताकि इनका इस्टीमेट

---

uksV %&[x x x] ;g va'kh Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

बनवाकर शासन को प्रेषित कर दिया जाये। न वह मेरा 8 को फोन उठाये, न वह मेरा 7 को फोन उठाये, तब मैनें अपने किसी वर्कर को भेजा कि जाकर उनसे मेरी बात करा दें, उनका नाम है बी0डी0 गुप्ता निर्माण खण्ड, जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई वार्ता नहीं करनी है मैं बात नहीं करूंगा। 10 तारीख को मैंने डी0एम0 साहब से नार्मल वार्ता की और उनसे कहा कि दो दिन से मैं अधिशासी अभियन्ता को फोन कर रही हूं लेकिन वह मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, अब मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मा0 विधायक जी आप जाइये लेकिन अपनी गरिमा का ध्यान रखियेगा, मुझे उनकी बात अच्छी लगी। मैं अपनी गाड़ी से अधिशासी अभियन्ता के ऑफिस गई। चूंकि हम लोग आफिस बहुत कम जाते हैं चार–पांच साल में शायद कभी गये होंगे। जाने के बाद जितने भी छोटे कर्मचारी थे वह खुश हो गये उन्होंने मुझे रास्ते में रोका कि विधायक जी आप आइये, मैं आपके लिए क्या लाऊं। मैंने कहा कि आप कुछ मत लाइये केवल अधिशासी अभियन्ता को बता दीजिए कि मैं यहॉ आई हूं। मान्यवर, जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह न तो कुर्सी से उठे, न कोई नमस्ते, न कोई बन्दगी और न ही बैठने के लिए कहा। मैं उनके कार्यालय में बैठी और मैंने खुद पहल किया कि भाई आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि मैं आप सभी लोगों के फोन उठाऊं। मैंने कहा कि आपने फोन नहीं उठाया तो मुझे यहां आना पड़ा, आप मुझे सूची दे दीजिए जो हम लोगों ने आपको भेजी थी क्योंकि जब हमारी विधान सभा चलेगी तो हम अपनी रोड की बात वहां कर लेंगे। उन्होंने ना तो हमें सूची दिया, न ही बात किया और मान्यवर हद तो तब हो गई जब मैं सामने चेयर पर बैठी रही और उन्होंने घण्टी बजाई, चपरासी को बुलाया, चाय मंगवाया, खुद तो कप में चाय पिया और मान्यवर, मुझे चाय देने की बात तो छोड़ दीजिए चाय के लिए पूछा भी नहीं कि आप चाय पियोगे या नहीं पियोगे। मान्यवर, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, अगर मेरे अलावा कोई और जन–प्रतिनिधि रहा होता तो इतना हंगामा हुआ होता कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं क्या हम जन–प्रतिनिधियों की यही इज्जत रह गई है, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनके ऑफिस न जाएं, हम अपनी बात न कहें, हम उनको कभी फोन न करें और मान्यवर, उन्होंने लास्ट में कहा कि आजमगढ़ के जो प्रतिनिधि हैं पता नहीं वह यहॉ हैं या नहीं हैं, उन्होंने कहा कि मैं कैसा एक्स0ई0एन0 हूं इसे आप पता लगा लीजिए क्योंकि आप आजमगढ़ में हैं। बहुत होगा आप मेरा ट्रांसफर करा देंगे, मैं भी आपकी तरह चुनाव लड़ करके विधायक बन जाऊंगा। मान्यवर, क्या विधायक होना इतनी बुरी बात है, क्या विधायक की यही गरिमा है, क्या विधायक का यही सम्मान है।

श्री अध्यक्ष–

बहुत से इंजीनियर विधायक बने हैं इसलिए उन्होंने कहा होगा।

श्रीमती सीमा–

मान्यवर, मैं बहुत आहत हूं इस घटना से और मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि न्याय तुरन्त मिलना चाहिए और अगर न्याय मिलने में विलम्ब होता है तो मान्यवर, यह अन्याय है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगी कि वह उन्हें हटाकर इसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपकी पीठ से कई बार यह मैटर विधान सभा में पहले भी उठ चुका है कि विधायकों के साथ अधिकारियों का आचरण कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, इस सम्बन्ध में कई शासनादेश जारी हुए हैं। पिछले सत्र में भी इस सम्बन्ध में कई बार यह मैटर उठा और कई बार शासनादेश जारी हुए लेकिन अधिकारियों के द्वारा उनका पालन न किया जाना और इस प्रकार से जन–प्रतिनिधि से अभद्रता करना, इस प्रकार अपमान करने के मामले को हम समझते हैं कि गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, यह सदन के मा0 सदस्य से सम्बन्धित मामला है और जिस तरीके से श्रीमती सीमा द्विवेदी जी ने इस पूरे प्रकरण को इस उम्मीद के साथ आपके सामने रखा कि आपका पूरा संरक्षण मिलेगा। इस सदन के किसी भी मा0 सदस्य के साथ इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कोई न कोई कड़ी और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चूंकि यदि यहां से मा0 सदस्यों को संरक्षण नहीं मिलेगा और इस बात का सरकार भी संज्ञान नहीं लेगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसे मनबढ़त अधिकारी जहां जिसको चाहेंगे चुने हुए प्रतिनिधियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम करेंगे। मान्यवर, यहां इस प्रकार की बात को मा0 सदस्य रखने में भी अपना अपमान समझता है लेकिन जब पानी नाक के ऊपर जाता है तो वह आपके सामने गुहार लगाता है। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी ने आपके सामने बड़ी मर्माहत होकर इस बात को रखा, अब रास्ता क्या होगा इसे आप तय करेंगे क्योंकि सभी के संरक्षक आप हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जो जन–प्रतिनिधियों का सम्मान करना नहीं जानते। अपमान करना उनका व्यवहार बन गया है तो उनको अपने स्तर से यहां पर बुला करके, उनको कोई न कोई कड़ी हिदायत आपके स्तर से मिलनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए या सरकार खुद इसका संज्ञान ले करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई न कोई कठोर कार्यवाई करे जिससे कि वे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी संज्ञान लिया और नेता भारतीय जनता पार्टी ने भी, और हम भी काफी अरसे से मा0 विधायक का आचरण सदन

में और सदन के बाहर भी देखते हैं। बहुत ही शालीन स्वभाव की हैं और उनसे इस बात की तवक्को की ही नहीं जा सकती कि वह किसी कार्यालय में जाकर किसी अधिकारी से अभद्र बात करेंगी, यह महिला के सम्मान के विरुद्ध भी है और यह हमारी जो तहजीब है, कल्चर है उसके भी खिलाफ है। लेकिन इसमें आपकी तसल्ली के लिए एक पहलू यह है कि उस अधिकारी ने चाय पी और आपको नहीं पूछा इसके लिए थोड़ा सा दोष उनके पुरखों को भी दिया जायेगा जिनसे संस्कार उन्हें नहीं मिले, तो इसका भी खेद और दुःख है कि ऐसा बदनसीब आदमी इतना बड़ा अधिकारी बन गया। तो यह कोई अच्छी बात नहीं हुई कि एक इन्जीनियर, एक्स0 सी0 एन0 के मामले में विधान सभा के सभी लोग चिन्तित हों और पूरा विपक्ष संजीदगी से सुन रहा हो तो जाहिर है कि उसका सम्मान नहीं हो रहा है यह उसका अपमान ही हो रहा है। उसमें जरा भी शराफत होगी तो वह खुद आपको फोन करके अपने आचरण की क्षमा चाहेंगे। मैं इसकी निन्दा करता हूं, इसका संज्ञान लेता हूं, मैं संबंधित मंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा कि वे इसका सख्त संज्ञान लें और कार्रवाई करें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

ख12.45, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय महिला इण्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री राम सुमेर वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय महिला इण्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री राम सुमेर वर्मा व श्री राम लाल यादव निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री विनोद वर्मा आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री विनोद वर्मा व श्री राम लाल यादव निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में इलाहाबाद–फैजाबाद हाई–वे पर बकुलाही नदी पर स्थित गजेहड़ा पुल टूटने से मान्धाता के सभी ध्वस्त हुए मुख्य मार्गों के मरम्मतीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्रीमती साजिदा बेगम आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में इलाहाबाद–फैजाबाद हाई–वे पर बकुलाही नदी पर स्थित गजेहड़ा पुल टूटने से मान्धाता के सभी ध्वस्त हुए मुख्य मार्गों के मरम्मतीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्रीमती साजिदा बेगम व श्री मनोज सरोज निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 सेमरियावां से ग्राम पंचायत बढ़या माफी होते हुए ग्राम पंचायत छपिया माफी मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री लाल चन्द्र आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 सेमरियावां से ग्राम पंचायत बढ़या माफी होते हुए ग्राम पंचायत छपिया माफी मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री लाल चन्द्र व श्री अली अहमद निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित ग्राम पंचायत अगया से सुकरौली होते हुए दसावां मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शमशुद्दीन आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित ग्राम पंचायत अगया से सुकरौली होते हुए दसावां मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री समशुद्दीन व श्री अली अख्तर निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 दुधारा चौराहे से ग्राम पंचायत मदारपुर व ग्राम पंचायत धुसुरा से होते हुए ग्राम पंचायत कोहरियावां तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 असद आदि निवासीगण जनपद संतकबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित

बी0एम0सी0टी0 दुधारा चौराहे से ग्राम पंचायत मदारपुर व ग्राम पंचायत धुसुरा से होते हुए ग्राम पंचायत कोहरियावां तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 असद व श्री मो0 इसराइल निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 व 7 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या–8 ले रहा हूँ। महामहिम श्रीराज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव डा0 संग्राम यादव जी प्रस्तुत करेंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव[*]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या–8 ले रहा हूं। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव डा0 संग्राम यादव जी प्रस्तुत करेंगे।

'डा0 संग्राम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी 2015 को दिया है कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।' मान्यवर मैं आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर श्री राज्यपाल का अभिभाषण केवल एकमात्र औपचारिकता नहीं है बल्कि यह सरकार की नीतियों का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और वर्तमान में जो नीतियां संचालित हो रही हैं जो प्रचलन में हैं उसका क्या प्रभाव हो रहा है। मान्यवर राज्यपाल का अभिभाषण पूरे उत्तर की जनता के सामने एक संदेश देने का काम करता है। मान्यवर श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जो उत्तर प्रदेश की महान जानता है जो गरीब है किसान है लाचार है उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी जो कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से जिक्र किया है मान्यवर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश कोई मामूली प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश जहां जनसंख्या की दृष्टि से ही विशाल नहीं है हमारी प्रदेश की विधान सभा देश की बड़ी विधान सभाओं में ही नहीं है देश के जंगे आजादी के आन्दोलन में प्रदेश ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था देश को आजाद कराने में हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमारे पुरखों ने अपने प्राणों को न्योछावर करके देश के जंगे आजादी के आन्दोलन का नेतृत्व भी करने का काम किया था। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक राजनैतिक भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह देश में कुछ अलग हैं। मान्यवर हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर एक बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश जहां भगवान

[†] nsf[k;s uRFkh ^d* vkxs i`"B la[;k 151&327 ijA

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

राम ने जन्म लिया हो उत्तर प्रदेश जहां कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ अवतार लिया हो ऐसा शानदार उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश का पूरे देश के अन्दर सम्मान है। मान्यवर हमें आपके साथ कई कांफ्रेंस में सम्मिलित होने का अवसर मिला था हम नेता विरोधी दल से कहना चाहते हैं जब महामहिम श्री राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे थे जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास रहा और जिस तरह से बातें रखी जा रही थीं यह विचार विनिमय का केन्द्र है और विचार विनिमय के केन्द्र में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि जिन उद्देशों को लेकर लोकतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना है वह धारणा हमारे प्रति कहीं न कहीं लोगों की बदलते हुए नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने अभिभाषण में मान्यवर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर हम और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक एक्सप्रेस वे से जो 15 हजार करोड़ की लागत से बनाकर देश की राजधानी से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया है। यह सिर्फ लखनऊ को दिल्ली से जोड़ने का ही काम नहीं करेगा वह एक अवस्थापना सुविधाओं के विकास का काम करेगा उद्योग धंधों के निश्चित रूप से आने का प्रयास होगा। उसके किनारे हमारे किसान जो देश और प्रदेश की रीढ़ हैं कहीं न कहीं उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देने का भी प्रयास होगा। यह एक्सप्रेस–वे उत्तर प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार देश की पहली सरकार है जिसने सामाजिक सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय का मैं आपके बीच जिक्र करना चाहता हूं। मान्यवर हिन्दुस्तान का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो गरीब है जो किसान है जो मजदूर है चाहे वह किसी जाति धर्म के हों हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों को जिन्हें किसी किसी योजना में लाभ नहीं मिला उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया हिन्दुस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहॉ एकमुश्त 40 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया गया। समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। माननीय मंत्री जी जब स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पेंशन के वितरण का कार्यक्रम रखा था हमने अपनी खुली नजरों से देखा। मान्यवर, आप भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जो गांव का गरीब था, किसान था, मजदूर था, बड़ी तादाद में हमारी महिलाएं थीं, हमारी बहिनें थीं मान्यवर, इतनी कड़ाके की ठंड में जिनके बदन पर गरम कपड़े नहीं थे, मान्यवर अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथों से समाजवादी पेंशन योजना का परिचय पत्र लेने आई हुई थीं। इतनी बड़ी सामाजिक योजना जिसको राज्य सरकार अपने बजट पर, अपने संसाधन पर, उत्तर प्रदेश की महान जनता को देने का काम कर रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर 500 एम0बी0बी0एस0 की सीटें बढ़ाकर के माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर नये नये मेडिकल कालेज की स्थापना हुई, लखनऊ के

अन्दर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के कैंसर इन्स्टीट्यूट की आधार शिला रखकर कहीं न कहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्रांतिकारी कदम की तरफ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आर्युविज्ञान संस्थान सैफई इटावा, एस0जी0पी0जी0आई0 आजमगढ़, जालौन, कन्नौज और यहॉ तक मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जौनपुर के अन्दर एक राजकीय मेडिकल कालेज की आधार शिला रखकर के और बदायूं जनपद के अन्दर एक राजकीय मेडिकल कालेज की आधार शिला रख करके मेडिकल के क्षेत्र में आजादी के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे बड़ा काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने करने का काम किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 108, 102 एम्बुलेंस संचालित करके जो हमारी गरीब जनता थी, जो इलाज के अभाव में अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, महंगे किराये की वजह से न जाने कितने महंगे संसाधनों की वजह से, ऐसे लोगों के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है। मान्यवर, हमें इस बात की प्रसन्नता है, हम माननीय नेता विरोधी दल जी से कहना चाहते हैं कि आप गांव से जुड़े हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश के अन्दर पहला राज्य है जहां असाध्य बीमारियों चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे वह लिवर सिरोसिस की बीमारी हो, ब्रेन ट्यूमर हो, जो ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका लाखों लाख रुपये में इलाज संभव हो पाता है। हमें इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसे असाध्य बीमारियों के इलाज के लिये मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता देने का काम किया है। (मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, मैं जिस जनपद से आता हूं निजामपुर तहसील का एक पिछड़े वर्ग का गरीब नौजवान धर्मेन्द विश्वकर्मा, मान्यवर, जवानी में ही 23–24 साल की उम्र में उसकी दोनों किडनी खराब हो गईं अपनी पत्नी के साथ मेरे दरवाजे पर आया और दरवाजे पर आकर कहने लगा कि मेरे जीवन के कुछ दिन शेष बचे हैं मैं अपनी पत्नी से आपका परिचय कराने आया था। मैं निराश हूं, हताश हूं। डाक्टर ने पी0जी0आई0 का जो इस्टीमेट दिया है उसको मैं अपनी पूरी सम्पत्ति भी बेच दूं तब भी मेरा इलाज सम्भव नहीं है। मान्यवर, मुझे इस बात का फख्र और खुशी है कि ऐसा गरीब नौजवान जिसकी दोनों किडनी खराब थीं हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 10 लाख से ऊपर रुपया मुख्य मंत्री विकेकाधीन कोष से दे करके उसकी किडनी का प्रत्यारोपण करवाया। आज वह सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, हम लोग जब गॉवों में जाते थे लोग बिनती प्रार्थना करते थे, नौजवान, बेरोजगार जो था चिन्तित होता था, उसका परिवार चिन्तित होता था कि इतनी बड़ी मंहगाई के दौर में, इस तरह की बीमारी, कैसे इलाज करा पायेंगे। मान्यवर मेरे क्षेत्र का एक व्यक्ति जो पी0जी0आई0 के हॉस्पिटल में भर्ती था और जब मैं उसको आई0सी0यू0 में देखने गया था एक बड़े रकम का इस्टीमेट पी0जी0आई0 ने तैयार किया था उसके सामने इस तरह का संकट था एक तरफ बेटी की शादी करना, जिसकी तारीख निश्चित हो गई थी और एक तरफ पिता की

जबर्दस्त बीमारी, डाक्टरों ने कहा था कि चार लाख पैंतीस हजार का इंतजाम नहीं होता है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है और इस तरह की बात जब संज्ञान में आई तो मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया हम विधायक लोग लाचार हो जाते थे जब इस तरह की परेशानियॉ होती थीं, लेकिन उन्होंने विधायक निधि से जो ऐसी असाध्य बीमारियां होती थीं उसमें हम लोगों को भी अवसर दिया कि हम लोग अपनी विधायक निधि से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें और अपनी विधायक निधि से पैसा देने का काम कर सकें।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर लगातार इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हो रही है आप मान्यवर, जिस इलाके से आते हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री जी मा0 अखिलेश यादव जी ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं किया बल्कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र है कि आने वाले सत्र में पूरी तरह से संचालित हो करके गॉव की जनता को शिक्षित करेगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

यह ऐतिहासिक निर्णय है सिद्धार्थनगर में इंजीनियरिंग कालेज बना, अम्बेदकर के अन्दर जो इंजीनियरिंग कालेज बना, पारा के अन्दर जो इंजीनियरिंग कालेज बना मुझे इस बात की खुशी है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बहुत जल्द यह इंजीनियरिंग कालेज सुचारू रूप से चलने का कार्य करेंगे। लगातार हमारी सरकार, जब से हमारे मुख्य मंत्री जी ने सत्ता संभाली है लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने उत्रोत्तर कार्य करने का काम किया है ऊर्जा ही नहीं मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने महोवा जनपद के अन्दर दस मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लान्ट के उदघाटन करने का काम किया है जिससे बुन्देलखण्ड के अन्दर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। मान्यवर, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार निर्णय लेती है हमें इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान, जिसके रोजगार के सवाल पर लगातार चर्चा होती थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का गठन करने का काम किया है साथ ही भर्तियॉ निकालने का, उसका विज्ञापन निकालने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश की धरती मजहबी एकता की धरती है उत्तर प्रदेश, देश का शानदार राज्य है। हम जानना चाहते हैं जहां उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्सप्रेस वे और ग्रामीण सड़कों पर मुफ्त सिंचाई करने का प्रबन्ध कर रही है लगातार इंजीनियरिंग कालेज खोल करके उत्तर प्रदेश में अच्छा माहौल पैदा करने का काम कर रही है। हमारे एक साथी भा0ज0पा के कह रहे थे कि बड़ी तेजी से गुजरात के अन्दर गॉधीनगर में अप्रवासी भारतीय दिवस मनाने का काम किया माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपने मुख्य मंत्री जी के स्रोत से इसमें जाने का मौका मिला था मैं खुद जाकर देखा गुजरात में हमारे मुख्य मंत्री जी की खूबियों का उपलब्धियों का विज्ञापन लग रहा है वहां के चुनाव प्रचार में उत्तर

प्रदेश की सरकार जो चुनावी क्षेत्रों में, स्थापना सुविधा के क्षेत्र में जो काम कर रही थी उसका विज्ञापन लग रहा था हमें इस बात की शर्म है, अफसोस है, गुजरात सरकार के जिम्मेदार लोग हमारे प्रदेश सरकार के विज्ञापन को गलत तरीके से उतरवाने का प्रयास कर रहे थे। यह मामूली बात नहीं है लखनऊ के अन्दर बढ़ती आबादी में कितनी बड़ी समस्या है हमारे मुख्य मंत्री जी मा0 अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो का शिलान्यास ही नहीं किया मान्यवर, जाकर के नेता विरोधी दल अपनी खुली ऑखों से देख सकते हैं कितनी तेजी से लखनऊ के अन्दर मेट्रो का काम चल रहा है। 2016 तक हम राजधानी लखनऊ को मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे। मान्यवर, हम बनारस के अन्दर, आगरा के अन्दर, गाजियाबाद, नोयडा के अन्दर लगातार मेट्रो संचालन की योजना पर काम कर रहे हैं। मान्यवर, लैपटाप की योजना का, जिसका उपहास हुआ, मजाक बनाया गया। आज देश के अन्दर तकनीकी शिक्षा का जोर है, दुनिया के अन्दर संचार–क्रान्ति का जोर है। आज दुनिया को मुट्ठी में रखने का प्रयास हो रहा है। लेकिन यह लोग नहीं चाहते कि गांव के किसान का बेटा और बेटी भी आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से जुड़ने का काम करे। मान्यवर, जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, सारे विज्ञापनों में कहा जा रहा है कि 'ट्रिपल सी' की अनिवार्यता है, कम्प्यूटर के ज्ञान की अनिवार्यता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि जब गांव के किसान के बेटों और बेटी के हित में कोई योजना बनती है तो कौन सी ऐसी बात आ जाती है कि आप उसका विरोध करने लगते हैं। नेता विरोधी दल, आज आप पिछड़े वर्ग की बात उठा रहे थे, शादी अनुदान की बात उठा रहे थे, आपको याद होना चाहिए, लैपटाप की योजना के बारे में, किसान का बेटा और बेटी लैपटाप नहीं खरीद सकता, माननीय मुख्य मंत्री जी जब ऐसे लोगों को तकनीकी शिक्षा से मजबूत करने के लिए लैपटाप की योजना संचालित करते थे तो यहॉ बैठे हुए लोग लैपटाप देने की योजना का उपहास उड़ा रहे थे। मान्यवर, जिस बात पर बार–बार प्रदेश की जनता ने हमें यहां भेजा है, हम चाहते हैं कि उस सवाल पर बहस हो, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी के सवाल पर बहस हो, हम चाहते हैं कि किसान के सवाल पर बहस हो, हम चाहते हैं कि देश के संघीय ढॉचे से ले करके आपस के भाई–चारे पर बहस हो। मान्यवर, यहां पर कबीर ने काशी के अन्दर धार्मिक कट्टरता पर, जातिवाद पर, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया था और मान्यवर, कबीर ने बनारस की गलियों में जो काशी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है, वहां पर उन्होंने धार्मिक सद्भाव का सन्देश देने का काम किया था और कबीर ने ही वहॉ पर कहा था– 'पोथी पढ़–पढ़ जग मुआ, पण्डित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पण्डित होय।' मान्यवर, हमारे ऋषि–मुनियों ने प्रेम का सन्देश दिया है, मोहब्बत का सन्देश दिया है, हमारे प्रदेश का ताज, देश और दुनिया में मोहब्बत का सन्देश देता है। हमें खुशी इस बात की है कि 'शाने–विरासत' नाम से जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आजादी की धरोहर हैं, जो हमारे पुरखों की निशानी है, महारानी लक्ष्मी बाई की वीरता की गाथाएं हैं और सारनाथ में जहॉ पर बुद्ध ने उपदेश देने का काम किया था, इस प्रकार के जो हमारे स्मारक हैं, इस सब को 'शाने–विरासत'

के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के सामने लाने का प्रयास किया है। आजादी के बाद मान्यवर, चाहे जितनी भी बातें कर ली जायें, पूरा देश याद करेगा, मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय, प्रदेश और देश के अन्दर इतना बड़ा काम हमारे माननीय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रेरणा से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय की स्थापना की है, वह कोई मामूली काम नहीं है। तालीम देना सबसे बड़ा काम है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भांति, हमें भी वहां पढ़ने का और छात्र–राजनीति में भी भाग लेने का अवसर मिला था। मान्यवर, बहुत से ऐसे काम हैं, सिंचाई से ले करके तमाम ऐसी योजनाएं संचालित हैं, मान्यवर, हम कहना चाहते हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हों, नेता विरोधी दल, आप वरिष्ठ नेता हैं, बदायूं की घटना को दुनिया के सामने किस तरह से प्रस्तुत किया ? बदायूं की घटना से आपने क्या सन्देश देने का काम किया ? आपने माननीय मुख्य मंत्री जी पर आरोप और प्रत्यारोप लगा करके दुनिया के सामने, हिन्दुस्तान के सामने किस रूप में उस घटना को प्रस्तुत किया है। हम मीडिया के भाइयों से कहना चाहते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस तरह से खबरों को न प्रसारित कर दिया जाए, इस तरह से खबरों को न उछाला जाए, जहां बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। जो किसी की बेटी थी, जो किसी की बहन थी, क्या कारण थे, क्या–क्या आरोप लगा दिया, प्रदेश की इज्जत को उछालने का काम हमारे विपक्षी लोगों ने किया और जब उस घटना की सी0बी0आई0 जांच होने की बात आयी। जब उस घटना की सी0बी0आई0 जांच की बात तो आती है, तो क्या इस देश के अंदर उन लोगों ने बड़े–बड़े लोगों ने जिन्होंने दिल्ली से आकर के उस तरह का माहौल पैदा किया था क्या उन्होंने माफी मांगने का काम किया ? क्या उन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त करने का काम किया ? तब मान्यवर हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक समरसता का भाईचारे का अभाव है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी है वो एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं। वह समाजवादी आंदोलन के अगुवा हैं, समाजवादी आंदोलन के तपे–तपाये नेता हैं आपकी सरकार के जुर्म और अत्याचार के खिलाफ जो प्रणरथ लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले थे। आपकी लूट के खिलाफ निकले थे, आप अपने महापुरुषों के स्मारकों में भी जा कर देखिए। मैं तो आए दिन वहॉ जाता रहता हूँ, स्मारक की उन मूर्तियों के नीचे टूटी हुई छतें इस बात की गवाह हैं कि जिन स्मारकों को आपने बनाया उसकी टपटपाती हुई छतें इस बात की गवाह है कि आपके महापुरुषों को भी लूटने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है आज हम कहते हैं कि आप जाकर देख लीजिए मान्यवर हम चाहते हैं कि विधानसभा की कोई कमेटी बना दी जाए वो देख ले कि किस तरह से लूट और अराजकता का माहौल है तत्काल प्रभाव से हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकलें और उन्होंने जो घोषणा–पत्र जारी किया था हमें इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार देश की ऐसी सरकार है यहां देश के ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने घोषणा–पत्र के सारे के सारे वायदे को पूरा करने का काम किया। हमने

किसान को राहत प्रदान करने का काम किया। हमने छात्र और नौजवान को राहत देने का काम किया है। आप शहीदों की बात करते हैं, गाजीपुर में एक शहादत हुई थी आपके कोई नेता वहॉ नहीं गए। हमें इस बात का फक्र है कि जहां–जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश का जवान शहीद हुआ उसके दूसरे और तीसरे दिन हमारे मुख्य मंत्री जी गॉव जाकर खुद शहीदों को सम्मान दिया। जो इस प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए, नौजवानों को रास्ता दिखाने के लिए और आपस का भाईचारा बनाने के लिए और ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं 'न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है यह हिन्दुस्तान सबका है' अगर यह बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका है। इन्हीं बातों के साथ जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की नीतियॉ है, जो कार्यक्रम हैं जिससे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा किसान मजबूत होगा, छात्र नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे मैं इसी भावना के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव को मैं प्रस्तुत करते हुए आपको मान्यवर बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष–

मा0 तेजनारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय जी इसका समर्थन करेंगे।

'श्री तेजनारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं डॉ संग्राम यादव जी द्वारा दिए गए मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर राज्यपाल का भाषण केवल एक दस्तावेज नहीं है यह समाज को क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर ले जाने वाला, समाज के दबे–कुचले लोगों को उनका सम्मान दिलाने वाला और जो लोग इलाज के अभाव में जान गॅवा देते हैं उनकी रक्षा के संकल्प का अभिभाषण है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे देश को आजाद हुए 67–68 साल हो गये, लेकिन मुझे इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो काम 2012 की सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में किया है वह लोहिया, जय प्रकाश नारायण, पूज्यनीय महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजनारायण, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिसमिल, मौलवी अहमद उल आसा जैसे जो क्रांतिकारी सपूत हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने मौन मुख का सेहरा अपने सिर पर लिया था। उनके क्रांतिकारी सपनों को साकार करने के लिए अभिभाषण है और ऐसा काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आजादी के 68 वर्षों में यह काम करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब हमारा यह देश गुलाम था। मैं फैजाबाद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आता हूं। हमारे अयोध्या फैजाबाद के मण्डल कारागार में अशफाक उल्ला खां फांसी के फंदे को चूमे थे। तो अशफाक उल्ला खां ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था कि–'तंग आकर हम जुल्म के बेताब से चल दिये सू ए गम जिंदाने फैजाबाद से।' और इस देश को

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

आजाद कराया था। और आप उनके सपने को जो उनकी शहादत है अगर उसे कोई साकार करने का काम प्रदेश में कोई कर रहा है तो वह हमारी समाजवादी की सरकार है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार है। यह हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2012 में हमारी सरकार बनी। हम जैसे गरीब नौजवान, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष बनने का जिसको मौका मिला उसको इस सदन में पहुंचाने का श्रेय जिसको जाता है हमारे युवा मुख्य मंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जाता है। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। जोरदार तरीके से बात उठाते हैं। बहुत विद्वान हैं। हमें इनकी बातों को सुनने का अवसर भी मिलता है। जब मा0 मुख्य मंत्री जी रहते हैं तो यह हमेशा बताते हैं कि यहॉ पर अराजकता है, गुण्डई हो रही है, जंगलराज कायम हो गया है, नौजवानों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार थी आपकी मुख्य मंत्री थीं आपने छात्रसंघों को बंद करने का काम किया था। आपने नौजवानों की पीठों पर लाठियां बरसाने का काम किया था। नौजवानों पर फर्जी मुकदमें लगाने का काम किया था। अगर आप इतिहास के पन्ने को पटलकर देखेंगे तो आधे से ज्यादा नेता ऐसे नजर आयेंगे जो छात्रसंघों की कोख से निकले हैं और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने नौजवानों को छात्रसंघ की कोख से निकालकर आज सदन में पहुंचाने का काम किया है। ऐसा काम आज तक उत्तर प्रदेश की किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन आपने तो कोड़े बरसवाये, आपने तो लाठियां बरसवाईं। आपने मुकदमें लगवाये, आपने तो जेल भेजने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने नौजवानों के सम्मान को बचाने का काम किया तो मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया। सड़कों पर अगर हम लाठी खाते तो वह हमें आकर मरहम लगाते थे। अगर हम जेल भेजे गये तो जेल आकर हमारे दुख को कम करने का काम किया। हमारे मुकदमें लड़वाने का काम किया, हमें जेल से छुड़वाने का काम किया। यह काम अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी नेता ने किया है तो उस नेता का नाम आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई नौजवानों के लिए काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार काम कर रही है। आदरणीय संग्राम यादव जी ने बताया कि लैपटाप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता यह सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। आज कौशल विकास योजना के तहत लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। आज 15 साल, 18 साल के ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लाखों नौजवान उसमें प्रशिक्षण पा रहे हैं। और प्रशिक्षण के बाद बड़ी–बड़ी कम्पनियों को हमारी सरकार ने अनुबंधित किया है उसमें उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। आज हमारी सरकार बड़ी–बड़ी सड़कें बनाने का काम कर रही है। मान्यवर, आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार में जो सड़कें बनायी

जाती थीं उनमें जो खेल होता था, उनकी जो दुर्दशा थी उसे समाप्त करने का काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। आज बड़ी–बड़ी सड़कें बनायी जा रही है। आज आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है और वह भी राज्य सरकार के अपने पूरे खर्चे पर किया जा रहा है। आज 10 जिला मुख्यालयों को हमारे मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस आने वाले वर्ष में 04 और जिला मुख्यालयों को जोड़ने का प्रस्ताव है। हमारे जो लोहिया ग्राम हैं उसमें सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे जो जेनेश्वर मिश्र ग्राम हैं उसमें सी0सी0 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई सरकार काम कर रही है तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार है। मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार है। यह हम आपसे सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हम अयोध्या फैजाबाद से चुनकर आते हैं। मैं इस बात का गवाह हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर केन्द्र और प्रदेश में सरकार बनाई लेकिन आप अयोध्या हमेशा जाते हैं आपने देखा होगा कि 68 सालों की आजादी के बाद, 2012 के बाद से आज तक जो काम अयोध्या की धरती पर हुआ है वह काम किसी ने नहीं किया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने अयोध्या और फैजाबाद में 20 करोड़ रूपये से सड़के बनवाने का काम किया। अभी बहुत जल्द माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम लगने वाले है वहां पर करोड़ो रुपये की लागत से एक बहुत विशाल भजन–स्थल का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी अयोध्या में करने जा रहे हैं। यह हम आपको बताना चाहते हैं अयोध्या के मेले में माननीय अध्यक्ष जी आप भी कई बार आ चुके हैं, भगवान राम के जन्म का मेला लगता है, जहां लाखों लोग आते हैं वहां पर शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ रूपये की लागत से वहां पर सुलभ शौचालय, जिसमें दो वातानुकूलित हैं, को बनवाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। हमारी अयोध्या की धरती पर सत्संग भवन, रैन बसेरा बनवाने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी जिस मार्ग से आप अपने जिले की तरफ जाते हैं सिद्धार्थ नगर वहां नये घाट पर 70 लाख रुपये की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी के आर्शीवाद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है। आज यह सारे काम अयोध्या की धरती पर माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा किये जा रहे हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो गरिमा और जो परम्परा है, उस परम्परा को स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी हम आपसे कहना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोगो से हमने सुना है जो समय–समय पर इस बात का बयान देते है, समय–समय पर इस बात को कहते हैं कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से इस पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, तब से हिन्दू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जा रहा है परन्तु हम कहना चाहते है कि हम जिस पार्टी को मानने वाले लोग हैं, हम जिस

समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिह यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, इनका यह मानना है कि–

"हिन्दू का नहीं मुस्लिम का नहीं, यह लहू है हिन्दुस्तान का।
जब लहू टपकता गीता का, तो बहता लहू कुरान का।"

हम इस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। आप इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिये इस प्रदेश में जितने भी दंगे हुए जितने भी झगड़े हुए उसे कराने वाले लोग कौन थे। जो झगड़े हुए उसे किसने कराया, जो जेल में हैं वे किस पार्टी के लोग थे क्योकि जबसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की बागडोर सम्भाली गयी। यह उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ। उत्तर प्रदेश तरक्की और विकास के रास्ते पर जाने लगा। हमारा नौजवान और किसान खुशहाल होने लगा। नौजवान नौकरी पाने लगा। सड़कों का निर्माण होने लगा और जो भारतीय जनता पार्टी की दुकान थी वह बन्द होने लगी क्योकि उन्होनें कभी विकास नहीं किया था। बहुजन समाजपार्टी का जुल्म जो था वह खत्म हो चुका था। हर चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी लवजेहाद के नाम पर, कभी पी0के0 फिल्म के नाम पर, कभी धर्मान्तरण के नाम पर, कभी हिन्दू और मुसलमान के दंगे के नाम पर उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम किया। लेकिन, मै बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री, आपने उत्तर प्रदेश के क्रान्तिकारी मुख्य मंत्री, अपने उत्तर प्रदेश के विकासशील मुख्य मंत्री जिन्होनें इस उत्तर प्रदेश से साम्प्रदायिक तनाव को कम करने का काम किया। साम्प्रदायिक तनाव को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। मैं शायर की लाइनों में अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहता हूं और आपके सामने इस सदन के माध्यम से अपने मुख्य मंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहता हूं कि–

"बहती है यहां गंगा झेलम में भी कोई बतलाये कहां जाकर नहाया जाये।
जिस्म दो है फिर भी दिल एक हो अपने ऐसे कि मेरा आसूं तेरी पलकों से उठाया जाये।"

यह बात मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो उनकी भावनायें है इस प्रदेश के वासियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि–

''मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा, कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाये। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाये जिसमें इन्सान को इन्सान बनाया जाये।"

यह समाजवाद, यह बाते यह विचार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज शिक्षा जगत में सुधार करने का काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी

आदरणीय राम गोविन्द जी ने किया है। इन्होने आमूल–चूल परिवर्तन करने का काम प्राथमिक शिक्षा में किया है। हमारे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। लाख से ऊपर शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया है, जो हमारे शिक्षकों और अध्यापकों की कमी है उसकी भर्ती कर रहे हैं। लगातार प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का काम कर रहे हैं क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी प्राथमिक शिक्षा, हमारी बुनियादी शिक्षा ठीक नहीं होगी, तब तक हम अपने देश और प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए आदरणीय रामगोविन्द चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो कुशल नेतृत्व किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय भाई संग्राम यादव जी ने सारी बातें बताईं, मेडिकल कालेज से लेकर के लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट से लेकर के अन्य जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना से लेकर के सारे काम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इन तीन सालों में किया 500 एम0बी0बी0एस0 सीटें बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया। आज 108 एम्बुलेंस, आदरणीय अध्यक्ष जी आप बहुत सड़क पर यात्रा करते हैं, जब हम लोग राजनीति में नहीं आये थे, हम लोग पढ़ते थे, तब आप विधायक हो गये थे, आपका बहुत लम्बा अनुभव है। आपने देखा होगा कि जब सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई आदमी अस्पताल में जाने के अभाव में जान तोड़ देता है तो उस दर्द को आज किसी ने महसूस किया तो युवा मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने और एक समाजवादी 108 एम्बुलेन्स चलाया, आज कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाय तो यह एम्बुलेन्स दस मिनट के अन्दर घटना स्थल पर पहुंच कर मरीज को अस्पताल ले जाने का काम करती है। आज इस काम की प्रशन्सा पूरे देश में हो रही है। मैं कई प्रदेशों में गया, वहां के लोगों ने हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री की प्रशंसा की। आज 102 एम्बुलेंस, अगर आज महिलाओं को अस्पताल जाना हो उनके प्रसव के लिए तो कम से कम 102 एम्बुलेंस उनको घर से अस्पताल ले जाती है और उसके बाद अगर दोबारा दिखाने की जरूरत पड़े तो 102 एम्बुलेंस आती है और उनको अस्पताल ले जाने का काम करती है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं आज महिलाओं का दर्द, गरीबों, किसानों का दर्द अगर किसी के दिल में है तो समाजवादी पार्टी और मा0 मुख्य मंत्री जी हैं जिसको इन्होंने करने का काम किया। आज पर्यटन नगरी के रूप में, आज पर्यटन के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी काम कर रही है, आज मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार काम कर रही है, आज आप देखिये आगरा में, आगरा को पर्यटन के नक्शे पर बैठाने के लिए समाजवादी पार्टी निरन्तर काम कर रही है, फतेहपुर सीकरी, बनारस, अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन इन सारी जगहों पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी को हेरीटेजआर्क के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगरा में अभी चैलेन्ज कार की योजना की गई, चैलेन्ज कार का आयोजन किया गया, जिसका हमारी सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी ने झण्डी दिखा कर उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

देने के लिए आदरणीय डिम्पल यादव जी ने भी सहयोग करने का काम किया, इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज हमारी आयोध्या में जो काम हो रहा है, वह हमने आपको बताने का काम किया चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम प्रवेश द्वार हो, चाहे सत्संग भवन हो, चाहे रैनबसेरा हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे टूटी–फूटी सड़कों को ठीक करने का मामला हो, आज यह सारे काम समाजवादी पार्टी कर रही है, आयोध्या और फैजाबाद की गरिमा को बढ़ाने का काम, मथुरा, काशी, आगरा इन सारी जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। आयोध्या में राम संग्रहालय, रैनबसेरा यह सारे काम आज समाजवादी पार्टी की सरकार में किये जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज श्रम विभाग के द्वारा, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहते हुए कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आज गरीब तबके के लिए भी योजनाएं चालू करने का काम किया, आज हमारा जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग में 40 तरह की योजनाएं हैं, उसमें जो काम करने वाली 40 तरह की योजनाएं हैं, वह लोग श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको साइकिल देने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार करती है। अभी हजारों साइकिलें प्रदेश में काम करने वाले जो लेबर तबके के लोग हैं, 40 तरीके के कामगीर हैं उनको देने का काम किया गया और जो लोग श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर उनके यहां कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के पालन पोषण का खर्चा भी श्रम विभाग देता है, उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा श्रम विभाग देता है और वह बच्चा पढ़ने के लिए जब आगे जाता है तो उसका खर्चा भी श्रम विभाग के द्वारा दिया जाता है, हमारे मुख्य मंत्री जी के द्वारा दिया जाता है और जो श्रम विभाग के कर्मचारी हैं, अगर वह कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको सरकार पैसा देती है कि अपने कामों को कर के अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो आज हम कहना चाहते हैं कि जो गरीब किसान हैं, गरीब लेबर और मजदूर तबके के लोग हैं, उनके लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकार मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार, मा0 मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले लोग लगातार काम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज समग्र विकास योजना।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री तेजनारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

मान्यवर बस दो मिनट में समाप्त करूंगा, आज लोहिया ग्राम आवास के माध्यम से हमारे गांव का विकास किया जा रहा है। 18 तरह के विभागों के द्वारा उन गांवों को ठीक किया जाता है, जो लोहिया ग्राम विकास योजना है उसमें तीन लाख पच्चीस हजार रुपया देकर जिनके पास मकान नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, उनको मा0 मुख्य मंत्री जी के लोहिया ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत तीन लाख पच्चीस हजार रूपये दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको सोंचना होगा, आपको जानना होगा, हम

आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं, जब बरसात आती है तो उनकी झोपड़ी चूती है, गरमी के मौसम में कब उनकी झोपड़ी में आग लग जाय, इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आप सोंचिये कि उस गरीब परिवार को तीन लाख पच्चीस हजार रुपये देकर उसका मकान, उसका बाथरूम, उसका किचन बनवाने का काम आज आदरणीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ऐतिहासिक काम आज तक उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्य मंत्री ने नहीं किया इसलिये हम अपने मुख्यमंत्री जी की भूरि–भूरि प्रशंसा करना चाहते हैं। आज ऊर्जा के क्षेत्र में अभी महोबा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 10 मेगावाट के केन्द्र का उद्घाटन किया। ढेर सारे 33 के0वी0ए0 के उप केन्द्र बनाये जा रहे हैं। जगह–जगह बिजली घर बनाये जा रहे हैं। हमारी सरकार आने वाले समय में 24 घण्टे शहरों को और 16–18 घण्टे देहात को बिजली देने के लिये प्रतिबद्ध है। जितने भी त्योहार होते हैं, आप देखिये तीन–तीन दिन लगातार लाइट दी जाती है। होली, दीवाली सारे त्योहारों पर लाइट देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है और पिछली बसपा सरकार में बिजली विभाग का कर्जा जो इस प्रदेश पर था, हमारी सरकार ने उसे कम करने का भी काम किया और 16 हजार करोड़ रुपये का और काम लेने का काम किया, 16 हजार करोड़ रुपये का। हम कहना चाहते हैं कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करने का कार्य कर रही है। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी के लिये कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा 40 लाख परिवारों को, सोचिये अध्यक्ष जी, जो लोग किसी के द्वारा लाभ नहीं पाते थे, उनके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था नहीं थी। जो बहुत ही गरीबी की विरासत में थे। अध्यक्ष जी, हमने वह दौर भी देखा, जनेश्वर मिश्रा पार्क में देखा, अपने फैजाबाद में देखा कि जिस दिन समाजवादी पेंशन बंट रही थी जितनी औरतें और पुरुष आये थे तो हमने आधे से ज्यादा औरतों की साड़ी को फटा हुआ देखा था। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर आज उनके दर्द को किसी ने कम करने काम किया, किसी ने उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम किया तो मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने। पिछली सरकारों ने तो झोपड़ियों को उजाड़ने का काम किया था। पिछली सरकारों ने केवल गरीबों का शोषण करने का काम किया था। पिछली सरकारों ने गरीबों को तबाह करने का काम किया था। पिछली सरकारों ने तो केवल पत्थरों का प्रदेश बनाने का काम किया था। अध्यक्ष जी, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि–

''कोठियों के हर दिये में झोपड़ी का खून है,
इसलिये हम क्रान्ति ऑधी बुलाना चाहते हैं,
देश का बचपन न सोये भूख से रोकर कहीं
इसलिये हर खेत में खंजर उगाना चाहते हैं
हम शहीदों की चिता से राख लेकर हाथ में
आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं।''

आज उनके सारे जुल्म, अत्याचारों को समाप्त किया मा0 अखिलेश यादव जी के क्रान्ति रथ ने, उसको समाप्त किया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

मा0 अध्यक्ष जी, आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लिये काम किया है। चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मजलूम हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी का हो, आज उत्तर प्रदेश की सरकार सबके लिये काम कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लोहिया, जय प्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, अशफाक उल्ला खां के सपनों को साकार किया और दो लाइन कहकर अपना स्थान ले लूँगा मा0 मुख्य मंत्री जी के लिये क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, जब उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जायेगा तो मा0 अखिलेश यादव जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। मैं ये दो लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि–

''समर में घाव खाता जो उसी का नाम होता है,
छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है
सृजन में चोट खाता तो छेनी और हथौड़े की
वही पाषाण कहीं मन्दिर में भगवान होता है।''

बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अब नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा। नेता सदन कहां हैं ? अब यह समय सीमा बांधी जायेगी। नेता विरोधी दल के लिये तो कोई समय सीमा नहीं है, यह उनके विवेक पर है कि वह अपना जितना समय बचा सकें अपने मा0 सदस्यों के लिये। सभी मा0 दलीय नेताओं के लिये 20–20 मिनट का समय है, पिछले साल कम था इस साल बढ़ाकर 20–20 मिनट कर दिया गया है और जो अन्य मा0 सदस्य बोलेंगे, उनको 10–10 मिनट का समय मिलेगा।

(मा0 सदस्य श्री जाहिद बेग द्वारा अपने स्थान पर बैठकर हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आप हाथ क्यों उठा रहे हैं, आप अभी नहीं बोलेंगे, अभी नेता विरोधी दल बोलेंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता सदन कहां हैं ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है कि वह शुरू कर लें, नेता सदन आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी आप तब तक अगर चाहे तो शुरू कर दें, नेता सदन आ रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह गैप ठीक नहीं है। आप शुरू करें, हम लोग आदरपूर्वक सुन रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अभी...

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्राप्त संशोधन प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए के रूप में रखता हूं। ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है ।

1–महामाया बालिका आशीर्वाद योजना के सम्बन्ध में,

2–महामाया आवास योजना के सम्बन्ध में,

3–डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के सम्बन्ध में,

4–सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के सम्बन्ध में,

5–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के सम्बन्ध में,

6–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

7–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के सम्बन्ध में,

8–उत्तर प्रदेश कानून–व्यवस्था की खराब स्थिति के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

9–उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

10–गुण्डे–माफिया अपराधी व अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश में थानों पर हो रहे बलात्कार एवं महिलाओं के साथ किये जा रहे अभद्र व्यवहार पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,

12–दंगा पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु योजना के सम्बन्ध में,

13–प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

14–उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पानी न होने के सम्बन्ध में,

15–हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों के राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

16–प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों द्वारा खरीद पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

17–प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कार/दुराचार/छेड़छाड़ घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

18–गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में,

19–गन्ना क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों के माध्यम से गन्ना क्रय केन्द्र पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

20–गन्ना किसानों को विगत पेराई सत्र का बकाया भुगतान कराने के सम्बन्ध में,

21–गन्ना किसानों को सीधे पर्ची न देने के सम्बन्ध में,

22–गन्ना किसानों का बकाया भुगतान ब्याज सहित न करने वाले चीनी मिल मालिकों को जेल भिजवाने के सम्बन्ध में,

23–विद्युत आपूर्ति समयबद्ध सारणी के अनुसार व पर्याप्त आपूर्ति न करने से उत्पन्न प्रदेश में भयंकर बिजली संकट के सम्बन्ध में,

24–अधिकारियों के अनियमित व निरन्तर स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में,

25–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में,

26–गरीबों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे पर प्रभावी नियंत्रण करने के सम्बन्ध में,

27–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा व्यवहारिक रूप से मुहैया कराने के सम्बन्ध में,

28–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पी0जी0आई0 एवं एम्स जैसे उच्चस्तरीय चिकित्सालयों में भी निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–प्रदेश में बड़े पैमाने पर वन विभाग के पेड़ों के अवैध कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में,

30–प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय इण्टर कालेज को असेवित विकास खण्डों में खोले जाने के सम्बन्ध में,

31–प्रदेश में पट्टे धारकों की जमीन पर अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में,

32–जनपद इलाहाबाद के तहसील कोरावं में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–सरकारी एवं अद्धसरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के सम्बन्ध में,

34–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के अध्यासियों को मकान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–उत्तर प्रदेश में आदिवासी जाति (कोल) को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

36–उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे कोल जाति के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिये विशेष पैकेज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में,

38–शारदा नदी व घाघरा नदी के कटान रोके जाने हेतु तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में,

39–जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरावं अन्तर्गत कोरावं देवघाट डम्डगंज मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि में हुई कटौती को पूरा कर समुचित बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

41–प्रदेश में फैल रहे महामारी के रूप में स्वाइन–फ्लू जैसे भयंकर बीमारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

42–स्वाइन–फ्लू बीमारी से प्रभावित मरीजों हेतु उचित प्रभावी चिकित्सीय व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

43–पूर्वांचल में इंसेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) जैसे भयंकर बीमारी के प्रभावी रोकथाम के उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,

44–इंसेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

45–पूर्वांचल के जनपदों में गण्डक नदी से होने वाले बाढ़ प्रकोप के रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री मोहम्मद आजम खां–

नेता प्रतिपक्ष आप अपने साथियों से कहें कि थोड़ा फैलकर बैठ जाएं, तो कुछ कुर्सियां भरी हुई नजर आएंगी। ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के लोगों ने आपका बहिष्कार किया हुआ है, वह पूरा ब्लाक खाली कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ हमारी पार्टी के बैठ जाएं वहॉ जाकर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अभी जैसे आपके बगल खाली लग रहा था और आपके बुलावे पर माननीय मुख्य मंत्री जी आये हैं। हमारे यहॉ अभी सारे साथी बिना बुलावे पर ही आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अभी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमारे सम्मानित साथी डा0 संग्राम सिंह यादव जी, धन्यवाद प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर एक बार भी धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया। धन्यवाद प्रस्ताव के नाम पर केवल उन्होंने अपनी बात कही। माननीय मुख्य मंत्री जी की बात कही, सरकार की बात कही, लेकिन राज्यपाल जी का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जो इस बात को इंगित करता है कि हमारे साथी धन्यवाद प्रस्ताव मजबूरी में रख रहे थे। अगर वाकई में महामहिम राज्यपाल जी को उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना ही था, तो

उनकी तमाम उन नीतियों को जिन्हें उन्होंनें अपने अभिभाषण में इंगित किया था, उसके लिए राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था। इसलिए कहीं–न–कहीं राज्यपाल जी के भाषण से सत्तापक्ष भी असहमत है और मान्यवर।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

और मान्यवर, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी के मन में तो लड्डू फूटने लगा कि जो उन्हें कहना चाहिए, वह मैंने कह दिया। अब वह संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी अपनी मर्यादा है, मजबूरी है, नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान्यवर, हमारे साथी डा0 संग्राम सिंह जी ने बात अपने तमाम महापुरुषों की कही। सरकार के कार्यों का बखान भी किया। लेकिन सही मायने में न तो धन्यवाद प्रस्तुत करने वाले हमारे साथी अपनी बात धन्यवाद के रूप में कहे और न समर्थन करने वाले श्री तेज नारायण पाण्डेय जी। आज यह महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण विरोधाभासी अभिभाषण है। उनकी कथनी और करनी में जगह–जगह अन्तर है मतभेद है। ऐसा लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी किसी की बात उधार लेकर कह रहे थे। अगर अपने मन से बात रखते तो विरोधाभास उनके इस अभिभाषण में कहीं जाहिर नहीं होता। विकास के पथ पर ले जाने का संकल्प तो महामहिम राज्यपाल जी ने खूब जताया, लेकिन मान्यवर, जिस तरीके से विकास के पहिये रूक गए हैं, जिस तरीके से सारे विकास कार्य ठप्प हैं। ढिंढोरा पीटने के लिये केवल आगरा, लखनऊ, सिक्स लेन के अलावा इनके पास गिनाने के लिये कुछ नहीं है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य होना चाहिये था उसमें कहीं न कहीं ठहराव आया है। इसलिये संकल्प व्यावहारिक रूप तब तक नहीं ले सकता जब तक अपनी जिम्मेदारियों की जवाबदेही की चिन्ता न हो। नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर नीयत साफ न हो तो अच्छी नीत भी बेकार होती है। इसलिये इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश इस देश में जन्मे सन्तों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्शों पर चलता है। तमाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें खुशहाल बनाने के लिये, देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिये और विकास जर्रे–जर्रे तक पहुँचाने के लिये अपनी कुर्बानियां दीं। इसलिये आज जब हम संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं उन तमाम रणबाकुरों की कुर्बानियों पर हम आजाद भारत के बाशिन्दे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों की जिम्मेदारी जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कराने की होती है तो ऐसे हालात में हमारे संकल्प व्यावहारिक होने चाहिएं। केवल पुस्तकों में नहीं जमीनी हकीकत के रूप में दिखाई पड़ना चाहिये। इसलिये मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल कागजी पुलिन्दा ही नहीं, झूठे वायदों का (इस समय 01 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए) पिटारा भी है, लोगों की आंखों में धूल झोकने वाला है।

किसी और की बातें मजबूरी में उन्होंने कही हैं। इसलिये मान्यवर धन्यवाद देने का तो औचित्य नहीं उठता। मान्यवर, प्रदेश के तमाम जनहित से जुड़े विकास के कार्य, तमाम कल्याणकारी योजनाएं, तमाम प्रदेश की समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहीं कुछ नहीं कहा है। मान्यवर, भाई संग्राम सिंह यादव जी अभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का बखान कर रहे थे। मान्यवर एक कहावत है कि पुरानी बोतल में नई शराब। आप मुझे सुन लें मैंने उल्टा कह दिया परन्तु इसमें भी कोई राज है। मान्यवर, यह योजना पुरानी है और इसकी शुरुआत हमारी सरकार ने की थी। मान्यवर, गरीबों को बेसहारा लोगों को लाचार और बेबस लोग जिन्दगी जी रहे हैं और जिन्हें बीपीएल कार्ड भी नहीं मिला होता है और जो उस सूची में नहीं होते हैं उनको लाभ देने के लिये हमारी सरकार ने योजना चलायी। हमारी सरकार ने एक महामाया पेंशन योजना प्रारम्भ की। मान्यवर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आयी तो उस योजना को खत्म कर दिया गया। और उसको एक नया लेबिल देते हुए रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का नाम दिया गया। वह योजना दो साल चली और जब वह पेंशन योजना व्यवहारिक रूप में अमल में भी कारगर नहीं आ पायी उसका लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाया तो उसका नाम उसका लेबिल फिर बदल दिया गया और उसको बदलकर अब सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम दिया गया है। और उस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के नाम पर समाजवादी पेंशन योजना शुरू कर दी गयी। मान्यवर, इस तरह से तिकड़म भिड़ाकर उस योजना को एक नया लेबिल दे दिया गया। अगर आप नाम बदलकर वाहवाही लूटना चाहते हैं तो यह प्रदेश की गरीब जनता के साथ एक धोखा है छलावा है। इसलिए मान्यवर और भी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अगर महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहने का काम किया होता नयी योजनाओं को चलाने की बात की होती तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन मान्यवर इसमें नाम बदलकर के लोगों को छलने का काम किया है उसे छलने का प्रयास किया है। अभी धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हमारे साथी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने गरीब लोगों को चिकित्सालयों में निःशुल्क दवायें उपलब्ध कराने का काम किया है। मान्यवर जब वह गरीब व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो उसे लम्बी लाईन लगानी पड़ती है और जब वह दिखाता है तो उसको एक लम्बी चौड़ी पर्ची पकड़ा दी जाती है कि अस्पताल में दवा खत्म हो गयीं हैं बाहर से ले लें।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा झूठ–झूठ ख ग ग ग , की आवाजें)

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर महामहिम राज्यपाल को गरीबों को इतना लगाव था तो यह अभिभाषण पढ़ने से पहले उनको पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में दवायें उपलब्ध करानी चाहिये थीं। सारी सहुलियतों को वहां पर कराना चाहिये था, वहां पर सारी सुविधायें सुनिश्चित करानी चाहिये थीं। मान्यवर, लेकिन जिला

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

अस्पताल को छोड़ दीजिये, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 को जाने दीजिये बिस्तरों के अभाव में हजारों मरीजों को पी0जी0आई0 से वापस लौटना पड़ता है। यहां का चिकित्सा विश्वविद्यालय जो प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल विश्वविद्यालय है अस्पताल है मान्यवर, वहां पर भी कभी–कभी एक ही बिस्तर पर 2–2 मरीज दिखाये जाते हैं और उस पर भी अभाव होता है तो जमीन पर लिटाया जाता है तमाम गरीब मरीज ऐसे अभाव के चलते अपने घर वापिस चले जाते हैं या अस्पताल में ही बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। डाक्टर आश्वासन देते हैं कि बेड खाली होगा अभी तुरन्त मिलेगा आखिर ऐसा क्यों, यह अच्छी बात है कि गरीबों की निःशुल्क चिकित्सीय व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन वह लेकिन केवल किताब में लिख करके नहीं, केवल आदेश जारी करके नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से उसको अमली जामा देकर के उन गरीबों की चिकित्सीय व्यवस्था शत–प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए। मान्यवर, नई–नई बीमारियां बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं नये–नये रोग पैदा हो रहे हैं बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं लेकिन वही मेडिकल कालेज, वही जिला अस्पताल, वही सी0एच0सी0, वही पी0एच0सी0 वही पी0जी0आई0, यानि उनमें सुविधाओं की बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, वह नये रोग कौन से हैं जिसकी चर्चा माननीय नेता विरोधीदल कर रहे हैं, वह बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इमरजेंसी में अगर 50 बेड आज से 10 साल पहले थे तो आज भी उतने ही हैं। पी0जी0आई0 में 100 बेड, पी0जी0आई0 की स्थापना के दिन से लेकर आज तक यानि 20–22 वर्ष गुजर गये स्थापित हुए तो 100 बेड और आज भी इमरजेंसी में 100 बेड। मान्यवर, इसमें हमारे तमाम माननीय विधायक भी कभी–कभी इलाज के लिए जाते हैं बिस्तर उपलब्ध न होने के वास्ते उन्हें वापिस आना पड़ता है। कभी कभी वहां के डाक्टर और अन्य स्टाफ के लोग जाने पर अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कहिये कि इमरजेंसी में बिस्तर बढ़ाया जाय।

'श्री नारद राय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात और जानना चाहता हूं कि ट्रामा सेन्टर आपने बनवाया वह पी0जी0आई0 में न बनवाकर जंगल में बनवाया है आपने उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह जनहित की बाते हैं यह हमारे सत्तापक्ष के साथियों की समझ में नहीं आयेगी। यद्यपि कभी–कभी हमारे सत्तापक्ष के साथियों को भी अस्पतालों से बैरंग वापिस आना पड़ता है तमाम ऐसी गम्भीर बीमारियां होती हैं जिसकी जांच के लिए पहले इमरजेंसी में जाना पड़ता है बिस्तर के अभाव में, जब माननीय सदस्यों को नहीं मिलता

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

तो आम गरीबों को क्या सुविधा मिलती होगी इसका अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। यही हाल, यही हाल प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों का है सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 तमाम ऐसे हैं जो डाक्टर विहीन हैं ऐसी हालात में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का केवल मजाक उड़ता है यह केवल लोगों को धोखा और छलावा देने के सिवाय कुछ नहीं है मान्यवर, मैं राज्यपाल जी को तो धन्यवाद नहीं देता। मान्यवर, मैं राज्यपाल जी को तो धन्यवाद नहीं देता, लेकिन जिन साथियों ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिन्होंने समर्थन किया, उनको धन्यवाद इसलिए देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं दिया। मान्यवर, अभी हमारे साथी ने कहा, हालांकि उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण नहीं पढ़ा, उन्होंने अपनी बात कही कि हमारी सरकार ने विधायक निधि में मरीजों को अनुदान सहायता देने की बात कहीं है।

श्री नारद राय–

मान्यवर, हमने सहायता अनुदान देने की केवल बात ही नहीं कहीं, बल्कि प्राविधान करके इसे लागू कराया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ठीक है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए इन्होंने विधायक निधि में एक पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं की है। जो विधान मण्डल विकास निधि होती है, उसी में से कटौती करके हमें पैसा उन मरीजों को देना है। अच्छा होता कि इसी अनुपात में विधायक निधि की बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी की जाती, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के गरीब मरीजों को चिकित्सकीय व्यवस्था विधायक निधि से कराई जा सकती थी। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय जी और डॉ0 संग्राम सिंह जी, हमारे दोनों साथियों ने सामाजिक समरसता की बात की। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर समता होनी चाहिए। ''हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाई, आपस में सब भाई–भाई'' की बात बढ़नी चाहिये। भाईचारा और सौहार्द कायम किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भाईचारा और सौहार्द परस्पर कायम होगा, तभी हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। आज बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादात में दंगे दर दंगे लगातार होते चले आ रहे हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कदम उठाने की बात क्यों नहीं कही गई हैं। यह जगजाहिर है कि देश की आजादी के लिए सभी वर्ग और धर्म के लोगों ने अपनी कुबार्नियां दी हैं। देश की आजादी के लिए अगर सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद ने अपनी जानें गवाई, गोलियां खाई, शहादत दी तो, असफाक उल्ला खॉ ने भी फांसी के तख्ते को चूमा। सुभाष चन्द्र बोस जी ने अगर देश की आजादी के लिए लम्बी लड़ाई लड़ी और उनके तमाम आंदोलनों के चलते, उनकी तमाम कुर्बानियों के चलते हमारा यह देश आजाद हुआ, तो स्वाभाविक रूप से वहीं, पर दूसरी ओर सभी जाति–वर्ग–धर्म के लोगों ने भी बढ़–चढ़ करके अपना खून बहाया। यह सही है कि अगर उन्हें मालूम होता कि आजाद भारत में

हमारी पीढ़ियों का कत्लेआम होगा, आजाद भारत को हिंसा–नफरत की निगाह से देखा जायेगा, हिन्दु–मुस्लिम की बात कह करके यहां की माटी में नफरत का बीज बोया जायेगा, नफरत की आग में हमारी औलादों को झुलसना और जलना पड़ेगा, तो शायद देश की आजादी के लिए वह फांसी के तख्ते को नहीं चूमे होते। सरदार भगत सिंह को अगर मालूम होता कि आने वाले आजाद भारत की हमारी पीढ़ियों को आग के हवाले किया जायेगा, लूटा जायेगा, बहन–बेटियों की इज्जत–आबरू के साथ खिलवाड़ किया जायेगा, तो शायद वह फांसी के तख्ते को नहीं चूमे होते। इसलिये मान्यवर, अगर सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, सुभाष चन्द्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल सरीखे हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी कुर्बानियां दी, फॉसी के तख्ते को चूमा, गोलियां खाई, लम्बे अरसे तक जेल की हवालात में रहे तो मान्यवर, उनको इस देश से प्रेम था, उनका सपना था कि हमारा आजाद भारत खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, हिन्दू–मुस्लिम भाईचारा होगा और इस भाईचारे की डोर में हम सब एक होंगे लेकिन मान्यवर, यह कौन ऐसे दरिन्दे हैं, कौन ऐसे भूखे भेड़िये हैं जो इंसानियत का कत्लेआम हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बिना पर करते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो इस समाज की सहिष्णुता भाईचारे को हिन्दू मुसलमान की दीवार खींचकर बांटने का काम करते हैं ऐसे भूखे भेड़ियों को आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे दरिन्दे लोग, जो खून की सियासत पर रहे हैं, जिन पर लोगों की नजर है मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की तरक्की सही मायने में तभी होगी जब हम सौहार्द का वातावरण स्थापित करेंगे। हिन्दू मुस्लिम सौहार्द हो, भाईचारा हो, दंगे नफरत की बात खत्म हो, राज्यपाल जी के अभिभाषण की इस पुस्तिका में इसके लिये संकल्प व्यक्त करना चाहिये था, इसमें उसका अभाव है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से देश की दिशा तय होती है और उत्तर प्रदेश से ही अनेकों प्रधानमंत्री पूरे देश का मार्गदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश मिनी भारत है इसलिये हम कहना चाहेंगे कि जाति और पार्टी से ऊपर उठकर भाईचारे की बात करनी चाहिये, इसे बढ़ाने की पहल करनी चाहिये। सत्ता के लिये इंसानियत का खून बहाने से बाज आना चाहिये। हमारे काबिल साथियों ने सामाजिक समरसता की बात तो की लेकिन जिस तरह से सामाजिक समरसता तार–तार हो रही है, तलवारे चल रही हैं, मान्यवर, उसकी रोकथाम के लिये कोई प्रयास नहीं हो रहा है। भाईचारा पैदा करने के लिये कोई कार्य योजना नहीं है। बार–बार उदाहरण देते हैं बहुजन समाज पार्टी का। हमने तो समाज के लोगों में सामाजिक भाईचारा बना करके जाति पात, छुआछूत, ऊंच–नीच, भेदभाव को निरन्तर कम करने का प्रयास किया और आज भी उसी काम को कर रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्र से हमारा अस्तित्व जुड़ा है, प्रदेश से हमारा अस्तित्व जुड़ा है और प्रदेश रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो हम भी रहेंगे इसलिये प्रदेश और राष्ट्र के हित में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये खून बहाने से बाज आना चाहिये। ऐसी तमाम राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगता

है, कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपस में मिलकर दंगा कराती हैं यह आरोप नहीं लगना चाहिये। यह आरोप नहीं लगना चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह ऐसे आरोप लगाने वालों की जबान पर ताला लगाये और यह तभी होगा जब दंगा कराने और दंगा की साजिश करने वाले लोग जेल की सलाखों में दिखाई पडें। हीरो बनने का मौका उन्हें मिलता है। अगर किसी दंगाई को हीरो बनने का मौका मिलता है तो यह मान लिया जाता है कि सरकार की कहीं न कहीं उसके प्रति सहानुभूति है। अगर उसको खुली छूट दी जाती है कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए, आग लगाने के लिए, झोपड़ियों को जलाने के लिए, इंसानियत का कत्लेआम करने के लिए तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सरकार उनको छूट दे रही है। कानून की हनक होनी चाहिए, यदि कोई भी इस प्रकार का मजाक करता है घिनौना खेल करता है तो ऐसे लोगों को बेमुरउव्वत प्रदेश हित में इंसानियत के लिए पकड़ा जाना चाहिए। उन तमाम महापुरुषों ने जो अपनी शहादत दे करके यह हमें सुअवसर दिया, आजाद भारत दिया उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मान्यवर, केवल कह देने से बात बनने वाली नहीं है जो भी वहॉ रहता है उसकी प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही हो जाती है, वह हवा में मेरी बात का खण्डन करके बच नहीं सकता इसलिए नीतियां और कार्यक्रम सार्थक तभी होती हैं जब उनको कार्यान्वित किया जाए, जन–जन उनसे लाभान्वित हों, लोग एहसास करें कि यह कल्याणकारी योजनाएं हमारे पास आईं उसका लाभ हमें मिला, जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे पास आईं उनका लाभ हमें मिला। अभी हमारे साथी महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद् प्रस्ताव पर बोलते–बोलते कह गये कि बसपा शासनकाल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मान्यवर, भ्रष्टाचार किसी भी सरकार का हो, मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की निन्दा करता हूं लेकिन अगर किसी महापुरुष के नाम पर बनाये गये स्थापित स्मारक, पार्क, उद्योग को भ्रष्टाचार नाम दे करके उसको बदनाम किया जाता है तो यह कहीं न कहीं सड़ी गली मानसिकता को जाहिर करता है। एक हमारे पूर्व मंत्री तीन साल से जेल में थे, बिना आरोप तय हुए वह तीन साल से जेल में थे, अभी मा0 न्यायालय ने उन चार लोगों को बरी कर दिया कि इन पर कोई आरोप बनता ही नहीं और बिना आरोप बने वह तीन–तीन साल जेल काट लिये। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए।

(सत्तापक्ष के लोगों द्वारा मा0 मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनका जवाब तो दे दो।)

(इस समय 02 बजकर 07 मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

वह खुद मा0 मंत्री हैं और स्वयं अपना जवाब जानते हैं। जवाब तो सरकार देगी, हम क्या देंगे, हम तो रास्ता बता रहे हैं। इसलिए मा0 अध्यक्ष महोदय, आज जिस डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की आप बात करते हैं, मा0 कांशीराम प्रेरणा केन्द्र की बात करते हैं, मा0 कांशीराम इको गार्डेन की बात करते हैं, बुद्ध विहार की बात करते हैं, रमाबाई अम्बेडकर मैदान की बात करते हैं, यह बसपा की निजी सम्पत्ति नहीं है, यह सरकार की निजी सम्पत्ति है। सरकारें आती और जाती हैं लेकिन हमारी सरकार ने

महापुरुषों के नाम पर जो ऐतिहासिक निर्माण किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाहर से जो भी आता है अनचाहे वह इसकी प्रशंसा करने से बाज नहीं आता। हवाई–अड्डे से बढ़ने के बाद जब वह इन रास्तों से गुजरता है तो चकाचौंध हो जाता है कि मैं लखनऊ में आया हूं या विदेश के किसी शहर में पहुंच गया हूं। मान्यवर, जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम ले करके हमारे साथी बड़ा छाती पीट रहे थे। अरे, जनेश्वर मिश्र जी हमारे भी कभी नेता रहे हैं, आपने उनका सम्मान नहीं किया, आपने तो उनका अपमान किया है। डा0 अम्बेडकर के नाम पर छोड़ा हुआ वह 'ग्रीन गार्डन', आपने उसका नाम बदलकर केवल साइन बोर्ड लगा दिया जनेश्वर मिश्र पार्क का। अगर मान लीजिए फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी और अगर जनेश्वर मिश्र का बोर्ड हटा दिया तो आपको कैसा लगेगा ?

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये, आपस में बात मत करिये।

श्री नारद राय–

अम्बेडकर जी के नाम पर कभी कोई प्रस्ताव सदन में आया हो, कैबिनेट में आया हो या एल0डी0ए0 बोर्ड में आया हो तो बता दें। कभी कोई प्रस्ताव नहीं आया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो इसी सदन में कहा था कि सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए अम्बेडकर जी के नाम पर बोर्ड लगाया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो सदन में कहा था कि डा0 भीमराव अम्बेडकर उद्यान के नाम का कोई पेपर हो या प्रस्ताव हो तो दिखायें। अभी भी कोई पेपर हो तो दिखायें। माननीय नेता प्रतिपक्ष को खेद व्यक्त करना चाहिए इस बात पर जो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयेगी तो जनेश्वर मिश्र जी का नाम बदलकर अम्बेडकर जी के नाम पर कर देंगें। जब तक खेद व्यक्त नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं चलेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमने कहा कि अगर उसे बदला जायेगा तो आपको कैसा लगेगा ?

(श्री जाहिद बेग द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री नारद राय–

मान्यवर, यह इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। नेता विरोधी दल ने जो नाम बदलने की बात कही है, इसको कार्यवाही से निकलवाईये। आपने जो दिखाई देते हैं तो अच्छा संदेश जाता है, आपने यह नहीं सराहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति एअर पोर्ट से निकलेगा तो उसे मैट्रो भी दिखायी देगा, आपको मायावती जी दिखायी दे रही हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप फिर बोल लेना।

श्री नारद राय–

नहीं मैं नहीं बोलूंगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महापुरुषों में मायावती जी भी हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हमारे साथी श्री पाण्डेय जी और डा0 संग्राम यादव जी दोनों साथियों ने बात अच्छी की जब श्रीराज्यपाल जी को धन्यवाद दिया ही नहीं, न प्रस्ताव करने वाले ने, न समर्थन करने वाले ने।

डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है। नेता विरोधी दल जी इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, आप नेता विरोधी दल की बात सुनिये। अभी तो अपने फार्म पर आये नहीं, अभी तो बहुत साधारण चल रहा है। (सदन में हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी पवन पाण्डेय जी ने कहा कि ब0स0पा0 शासन काल में छात्र संघ पर रोक लगी और छात्रों को लाठियों से पिटवाया। मैं कहना चाहता हूं कि हमने केवल अराजकता रोकी, न छात्र संघ पर हमने कभी पाबंदी लगायी, न हमने छात्रों को पिटवाया। मान्यवर लिंगदोह कमेटी के निर्देशों के क्रम में छात्रसंघ का चुनाव हो इसको कौन रोक सकता है। जब लिंग दोह कमेटी ने अपनी कोई सिफारिश दी है तो उस सिफारिश का अनुसरण करके कोई चुनाव कराए हमारी सरकार में भी छूट थी लेकिन लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के बिना उसके निर्देशों का अनुपालन किए बिना कोई अगर चुनाव कराना चाहता है तो ठीक नहीं है। तो अराजकता को हमने रोका। मान्यवर इसलिए आज जो माननीय महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में वायदे किए चूंकि मान्यवर नाम तो महामहिम राज्यपाल जी का ही आएगा समावेश होता है सरकार की नीतियों का संकल्पों का कार्यों का राज्यपाल जी ने बड़े फख्र के साथ कहा कि हमने जो वायदे किए वह सारे वायदे पूरे किए वायदा पूरा कहां हुआ सारे वायदे बीच में दगा दे गए। वायदे थे बेरोजगारी भत्ते का लैपटाप टेबलेट का कर्जा माफी का मुफ्त सिंचाई मुफ्त बिजली का एक साल चलाया दो साल चलाया लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक बाद सारी योजनाओं को नमस्कार कर लिया वह नौजवान जो पगलाकर आपकी सरकार बनाया था इस उम्मीद के साथ कि इस सरकार से हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा लैपटाप मिलेगा टैबलेट मिलेगा मुफ्त बिजली मिलेगी और वह किसान जो बड़ी उम्मीद पालकर आपको वोट दिया था कि कर्जा माफी होगी गन्ने का दाम बढ़ेगा बकाया भुगतान होगा वह सारे के सारे किसानों और नौजवानों के सपने चकनाचूर हो गए ।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि आपके कहने पर बन्द किया)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर आपने हमारे कहने से बन्द किया तो लोक सभा चुनाव के बाद क्यों। अध्यक्ष महोदय जी इसलिए आज नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। मुफ्त बिजली मुफ्त सिंचाई का वायदा झूठा साबित हो रहा है। बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई ठिकाना नहीं है कल मैं यहॉ से बजट की किताब लेकर गया था सोचा था कि इसको घर ले जाकर पढूँगा लेकिन 10.00 बजे बिजली गई और एक बजे बिजली आई पढ़ ही नहीं पाया केवल यहां सुबह नौ बजे आकर पढ़ा। मान्यवर इस सरकार ने साजिश की कि मौर्य जी महामहिम राज्यपाल जी का भाषण पढ़ हीं न पाएं जब पढ़ नही पाएंगे तो बोलेंगे क्या। कल राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और कल रात को 3 घंटे बिजली काट दी गई सुबह आकर मैंने उसे सरपट देखा चूंकि आपका निर्देश था कि आपको सुबह आकर बोलना है तो आपकी बात मैं काट नहीं सकता।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर नेता प्रतिपक्ष के भाषण में कोई अवरोध का प्रश्न नहीं है लेकिन इनकी स्वीकारोक्ति के लिए सदन को इनको बधाई देना चाहिए कि इस पर चर्चा करते समय इन्होंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा नहीं है और कल सुना भी नहीं इसी कारण यह सब बोल रहे हैं अगर इन्होंने अभिभाषण पढ़ लिया होता तो कदाचित उनका भाषण ऐसा नहीं होता। मैं इनको स्वीकारोक्ति के लिए बधाई देता हूं। सत्य बचन के लिए ।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आफिस में आकर पढ़ा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

शायद चौधरी जी यह बात नहीं सुन पाए कि मैंने आफिस में आकर सरपट पढ़ा। माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि नहीं होगा लेकिन चूँकि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा कराने के साथ हम उन समस्याओं की ओर भी इंगित कराना चाहेंगे जिनका महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं हैं। आज गन्ने की तौल बिचौलियों के माध्यम से हो रही है। जो किसान गन्ना बोता ही नहीं है, जिस किसान के पास खेत में एक भी गन्ना नहीं है, उसके यहां से सैकड़ों क्विंटल गन्ने की खरीद होती है। जिसके खेत में गन्ना नहीं है, उसके माध्यम से सैकड़ों क्विंटल गन्ने की खरीद हो रही है और जिस किसान के पास गन्ना है वह 15–15 दिन लाइन लगाता है उसके बाद उसे पर्ची नहीं मिलती है। हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो लाभकारी मूल्य देने की बात कही, किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात कही, लेकिन किसान तो आज बेचारा साबित हो रहा है। तीन सालों से लगातार गन्ने की कीमतों में एक भी पैसे की बढ़ोत्तरी न करना, गन्ना किसानों की खरीद किसानों के माध्यम से न

करके बिचौलियों के माध्यम से करना, किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने का जिक्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में न होना, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह किसानों के साथ छलावा है, धोखा है। इस नये पेराई सत्र का 2600 करोड़ रूपया गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। आखिर कौन सा चीनी मिल मालिकों से रिश्ता है ? कौन सी मोहब्बत और प्यार चीनी मिल मालिकों से है जिन पर सरकार मेहरबान हो जाती है लेकिन गन्ना किसान जब आंसू बहाता है तो उसको लाठी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हाल पूरे प्रदेश में धान के केन्द्रों पर है। मान्यवर धान के केन्द्र बिचौलियों के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। किसान वहॉ भी ठगा जा रहा है किसान से धान की खरीद नहीं हो रही है। आखिर क्या इसी उम्मीद के साथ उसने सरकार बनाई थी ? आपको विश्वास मत दिया था कि सरकार किसान हितैषी है। सरकार किसान के साथ इतनी बड़ी ठगी करेगी ? मान्यवर इस बजट भाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह राज्यपाल का अभिभाषण है, बजट भाषण नहीं है। आपने बजट भाषण कहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य– जी राज्यपाल का अभिभाषण है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पुस्तिका से केवल धोखा दिखाई पड़ता है, छलावा दिखाई पड़ता है। ठगी दिखाई पड़ता है, झूठ का पुलिन्दा दिखाई पड़ता है। मान्यवर, अगर वाकई में इन किसानों के मन की पीड़ा राज्यपाल जी समझ करके उसके निदान की बात इसमें करते तो मैं भी धन्यवाद देने के लिये खड़ा होता। लेकिन मान्यवर, इसका कहीं निदान नहीं, कोई जिक्र नहीं। यही नहीं मान्यवर, अवस्थापना उद्योग हम तो चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर यहां उद्योग लगें अच्छी सड़कें हों लेकिन मान्यवर, केवल एक अच्छी सड़क बन जाने से प्रदेश को तरक्की और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी प्राथमिकता आगरा लखनऊ सड़क की है हमारी शुभकामनायें हैं जल्दी बने लेकिन मान्यवर, बनेगा, बनेगा, यह पॉच साल रटने से नहीं बनेगा। तीन साल से सुन रहा हूं और अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि काम शुरू हो गया है यह फेसबुक या शायद टिबटर पर आया है..

(मा0 मुख्य मंत्री जी के बैठे–बैठे झुनझुना कहने पर हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अगर पांच साल में यह नहीं हुआ तो हो सकता है यह झुनझुना साबित हो। मैं अपेक्षा करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में झूठे वादे नहीं बल्कि उसका व्यवहारिक कार्यान्वयन भी दीखना चाहिए उसकी छाप दिखाई पड़नी चाहिए जिसका अभाव रहा। अभी उद्योग की बात कही गई है कि हम उद्योग का वातावरण दे रहे हैं तमाम उद्यमी उद्योग लगाने आ रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी उद्योगपति अगर उद्योग लगाने के लिए आएगा तो वह तब उद्योग

लगाएगा जब उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी होगी। कानून–व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त दिखाई पड़े, अनुकूल वातावरण दिखाई पड़े, अच्छी मार्केट दिखाई पड़े लेकिन मान्यवर, आज हालात तो बद से बद्दतर होते जा रहे हैं इसलिए कोई भी उद्योगपति या उद्यमी अपनी जान को हथेली पर रखकर यहां आने को तैयार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सही मायने में उद्योग स्थापित हों तो अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसा न हो उत्तर प्रदेश को आज जिसे लोग जंगलराज और गुण्डाराज का पर्याय मानते हैं लोग आने से डरें आपको इसको कानून राज में तब्दील करना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आपकी योजना उद्योग लगाने की है। उद्योग लगाना तो दूर अभी ललितपुर जिला जहां पर जिला उद्योग के द्वारा 14 इकाइयां लगवाई गई थीं इसमें 12 चालू हो गई थीं और दो चालू होने की हालत में थीं आपके आदेश से 14 की 14 इकाइयां बन्द हो गईं। आपकी मंशा है बड़े उद्योग लगें। जो लघु उद्योग पर लोनिंग करते हैं उन पर ग्रहण लग गया हो सकता है संज्ञान में हो या न हो। मान्यवर जब स्थानीय स्तर पर इस तरह से छोटे उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाएगा उनके द्वारा संचालित उद्योगों पर तालाबन्दी किया जाएगा। लघु उद्योग पर आधारित छोटे उद्यमियों को तबाह किया जाएगा तो हम उद्योग स्थापना की केवल कल्पना कर सकते हैं व्यवहारिक रूप में नहीं। मान्यवर, यह सारी की सारी 17 लघु उद्योग की सूची भी मेरे पास है जिनको बन्द किया गया। ऐसे लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित न करने के संकल्प का अभाव महामहिम राज्यपाल की अभिभाषण पुस्तिका में है। ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का कोई जिक्र नहीं है, व्यावहारिक रूप से उनको अलग से हतोत्साहित किया जा रहा है तो केवल ढिंढोरा पीटने से बड़े उद्योग नहीं लगेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि विरोधाभास तथा कथनी और करनी में अन्तर साफ झलकता है, मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी की इस अभिभाषण पुस्तिका के पेज–5 पर यह भी जिक्र है कि सहारनपुर मेडिकल कालेज और बॉदा मेडिकल कालेज शुरू हो जायेंगे। मान्यवर, यह दोनों मेडिकल कालेज शत–प्रतिशत बनकर तैयार हो गए थे, बसपा शासनकाल में। इनका लोकार्पण करना था, तब तक चुनाव अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लग गयी और अन्त में हमारे सामने बैठे साथियों की सरकार बन गयी, अन्धे के हाथ बटेर लग गया। मान्यवर, केवल उनको शुरू करने में 03 साल लग गए। जो बिल्डिगें, जो भवन 2012 में हमारी सरकार में बन करके तैयार हो गए थे, उनकी शुरूआत करने में 03 साल लग गए और हमारे ख्याल में सहारनपुर और बांदा से कछुआ चला होता तो वह भी एक साल में लखनऊ पहुंच गया होता। लेकिन 03 साल महामहिम राज्यपाल को अपने अभिभाषण में इस संकल्प को व्यक्त करने में लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा, केवल खाली छाती पीटने से मजा नहीं आता, कुछ करिए, अच्छा करेंगे तो हम भी ताली बजायेंगे, भले ही विरोध में हैं लेकिन बिना कुछ किए वाह–वाही लूटने की कोशिश करेंगे तो हम भले चुप हो जायें, लेकिन जनता चुप नहीं रहेगी, वह जरूर कोसेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

यह आप चुप हैं, ऐसे चुप होते हैं ? आप जोर से बैठते हैं तो दिल बैठ जाता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के इस अभिभाषण के पेज–8 पर अल्पसंख्यक कल्याण की चिन्ता की गयी है और अशिक्षा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए मात्राकृत करने की बात कही गयी है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आखिर किसी की ऑख में धूल कब तक झोंकोगे ? जगजाहिर है, 18 परसेण्ट आरक्षण देने की बात कही गयी थी। आज महामहिम राज्यपाल जी की इस पुस्तिका में 20 प्रतिशत मात्राकृत करने की बात कही जा रही है और मात्राकृत करने का ढिंढोरा केवल पीटा जा रहा है, केवल वायदों से बात नहीं चलने वाली, जो लोग सही मायने में बड़े पैमाने पर अशिक्षित हैं, जहां गरीबी है, बदहाली है, बेरोजगारी के जो लोग शिकार हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष सुविधा देने का जो आपने वायदा किया था, तीन साल में भी नहीं पूरा कर पाए। ये गरीबों के हितैषी तो जरूर बनते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उनकी सुरक्षा की गारण्टी की कोई बात नहीं कही गई थी। दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने और वंचित लोगों के अपने लाभ देने की बात नहीं की गई थी। उनके पुर्नवास की इसमें कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में तो यह होना चाहिए था कि जो भी अल्पसंख्यकों पर इस तरह का अत्याचार करेगा उनके साथ सौतेला व्यवहार करेगा उनको घरविहीन करेगा, उनको जलाएगा, मारेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। इस बात का अभाव है। केवल घड़ियाली आंसू बहा देने से अल्पसंख्यक की तरक्की नहीं हो जाएगी। अल्पसंख्यक की अशिक्षा दूर नहीं होगी, अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी बल्कि अशिक्षा दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, कोई न कोई ठोस पहल करने का कोई न कोई सकारात्मक रास्ता निकालना होगा, कोई न कोई कार्य योजना देनी होगी। उस कार्य योजना के माध्यम से उनकी शिक्षा के नए आयाम देने होंगे। उनको रोजगार के साथ खड़ा करने के लिए नौकरियां तलाशनी होंगी। उनको छोटे–छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगारपरक बनाने की बात करनी होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपका एक घण्टा हो गया अभी कितना समय और लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महामहिम राज्यपाल जी की अभिभाषण पुस्तिका में मदरसों को अनुदानित करने का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की नीति होती है। सरकार बनते ही सरकार ने घोषणा किया था कि 146 मदरसों को अनुदान सूची में लिए जाने का, मान्यवर मुख्य मंत्री जी के भी संज्ञान में होगा, यह बात समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 11–08–2014 को सारे टीचर्स

और उलेमाएं वहां बड़ी तादाद में आए। उनमें से पांच प्रतिनिधि के रूप में आए मा0 मुख्य मंत्री जी ने उनकी बात सुनी, उनको आश्वासन दिया, यहां तक किया प्रमुख सचिव को निर्देश भी दिया कि जल्दी इन विद्यालयों को अनुदान सूची जारी करो। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता हुई प्रमुख सचिव जिसको निर्देश दिया उससे भी उनकी वार्ता हुई यह बात 11 अगस्त की है, 2015 लग गया, इसमें भी दो महीने बीतने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वह 146 मदरसों के जितने भी आली, मौलवी, उलमा हैं दर–दर ठोकरें खा रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

आपसे किसने शिकायत की ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, अब हमारे साथियों ने कहा किसने शिकायत कर दी ये गैर अनुदानित टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया उत्तर प्रदेश के महामंत्री मो0 शफी अहमद शहरे आलम और अध्यक्ष रहमत अली ने कर दी। इसलिए मान्यवर आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं आपकी बात कर रहा हूं।

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

हो सकता है कि 10 प्रतिशत बचे होंगे उनमें से कुछ अलग हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए अगर अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं तो उनके मदरसों को भी अनुदान की सूची में लिया जाना चाहिए। और 146 मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने का आपका वायदा है। आपकी घोषणा है और आपका निर्देश भी है। तो कौन ऐसे अधिकारी हैं जो मुख्य मंत्री से बड़े हो गये कि मुख्य मंत्री के निर्देश के बाद भी अभी तक व्यवहारिक रूप नहीं ले पाये। और यही नहीं मान्यवर, अधिकारियों ने बाद में उसमें छात्रवृत्ति का मुद्दा जोड़कर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। हो सकता है कि मा0 मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी न हो। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, यह राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल झूठे वायदे के सिवा कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, एक घण्टे से ज्यादा समय हो गया और कितना समय लेंगे। और नेताओं को भी बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कानून व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने की बात कही गयी। उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था क्या है। मान्यवर, आज हालात बद से बदतर हो गये हैं। और मान्यवर, गुण्डे, माफिया, अपराधी अराजकता करते तो बात समझ में आती लेकिन सरकारी तंत्र भी कहीं न कहीं अराजकता का शिकार बन गया। यहीं पर जिस लखनऊ में महामहिम राज्यपाल जी रहते हैं, पूरी सरकार रहती है। सरकार की नाक के नीचे जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार बढ़ा। 50 लोगों की जानें चली गयीं उनके बच्चे

अनाथ हो गये। जो बच्चे अनाथ हुये उनकी पढ़ाई–लिखायी, उनकी व्यवस्था के बारे में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गयी। उनकी शिक्षा की बात नहीं कही गयी। खुले आसमान के नीचे क्या उनको भिखारी बनने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अभिभाषण में कहीं उसका जिक्र नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 50 लोगों की मौत तो लिखत–पढ़त आधिकारिक है। और कौन मरे होंगे। उसका अंदाजा लगा सकते हैं। पच्चीसों मौतें उन्नाव में हुयीं। और मान्यवर, अगर यह अच्छे अधिकारियों को निर्देश दे दें कि इस पर सख्ती से कार्यवाही हो तो हम समझते हैं कि लोगों की जानें बच सकती हैं। लोगों का घर उजड़ने से बच सकता है। वह बच्चे जो अनाथ होते हैं वह अनाथ होने से बच जायेंगे। कल भी कहीं पर हजारों लीटर शराब पकड़ी गयी। प्रतापगढ़ में भी एक हफ्ते में लाखों लीटर शराब पकड़ी गयी। और जो पुलिस कप्तान लाखों लीटर शराब पकड़ा उसका एक ही हफ्ते के अंदर बोरिया–बिस्तर बंध गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

लाखों का आंकड़ा थोड़ा कम करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप खुद पता करा लो। मैं जो कह रहा हूं। सही कह रहा हूं। केवल एक दिन में। एक हफ्ते के अंदर दसियों जगह छापा मारा गया। दसियों जगह मौके पर बरामद किया गया और उस एस0पी0 को एक हफ्ते के अन्दर जो इतना अच्छा काम कर रहा था, एक हफते के अन्दर उसका बोरिया बिस्तर बन्धवा दिया। मान्यवर मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि अगर कहीं पर इस प्रकार के अवैध धन्धे चल रहे हैं, गलत ढ़ंग से शराब बनाई जा रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन की जानकारी में रहता है, क्षेत्रीय पुलिस जानती है। अगर क्षेत्रीय पुलिस का उनके ऊपर आशीर्वाद न हो तो किसी की हिम्मत नहीं कि एक लीटर भी अवैध शराब बना लें। आखिर सरकार किस बात के लिए है ? केवल सरकार इस बात के लिए है कि हम मंत्री हैं, हम मुख्य मंत्री है इसलिए हमारी सरकार है। केवल इसलिए नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए पग–पग पर उनकी बेहतरी का रास्ता तैयार करना, यदि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उस गड्ढ़े से, गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आना। अगर कहीं अवैध धन्धा चल रहा है, तो उस पर रोक लगाना। मान्यवर, जिस तरीके से सरकार की नाक के नीचे लखनऊ में इतना बड़ा अवैध धन्धा चलता रहा, अगर वे मौते नहीं होती तो शायद इसका खुलासा भी नहीं होता। सरकार चाहे आपकी हो, हमारी हो, या किसी और की हो लेकिन अगर जान का सौदा इसी तरीके से होता रहा तो हम समझते हैं कि आगे आने वाली पीढ़िया कहीं न कहीं अन्धेरे में जाने के लिए मजबूर होंगी। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बड़ी मजबूती के साथ सुदृढ़ किये जाने की बात तो कही गयी लेकिन व्यवहारिक क्या है ? व्यावहारिक रूप में तो हमारे महामहिम राज्यपाल जी के यहां भी बम पहुंच जाता है, हाई कोर्ट के जज के यहां जहां 24 घण्टे पुलिस रहती है, उनके यहां भी चोरी हो जाती है, जिला न्यायाधीश की अदालत में अपराधी मार दिये जाते हैं खुल्लम–खुल्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब न्यायपालिका में कहीं कोई सुरक्षित

नहीं है, जब न्यायपालिका का जज नहीं सुरक्षित है और जब महामहिम राज्यपाल जी का आंगन नहीं सुरक्षित है तो स्वाभाविक रूप से कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है इसका अन्दाजा अपने आप लगाया जा सकता है। मान्यवर इसी 16 फरवरी को इटावा में एक दरोगा से 03 लाख रुपये लूट लिया। एक दरोगा से भी 03 लाख रूपये लूट लिये जाते हैं तो अब यह मुख्य मंत्री जी का जिला है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा कहेंगे। मान्यवर, अभी सहारनपुर के तनिष्क शो–रूम के 10 करोड़ रुपये का खुलासा हुआ नहीं कि एक हफ्ते के अन्दर एक दर्जन से ज्यादा सर्राफे डकैतों के शिकार हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय जी आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में यह अराजकता का माहौल चल रहा है। हम समझते हैं कि यह प्रदेश की जनता के मनसूबों पर पानी फेरने के अलावा और कुछ नहीं और मान्यवर आज तनिष्क शोरूम के बाद फतेहपुर में एक सर्राफे का 20 लाख लूट लिया, 16 फरवरी एक ही दिन बहराईच में तीन घरों को लूट कर के 25 लाख की डकैती डाल दी, एक ही दिन में अगल–बगल और मान्यवर इस प्रकार से सर्राफ सतीश मिश्रा की हत्या कर दी गई और लूट लिया सुल्तानपुर में। हमारे कुशीनगर में तो कानून के रखवाले ही भेड़िया बन गये। एक टेन्ट व्यवसायी था दुर्गा मधेसिया, एक वहां कार्यक्रम चल रहा था मा0 मंत्री जी वहां सरीक थे, ट्यूबलाईट का रेग्युलेटर होता है, छोटा–छोटा होता है, जिसको चोक कहते हैं, दो चोक गायब हो गये, उसमें किसी वर्कर ने कहा कि टेन्ट व्यवसायी है हो सकता है उसी ने निकलवाया हो, केवल इसी आशंका पर पुलिसवाले उसे पकड़ लाये और उसे इतना पीटा कि वह पुलिस चौकी पर मर गया।

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आई कि उसका हार्ट अटैक हुआ था।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, ये तो वहां के व्यवसायी ही इन्हें जवाब देंगे कि हार्ट अटैक हुआ या पुलिस वालों ने मारा था। पुलिसवाले अपनी जान बचाने के लिए उसको पी0एच0सी0 ले गये और पी0एच0सी0 वाले जिला अस्पताल उसको रिफर कर दिये मेडिकल, पुलिस चौकी पर बेहोश हुआ था, अस्पताल जाते–जाते मर गया। मान्यवर, यद्यपि कि चौकी इन्चार्ज और दो–तीन पुलिस वालों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ, लेकिन आखिर इस प्रकार की अराजकता क्यों ? मा0 अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से अराजक तत्व सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, जिनके नाते सरकार बदनाम हो रही है, जिनके नाते लोगों का कानून–व्यवस्था पर से विश्वास उठता जा रहा है, आज जिन पुलिसवालों की जिम्मेदारी लोगों की हिफाजत की, उनकी रक्षा करने की थी, आज वह खुद भूखे भेड़िये बन जा रहे हैं, दरिन्दे बन जा रहे हैं। आज खाकी से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, उनका इकबाल खत्म हो रहा है क्यों? इसीलिए कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से जो प्रभावी कठोर कार्रवाई उनके प्रति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। आप उनकी सहूलियत बढ़ाइये, उनको सुविधा दीजिए, लेकिन कानून को अपने हाथों में लेने की छूट अगर किसी भी पुलिसकर्मी को मिलेगी तो सरकार के लिए नासूर जरूर बनेगा, सरकार की फजीहत जरूर होगी, इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, एक घण्टे से ज्यादा हो गया है, बहुत लम्बा हो गया है, कुछ कम करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हां कुछ कम कर रहे हैं, मा0 अध्यक्ष महोदय जी अगर रात में तीन घण्टा बिजली आ गई होती तो मैं दो–तीन दिन बोलता।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा हुआ, नहीं आई बिजली आपके यहां।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, हापुड़ के एक दरोगा संजय त्यागी, आई0जी0, डी0आई0जी0 ने उनके खिलाफ निलम्बित कर एफ0आई0आर0 कर कठोर कार्रवाई करने की संस्तुति की, लेकिन वह मस्त घूम रहा है। उसका कहां, किससे, क्या रिश्ता है, सरकार का क्यों संरक्षण है कि आई0जी0 और डी0आई0जी0 की रिपोर्ट के बावजूद भी उसके बालबांके नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आपकी कानून–व्यवस्था पर पूरी बात हो गई और नेताओं को भी बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं कह रहा था कि पहले लोग ट्रेनों पर सुरक्षित चले जाते थे। आज एक ही दिन के अन्दर इस प्रकार की घटना अभी इसी 14 तारीख को, एक ही दिन में दो–दो घटनायें हुईं। बाघ एक्सप्रेस, हरदोई के पास और बुढ़वल–सीतापुर रेल खण्ड के बीच में खम्भा गांव में, बाराबंकी में लोगों को मार करके फेंक दिया गया। इस तरीके से जैसे अराजकता बढ़ रही है, अराजक तत्व जिस तरीके से कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, उन अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिये महामहिम राज्यपाल जी की इस अभिभाषण पुस्तिका में कोई जिक्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई ठोस रणनीति नहीं। मान्यवर, केवल किताब में लिख देने से कहानी पूरी नहीं होती बल्कि उसे व्यावहारिक अमली–जामा देकर के, इस पर अंकुश लगा करके, लोगों को इंसाफ दिला करके इस कानून राज को पुख्ता किया जा सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी की बात महामहिम श्री राज्यपाल जी की इस अभिभाषण पुस्तिका में है महिला सुरक्षा की और उनके लिये एक नम्बर 1090 भी है। आपने वह नम्बर दे दिया और कहा कि हमने अब तक ढाई लाख महिलाओं की सहायता की है। आखिर क्या कभी सरकार ने इस बात को सोचा है कि इतने कम समय में ढाई लाख महिलाओं को शिकायत करने की नौबत क्यों आई ?

(सदन में हॅसी)

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, यह बात हॅसी–मजाक की नहीं है। इन शरारतों पर अंकुश लगाइये। ऐसे लोग जिनकी मानसिकता बहन–बेटियों के साथ गन्दी हरकतों में बदल गई है, उन पर अंकुश लगाने के लिये प्रभावी कार्यवाही कीजिये।

(सत्ता पक्ष से बदायूं घटना की आवाज)

मान्यवर, उस पर भी आ रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बदायूं पर बोलिये। अभी बदायूं में एक थाने पर दो पुलिसकर्मियों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया है और अभी हमारे साथियों को शायद नहीं मालूम कि उसमें दोनों पुलिसकर्मी जेल में गये, एफ0आई0आर0 हुई। एक थाने के दो पुलिसकर्मी उस लड़की को जबरदस्ती उठा लाये, थाने में बलात्कार किया, मामला संज्ञान में आया और एस0पी0 ने दोनों के खिलाफ एफ0आई0आर0 कराई। उसी बदायूं में, उसी बदायूँ के एक थाने में एक पुलिस वाला एक महिला को जबरन उठा लाया, दुराचार किया, छत से नीचे फेंक दिया और वह मौत की शिकार हुई।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी, आप बोलते रहें, जल्दी खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी बात का सत्ता पक्ष भी स्वागत कर रहा है क्योंकि जो मैंने छोड़ दिया, वह उसको भी मुझसे बोलने के लिये कह रहा है तो उनको भी संतुष्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, आपके लोग हैं, सारा समय इसी में जायेगा। आपके कुछ मा0 सदस्य हैं, कुछ घटनायें उनको बता दीजियेगा, वे बोल लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, एक सदस्य ने समर्थन दिया है तो उनका समाधान होना चाहिये। उन्होंने अपनी बात में कहा और उस बात का जिक्र किया कि बदायूं में दो लड़कियों को मारकर, उनकी हत्या कर टॉग दिया गया था, उसकी सी0बी0आई0 जांच हुई और यह कह दिया गया कि ये सुसाइड है। अभी वह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और मा0 न्यायालय ने सी0बी0आई0 को तलब कर लिया है, सी0बी0आई0 को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी आप देखना कि सी0बी0आई0 के साथ–साथ सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी, अब जल्दी–जल्दी चलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संस्कृति रही है ''यत्र नारीयस्त पूजेन्ते रमेन्ते तत्र देवता''

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बीच में रोक–टोक करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग उन्हें बोलने दीजिए, जितना छेड़गे उतनी ही देर होगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना भाषण चालू रखें। आप की आवाज इतनी तेज है कि इनकी आवाज दब जाएगी, आप बोलते रहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह फरवरी का महीना है। आज 19 तारीख है। पहली तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में....

श्री अम्बिका चौधरी–

ये पंक्तियां तो देश की सभी नारियों के लिए है मान्यवर, एक नारी के लिए और कुवारी नारी के लिए ही नहीं थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, चौधरी साहब हमारे बहुत वरिष्ठ साथी है, इनको सद्बुद्धि आये। मान्यवर, नारी पूरे देश के लिए और पूरे विश्व जगत के लिए नारी कहीं की भी हो, वह सम्मान की पात्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज कानून पर सवाल उठता है जब कोई पुलिसकर्मी खुद दरिंदगी पर उतारू होता है। कानून पर सवाल उठता है, जब केन्द्रीय विद्यालय का कोई शिक्षक अपनी छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करता है। कानून पर सवाल उठता है, जब कोई अधिकारी अपने मातहत कर्मी को यौन शोषण का शिकार करता है। मान्यवर, इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं कानून की पकड़ ढ़ीली हुई, जिससे कि

इन मनचले लोगों को दुस्साहस बढ़ा, जिससे कि इस प्रकार के अन्य कृत्यों का हौसला बढ़ा। इनके इस हौसले को कुचलने के लिए कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रदेश की जनता को इस गुण्डाराज से मुक्ति दिलाने के लिए, अमन–चैन की बहाली के लिए, हिन्दू–मुस्लिम भाईचारा स्थापित करने के लिए, मान्यवर, इस महामहिम राज्यपाल की भाषण पुस्तिका में, कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई संदेश नहीं और कोई ठोस रणनीति नहीं। इसलिए मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसी लखनऊ में इंजीनियरिंग की छात्रा गौरी के साथ क्या हुआ ? मान्यवर, यह घटना छोटी नहीं है। मान्यवर, यह सरकार को हिला देने वाली घटना है। पूरे प्रदेश की जनता के रोए–रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आखिर कब तक कानून सोता रहेगा। कब तक सरकार सोती रहेगी ? कब तक शासन–प्रशासन सोता रहेगा, सरकारी तंत्र कब उठेगा ? इसके साथ–ही–साथ आज पूरे प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, यह जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक महामहिम राज्यपाल जी की इस अभिभाषण पुस्तिका का कोई औचित्य नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपका निर्देश है मान्यवर, इसलिए मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा राज्यपाल जी के अभिभाषण के बारे में कि इसमें जो प्रदेश की जनता की उपेक्षा की गई है, केवल वायदे किये गए, अमलीजामा नहीं दिया गया है। सरकार की योजनाओं को इसमें शामिल करके वाह–वाही लूटने का काम किया गया, इससे साबित होता है कि यह कोरा बकवास है, झूठ का पुलन्दा है और इसमें केवल महामहिम राज्यपाल जी ने अपनी शब्दों की जादूगरी से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की है। मान्यवर, इसीलिए मैं, आपके धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जो भी सुझाव आए हैं, वह इस महामहिम राज्यपाल जी की अभिभाषण पुस्तिका में संशोधन प्रस्ताव के रूप में इसे जोड़ने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर मैं बल देता हूं। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं पिछले तीन दशकों से इस सदन में राज्यपाल का अभिभाषण देखता आया हूँ। इतना उबाऊ, इतना थकाऊ और इतना निरर्थक, 152 पेज की यह पोथी इसमें 10 परसेन्ट से काम चल सकता था 90 परसेन्ट की कोई उपयोगित नहीं है। पहली बार 152 पेज का इतना बड़ा भाषण हमनें देखा है। कल ही संशोधन प्रस्तुत करने का आखिरी दिन था इसे पूरा पढ़कर संशोधन देने की स्थिति बनी है, क्योंकि इतना समय भी होना चाहिए और पांच बजे तक संशोधन देना था। जो व्यवस्था है मान्यवर, हम उसके ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसमें संशोधन हेतु एक दिन का समय और दिया जाना चाहिये

था। हालांकि नियमों में व्यवस्था यही है, लेकिन मान्यवर, आपको शिथिल करने की पावर है आप शिथिल कर सकते हैं। बहुत से लोग हमारे संशोधन देने से रह गए। मान्यवर, यह अभिभाषण सरकार का नीति वक्तव्य होता है। सरकार क्या करना चाहती है, सरकार ने क्या किया उसका समावेश इसमें होता है। मैं विशेष रूप से मा0 नेता विरोधी दल जी ने जो बातें कहीं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था से यह पूरा प्रदेश पीड़ित है। इधर बैठे हुए लोग हों चाहे उधर बैठे हुए लोग हों, सभी पीड़ित हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 खन्ना जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वह बिल्कुल अर्थहीन है। यही आप कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैंने यह नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में वार्तालाप न करें। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कोई भी मुख्य मंत्री यह मन से नहीं चाहते हैं कि उनकी सरकार की बदनामी हो, लेकिन यह इच्छा प्रतिफलित नहीं होती। जो शैली है जो क्रियाकलाप हैं वह प्रतिफलित होते हैं। इच्छा मुख्य मंत्री जी की भी अच्छी होगी कि उनकी ख्याति बढ़े। नौजवान व्यक्ति हैं, करने का जज्बा है और बड़ी उम्मीद से प्रदेश में आपको स्थापित किया गया। लोगों में बड़ी उम्मीदें थीं। कहीं कोई नौजवान आ जाता है तो उसके प्रति लोगों की उम्मीदें होती हैं कि कुछ अच्छा करेगा। मान्यवर, लेकिन जो शैली है कानून व्यवस्था को ठीक करने की वह बहुत डिफेक्टिव है, बहुत परेशान करने वाली है। बाराबंकी के एस0पी0 हटे और चार घंटे के बाद रोक दिये गए। प्रतापगढ़ के एस0पी0 हटे फिर उनको रोक दिया गया। कौन सी मजबूरी थी कि आर्डर होता है और चार घंटे के बाद उसको फिर वहीं कर दिया गया। डी0आई0जी0 सहारनपुर से हटाए गए और उनको फिर किसी न किसी रूप में मुजफ्फरनगर वाले मण्डल में प्रस्तुत कर दिया गया। मान्यवर, मुरादाबाद से एक एस0पी0 हटे और उनको बरेली में ला करके रख दिया गया। डकैती एक करोड़ दस लाख की, डकैती दो करोड़ की, डकैती दस करोड़ की, एक ए0टी0एम0 एक करोड़ पैंतीस लाख और मान्यवर मथुरा जेल में गैंगवार हुआ। जेल के अन्दर असलहा कैसे गया, इसका जवाब आखिरकार कौन देगा। जवाब क्या यह व्यवस्था नहीं देगी, क्या यह सरकार नहीं देगी ? आज तक मैनें समाचार पत्रों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक कहीं पर यह नहीं सुना कि मुख्य मंत्री जी ने कोई मैसेज देने वाला एक्समप्लरी पनिशमेंट दिया हो। कोई देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। सहारनपुर की एक घटना में एक पुलिस अधीक्षक को सस्पेंट कर दिया गया। यह पुलिस अधीक्षक वहीं हैं जो गोण्डा में थे और गोण्डा में इनकी शिकायतों के आधार पर इनको हटाया गया था। मान्यवर, उनकी निष्क्रियता, उनके नकारापन की वजह से वह हटाये गये और फिर

उनकी सहारनपुर जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग कर दी जाती है। उनके सहारनपुर के कार्यकाल में पहले एक करोड़ की डकैती पड़ी फिर 10 करोड़ की डकैती पड़ी। मान्यवर, अब कौन सा सज्जन ऐसा आयेगा जिससे यह लगे कि यहां की कानून–व्यवस्था सुधर रही है। मान्यवर, एक भी मैसेज माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया जिससे प्रदेश की जनता में यह संदेश गया हो कि अपराधियों के हौसले पस्त करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, बरेली की दो लड़कियों ने डीएम को पत्र लिखा कि हमें शोहदों से बचा लो डीएम अंकल। यह पत्र तीन चार लाइन का है। यह श्यामसुन्दर कन्या इन्टर कालेज फरीदपुर की छात्रायें हैं। मान्यवर वहां के डीएम गौरव दयाल जी ने उस पत्र का संज्ञान लिया और उन्होंने उसे कार्यवाही के लिये सीओ और एसडीएम को मार्क किया है। यह आपके 1090 की हकीकत है। आपने कहा कि इस नम्बर के माध्यम से ढाई लाख लोगों को न्याय मिला है। मान्यवर, उन लड़कियों ने लिखा कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है बस देखती रहती है। लड़कियां कहती हैं कि जब बाथरुम जाती हैं तो फब्तियां कसी जाती हैं। यह पत्र 13 फरवरी को अखबार में भी छपा है। आप कहेंगे तो हम उसे आपके पास भेज देंगे। मान्यवर हर जिले में स्थिति यही है पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। मान्यवर, हर लड़की के अभिभावक की सांस अटकी रहती हैं कि हमारे बच्चे जो स्कूल गये हैं जिस तरह से वे वहां गये हैं उसी तरह से वापस आ जायें। अपराधियों के हौसले बढ़े होने के कारण नीचे से ऊपर तक कोई भी संदेश देने का काम नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मुनव्वर राणा जी जिनकी आपकी पार्टी ने काफी सहायता की है उनकी दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। ''सिर से सीने में कहीं, पेट से पांव में कहीं एक जगह हो तो कहें कि दर्द इधर होता है। जब पूरा शरीर दर्द करता है।'' मान्यवर, कितनी घटनायें बतायें। रेड अलर्ट हो गया पूरे शहर में रेड अलर्ट हो जाता है। मान्यवर घटनायें घटित हो जाती हैं फिर जब उसमें समय बीत जाता है तो लोग भूल जाते हैं फिर उनका अखबारों में भी कोई जिक्र नही होता है। लीपापोती हो जाती है। मुलजिम पकड़े नहीं जाते हैं। आपको मुख्य मंत्री जी प्रदेश की जनता को कोई मैसेज देने का काम करना चाहिये। मान्यवर, आपने जो वादे किये हैं उसको पूरा करने का भी काम करें। आपने अपने घोषणा–पत्र में कहा था कि खाद्यान्न पर वैट की दरों को कम करेंगे। आज लगभग तीन वर्ष का समय हो गया है गेहूं धान के मूल्यों में वैट कम नहीं हुआ है। व्यापारी लोग अखबारों में पूरी आशा के साथ देखते हैं कि शायद सरकार ने अपना वादा पूरा करने का काम किया हो। मान्यवर, आपने ग्रामों के समग्र विकास की बात कही थी। आपने गांवों में लोहिया ग्रामों के विकास की बात कही और उसमें मा0 विधायकों की संस्तुति को प्राथमिकता देने की बात कही। आप सदन की कार्यवाही उठाकर देख लें आपने कहा है। मान्यवर, हम मानते हैं कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है जिसे आप एक बार देख लेते हैं उसे भूलते नहीं हैं। लेकिन मान्यवर आपके सामने कौन सी मजबूरियां हैं जो आपने अपने वादों को भूलने का काम कर रहे हैं और वह आपके वादे साकार नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा की बात कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं बहुत अच्छे हैं और इस सदन के

बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और पुराने सदस्य हैं। उन्होंने शिक्षा मित्रों का समायोजन करने का काम किया है नये शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया है। यह आपने अच्छा काम किया है। मान्यवर एक रिपोर्ट है यह एनुअल स्टेट्स आफ एजूकेशन(असर) 2014 का आंकड़ा है कि यहां के सरकारी स्कूलों में कक्षा तीन के 13.4 प्रतिशत बच्चे ऐसे मिले जो कम से कम कक्षा एक के स्तर का पाठ पड़ सकते हैं। इसी तरह से सरकारी स्कूलों में पांचवी कक्षा के महज 26.8 फीसदी बच्चे ही कक्षा दो के स्तर का पाठ पढ़ने के लायक मिले हैं। मान्यवर एक प्रिंसिपल साहब हमें रोज मिलते हैं वह अपनी मोटर साइकिल पर 10 किलो आलू ढोते हैं मैंने एक दिन पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि विद्यालय जाने से पहले खाना बनवाना पड़ता है। आप इस काम से मुक्ति दिलवायें हम जीवन भर आपके अहसानमंद रहेंगे । मान्यवर, प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, अन्य मदों में खर्च हो रहे हैं। मान्यवर हमारे यहां छठा वेतन आयोग लागू है कुछ राज्यों में अभी चौथा वेतन आयोग ही लागू मान्यवर, शिक्षा की गुणवत्ता सुधर क्यों नहीं रही है आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा जिस दिन हम कहेंगे कि हमारे प्राइमरी सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं वह किसी कम्पटीशन के लायक बनेंगे। यह ''असर'' की रिपोर्ट यह हमारे लिये आइना है अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो इसका संज्ञान ले सकते हैं। माननीय मंत्री हमसे बहुत विद्वान हैं, बहुत पुराने संसदीय नियमों के ज्ञाता हैं और बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं। हम उनके पत्र जब से वह मंत्री बने हैं तबसे उनके पत्र की एक एक लाइन पढ़ते हैं पिछली बार 8 सुझाव दिये थे मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार वह नहीं कर पाये होंगे इस बार उसका संज्ञान लेकर कुछ छोटी मोटी चीज का सुधार कर सकें। मान्यवर, कम से कम शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में सुनिश्चित करें और यह बोझ जो मिड–डे–मील के नाम पर उनको ढोना पड़ रहा है कम से कम प्रिन्सिपल और टीचरों से यह न लिया जाय। मान्यवर, यह बहुत शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करने वाला है। तीसरी बात, नई सड़कों की बात इस राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत कहीं गयी कि इतनी कर दी इतनी कर दी यह कर दिया। मैंने 12 सड़कों के लिए केवल मरम्मत, केवल गड्ढ़ों को भरने का काम जोकि 12 सड़कों में 1 लाख 20 हजार से ज्यादा खर्च नहीं होते उसमें जवाब यह आया कि संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नियम 301 में एक ही सवाल यह लगाया था मुझे यह जवाब कल मिला है कि 9 सड़कों की मरम्मत संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है इसमें 90 हजार भी खर्च होने वाला नहीं है कुछ–कुछ सड़कों में 5–5 हजार पर काम चल जायेगा केवल गड्ढ़ा भरने के लिए लिखा था यह आपके सामने है।

(विधायक निधि से करा लें की आवाजें)

मरम्मत विधायक निधि से अनुमन्य नहीं है पढ़ लीजिएगा गाइडलाइन जाकरके। मरम्मत अनुमन्य नहीं है गाइडलाइन्स में यह जानकारी कर लीजिए।

मान्यवर, 2 जनवरी को केन्द्र सरकार ने टोल टैक्स खत्म कर दिया 8 पुलों से। मैं संज्ञान चाहता हूं यहां पर बैठे हुए लोगों से वह नोट कर लें यह जिले हैं इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, बांदा, सहारनपुर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर यह 2 जनवरी का

शासनादेश हमारे सामने है इसमें यह कहा गया है कि इसमें टोलटैक्स समाप्त कर दिया गया है लेकिन इनमें से 6 जिलो के बारे में मेरी जानकारी है कल शाम तक मैंने पता किया था कि जलालपुर बनारस यह साईपुल इसमें टोलटैक्स लिया जा रहा है, चन्द्रशेखर आजाद, इलाहाबाद इस पर टौलटैक्स लिया जा रहा है, गाजीपुर टटका सेतु इस पर टोल टैक्स लिया जा रहा है, यह गंगा नदी के ऊपर पुल, बिजनौर इस पर टैक्स लिया जा रहा है और केन नदी बैरियर बांदा इस पर टैक्स लिया जा रहा है तथा फैजाबाद में भी लिया जा रहा है।

श्री अमर पाल शर्मा–

गाजियाबाद में डासना पर टौल टैक्स लिया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह केन्द्र सरकार के द्वारा, आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा क्या इनके खिलाफ रिपोर्ट होगी, एफ0आई0आर0 होगी यह लोग बन्द होंगे उनकी वापसी तो होगी नहीं जो लोग टोल टैक्स जमा करके चले गये 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये लेने वापस तो आयेंगे नहीं लेकिन चल रहा है। यह 2 जनवरी का शासनादेश है लेकिन इसको रोका नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इसका संज्ञान लेकर कम से कम इसका निराकरण जरूर करें। मान्यवर, फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ मैंने पासवान जी से कहा कि कम से कम आप ऐसी व्यवस्था कर दें हमारे यहॉ बहुत से लोग बी0पी0एल0 कार्ड से वंचित हैं, 2002 में कार्ड नहीं बन पाये थे तो कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दें कि उन लोगों को बीपीएल कार्ड मिल जाय। यह बात मेरी इसी 15 तारीख की है शाम की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अभी वह चाहते नहीं हैं सरकार में, आखिरकार वह कौन सी मजबूरी है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप लोग नहीं आना चाहते हैं क्या मजबूरी है मैं कोट कर रहा हूं मैं नाम कोट कर रहा हूं, मैं बात कोट कर रहा हूं मैं समय कोट कर रहा हूं। मैं आपको कोट कर रहा हूं, मैं बात कोट कर रहा हूं, मैं नाम कोट कर रहा हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर आप फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप कार्यवाही करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के कम से कम 40 प्रतिशत गरीब लोगों का इसमें भला हो जायेगा।

मान्यवर, गन्ना किसानों की बात यहां पर बहुत कही जा चुकी है। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। मान्यवर, मेरा कहना है कि गन्ना किसानों के लिए जब तक शुगर काम्प्लेक्स नहीं बनेंगे और जितने भी बाई प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, तो केवल गन्ने की कीमत से, केवल शुगर की कीमत से गन्ना किसानों का भला नहीं हो सकता और इसी तरीके से उनकी समस्या बढ़ती रहेगी। सरकार को चाहिये कि वह गन्ना मिलों का आधुनिकीकरण करें, शुगर काम्प्लेक्स बनायें और जितने भी बाई प्रोडेक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हो, तभी समस्या का स्थाई हल हो सकता है।

मान्यवर, बिजली की बात भी हम नहीं दोहरायेंगे। माननीय नेता विरोधी दल ने बिजली के बारे में अपनी बात कही। मैं विशेष रूप से तीन बातें बिजली के बारे में कहना

चाहता हूं। पहली तो यह कि लाईन लास कम करने के लिए विशेष प्रयास हो, पूरी क्षमता के साथ प्लाण्ट लोड फैक्टर बढ़ाया जाये, इस पर जितनी भी लापरवाही हो रही है, उसको कम किया जाये। गर्मी का मौसम है, हम रोज बिजली के लिये फिर से रोयेंगे। नवम्बर, 2014 में इन्होंने कहा था कि वर्ष 2016 में हम प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त बना देंगे, इसके लिए बिजली चाहे कहीं से लानी पड़े। मैंने खुद भी पढ़ा था अगर हम ढूढेंगे तो मिल भी जायेगा। आज मैंने इस पुस्तक में पढ़ा है कि वर्ष 2019–2020 में हम बिजली 24 घण्टे देंगे। अब सवाल यह है कि वर्ष 2019–2020 में पता नहीं हम कहां होंगे और सरकार का पता नहीं क्या हाल होगा ? यह जो संकल्प और वायदे की बात करते हैं और फौरन इनके संकल्प और वायदे में परिवर्तन आ जाते हैं और इस परिवर्तन की कोई वजह नहीं है। हम जानते हैं कि हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए लांग टर्म योजनायें होनी चाहिए और यह योजनायें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम एक समय पर इसे पूरा कर सके। इसके साथ ही मैं सोलर एनर्जी की बात करना चाहूंगा। जो भी नया भवन बने, उसमें हर भवन के ऊपर सोलर पैनल जरूर अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि बिजली की कमी की किसी न किसी रूप में पूर्ति लगातार कर सके।

मान्यवर, यहां पर समाजवादी पेंशन योजना की बात कही गई। 40 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दिए जाने की बात कही गई है। आप पूरी तरीके से पारदर्शिता की यह बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिसके लिए लिखकर दे दिया उसे पेंशन मिल गई। इस पेंशन के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है। केवल यह है कि वह गरीब हो। वह गरीब कौन होगा यह सर्टिफाइड कौन करेगा ? यह सर्टिफाई ब्लाक करेगा अथवा नगर पालिका करेगी, इसकी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बी0पी0एल0 की आवश्यकता नहीं है और लोवर इनकम का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप लोग हल्ला मचाकर हमारी बात बंद नहीं करवा पायेंगे, अच्छा होगा कि आप लोग सच्चाई स्वीकार कर लें। अगर सच्चाई स्वीकार कर लेंगे तो प्रदेश की जनता का भला हो सकेगा।

श्री इकबाल महमूद–

एक बात आप सुन लीजिये जिनके घर सीसे के होते हैं, वह दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, केन्द्र सरकार हम चला रहे हैं और जो बात हम कह रहे हैं, वह हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

मान्यवर, शायद इन्हें जानकारी नहीं है कि इस योजना के अन्तर्गत पात्र का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम बराबर यह मांग करते आये हैं कि उत्तर प्रदेश में पी0जी0आई0 सुपरस्पेशिलिएटी अस्पताल है और इसमें प्रारम्भ से ही 1700 बेड का अस्पताल इनीसिएट हुआ था। यहॉ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग बैठे हैं, सत्ता वाले हो सकता है कि एडमिट करा लेते हों कि लेकिन हम नहीं करवा पाते हैं। सप्ताह में एक–दो बार जरूर हमें इसमें परेशानी झेलनी पड़ती है, हमारा मरीज वहां पर एडमिट नहीं हो पाता है और हमें थक हारकर अपना मरीज कहीं विवेकानन्द में करवाना पड़ता है तो कहीं मेडिकल कालेज में एडमिट करवाना पड़ता है। वह हमेशा यही बात कहते हैं कि बेड नहीं है। दूसरी बात बी0पी0एल0 की है। बी0पी0एल0 में आपरेशन के लिए पैसे मिल जाते हैं, लीवर ट्रासप्लाण्ट के लिए पैसे जाते हैं, हार्ट सर्जरी में पैसे जाते हैं, लेकिन जिस दिन मरीज हास्पिटल से बाहर हो जाता है, उस दिन से उसे अपने पैसे से इलाज करवाना पड़ता है। बी0पी0एल0 के पास अगर पैसा नहीं है, तो वह अपना इलाज नहीं करवा पाता। शासनादेश यह होना चाहिए कि अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मरीज को बाहर अगर डाक्टर उसके इलाज को वेरीफाई कर दे तो उस बी0पी0एल0 का इलाज सरकारी खर्चे पर होना चाहिये। इस सुझाव पर हम सरकार का जवाब जरूर चाहते हैं और हम समझते हैं कि सब लोग इस पर सहमत होंगे। मान्यवर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जरा इसके बारे में पता कर लें, यह भ्रष्टाचार का अड्डा था। माननीय कल्याण सिंह जी ने इसको किन परिस्थतियों में बंद किया था, हम जरा–जरा सी छोटी–छोटी नियुक्तियों के लिये दो–दो साल, तीन–तीन साल तक इंतजार करते थे कि अधियाचन भेज रखा है, उसका रिमाइन्डर भेज रखा है। मान्यवर, किन परिस्थितियों में इसको बंद किया गया था, आप उसका भी अध्ययन करवा लीजिये। हम उस वक्त भी सदन में थे और मेरी जानकारी में है कि किन परिस्थितियों में इसको बंद किया गया था। इससे कोई भला होने वाला नहीं है, यह सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आई0ए0एस0 वीक में एक अधिकारी के बारे में कहा कि एक अधिकारी ने घूस ली, पिछले वर्ष इस तरह का एक प्रकरण आया था तो यह कहा गया कि उसको वापस करवाया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री का दरबार वह दरबार है, जहां से अगर व्यक्ति खाली लौटेगा तो फिर उत्तर प्रदेश में वह कौन सा दरवाजा है, जहॉ से उसको न्याय मिलेगा। मान्यवर, उस अधिकारी का नाम बताया जाय और कम से कम उसको सजा जरूर दी जाय, अगर उसको सजा नहीं मिलती तो यह मैसेज नीचे बहुत खराब जाता है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से, आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि कम से कम ऐसे प्रकरणों पर

गंभीरता से विचार जरूर करें। आज मान्यवर, एक विधायक के लिये राजस्व का रिकार्ड बरसों से बन रहा है और कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है और हम सन् 2000 से मांग कर रहे हैं कि इसका जी0आई0एस0 बनना चाहिये। जो आन्ध्र प्रदेश में सिस्टम है और आंध्र प्रदेश की बात हमारे माननीय पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने इसी सदन में खड़े होकर नकार दी थी और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि छोटे–छोटे मामले जमीन के, जिसमें हम नाप नहीं करा पाते, एक विधायक के रूप में हम कलेक्टर से आग्रह करते हैं, लेखपाल की जब मर्जी होगी तो हम आपके यहां जायेंगे और पता चला कि अड़ोसी–पड़ोसी को नोटिस तक नहीं मिला। इसलिये मान्यवर, इतना मुश्किल है जमीन की नाप कराना और सारे झगड़े जमीन के इसी बात पर होते हैं। अगर जियोग्राफिकल इनफारमेशन सिस्टम क्रियेट हो जाये तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि 50 प्रतिशत झगड़े खत्म हो जायेंगे और नाप से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन पता नहीं, यह कम्प्यूटराइजेशन कहां, किस स्तर पर कैसा हो रहा है जिसमें मान्यवर, आज तक जी0आई0एस0 की बात तक नहीं हुयी। मान्यवर, हम विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय हाउस में हैं, इसका संज्ञान लेकर वह इसको कराने का काम करें।

मान्यवर, शहरों में जाम की समस्या बुरी तरह से है। मैं बरसों से इस हाउस में यह कहता रहा कि हम कितने भी संसाधन बढ़ा लें, सारे संसाधन बौने और छोटे मालूम होते हैं, जिस हिसाब से मान्यवर, आबादी बढ़ रही है। इसमें आबादी के ऊपर मान्यवर, चिन्ता तो व्यक्त की गयी, यह भी बताया गया कि 2011 में 4 करोड़ 44 लाख आबादी शहरी क्षेत्रों की है। हमने एक जगह दो लाइनें पढ़ी थीं कि **'साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते'।** आज सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, कि हर शहर में हर वक्त जाम। आबादी बढ़ गयी, वाहन बढ़ गये, वह कौन सा दिन आयेगा, जब शहरों में रिंग रोड बन जायेगी। चाहे वह पी0डब्लू0डी0, नगरपालिका कोआर्डीनेट करके बनाये लेकिन हर शहर में प्रमुख मार्ग पर आज जाम लगता है। चाहे इधर के लोग बैठे हों, चाहे उधर के लोग बैठे हों, आखिर वह जगह कौन सी होगी, जहां पर हम इस बात को कहें और वह दिन कौन सा होगा जिस दिन इसकी शुरुआत होगी। हम जनसंख्या की वृद्धि की दर को रोक नहीं पाये। हम लिंग अनुपात कम करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठा नहीं पाये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं आपकी बात में फोर्स दे रहा हूं। आप अच्छी बात कह रहे हैं। आपने दो बातें ऐसी कह दीं एक तो जो आपने आंध्र प्रदेश के माडल की बात कही, वह सही जानकारी नहीं है आपकी। बाकी आपकी बातें अपनी जगह पर हैं। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी का क्या होगा, जब यह सारी समस्यायें इसी तरह से रहेंगी तो स्मार्ट सिटी का क्या होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

बात काटना बहुत आसान है, हम जहां पर गलत होंगे हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मान्यवर, मैंने अपनी आंखों से देखा है आन्ध्र प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का प्लानिंग

मिनिस्टर था और मैं बाकायदा ट्रेनिंग करने गया था मा0 मुख्य मंत्री की परमीशन से। हम सोच रहे थे कि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दो लोग आये हमारे सामने वहां पर डायरेक्टर के यहां, उन्होंने फौरन अपना इन्फार्मेशन सिस्टम निकाला कम्प्यूटर पर और कहा कि यहां से आपकी दिक्कत है उसने कहा कि हां यहां से दिक्कत है। वहीं से बैठे–बैठे उन्होंने निर्देश दे दिया कि तुम इसको ऐसा नहीं ऐसा करो। मान्यवर, इसीलिए लोग स्थल निरीक्षण पर जाते हैं कि हम मौका देख करके निर्णय करेंगे और जब हमारे कम्प्यूटर स्क्रीन पर सारी चीजें मौजूद हैं तो हम वहीं से कर सकते हैं। हमने यह नहीं कहा कि सौ प्रतिशत समस्याएं हल हो जायेंगी बल्कि हमने कहा कि इससे 50 प्रतिशत समस्याएं हल हो जायेंगी। मैं अपनी बात पर फिर से बल देता हूं मान्यवर, पंचायत में सफाईकर्मी लगाये गये हैं चूंकि उसमें बाल्मीकि समाज के लोग नहीं हैं बहुत से समाजों के लोग हैं उन्होंने अपनी जगह पर तीन–तीन, चार–चार हजार रुपए में सफाई के लिए दूसरे आदमी को रखवा दिया और वह भी सफाई करते नहीं हैं और वह व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है इसलिए हम यह जरूर चाहेंगे कि इसका मा0 मुख्य मंत्री जी संज्ञान लेकर कृपापूर्वक निराकरण करें। अन्त में एक बात और कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके कार्यालय में जो स्टॉफ है हमारे पास दो महीने के पत्र हैं, पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर दूँ कि आपके ऑफिस से हर महीने यह जवाब मेरे पास आता है।

श्री अध्यक्ष–

आप ज्यादा पत्र लिखते हैं क्या।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसमें से 01 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यह चार पत्र ऐसे हैं जिनमें यह तो लिखा है कि आदेश लेकिन कोई आदेश नहीं है। जब मुख्य मंत्री को लिखने के बाद उस पर कोई आदेश नहीं होगा, आवश्यक कार्यवाही का भी आदेश नहीं होगा तो मान्यवर, यह कौन सी व्यवस्था है यह हमारी समझ में नहीं आया। मान्यवर, जहॉ इतना बड़ा स्टॉफ पांचवे तल पर, जिसको चाहें बुला लें। यह पत्र आपके सामने है और 31 दिसम्बर में पांच ऐसे पत्र हैं जिसमें आदेश तो लिखा है लेकिन कोई आदेश नहीं है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

दिल्ली के फैसले के बाद इतना सीख गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अरे! दिल्ली में एक मेयर का चुनाव हारे हैं दो मेयर के बराबर और मान्यवर जब इन्होंने कहा है तो जवाब जरूर देंगे। मान्यवर, ये छमाही इम्तहान में बुरी तरीके से फेल हुए और छमाही इम्तहान में जो बहुत बुरी तरीके से फेल होता है वह सालाना इम्तहान में नम्बर कवर नहीं कर पाता, इस बात को ये याद रखें और हमने कह दिया कि छमाही इम्तहान में इतने कम नम्बर आये हैं किसी में सौ में जीरो, किसी में सौ में पॉच, किसी में

सौ में सात और किसी में सौ में दस, जिसका छमाही इम्तहान में यह परिणाम होता है वह सालाना इम्तहान में पास नहीं होता, ऐसा हमने विद्यार्थी देखा नहीं है। ढाई साल का इम्तहान ये दे चुके हैं और पांच साल का हम इन्तजार कर रहे हैं। अरे! टालिये मत। एक शायर ने कहा है कि–इतना रोशन न करो अपनी तमन्ना के चिराग, बुझते देखा है उन्हें जिनको धड़कते देखा है। अन्त में एक बात मैं और कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आप लोग शोर न करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैं एक बात कहूंगा, मा0 मुख्य मंत्री जी मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से केवल एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश में 12 जिलों में पुलिस वाले पिटे हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आप चाहेंगे तो बता भी दूंगा, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, ज्योतिबाफुले नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर में पुलिस वाले पिटे, कोई जगह बची नहीं है। मान्यवर, जो आपकी मशीनरी है उस मशीनरी की रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ? यह अराजकता और जंगलराज का कभी–कभी सोचते थे यह आरोप है, यह सही नहीं है लेकिन अब हम आज सोचते हैं..

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, डी0एम0 की आंख भी फोड़ दी इन दंगाइयों ने, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ऐसा है, हम उसे सुनेंगे भी, जहां पर विचार करना होगा विचार भी करेंगे और उसे सुधारेंगे भी, हम मना नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अरे, आप उधर कहां उलझ गये, अपनी बात खत्म करिये, वे लोग आपको उलझा रहे हैं। आपको आधे घण्टे से ज्यादा समय हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

हमेशा आप अंतिम बात कहते हैं लेकिन होती नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। नोयडा का एक चीफ इन्जीनियर अधिकारी है, वह पकड़ा गया उसके यहां दो किलो हीरे मिले और 11 करोड़ रुपया बोरे में मिले। उसको तीन चार्ज दिये गये, एक नोयडा का, दूसरे ग्रेटर नोयडा का और तीसरे यमुना एक्सप्रेस–वे का। इतना कुशल, इतना योग्य अधिकारी, हमने पूछा उनसे कि विभागीय जांच में क्या हुआ तो कहा कि विभागीय जॉच चल रही है, 2008 की चल रही है, 2009 की चल रही है, 2010 की चल रही है, 2012 में क्या हुआ कि विभागीय जांच पेंडिग हैं। इस महापुरुष को कम से कम, अभी जिसका मैंने जिक्र किया मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस महापुरुष का कल्याण कब तक होगा ? मान्यवर, न्यायालय में जब पी0आई0एल0 हुई तो उसके ऊपर न्यायिक जॉच आ गयी, ऊपर से एक आदेश आया कि

केन्द्र सरकार द्वारा गठित एस0आई0टी0 ने उसका संज्ञान ले लिया है हम इसलिए दो चीजों को कोड कर रहे हैं कि आज एक पूर्व शिक्षा सचिव हैं उनका इण्टरव्यू आया कि नकल का धंधा 10 हजार करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि 35 लाख लोग, 60 प्रतिशत लोग नकल के चंगुल में हैं, 10 हजार करोड़ रुपये का नकल का धंधा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम उत्तर प्रदेश के सर्वशक्तिमान व्यक्ति के सामने खड़े हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं, इस अभिभाषण में अपनी चर्चा के माध्यम से गुहार कर रहे हैं। आप हमारे संरक्षक हैं, हम आपसे जरूर चाहते हैं, यह वे घटनायें हैं जो हमारे प्रदेश को कलंकित करती हैं। 10 हजार करोड़ रुपया, आज नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर है उनका पूरा इण्टरव्यू है, वह कोई ऐसे–वैसे आदमी नहीं हैं, वह उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हटाया गया। इसका जब संज्ञान नहीं लेंगे तो किस बात का संज्ञान लेंगे। मैं चाहता हूं कि इन दोनों महापुरुषों का संज्ञान लें।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है मैं उसके ऊपर बल देता हूं और आपने मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरी कोई बात अप्रिय लगी हो तो क्षमा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

दो दलीय नेता थे उन्होंने बताया है कि वह आज अपना भाषण नहीं देंगे, 23 तारीख को देंगे, इसलिए कोई सत्तापक्ष से बोलना चाहे तो बोले।

(श्री जाहिद बेग के खड़े होने पर)

आप ही पहले बोलेंगे, आप बैठिये। (श्री मनोज पाण्डेय के खड़े होने पर)

अच्छा पाण्डेय जी आप बैठ जाइये, इन्हीं को बोल लेने दीजिए, आज सुबह से यह बोलने के लिए परेशान हैं। लेकिन आप पांच मिनट से ज्यादा देर नहीं बोलेंगे।

'श्री जाहिद बेग–

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारी तबियत कुछ खराब है, इसलिए धीरे से बोलूंगा। अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में मा0 संग्राम यादव जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। चुनाव के पहले सभी पार्टियों का चुनाव घोषणा पत्र होता है। और उत्तर प्रदेश के अन्दर ही नहीं पूरे देश में चुनाव घोषणा–पत्र में जनता से वायदा करके लोग जनता से वोट

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

लेकर जनता का राजा बनकर विधान सभा और लोक सभा में आते हैं मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी वायदा चुनाव घोषणा–पत्र में समाजवादी पार्टी ने किया था उसको एक–एक पूरा किया चाहे जो भी हो सारी चीजें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताईं मैं उसे डिटेल में नहीं कहना चाहता चाहे लखनऊ से आगरा 6 लेन का मामला हो चाहे भदोही से बावतपुर 4 लेन सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ने का चार सालों में मेट्रो से जोड़ने का काम स्वास्थ्य विभाग में 101–102–108 व पांच सौ एम0बी0बी0एस0 की सीटें बढ़ाना हजारों लोगों को रोजगार देना यह सब व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं 1090 की व्यवस्था जिसमें लाखों महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। यह अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आज सारी योजनाओं को एक–एक करके पूरा किया गया है मैं इस सदन ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जो भी वायदा किया था समाजवादी पार्टी ने लैपटाप की बात आई है माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि वह बन्द हो गया है एक घर में एक लैपटाप होता है सभी के पास लैपटाप नहीं होता है एक गरीब घर के पास लैपटाप पहुंच गया तो पूरा परिवार उस लैपटाप का लाभ लेता है यह बात आप लोगों की समझ में आनी चाहिए माननीय नेता विरोधी दल को समझ में आनी चाहिए। लैपटाप योजना जो भी उसे पूरा किया गया है किसानों की समस्या की बात आई है पानी फ्री किसने किया किसानों का बीमा जो एक लाख था उसे पांच लाख कर दिया गया यह किसने किया यह सब समाजवादी पार्टी की सोच है यह कोई किसान नेता ही सोच सकता है जिसका जन्म किसान के बेटे के रूप में हुआ है यह माननीय मुलायम सिंह यादव जी सोच सकते हैं माननीय अखिलेश यादव जी सोच सकते हैं। आप किसानों का दर्द नहीं समझ सकते हैं। यह बात किसान महसूस कर रहा है लोक सभा चुनाव में क्या हुआ उस चुनाव में लोगों ने जनता से वायदा किया था हम यह कर देंगे हम वह कर देंगे क्योंकि मैं बसपा के बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि बसपा का चारा कम हो गया है वह भाजपा वालों ने खींच लिया है। इसलिए मैं भाजपा के बारे में कहना चाहता हूं बसपा के बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कुछ झूठे लोग हैं जिन्होंने झूठे वायदे करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। आपने वायदा किया था कि प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए 100 दिन के अन्दर इनके खाते में चले जाएंगे। लोग ढूंढ रहे हैं काला धन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था आपने नौकरी के नाम पर लोगों को ठगा है। जनधन योजना के बारे में टीवी पर चल रहा है, रेडियो पर चल रहा है जनधन योजना इसमें एक पैसा खाते में तो आया नहीं लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार के खाते में लेने का आपने काम कर दिया। आपको नहीं मालूम है। सुन लीजिये। मैं आपके एक–एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने झूठा वायदा करके हिन्दुस्तान की जनता के साथ छल किया है, धोखा किया है। आप अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते तो इसी मुद्दे पर, वायदा खिलाफी के मुद्दे पर, तुरन्त आपको इस्तीफा देना पड़ता क्योंकि आप

इस बात को जानते नहीं कि जनता का वायदा क्या होता है। भगवान को धोखा देने वालों को जनता को धोखा देने में कितना वक्त लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर बस दो मिनट में समाप्त करता हूं। मान्यवर काला धन। 10 प्रतिशत काला धन विदेश में है और 90 प्रतिशत काला धन देश में कारपोरेट घराने में है जिसका उपयोग इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में किया (मेजें थपथपाई गईं) और इस तरह से साढ़े दस हजार करोड़ रुपया काला धन इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में खर्च किया। यह इस बात का प्रमाण है कि यह लोग गरीबों का काम करने वाले नहीं हैं, गरीबों के काम आने वाले नहीं ह ै। यह सरकार सिर्फ कारपोरेट घराने की सरकार बनकर रह गई है। उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है गरीबों की सरकार बनकर नहीं रह गई है। मान्यवर, साम्प्रदायिकता की बात करते हैं, आज इनके लोग पूरे देश में साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। यह बात विधान सभा के अंदर आई है। इनकी केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने चुनाव में कहा था कि जो भाजपा को वोट देगा वह रामजादे हैं बाकी हरामजादे हैं। अगर इनके नेता जिम्मेदार हैं तो ऐसे मंत्री को मंत्रि–मंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए था। महात्मा गांधी, जिनकी वजह से मुझको विधान सभा में बैठने का मौका मिला, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे को साक्षी महाराज महिमामंडित करते हैं और देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चुपचाप रहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि नरेन्द्र मोदी जी के इशारे पर यह वक्तव्य दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। आपका समय खत्म हो गया है।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, मानवता के हत्यारे अमेरिका के राष्ट्रपति को 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर बुलाया गया और वह जाते–जाते इनको आइना दिखा गया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। कांग्रेस से कोई बोलेगा ?

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, अर्जुनसेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश के 86 करोड़ लोग 25 रुपया रोज के कम पर अपनी जिन्दगी गुजारते हैं और भाजपा का प्रधानमंत्री, यह प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। अब आपका लिखा नहीं जायेगा।

श्री जाहिद बेग–

इनके परिधान मंत्री 10 लाख रुपये का कोट पहनते हैं। यह भाजपा के लोग बतायें कि यह मेक इन इंडिया या मेक इन यूके हैं। यह लोग देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। बसपा के बारे में क्या कहें, हाथी का चारा बहुत कम हो गया है। इनके कई नेताओं ने गम्भीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी है। कानून–व्यवस्था की बात करते हैं। बहिन जी के जन्मदिन पर विधायकों से पैसा मांगा जाता है। पैसा न देने पर हत्या करा दी जाती है। पूर्वांचल का नाम लिया है। मान्यवर, पूर्वान्चल में भदोही से गोपीगंज मार्ग 17 करोड़ रुपये से चौड़ीकृत होकर तैयार है। भदोही से बाबतपुर फोर लेन 178 करोड़ रुपये से, भदोही में दो रेलवे ओवर ब्रिज बनने जा रहे हैं। भदोही की पहचान वापस बनाई जा रही है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड सबको हमारी सरकार एक साथ रखती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये। अब आपका नहीं लिखा जायेगा। कांग्रेस का कौन बोलेगा ? पहाड़िया बोलो। इधर का कौन बोलेगा डाक्टर बोलोगे ? जिन दलों के लोग नहीं बोले हैं उनको बोल लेने दो। चलिये वो बोलने के लिये खड़े हो गये हैं, उनको बोल लेने दीजिये।

श्री जाहिद बेग–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री जाहिद बेग–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

अब आपका कुछ नहीं लिखा जाएगा। कांग्रेस का कोई बोलेगा ? जिन दलों के लोग नहीं बोले हैं उनको बोल लेने दो। आप बोलें।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर मिला उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद् देता हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण संशोधन पर बल देते हुए आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि देश के सभी महापुरुषों का सपना था कि देश में जितने भी गरीब हैं, देश में जितने भी किसान हैं, देश में जितने भी मजदूर हैं, उनको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको खुशहाली पर ले जाने

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

का काम होना चाहिए। यह मंशा हमारे सभी उन महापुरुषों की थी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। जिन्होंने देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का सपना देखा था। यही सपना आज हमारे लोकतंत्र की मंशा भी है और हमारी जो सरकारें हैं जितने भी लोग बैठे हैं जनप्रतिनिधि बैठे हैं चाहे वह सत्तापक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों सबकी एक ही मंशा होती है आज देश में जो गरीब हैं जो शिक्षा से दूर हैं जो विकास से दूर हैं उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया जा सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर बड़ी–बड़ी बातें करने का काम सरकार करती चली आ रही है। लेकिन किसानों को क्या मिला वह किसान जो मई और जून के महीने में धरती का सीना फाड़कर जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है जो दिसम्बर और जनवरी के महीने में खेतों की सिंचाई करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है वह आज बदहाली का शिकार है उसके बच्चे आज अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते हैं उनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में दाखिला नहीं करवा पाते हैं बुर्जुगों के जुमले हुआ करते थे,

उत्तम खेती मध्यम बान निसिध चाकरी भीख निदान

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए हर एक सदस्य से जानना चाहता हूं हमारी व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति किसी विभाग का चपरासी है तो वह आठ नौ बीघा खेती करने वालों से उसकी जीविका बेहतर है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे पूर्व की सरकार रही हो चाहे आज की सरकार रही हो लेकिन वह किसानों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम कभी नहीं करती है अभी आलू पर चर्चा हो रही थी बीज की चर्चा हो रही थी उन्नतशील बीजों के लिए आज सरकार के पास कोई ऐसी पारदर्शी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत जनपद में आलू का बीज जरूरतमंद किसानों को दिया जा रहा हो और कौन से किसान उसके लिए चिन्हित किए जा रहे हैं इसके लिए कोई पारदर्शी योजना नहीं होती है आज जो खेती करने का काम नहीं करते हैं जिनके पास बड़ी–बड़ी जमीनें होती हैं जो बड़े–बड़े जमींदार हैं वह दूसरे लोगों से जिनके पास जमीनें नहीं होती है उनसे खेती कराने का काम कराते हैं वही लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा करके उन बीजों का अपने लिए इस्तेमाल करने का काम करते हैं। जिसके कारण किसानों की सरकार कही जाने वाली सरकार के द्वारा ही किसानों की खुशहाली का गला घोटा जा रहा है।

(इस समय 03 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए)

इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि कोई योजना सफल तभी होगी जब अधिकारियों की निश्चित रूप से जवाबदेही तय की जायेगी, उनकी जिम्मेदारी तय की जायेगी। जब तक उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय नहीं की जायेगी, पारदर्शिता लाने का काम नहीं होगा, तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार हाई–वे बना करके, मेट्रो चला करके आज जो

गरीबों के सपने हैं, उनका गला घोंटने का काम कर रही है। उनकी जो समस्याएं हैं, वह उनके पास तक सीमित रह गयी हैं लेकिन सरकार का पूरा का पूरा ध्यान केवल मेट्रो की ओर है, केवल बड़े उद्योगों की ओर है, जिससे सरकार की ओर से पूंजीपतियों को बढ़ावा मिल रहा है लेकिन जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी है, जो किसान है, उसकी जरूरत की चीजें पूरा नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हाई–वे के नाम पर बड़ी–बड़ी बातें हुईं, इलाहाबाद–फैजाबाद मार्ग पर एक बकुलाही नदी पर गजेटणा का पुल था, उस पुल को टूटे हुए 02 वर्ष से अधिक हो गया है, आज तक वह पुल नहीं बना, इसकी वजह से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं, वह हाई–वे का पुल जो 02 वर्ष पूर्व टूटा था, आज तक नहीं बना है जिसकी वजह से बड़े–बड़े ओवर लोडेड वाहन हमारी विधान सभा विश्वनाथगंज जिससे मैं चुनकर आया हूं, उधर से निकलते हैं, जिसके कारण वहां की सारी सड़कें ध्वस्त हो गयी हैं। इसके पहले भी मैं कई बार इस बात को सदन के संज्ञान में ला चुका हूं, मैंने नियम–301 में भी इस बात को उठाया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज की, मान्धाता ब्लाक की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढों में तब्दील न हो गयी हो। लेकिन सरकार ने आज तक उनका संज्ञान लेने का काम नहीं किया है। एक भी सड़क गड्ढामुक्त नहीं हो सकी है, मरम्मत नहीं हो सकी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान उद्योग लगाने की ओर है। मैं उद्योगों का विरोधी नहीं हूं, उद्योग लगने चाहिए लेकिन जो जनपद पहले से विकसित रहे हैं, जिनकी तरक्की पहले से रही है, सरकार का पूरा ध्यान उन्हीं जनपदों की ओर है। मान्यवर, जिससे विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है। पिछले सत्र में भी मैं इस बात को सदन के संज्ञान में लाया था कि प्रतापगढ़ की धरती से बड़े–बड़े नेताओं ने इस सदन की शोभा बढ़ाने का काम किया है लेकिन आज तक प्रतापगढ़ की धरती को क्या मिला है ? प्रतापगढ़ में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, प्रतापगढ़ में एक भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं है, प्रतापगढ़ में एक भी उद्योग नहीं है, यह हाल है, प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ में एक बड़ी फैक्ट्री थी, जो 20 वर्ष पहले बन्द हो चुकी है, उसका इन्फ्रास्टक्चर स्ट्रक्चर अभी तक बना हुआ है, ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार वहां पर कम खर्च में निश्चित रूप से उद्योग लगाकर वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम कर सकती है। मैंने वहां के लिए एक विश्वविद्यालय की मांग की थी लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाब आया है कि इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद की धरती शिक्षा की नगरी रही है, वहां पर एक नहीं कई विश्वविद्यालय पहले से बने हुए हैं, वहां पर उद्योग भी हैं, वहां पर कई इंजीनियरिंग कालेज हैं लेकिन मैंने प्रतापगढ़ के उन लोगों के लिए मांग की थी, जहां पर बड़े पैमाने पर तमेरा समाज रहता है, गरीब लोग रहते हैं, वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दर–दर भटकने को मजबूर होते हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में अगर एक–एक जनपद का आंकड़ा निकाल लिया जाए तो मालूम होगा कि प्रतापगढ़ ऐसा जनपद है, जहां से बड़े

पैमाने पर लोग दिल्ली से लेकर मुम्बई तक फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। यहां तक कि पंजाब में अगर किसी एक जनपद से सबसे अधिक मजदूर मिलता है तो उस जनपद का नाम है, प्रतापगढ़। मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से कहा था, सदन की चर्चा में इस बात को लाया था कि ऐसे लोग जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दर–दर भटकने को मजबूर होते हैं, जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा–दीक्षा दिलाने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली के विश्वविद्यालयों में दाखिला कराकर पढ़ाई–लिखाई नहीं करा सकते हैं तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है ? इसीलिए मैंने इसके लिए कहा था और मैं मांग करता हूं कि प्रतापगढ़ की धरती पर इलाहाबाद की जगह एक विश्वविद्यालय बनाये जाने की जरूरत है। लेकिन सरकार अभी इस ओर गंभीर नजर नहीं आती है। मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, कुछ बातें और कहना चाहूंगा। मान्यवर, सरकार का ध्यान बड़े–बड़े कामों पर है लेकिन जो छोटे–छोटे काम हैं, बिजली व्यवस्था को ले करके आए दिन हाहाकार मचा रहता है। जब ठण्डी का महीना होता है और ग्रामीण अंचल में विद्युत सप्लाई का जो रोस्टर होता है, वह रात के समय का होता है। मान्यवर, ठण्डी की रात में यहां आदमी ब्लोअर चला कर सोता है, लेकिन गांव का किसान खेतों की सिंचाई करने को मजबूर होता है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय पूरा हो गया ?

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

एक बात कहकर खत्म करना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी ट्रांसफार्मर पर लगे हुए हैं पूरे कृषि विभाग के लोग, अगर सरकारी स्तर का ट्रांसफार्मर है 60–70–100 कनेक्शन दे करके उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है। उनको बिजली नहीं मिल पाती है। उसकी क्षमता से ज्यादा कनेक्शन दिये जाते हैं जिसकी वजह से हमेशा ट्रांसफार्मर जले रहते हैं। उपभोक्ता परेशान रहते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से इतनी याचना करना चाहता हूं कि गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी जहां–जहां पर अलग–अलग तरह की खेती होती है, कहीं पुष्प की होती है हमारे प्रतापगढ़ की नगरी में आंवले की खेती होती है, लेकिन सरकार ने वहां पर कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालने का काम प्रतापगढ़ की धरती पर नहीं किया। इसलिए ये अलग–अलग क्षेत्र हैं छोटे–छोटे किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जो कदम आगे आने चाहिए वह नहीं हैं। लिहाजा महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में मैं संशोधन पर बल देते हुए, सदन को सम्मान देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सत्यवीर मुन्ना जी।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डॉ0 संग्राम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अवसर पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, मैं अपनी बात को आलोचना और समालोचना के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी हमारे विपक्ष के साथी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मौर्या जी ने अपनी तमाम बातें रखीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्पष्ट नजर आता है कि उनका सिर्फ आलोचना का दृष्टिकोण था यदि वह समालोचना करते तो सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का भी वह उल्लेख करते तो समझ आता। आप कहने को कह सकते हैं मान्यवर, कि कुछ भी काम नहीं हुआ, आज तारीख 19 है आप कह दीजिए साहब 19 नहीं 25 है आपके जो मन में आए कह दीजिए लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि खासतौर से अपने विपक्ष के साथियों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और जिस तरह से माननीय राज्यपाल जी ने पूरा अपना कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार का और जो कुछ भी पिछले साल में वायदे किए गए थे उसको पूर्ण करने का काम किया है उसकी यदि आप समालोचना करते तो समझ आता। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सर्वप्रथम अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश की आर्थिक विकास के संदर्भ में जो सबसे बड़ी संस्था जो समीक्षा करने का काम करती है वह है एसोचेम। जिसे हम एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया कहते हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा अभी दो दिन पहले एक समाचार–पत्र के माध्यम से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि एसोचेम ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश की संभावित विकास दर सन् 16–17 वित्त वर्ष में दहाई के आंकड़े को पार कर जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में जहॉ विकास दर 8.7 थी जो इस वित्तीय वर्ष अर्थात् 14–15 में उसमें और वृद्धि होगी है और लगभग 9 के आर्थिक ऊपर विकास दर हो जायेगी और अगर आप इसी विकास के संदर्भ में देखें तो पूरे भारत की जो विकास दर है लगभग 4.6 उससे कहीं ज्यादा है। छोटी–छोटी बातें और छिद्रान्वेषण करना बहुत ही आसान है लेकिन उत्तर प्रदेश यकीनन समग्र विकास की ओर बढ़ रहा है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि मान्यवर भारत में 29 राज्य हैं और उत्तर प्रदेश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस हिसाब से एसोचेम ने जो अपनी राय व्यक्त की है वह हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के सराहनीय कार्य पर मोहर लगाती है। यह संस्था एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का काम करती है। मान्यवर, 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से आगरा–दिल्ली एक्सप्रेस–वे का निर्माण हो रहा है और इसके माध्यम से लखनऊ सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा। साथ ही 40 लाख लोगों के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गयी है। अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महामाया योजना के रूप में वह पहले ही चलायी जा रही थी। लेकिन मान्यवर, बड़े खेद के साथ मैं बताना चाहूंगा कि उसमें अल्पसंख्यकों एवं दलित वर्ग की बहुत सी जातियों की कहीं पर भी भागीदारी नहीं थी। अल्पसंख्यक समाज एवं अति दलित वर्ग के गरीब लोग तरसते थे कि उनको भी किसी योजना से पोषित किया जाये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा समाजवादी सरकार और अपने

मा0 मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने व्यापक पैमाने पर अल्पसंख्यक और अतिदलितों को उसमें शामिल करके समाजवादी पेंशन योजना को एक समग्र रूप और एक सर्वसम्मत रूप प्रदान करने का काम इस समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से किया है। मान्यवर, गंभीर बीमारी के लिए विधायक निधि द्वारा जो सहायता देने का प्राविधान मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है उस पर भी मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। मान्यवर, बढ़ोत्तरी तो संख्यात्मक हो सकती है। हो सकता है कि उसमें बढ़ोत्तरी नहीं है। लेकिन उसमें जो गुणात्मक परिवर्तन तथा संशोधन किया है और इस हेतु जो संवेदनशीलता का परिचय मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया है वह सराहनीय है। हम सभी विधायकगण तरसते थे जब कोई गरीब आदमी गंभीर बीमारी से पीड़ित हमारे सामने आ जाता था तो अपने जेब खर्चे से हजार–पांच सौ की मदद कर दिया तो कर दिया लेकिन शासन से मदद के लिए हमारी कोई कलम नहीं चल पाती थी और मा0 मंख्य मंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाकर हमें उस स्थिति में पहुंचा दिया कि हम किसी गरीब जरूरतमंद की किसी गंभीर बीमारी में हम सीधी मदद कर सकते हैं। मान्यवर, एक दिन मैं पंचम तल पर गया। वहॉ पर मैं मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जो तमाम गरीबी सहायता योजना के बारे में मद दिये जा रहे थे तो उसमें कुछ की पैरवी मैं करने के लिए गया तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक और अच्छा आंकड़ा जानने को मिला। वहां पर मुझे बताया गया। मैंने अपने लोगों की पैरवी की कि भई, अभी इन–इन लोगों को नहीं मिला है तो उन्होंने बताया कि मान्यवर, इसके पहले की जो सरकारें होती थीं उसमें जो मद बीमारी सहायता के लिए दी जाती थी उसकी तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा बीमारी सहायता के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, मा0 मुख्य मंत्री जी की सरकार, समाजवादी की सरकार 100 गुना ज्यादा खर्च कर रही है। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। क्या यह सकारात्मक कदम नहीं है ? लेकिन आप कहें कि कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है साहब, आप मा0 प्रतिपक्ष के हमारे नेता है। आप कह दें हम सुन लेते हैं। इस सदन के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी नौ महीने पहले एक सरकार केंद्र में बनी, उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कही। अधिष्ठाता महोदय, बुलेट ट्रेन में कौन लोग बैठेंगे। राजधानी ट्रेन , बुलेट ट्रेन इन सबमें उच्च वर्ग बैठता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मा0 मुख्य मंत्री जी का और समाजवादी सरकार का, कि यहॉ पर लखनऊ में मेट्रो ट्रेन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर एक साथ चार शहरों में मेट्रो ट्रेन योजना शुरू हुयी है। मेट्रो ट्रेन में उच्च वर्ग का साथी हो सकता है कभी इसकी मदद ले ले अन्यथा ज्यादातर मेट्रो ट्रेन का मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग का परिवार उपयोग करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही है आप देख रहे होंगे। वहां पर अभी मुझे अखबार के माध्यम से सुनने को मिला कि महान आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर जी मेट्रो ट्रेन में सफर किये तो उन्होंने कहा कि यह मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा हूं और यह बहुत अच्छी योजना है। वह बहुत ही बड़े संत हैं और उन्होंने इसकी तारीफ की। लेकिन वह पहली बार मेट्रो में सफर कर रहे थे। हमको भी आश्चर्य लगा कि क्या वह पहली बार सफर कर रहे थे। इसी से प्रतीत होता कि

बुलेट ट्रेनें केवल उच्च वर्ग के लिए हैं। जबकि मेट्रो ट्रेनें छोटे और मध्यम वर्ग के लिए हैं। उनकी बुलेट ट्रेन का तो अभी अतापता नहीं है। लेकिन अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होनें मेट्रो योजना न सिर्फ शुरू किया है बल्कि अगर आप अमौसी हवाई अड्डे से ले लें। तो पूरा चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बहुत ही द्रुत गति से निमार्ण हो रहा है और आशा व्यक्त की जाती है कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेट्रो से यहां की परिवहन सेवा को एक बहुत बड़ी मदद मिलने का काम होगा। मान्यवर, लोहिया आवास योजना का उल्लेख करना चाहूंगा, पहले यह कहा जाता था कि इन्द्रा आवास के माध्यम से 20,000 या 30,000 मिलता था बहुत ज्यादा इस समय 70,000 मिल रहा है जिससे एक कमरा भी ठीक से नहीं बन सकता। आवास के नाम पर कायदे से एक कमरा भी नहीं बन सकता है लेकिन हमारी समाजवादी सरकार ने आवास के नाम पर इस समय लगभग 03 लाख रूपये, सवा 03 लाख रूपये अब जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं, 05 लाख से ऊपर एक आवास के लिए सहायता राशि दी जायेगी। मान्यवर, स्पष्ट है कि पहले केवल एक कमरा मिलता था, गरीब परिवार को और अब पूरा घर बसाने के लिए समाजवादी सरकार कृत–संकलपित है। इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से मैं अपनी सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, 1090 सेवा से लगभग ढ़ाई लाख महिलाओं की सहायता की जा चुकी है। मान्यवर, कल्पना कीजिये ढ़ाई लाख में कम से कम एक लाख तो ऐसे गम्भीर मामले होंगे जिनमें हमारी मां, बहनों की अस्मिता को बचाने का काम किया गया है। इसके लिए मैं समाजवादी सरकार, अपनी सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। 102 और 108 एम्बुलेन्स सराहनीय कदम है। आप बताइये, माननीय मौर्या जी आप विपक्ष के साथी है, आप विपक्ष के मान्यवर नेता है, हमने तो तीन साल में नहीं देखा कि आपने कभी इसकी तारीफ की हो। मैंने अपनी बात शुरू की था आलोचना और सम–आलोचना के सन्दर्भ में। मान्यवर, आप बड़े नेता हैं, हम अभी पहली बार आये हैं लेकिन हम भी सुनना चाहते है कि कभी कोई अच्छा काम हुआ हो, चाहे वह आपका क्षेत्र हो, चाहे हमारा क्षेत्र हो, दुर्घटना होती है तो तत्काल समाजवादी एम्बुलेन्स पहुंच जाती है। कभी–कभी मान्यवर थोड़ा सा कन्जूसी न करके थोड़ा सा उदार होकर इस तरह की योजनाओं की तारीफ कर दिया करिये। हम सभी छोटे नये सदस्यों का भी उत्साह बढ़ता है कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि सकारात्मक समालोचना भी की जाती है जिससे हमें भी आगे चलकर प्रेरणा प्राप्त हो। मान्यवर, औद्योगिक एवं निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जहां एक ओर कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है वहीं सरकारी क्षेत्र में नौकरी को प्रोत्साहन देने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना की गयी है। यह दोनों ही सराहनीय कदम है। औद्योगिक क्षेत्र के सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोरांव में मऊआइमा कताई मिल है, मैं इस सदन के माध्यम से अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यवक्त करता हूं कि वह कई वर्षों से बन्द थी और हमारे जैसे तमाम लोगों की मांग पर पुनः उसको पी0पी0पी0 माडल पर चालू करने के लिए संकल्प व्यक्त किया है। इसके लिए भी

मैं इस सदन के माध्यम से उनको और समाजवादी सरकार को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, अल्पसंख्यक समाज के हमारे साथियों के लिए लगभग 29 विभागों की 68 योजनाओं में 20 प्रतिशत मात्राकरण की व्यवस्था की गयी है, यह भी एक सराहनीय कदम है इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। कानून–व्यवस्था के सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि हमारे इलाहाबाद में, जो भी हमारे इलाहाबाद के साथी हों गवाहदार होंगे कि इसके पूर्व कोई भी चौराहे पर तमाम गाड़िया क्रास करती थी, तमाम एक्सीडेन्ट होते थे लेकिन अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में आधुनिकीकरण करने का काम इलाहाबाद सहित कई शहरों का किया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि इलाहाबाद के प्रमुख चौराहों पर अब ट्राफिक नियमों का पालन किया जाता है तथा लाल एवं हरी बत्ती का भी लोग अनुसरण करते हैं और इसके साथ ही इलाहाबाद में रात में खास तौर से कोई भी ऐसी गली या कूचा नहीं हैं जहां पर स्कार्पियों जैसी अत्याधुनिक गाड़ी और इन्नोवा जैसी आधुनिक गाड़ी पूरे लाल बत्ती और साइरन के साथ हर ट्राफिक और गली, कूचों, मुहल्ले के सामने से गुजरती है और कानून–व्यवस्था में इस वजह से आमूल–चूल सुधार हुआ है और इससे भी स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर संवेदनशील है। इसके साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सोरांव में जो व्यापक पैमाने पर सोरांव रजबहा मऊआइमा रजबहा एवं बहरिया की नहरों की सफाई करायी गयी है, जिस हेतु माननीय सिचाई मंत्री सहित सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, अन्त में मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डा0 संग्राम सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'डा0 मो0 अयूब–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपनी चर्चा नेता प्रतिपक्ष से जोड़ते हुए समाजवादी सरकार में जो समतामूलक समाज का, गरीबों के उत्थान का खासतौर पर समाज में उपेक्षित लोगों का, मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का, अतिपिछड़ों और अतिदलित वर्ग के जो विकास की बात कही थी, वह अभी तक दूर–दूर तक नहीं दिखती। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इस देश में बहुसंख्यक समाज के 50 फीसद लोग करीब–करीब मांसाहारी हैं और अल्पसंख्यक समाज में विशेषतौर पर मुस्लिम समाज के 90 फीसद लोग मांसाहारी हैं, मगर अभी तक इस प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शुद्धरूप से मांस की व्यवस्था हो और उनका जो आहार है, उनको आहार के हिसाब से शुद्ध मांस मिल सके। प्रदेश सरकार ने जहां 217 मण्डी स्थलों की व्यवस्था की है, 91 उपमण्डी स्थलों की व्यवस्था की है, 71 फल मण्डी स्थलों की व्यवस्था की है, 05 दुग्ध मण्डी स्थलों की व्यवस्था की

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

है, 05 मत्स्य बाजार की व्यवस्था की है, मगर इसमें कहीं भी इस देश के मांसाहारी नागरिकों के लिए शुद्ध मांस की व्यवस्था नहीं की गई है, 1916 में जो व्यवस्था शुरू हुई थी, जो व्यवस्था बनी थी, आज भी उन्हीं स्थानों पर है और इसकी वजह से दूर स्थानों पर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पूरे जिले में कहीं भी स्लाटर हाऊस की व्यवस्था नहीं है, जहां मांसाहारी लोगों को शुद्ध मांस मिल सके और ऐसे में बीमार पशुओं का वध होता है, बीमार, अप्रतिबन्धित जानवरों का वध होता है और उससे बीमारी फैलती है, उससे उत्सर्जित जितना खून है, मल पदार्थ है और जितने भी उत्सर्जित तत्व हैं वह नदियों और नालों में जाते हैं, समाज में बिखेरते हैं, समाज में प्रदूषण फैलता है और इससे पूरी तरीके से समाज में बीमारियां फैलती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 1916 में जितनी आबादी थी, उसकी कम से कम दस गुनी आबादी आज हो गई है, बहुत बड़े–बड़े शहर बन गये हैं, मगर न तो उन स्लाटर हाऊसों का मार्डनाइजेशन हुआ है और न ही नए स्लाटर हाऊस बने हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या विशेषतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब एक स्थान से कटा हुआ मांस खुलेतौर पर दूसरे स्थान पर लाया जाता है तो ऐसे में समाजविरोधी तत्व उसे गोमांस के नाम पर गो हत्या के नाम पर बवाल पैदा करते हैं और उसकी जांच तभी हो सकती है, जब लैब में जॉच होती है, मगर तात्कालिक तौर पर दंगा भड़कने का यह सबसे बड़ा कारण है और इससे समाज में वैमनस्यता फैलती है और समाज साम्प्रदायिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। यह क्यों नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा साधन है पुलिस का इसमें धन उगाही का और जो असामाजिक तत्व हैं वह गैर कानूनी ढंग से इधर–उधर जो तस्करी करते हैं पशुओं की उनको लाभ होता है, इसलिए आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से शाकाहारी लोगों के लिए फलमण्डी की व्यवस्था करती है, सब्जी मण्डी की व्यवस्था करती है और जितने हाट लगाती है, उसी तरीके से शुद्ध और स्वस्थ रहने के लिए समाज में जनता की जो जरूरत है उसके हिसाब से स्लाटर हाऊस बनाने की व्यवस्था करे, जहां पर मांसाहारी लोगों की आबादी ज्यादा है यह उनके हिसाब से व्यवस्था करे। मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तालाब का पट्टा होता है, हर गांव में करीब–करीब तालाब हैं, वहां पर पट्टे जितने सबल लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वह पट्टा राजनैतिक दबाव में उन्हें ही आवंटित किया जाता है। मगर एक समाज ऐसा है जो हमारे देश और प्रदेश में रहता है जिसे हम निषाद या मछुआरा समाज कहते हैं। ये समाज मत्स्य पालन पर आधारित है और इसी से उसकी आजीविका है। हमारे समाज में यह सबसे गरीब तबके का समाज है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गांवों में तालाबों के जितने पट्टे हैं, वे मछुआ समाज को दिये जायें। यह समाज चूंकि सबसे निर्धन है और इनके पास आवास नहीं हैं। हमारी जानकारी में उनको 5 परसेण्ट भी नहीं मिलता। अब जब चाहेंगे मैं दे दूंगा, हमारे विधान सभा क्षेत्र में तो किसी को नहीं मिला हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने ये मछुआ समाज के लोग हैं,

निषाद समाज के लोग हैं, वे अति पिछड़े वर्ग में हैं, बहुत ही गरीब वर्ग के हैं और उनकी आवास की सबसे ज्यादा समस्यायें हैं। इनकी आबादी समाज में काफी ज्यादा है, मगर उसके लिहाज से जो मछुआ आवास की व्यवस्था सरकार ने की है, वह बहुत ही कम है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि मछुआ आवास की व्यवस्था की जाये और ज्यादा आवंटन किया जाये। मान्यवर, इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन जो 02 अक्टूबर, 2014 को शुरू हुआ है। आप सभी जन प्रतिनिधि हैं, सभी लोग जानते होंगे कि मेरी जानकारी के हिसाब से 50 परसेण्ट से ज्यादा लोग आज भी, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग खुले में शौच करने जाते हैं और विशेषकर यह दुश्वारी हमारी महिला जनता को है कि वे दिन में शौच के लिये नहीं जा सकती। अगर दिन में उन्हें शौच की जरूरत पड़ती है तो उन्हें बहुत दुश्वारी होती है। जितने असामाजिक तत्व हैं, किसी भी महिला के शौच बाहर जाने पर उसका फायदा उठा करके उनका उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं इसलिये इस मिशन को पूरा करने के लिये हमारा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिये धन की जो व्यवस्था की गई है उससे मेरी जानकारी में शौचालय नहीं बन सकता और यही वजह है कि धन देने के बाद भी शौचालय तो लोग बना लेते हैं, पर वह ऐसा शौचालय होता है कि जिसका उपयोग घर वाले नहीं करते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से ग्रामों में बने 25 परसेण्ट शौचालय सामान रखने के लिये इस्तेमाल होता है, शौचालय की तरह से इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि उससे पूरा शौचालय नहीं बन पाता इसीलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसकी मात्रा इस तरीके से बढ़ाई जाये, जिस तरह से इन्दिरा आवास का 70 हजार में घर बनाने का था, उसमें घर नहीं बन सकता। समाजवादी पार्टी ने उसे लोहिया आवास में 3 लाख 5 हजार रुपया बनाया जिसमें आवास बन सकता है। इसी तरीके से मैं अपना अंशदान, अभी तक जो लागू है मैं उसकी बात कर रहा हूं इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो शौचालय का है उसमें अपना अंशदान, राज्यांश बढ़ा दिया जाये ताकि शौचालय बन जाये और यह जो स्वच्छ भारत मिशन, 2014 है, पूरा हो सके। ग्रामीण पेयजल की समस्या पर मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और सरकार के संज्ञान में है कि गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल, देवीपाटन मण्डल, ये तीनों मण्डल ऐसे हैं, जहां भू–गर्भ जल आर्सेनिक और लेड से संक्रमित है और इसी वजह से वहां इन्सेफेलाइटिस जोरों पर है। इन्सेफेलाइटिस की वजह से बच्चों में तो तरह–तरह की बीमारियां हो जाती हैं, अपंग हो जाते हैं। मगर वयस्कों में इससे जो सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि वयस्कों में बुद्धि क्षमता कम हो जाती है। आर्सेनिक और लेड से उनमें भूलने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। इसलिए वहां पर भू–गर्भ वाटर जो हैण्डपम्प के माध्यम से आता है वह दूषित है आर्सेनिक और लेड से, जो की बहुत ही हानिकारक पदार्थ हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डॉक्टर साहब अब समाप्त करें।

डा0 मो0 अयूब–

मैं एक–एक करके बात कर रहा हूं। बहुत लम्बा भाषण नहीं दे रहा हूं। जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, मैं उन्हें ही बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे किसी ने कवर नहीं किया, मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं रिपीट किसी का नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बातें संज्ञान में आना, सरकार के संज्ञान में आना और सभी के संज्ञान में आना अति आवश्यक हैं, इसीलिए मैं इस पर बल दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन तीन मण्डल के ग्रामीणों को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प से जलापूर्ति किया जाना सेफ नहीं है और न ही वह शुद्ध है। इसलिए इसकी व्यवस्था वाटर टैंक से करा कर, अन्दर तक बोर करा कर, लगभग 200–250 फीट के नीचे वाले पानी से लेकर ही किया जायेगा तभी उनको शुद्ध तथा हानिरहित जल मिल सकता है।

आपके माध्यम से मैं दस्तकारों और बुनकरों की बात करना चाहता हूं। इस देश के जो छोटे उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, इसके रीढ़ की हड्डी हैं। यह कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। दस्तकारों के लिए अभी तक जो भी अभिभाषण है, उसमें कोई ऐसी योजना नहीं है, जिससे उनको लाभ मिल सके। उनके लिए सब्सिडी की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके रोजगार के लिए और कुशलता बढ़ाने के लिए इसमें पर्याप्त धन मुहैया नहीं है। एक काम किया है समाजवादी सरकार ने जो बेहतर किया है वह है 20 परसेन्ट खरीदारी उनको अनिवार्य कर दिया है दस्तकारों के हाथ से, मगर आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियों में जो सामान बनाये जाते हैं उसका मुकाबला दस्तकार नहीं कर सकता है। इसलिए 20 परसेन्ट अगर आप देंगे भी तो कम्पटेटिव मूल्य में उनकी बराबरी नहीं कर पायेगा। वह बेच नहीं पायेगा, उसको कभी फायदा नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, अब आप समाप्त कर दें।

डा0 मो0 अयूब–

मान्यवर, इसलिए आपसे अनुरोध है कि संवर्धित मूल्य उसका ज्यादा रखा जाए। जो सबसे बड़ी समस्या बुनकरों की है, वह यह है कि हर लूम पर बिजली की कीमत हर महीने फिक्स कर दी गई है। मगर इसके बावजूद मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है कि एक लूम पर इतना बिजली का चार्ज लगेगा लेकिन आज भी उस पर मीटर लगा हुआ है। जितना मूल्य बनाता है, उस पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। सरकार ने इसका कोई प्राविधान नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें माननीय सदस्य। अब आपका समय समाप्त हो गया है। अन्य सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है।

डा0 मो0 अयूब–

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। यह सरकार का

बेहतर कदम है, लेकिन सरकार को मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 20 परसेन्ट यह समायोजित नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए सरकार को इसमें निगरानी की जरूरत है। जिस तरीके से इनकी सभी योजनाओं में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गयी है। मैं आपके माध्मय से यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमान जो पिछड़ा वर्ग है, उसको तालीम में हिस्सेदारी दें, क्योंकि शिक्षा ही विकास का मूल आधार है, इसलिए शिक्षा में 20 परसेन्ट हिस्सेदारी, सरकारी जितने भी स्कूल हैं, उसमें उनकी 20 परसेन्ट हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए ताकि वह अशिक्षित से शिक्षित बने और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

डा0 मो0 अयूब–

आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

'श्री गुलाम मोहम्मद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में जो डा0 संग्राम यादव जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसके समर्थन में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस देश का संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है। संविधान निर्माताओं ने यह ख्वाब देखा था और इस देश की परिस्थितियों को देख करके, देश में अनेकताओं को देख करके एक ऐसा संविधान बनाया था जो इस देश की अखण्डता को, इस देश की एकता को, यहॉ के भाईचारे को, यहां के गरीबों के उत्थान को, यहां की मिलीजुली संस्कृति को आगे बढ़ाए। महामहिम का अभिभाषण उन्हीं सब सिद्धान्तों को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार का आईना है और यह सरकार जो कार्य करना चाहती है गरीबों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाना चाहती है यह उसका आईना है। जिन बातों का जिक्र महामहिम ने अपने अभिभाषण में किया है उस अभिभाषण में गरीबों तक बात पहुंचती है, क्योंकि यह सरकार चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, सिक्ख हो या ईसाई हो, मजदूर हो या किसान हो सभी के उत्थान की बात करने के लिये आई है और सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिये यह सरकार वजूद में आई है। मा0 मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों पर चल करके हमारे युवा मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से इस सरकार को चलाया है चाहे विपक्ष कुछ भी कहे। अभी कई बातों के लिये डाक्टर साहब ने भी कहा। मुझे खुशी हुई कि कम से कम एक–दो बातों को तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन सारी बात काबिल–ए–कुबूल हैं और हमारी जनता के हित के लिये हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा–चौड़ा भाषण न करके सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूं कि महामहिम के भाषण के एक–एक शब्द में सरकार का आईना झलकता है और गरीबों तक अपनी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

योजनाएं पहुंचाने का, चाहे जो काम ले लें, आप चाहे एम्बुलेंस ले लें वह गरीबों तक पहुंचती हैं। चाहे आप किसानों के बीमा का मामला ले लें वह गरीबों तक पहुंचता है।

(इस समय 04 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मजदूरों के लिये काम ले लें वह वहां तक पहुंचता है। पिछड़ों के लिये, अगड़ों के लिये यह सरकार सबके लिये काम कर रही है। इसलिये आपको कहने का कोई मौका नहीं है चाहे सड़कों का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। कुछ बोलने से पहले अपने गिरहबान में भी आदमी को झाक लेना चाहिये। हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बातें कहीं, लेकिन कहीं–कहीं लफ्ज भी लड़खड़ाने लगे। चूंकि अपनी बात बनाकर कह रहे थे बात में कहीं सच्चाई नहीं थी और चूंकि इन्होंने जो भी स्मतियां बनाई, जो भी पार्क बनाए, मूर्तियां लगाईं। यह कोई राजशाही व्यवस्था नहीं है। इस देश में कोई बादशाहत नहीं है। जब बादशाहत थी तो लागों ने अपने किले बनवाए। लोगों ने न जाने कौन–कौन सी अपनी निशानियां बनवाईं, उनको इजाजत रही होगी। आज तो इस देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है जनता यहॉ की मालिक है और जनता में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई सब हैं अगड़े हैं दलित हैं सब इस प्यारे से देश के मालिक हैं। एक वर्ग के लोगों की मूर्तियां लगा देना इस देश में कोई अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, आप यदि किसी एक वर्ग के लिये काम करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है इस देश में। मान्यवर, आप अपनी मूर्ति लगवा दें इसकी मिसाल इस देश में और कहीं नहीं मिलती है कि किसी जिन्दा आदमी ने अपनी मूर्ति लगवा दी हो। आप जब मूर्तियां लगवा ही रहे थे तो किसी माइनारिटी समुदाय के बड़े व्यक्ति की भी लगवाते, बहुत बड़े–बड़े लोग हुए हैं इसी तरह से किसी सिक्ख की लगवा देते उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश में। आपने अपने वर्गों के लोगों की अपनी मूर्तियों को लगवाने पर और बादशाही ठाठ बाठ दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया है। यह जनतांत्रिक देश है आपको जनता के कार्यो के विकास यह धन खर्च करना चाहिये था। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप अपने अंदर भी झांक कर देखिये। बीजेपी के नेता ने अपनी बातें यहां पर कही हैं। आपके नेता ने केवल नारे लगाकर एक झूठा मुखौटा ओड़कर इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी को कब्जा करने का काम किया है। आपके नेताओं ने केवल देश में लव जेहाद, धर्मानान्तरण, घर वापसी जैसे नारे देकर और उसकी बातें करके साम्प्रदायिकता की भावना को फैलाने का काम किया है। इसको करके केवल खौफ दिखाकर, साम्प्रदायिकता का खौफ दिखाकर के आपने देश में कुर्सी को लेने का काम किया है। मान्यवर, हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा साहब दिल्ली में आये थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको अपने हाथ से चाय पिला रहे हैं। आप उस काम के लिये किसी कर्मचारी को लगा देते। देश का राष्ट्र का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से स्वागत करे यह अच्छा नहीं है। और जब वह राष्ट्रपति अपने मुल्क में वापस पहुंचे तो उन्होंने वहां व्हाइट हाउस से एक बयान जारी कर दिया हमारे देश की स्थिति के लिये, अब वह उनका बयान आने के बाद आप अपनी झेंप मिटा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिये। आप उसके बाद अपने गिरेबान में झांककर देखिये। यह देश सर्वहारा लोगों का देश है। आप उन्हें अपना खौफ दिखाकर के लड़ाने

का काम कर रहे हैं। आपने दिल्ली के चुनावों का रिजल्ट देख लिया है। मान्यवर यह यूपी पर ऊपर वाले की इनायत है कि हमारी सरकार आगे बढ़ रही है सभी वर्गों को लेकर के, आप आने वाले समय में अपनी स्थिति को देख लीजियेगा। मान्यवर, जिस तरह से हमारी सरकार की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और जिस अंदाज से काम कर रही है, हर गरीब तबके वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है चाहे वह शहरी हो या देहाती क्षेत्र से वहां रहने वाले लोगों के उत्थान के लिये काम कर रही है। मान्यवर, जो लोग पीड़ा में हैं उनकी पीड़ा को दूर करने का काम कर रही हैं। मान्यवर, बहुत आये चले गये आप अब ख्वाबों में भी नहीं सोचना कि इधर आ जायेंगे। मान्यवर कांग्रेस के भाई चले गये उन्होंने दोनों हाथों में लड्डू रखा। डा0 अयूब साहब ने हमारी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ की है। आपको सभी नीतियों की तारीफ करनी चाहिये थी। डा0 साहब जो हालात हैं उसमें सेक्युलर वोटों के बिखरने से बचाने के लिये आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिये। हमारी सरकार गरीबों के लिये काम कर रही है सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिये काम कर रही है। मान्यवर, जिस तरह से अपोजिशन के लोग बोल रहे थे वे अंगुली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी बातों में यहां की जनता आने वाली नहीं है। आपके लिये अब कोई गुंजाइश नहीं है। मान्यवर, हमारी सरकार समाजवाद की नीतियों पर आधारित होकर काम कर रही है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों के आधार पर काम कर रही है और इसकी गूंज आम जनता तक पहुंच रही है वे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। आपके अंगुली उठाने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे सपनों को लोगों ने सराहा है। आप हमारा साथ दीजिये। बहुत–बहुत शुक्रिया।

(डा0 अयूब के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बोल चुके हैं अब नहीं।

डा0 मो0 अयूब–

मान्यवर, हम जीतते हैं तो बिखेरते हैं और यह जीतते हैं तो समेटते हैं यह कौन सी बात हो गयी। यह काला रंग बिखेर रहे हैं और यह समेट रहे हैं यह कौन सी बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, डाक्टर साहब को एतराज यह है ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

आप बार–बार राज्यपाल जी को ले आते हैं और मुझे उसे कार्यवाही से निकालना पड़ता है। यह निकाल दिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा है किसी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं किया, वह तो दल के लीडरान से बात कही है। एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पाटी सफाई देने की बात तो तब आती है जब किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जाय इसलिए किसी पर कोई आक्षेप नहीं है। आपको उन्होंने बड़ा लीडर माना है इसलिए आपको नहीं, जिनको आक्षेप लगता है इसको आक्षेप मानने की जरूरत नहीं है और आक्षेप किया भी नहीं है नीतिगत बाते की जाती हैं वह आक्षेप नहीं है।

'श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में अपने क्षेत्र की एक समस्या आपके बीच में रखना चाहता हूं हमारे क्षेत्र की समस्या यह है कि हर वर्ष हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है मैं जनपद सीतापुर के लहरपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। बाढ़ से हमारे क्षेत्र में रहने वालों के घर बह जाते हैं न उनके घर की व्यवस्था की जा रही है न उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है हजारों की तादाद में हमारे क्षेत्र में लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं उनकी जमीन भी चली गयी ।

(किसी सदस्य के मोबाइल की घन्टी बजने पर)

श्री अध्यक्ष–

मोबाइल बोल रहा है यह जब्त हो जायेगा।

श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी–

अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि उनके पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था आप करा दीजिए। कोई इसका कानून बना दीजिए मैं पूरे प्रदेश के लिए चाहता हूं जहां–जहां पर बाढ़ आती है वहां पर सबको सर्विस मिलना चाहिए, पुनर्वास के लिए मकान मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए यह मेरा आपसे अनुरोध है। इस समय इतना बड़ा स्वाइन फ्लू का मैटर चल रहा है पूरा प्रदेश इसकी दैवी में आ गया है मैं चाहता हूं कि आप इस पर कोई अच्छी व्यवस्था करा दीजिए। सरकार से मैं चाहता हूं कि कोई व्यवस्था इस पर कर दे ताकि लोगों को कोई दिक्कत न आये। चूंकि यह एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है करीब 600 लोग इससे देश भर में खत्म हो चुके हैं यह बहुत तेजी के साथ अपने प्रदेश में आ चुका है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी भी कुछ व्यवस्था करा दिया जाय। मेरे यहॉ की सड़के बहुत जर्जर हैं उन सड़कों का भी सुधार करा दिया जाय। अभिभाषण में मेरे यहां की पूरी चीजे नहीं आई हैं। एक बात मैं बुनकर समाज के लिए जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं उसके लिए भी कहना चाहता हूं आपसे आज हमको सजने सवारने के लिए बुनकर समाज के लोग कपड़ा बुनते हैं हम लोगों को कपड़ा बनाकर देते हैं हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा पापुलेशन अगर किसी की है तो वह बुनकर समाज की है उसके लिए कभी कोई फैसिलटी नहीं दी जाती है वह लोग दस्तकारी करते हैं और मेहनत से काम करते हैं उनको उनका हक नहीं

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मिल पाता है बीच में जो लोग होते हैं उद्योगपति उनको फायदा पहुंच जाता है जो यहां से माल बाहर इक्सपोर्ट होता है उद्योगपतियों को तो इससे फायदा पहुंचता है लेकिन हमारे बुनकर समाज के लोग इससे फायदा नहीं उठा पाते हैं इससे पहले आपके सरकार के समय में सूत सस्ता दिया जाता था और अब उनको सूत भी सस्ता नहीं दिया जाता है तो मैं चाहता हूं कि सरकार उनको सस्ता सूत देने का काम करे। मैं उस दिन टीवी में देख रहा था कि मेरे वहां जो गरीब लोग बुनकर समाज के लोग पावरलूम लगा लेते हैं उनको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए दो दो साल तक भटकना पड़ता है, वह मशीनें खड़ी रहती हैं वह फाइनेंस कराकर मशीनें लगाते हैं लेकिन उनको 2–2 साल तक कनेक्शन नहीं मिलता है। मैं उस दिन टी0वी0 पर देख रहा था रहीमाबाद की सब बाकायदा उस पर दिखा रहे थे मेरा जिला सीतापुर है मैं पूरे प्रदेश के लिए बात कर रहा हूं मेरे बुनकर समाज के लोग जहां पर रहते हैं। मान्यवर, मेरे बुनकर समाज के लोग जहां पर रहते हैं और जहां पर तादाद ज्यादा है, वहां पर किसी भी तरीके से बिजली की व्यवस्था कराते हुए उनको पूरी बिजली दी जाये और उनसे बिजली की कम कीमत ली जाये, क्योंकि हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम बुनकर समाज के लोग करते हैं। मान्यवर, मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रमन्द हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसी के साथ मैं अपने दलीय नेता से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री रामपाल यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री संग्राम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हमारी सरकार का आईना है, सरकार की सोच है और सरकार का विजन है। इसमें मान्यवर महामहिम ने जो भी लिखा है, उसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं को समाहित किया गया है, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल जो कहते हैं कि यह आईना है, लेकिन धूल उनके चेहरे पर है और आईने को साफ कर रहे हैं। इसलिये अपना चेहरा भी देखिये। माननीय नेता विरोधी दल विद्वान नेता हैं, ने बहुत बातें कहीं, बहुत से आरोप लगाये, लेकिन मान्वयर जो अच्छी योजनायें थी, उनकी अगर एक बार तारीफ कर देते तो हम जरूर समझते कि इन्होंने भाषण पर चर्चा की है। जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा एक्सप्रेस–वे बनाया जा रहा है, पिछली बार जब इनकी सरकार में यमुना एक्सप्रेस–वे बनाया जा रहा था, तो पूरे प्रदेश में यह अपनी वाह–वाह कर रहे थे, लेकिन इस बार माननीय नेता विरोधी दल ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आगरा एक्सप्रेस–वे बनाया जा रहा है। कम से कम इनको उसके लिए धन्यवाद तो देना चाहिए था। मान्यवर, इसी तरह से कैंसर इन्स्टीट्यूट बनाया जा रहा है, उसकी भी चर्चा नहीं की गई, उसका भी संज्ञान माननीय नेता विरोधी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

दल अथवा नेता, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया है। जहां तक लोहिया आवास की योजना है, यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी योजना है, समाजवादी पेंशन योजना बहुत अच्छी योजना है। 190, 102 स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी योजनायें हैं। अगर एक भी योजना की तारीफ कर देते और एक भी योजना का जिक्र कर देते, तो हम जरूर समझते कि नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता, भाजपा श्री खन्ना जी ने समाज के लिए प्रदेश के लिए कुछ कहा है। इन लोगों ने केवल विरोध के लिए अपना भाषण दिया है। जिसमें अभी माननीय नेता भाजपा श्री खन्ना जी उत्तर प्रदेश की आबादी पर चर्चा कर रहे थे तो हम लोग तो इस प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां पर साधु–सन्तों का महापुरुषों की भूमि है, तो इनकी पार्टी के जितने भी साधु–सन्त और मंत्री हैं, हम लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग चार बच्चे पैदा कीजिये। एक ओर तो आबादी कन्ट्रोल करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार नियोजन बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो इनकी तो हमेशा से कथनी और करनी में अंतर रहा है। खन्ना जी ने क्या कुछ नहीं किया। इनके नेताओं ने नहीं किया, लेकिन हम लोगों को और समाज को नसीहत दे रहे हैं कि चार–चार बच्चे पैदा करिये। प्रधानमंत्री जी के भी नहीं हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा बीच में बोलने पर व्यवधान)

श्री रामपाल यादव–

जो आप बता रहे हैं देश को दिशा दे रहे हैं तो उसकी बात हम कर रहे हैं। मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत लम्बा–चौड़ा भाषण दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कानून–व्यवस्था के लिए कितने स्थाई कदम इस सरकार में उठाये हैं, इसके पहले कानून–व्यवस्था के लिए किसी सरकार ने इतनी मजबूती से कदम नहीं उठाये हैं। यह सभी लोग सरकार में रह चुके हैं। सभी लोग सरकार चला चुके हैं और सबके आंकड़े भी हमारे पास हैं। हमारी सरकार में जितने पुल बने हैं, शायद उतने पुल इन सारे लोगों की सरकारों में मिलाकर न बने हो। हमारी सरकार में जितनी सड़कें बन रही हैं, उनकी सड़कें कभी नहीं बनी हैं। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने जो वायदा किये थे, सारे वायदे पूरे करने का काम किया है और अभी जो समय अवशेष है, अगर कुछ आंशिक वायदे बाकी रह गये हैं, तो वो भी यह सरकार पूरा करने का काम करेगी, लेकिन देश की सरकार क्या कर रही है। अभी जाहिद साहब कह रहे थे कि प्रधान मंत्री नहीं, परिधान मंत्री है। अभी मोदी जी ने एक कोट बेंचा है, आज भी अखबार में है। सब जानते हैं कि दस लाख के सूट को एक करोड़ इक्कीस लाख का सूट बेंचा है। तो यह जो प्रधानमंत्री हैं वह व्यापारी भी हैं और 10 लाख का सूट 1 करोड़ 21 लाख में बेच रहे हैं। तो यह क्या हो रहा है, यह देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज तक इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू से लेकर चाहे माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी रहे हों और जो भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी ने भी अपना कोई सूट कभी नीलाम नहीं किया है। लेकिन इन्होंने तो अपने कपड़े भी नीलाम कर दिये हैं और यह कहा जा रहा है कि यह पैसा गंगा की सफाई में जायेगा। अरे यह

1 करोड़ 21 लाख से गंगा की सफाई में कुछ नहीं होगा। यह राम की गंगा है, जब आप मन से चाहेंगे, तभी यह गंगा साफ होगी। यह कपड़े बेचने से साफ नहीं होगी । यह केवल समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो पिछली सरकार में मूर्तियां बनवाते रहे, पत्थर लगवाते रहे, पार्क बनवाते रहे, तब इनको प्रदेश की सड़कों की चिन्ता नहीं थी, आज यह यहां बैठ करके प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों की बात कर रहे हैं। मान्यवर, आज चारों तरफ विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, कहीं कोई अंतर नहीं है और इस सरकार की यही विशेषता है कि जो कहते हैं वही करते हैं और अपने वायदों पर अटल रहते हैं, यही समाजवादी पार्टी की सोच है, यही समाजवादी पार्टी की सरकार है और यही समाजवादी पार्टी का विचार है। वही आईना है लेकिन इसको न पढ़कर के अपने आप जो मन में आया और जो आज चेहरे में देखा, शीशे में देखा तो अपना चेहरा न साफ करके शीशा साफ करते रहे और वही यहां पर बोल दिया। मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री संग्राम यादव द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती विमला बाथम–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन में सभी को नमस्कार, आज मेरा पहला बोलने का दिन है। मान्यवर, आज हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर संशोधन का दिन है परन्तु जो अभी तक सत्ता पक्ष से बोला गया, वह और इस पुस्तक में जो भी बातें मैनें पढ़ी हैं, इसमें सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सरकार के कामों का एक स्तुतिगान किया गया हो। मैं इसमें बहुत बातों से सहमत नहीं हूं। महोदय, सबसे पहले मैं बिजली का मुद्दा उठाती हूं। अभी मैं पढ़ रही थी कि सन् 2019–20 तक चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति कर दी जायेगी। यह पहली बार नहीं बोला गया है यह अनेकों बार हम सुनते आ रहे हैं विशेष रूप से नोएडा के विषय में, मैं कहना चाहूंगी कि वहां नो पावर कट जोन है। नो पावर कट जोन का मतलब है कि 24 घन्टे बिजली वहां दी जाय और यह सरकारी घोषणा है, किसी इंडस्ट्री वाले ने या किसी रिहायशी सेक्टर से यह घोषणा नहीं हुयी है परन्तु एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन यह घोषणा पूरी उतरी हो। अभी हमारे क्षेत्र के 46 गांव ऐसे पड़ते हैं जहां 6–7 घण्टे मैक्सिमम बिजली आती है और इण्डस्ट्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के भरण–पोषण का जरिया है, नोएडा विशेष रूप से एक पैसा कमाने का विन्डो है जहां से बहुत आमदनी आती है जहां से बहुत रेवेन्यू आता है, हम सबकी गाढ़ी कमाई का पैसा रेवेन्यू के रूप में आता है। वहां अगर बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं है तो आप बताइये कि उद्योगों पर क्या असर होगा और उद्योगों पर असर होने का अर्थ है कि सीधे–सीधे सरकार का घाटा होना इसलिए सरकार को चिन्ता करके वहां 24 घण्टे बिजली तुरन्त मुहैय्या करानी चाहिए। अभी तो गर्मी आ रही है तो इण्डस्ट्री का बहुत बुरा हाल होगा, वहां भी सात–सात, आठ–आठ घण्टे बिजली गुल रहती है और जेनरेटर से चलाना बहुत मंहगा पड़ता है यह

आप सबको मालूम है। अगर उद्योग चौपट हो जायेंगे तो प्रदेश का हाल और उसका आर्थिक ढांचा बिल्कुल चरमरा जायेगा इसमें कोई दो–राय नहीं है। तो सरकार अगर चाहती है कि रेवेन्यू बढ़े और सरकार समृद्ध हो, पैसा कमाये और प्रदेश के विकास में लगाये तो उसके लिए अबाध आपूर्ति अत्यन्त आवश्यक है, विशेष रूप से जो इण्डस्ट्रियल टाउन्स हैं वहां पर। इसलिए मैं नोएडा के लिए विशेष रूप से आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि 24 घण्टे नो पॉवर कट जोन का अपना वायदा निभाये और 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति कराये। शिक्षा के क्षेत्र में नोएडा एक बहुत हाईटेक सिटी है, वर्ल्ड मैप पर है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहॉ पर कोई कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है जो उच्च शिक्षा के मापदण्डों पर खरा उतरे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, अभी मा0 शिक्षा मंत्री जी बैठे थे, उनके अलावा वहां जल्दी ही एक कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जाए ताकि जो प्राईवेट स्कूल हैं जो गरीब तबका है क्योंकि नोएडा में धनाड्य लोगों के साथ–साथ गरीब परिवार भी रहते हैं वहां कामगार भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, सब हैं, जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फीस देकर नहीं पढ़ा सकते हैं। उन्हें सुविधा मिल सके मायावती जी का जो गृह जनपद है वहां पर उन्होंने कन्या महाविद्यालय बनवाया है लेकिन वहां उतनी दूर हमारे शहर की बच्चियां नहीं जा सकती हैं क्योंकि लगभग वह 15–20 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना हमारे नोएडा विधान सभा क्षेत्र में जल्दी ही कराने की कृपा करें। महिला सुरक्षा कानून की बात भी इसमें कही गई है। मा0 मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं अन्यथा मैं उन्हें अवगत कराती, मान्यवर, मैंने आपके यहां एक क्वेश्चन भी लगाया था नियम–301 में और नियम–51 में, जिसमें से एक में बिजली की बात थी और एक में सुरक्षा की बात थी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमें उसका जवाब नहीं मिला जबकि आपने कहा था कि दोनों प्रश्न ले लिये गये हैं। परन्तु लगभग ढाई–तीन महीने उस बात को हुए हो गये होंगे लेकिन अभी तक मुझे लिखित रूप में कुछ उसके बारे में नहीं मिला है। महिला सुरक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इस मामले में नोएडा सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। आए दिन वहां अपहरण होते हैं, छोटी–छोटी बच्चियां उठा ली जाती हैं और चेन स्नेचिंग तो एक ऐसा बड़ा धन्धा बन गया है जो पूरे प्रदेश में व्यापक है, उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं स्वयं उसकी विक्टिम हूं। 19 अगस्त को हमारे यहां अमित शाह जी आये थे यहां पर उनका स्वागत सम्मेलन था। मैं अपने भाई के यहां जानकीपुरम उस दिन गई, यह 19 अगस्त की बात है 26 तारीख को टिकट डिक्लियर हुआ, उससे तीन–चार दिन पहले की बात है। मैं वहां गई और हम अपने भाई के दरवाजे के बाहर गाड़ी के पास खड़े थे और भाई की बहू के साथ बात कर रहे थे। उसी समय दो लड़के पल्सर मोटरसाइकिल से आये और हमारी चेन खींचकर चले गये और यह लॉकेट जो है भगवान शिव का, यह हमारे हाथ में रह गया और चेन हमारी ले करके चले गये। तुरन्त हमने जा करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं अपनी बात बता रही हूँ इससे अंदाजा लगा लीजिए, नोयडा तो

बहुत धनवानों का शहर है। हर जगह यह हाल है, आज तक उस चेन का पता नहीं चला। जब भी एस0एच0ओ0 वगैरह से बात करने की कोशिश की, उस दिन हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने थाने में बात की लेकिन कुछ भी आज तक नहीं हुआ, यह लॉ–एण्ड–आर्डर सिचुएशन का उत्तर प्रदेश में हाल है। मैंने स्वयं अपनी बात बतायी इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। आये दिन इस तरह के किस्से नोयडा में होते हैं हर चौराहे पर होते हैं कभी थ्री–व्हीलर वाले कर लेते हैं, कभी कोई कर लेता है, आये दिन इस तरह के केस होते रहते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि पैसे वाले लोग वहां ज्यादा रहते हैं इसलिए शायद अपराध बढ़े हों, इन अपराधों पर तुरन्त अंकुश लगाया जाए। एक सबसे बड़ी बात है कि वहां पर भू–माफिया जमीनों पर कब्जा बहुत तेजी से कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है सत्तापक्ष के लोग समझदार हैं, सब जानते हैं। मैं एक बार आपसे इस सम्बन्ध में बात भी कर रही थी वहां इतना बुरा हाल है कि जिसकी जमीन खाली है और कोई बाउण्ड्रीवाल न बनवाये, छोड़ दे तो लोगों की खरीदी हुई जमीन पर भू–माफिया कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं कि इतने लाख रुपया लाओ तब बनाने दूँगा, नहीं तो जो करना हो कर लो। इस तरह से गुण्डागर्दी का वहां पर राज है जिसका बयान मैं सदन में नहीं कर सकती, नोयडा में खुलेआम गुण्डागर्दी है। मैं इसलिए नोएडा की बात कर रही हूं क्योंकि वहां की पीड़ा मुझे रोज सुननी पड़ती है, झेलनी पड़ती है और मुझे रोज दो–चार होना पड़ता है वहां की समस्याओं से। पुलिस से शिकायत करती हूं, वह भी कुछ नहीं कर पा रही है जब तक आप यहां से नकेल नहीं कसेंगे तब तक यह निरन्तर होता रहेगा और इसका नुकसान सत्तापक्ष के लोगों को आगे बहुत होगा, जब तक इन बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, यह गुण्डागर्दी वहां से खत्म नहीं की जायेगी। लोग समझते हैं कि जैसे वहां पैसों का पेड़ लगा हुआ है वहां लूट–खसोट जितनी भी हो सकती है इस समय वहां पर चरम सीमा पर है, लूट–खसोट, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। हमारे नेता माननीय खन्ना जी ने अभी किस्सा बताया और हम लोगों को पता ही है कि जो हमने 26 दिसम्बर को प्रदर्शन किया और हमारे मा0 अध्यक्ष जी उस प्रदर्शन में शामिल हुई। यादव सिंह जो महान व्यक्ति वहां के हैं, बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो उन्हें नोएडा अथॉरिटी का इंचार्ज बनाया गया था उसके बाद जब स0पा0 की सरकार आयी तो उन्होंने उनको लुक–आउट नोटिस इश्यू किया और पुलिस उनके पीछे लग गयी और वह टर्मिनेट कर दिये गये, वह आगे–आगे पुलिस उनके पीछे–पीछे। अचानक एक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि स0पा0 सरकार ने उनको बहाल कर दिया, बिना कारण बताये सब जांचें उनकी माफ हो गयीं। कमाल देखिये और उसके एक महीने बाद एक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि उनको एक नहीं, तीन–तीन अथॉरिटी का चार्ज मिल गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस–वे का। आप अंधेर देखिये, जिस व्यक्ति के खिलाफ लुक–आउट नोटिस इश्यू हुआ हो, जिसके पीछे पुलिस लगी हो उसे तीन–तीन प्राधिकरणों का चार्ज दे दिया गया, ऐसी उस व्यक्ति में क्या खास बात थी वह

इन्जीनियर नहीं है उसके पास डिग्री जाली है और डिप्लोमा होल्डर उस व्यक्ति को इतने बड़े–बड़े प्राधिकरणों का चार्ज।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये, पांच बज गये हैं, पांच बजे समय समाप्त हो जाता है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अध्यक्ष जी, नई सदस्या हैं आज पहली बार बोल रही हैं।

श्रीमती विमला बाथम–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पहला दिन है, मुझे माफ कर दीजिएगा, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। भ्रष्टाचार की गंगा बहनी शुरू हुई है इस भ्रष्टाचार की गंगा को जल्दी नहीं रोका गया तो पूरे प्रदेश को ले डूबेगी और खासतौर से इस सरकार को ले डूबेगी यह मैं आपको बता दूं। जल्दी से इसका संज्ञान लिया जाए। हमारे चौधरी साहब बैठे हैं और बहुत ज्ञाता हैं। मेरी बात को यह वार्निंग समझें, कानून के ज्ञाता हैं सब जानते हैं। मैं सुनती रहती हूं यहां पर, वह बहुत काबिल व्यक्ति हैं। यह 1090 की जो सेवा प्रारम्भ की गयी है नोएडा के लिए कितना स्टाफ है मुझे पता नहीं, इसकी जानकारी मुझे मिल जायेगी तो अच्छा होगा क्योंकि नोएडा में पुलिस बल की कमी भी लगती है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी विधान सभा में जब हमने चुनाव लड़ा तो पांच लाख पच्चीस हजार वोटर थे, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो संख्या बल बढ़ायेंगे तो अच्छा होगा। मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वहां पर इण्डस्ट्री तो बनी है परन्तु श्रमिकों के रहने के लिए आवास नहीं बने हैं इसलिए नोयडा में बहुत अव्यवस्था है। झुग्गी–झोपड़ी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जब आवास मिलेगा नहीं और एक इण्डस्ट्री है तो उसमें 50 या 100 श्रमिक होते हैं वह कहां रहेंगे उनके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है उनकी सेहत की कोई व्यवस्था नहीं है इस पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाए ताकि नोयडा एक अच्छे रूप में जाना जाये। उत्तर प्रदेश की नाक नोयडा कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की शान कहा जाता है वह बरकरार रहे इसमें ऐसा कुछ न हो कि और शहरों की तरह नोयडा का भी हाल हो जाये। एक इण्टर सिटी बस सेवा अगर नोयडा में शुरू की जाय तो अच्छा होगा क्योंकि लोग जो चलते हैं जो रिक्शे चलते हैं उससे जो जाम लगता है वह बहुत ज्यादा हो जाता है तो अगर इण्टर सिटी बस सेवा शुरू हो जाए तो अच्छा हो एक बार यह शुरू भी हुई थी पता नहीं क्यों बन्द हो गयी अगर यह दुबारा शुरू कर दी जाए आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगी तो बहुत बड़ा वहां काम होगा गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। नोयडा हाईटेक सिटी बेशक है लेकिन गन्दगी बहुत ज्यादा है अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि वहॉ पर सफाई कर्मचारी अगर एक गांव में पांच दिए गए हैं तो वहां एक ही दिखाई देता है चार की तनख्वाह कहां जाती है किसी को पता नहीं है। यह बहुत बड़ा अन्धेर है यह नोयडा हीं नहीं बल्कि सब कहीं यह अंधेर होगा इस पर भी ध्यान दिया जाय कि जो कर्मचारी तैनात हों वह सारे के सारे ड्यूटी पर

आएं और पूरी ड्यूटी करें तभी कुछ हो सकता है। वरना स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां आती रहेंगी और लोग मरते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्रीमती विमला बाथम–

अध्यक्ष जी मैं अभी खत्म करती हूं। अध्यक्ष जी एक बड़ा भारी मुद्दा जल का है हमारे यहां जल बहुत अशुद्ध मिलता है टेप खोलो तो बिल्कुल काला पानी निकलता है हम रोज सुनते हैं कि गंगाजल की आपूर्ति होने वाली है लेकिन गंगाजल की आपूर्ति सपना बनती जा रही है कभी कहते हैं कि ठीक किया जा रहा है कभी कहते हैं कि सफाई की जा रही है लेकिन मैं बीसियों साल से देख रही हूं नोयडा में रहते हुए मुझे तीस साल हो गए हैं इण्डस्ट्री चलाते वहां जल की व्यवस्था कोई नहीं है साफ पानी को लोग तरसते हैं सब लोग तो रईस हैं नहीं कि आर0ओ0 लगवा लें सब तो नल का पानी पीते हैं नल का पानी भी बहुत गन्दा आता है। शुद्ध जल जो आम जनता का अधिकार है शुद्ध जल उसको मिलना ही चाहिए सरकार को मुहैया कराना ही चाहिए मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि जल्दी वहां शुद्ध जल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय यदि हो सके तो गंगाजल अगर नहीं है तो कैसे भी हो शुद्ध जल की वहां पर व्यवस्था कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कितना समय लेंगी 5.00 बजे तक विधान सभा चलती है।

श्रीमती विमला बाथम–

मान्यवर, मैं खत्म कर लूं तब कोई बोले।

श्री अध्यक्ष–

उसका समय अनिश्चित नहीं है।

श्रीमती विमला बाथम–

माननीय अध्यक्ष जी यह कुछ बातें मेरी थीं जो मैंने कहीं एक राशन कार्ड की बात मैं और कहना चाहती हूं वहां पर लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं जब मैंने डी0एम0 से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कम्प्यूटराइज हो रहे हैं इसलिए समय लग रहा है इस बात को 6–7 महीने हो चुके हैं तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यदि इसको ठीक कर दिया जाय क्योंकि गरीब आदमी के लिए 6 महीने साल भर बहुत भारी पड़ते हैं। अध्यक्ष जी आपने हमारी बात को गौर से सुना उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

शमशेर बहादुर जी आप अपनी बात केवल शुरू कर दें भाषण जारी रहेगा।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डा0 संग्राम सिंह यादव जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया श्री तेज नरायण पाण्डेय

जी ने जो समर्थन किया व हमारे नेता आदरणीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो मैं संशोधन प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं। फिर इस पर बोलिएगा।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19–2–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्रीमती राजमती निषाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र स्थित पिपराइच चीनी मिल के बन्द हो जाने के कारण मजदूरों/किसानों में व्याप्त असंतोष के निदान हेतु चीनी मिल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित दुग्ध संघ के समितियों के बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह भी वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री मदन चौहान की सिम्भावली शुगर मिल द्वारा पूर्व एवं वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना कृषकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के थाना मड़िहान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर बेलस्पन एनर्जी कम्पनी लि0 द्वारा बिना अनुमति के क्रय विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में है, यह भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पॉचवीं सूचना श्री इन्द्रपाल सिंह की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में क्षेत्रीय विकास निधि के प्रस्तावों पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के तहसील रूदौली के अर्न्तगत घाघरा नदी में भारी बाढ़ के कटान से नूरगंज मजरे कैथी के 13 लोगों के मुआवजा वितरित न कराये जाने के कारण किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में है, यह भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में सुल्तानगंज में पुलिया पर मीडियम माक्स बन्द पड़े होने के कारण जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में है, यह भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा के 48 घंटे पूर्व तक केन्द्रों का परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना सुश्री अराधना मिश्र 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत मंगापुर–उदयपुर के नाम से एक नए विकास खण्ड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में घरेलू बिजली पंखा उपभोक्ताओं को नगरीय क्षेत्र के हिसाब से बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह भी केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के ब्लाक लहरपुर के ग्राम बिलरिया में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती न होने से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह भी ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर स्थित पोस्टमार्टम हाउस की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, यह भी ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं– श्री अरूण कुमार, श्री प्रदीप माथुर, श्री राज नारायण बुधौलिया, श्री कृष्ण कुमार ओझा, श्री दलजीत सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री अमर पाल शर्मा, श्री अभय सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गुलाब चन्द्र सरोज, ठा0 दलवीर सिंह, पं. सुदेश शर्मा, श्री भगवती प्रसाद, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री कालीचरन सुमन, श्री चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री संजय कपूर, श्री मो0 इरफान, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री सत्यवीर मुन्ना, श्री गेंदा लाल चौधरी, श्री उमेश पाण्डेय, श्री मनीष असीजा, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री अनीसुर्रहमान, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री राजीव गुम्बर, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री ममतेश शाक्य, श्री सतीश महाना।

अब हम उठते हैं। 23 फरवरी, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 07 मिनट पर सोमवार, 23 फरवरी, 2015 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 फरवरी, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 सदस्यों के संशोधन को जोड़ने का प्रस्ताव पीछे पृष्ठ सं0 87–149 पर)

2 श्री सुरेश कुमार खन्ना,
श्री धर्मपाल सिंह,
श्री जय प्रताप सिंह,
श्री संगीत सिंह सोम,
श्री लोकेन्द्र सिंह,
श्री रविन्द्र जायसवाल,
श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी),
श्री रविन्द्र भडाना,
श्रीमती विमला वाथम,
श्री अगयश रामसरन वर्मा,
श्री रवि शर्मा,
श्री उपेन्द्र तिवारी,
श्री पंकज गुप्ता तथा
श्री विक्रम सिंह।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :––

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :––

1–लगभग तीन वर्ष से प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य में कानून– व्यवस्था ध्वस्त हुई है, अपराधियों का राज व्याप्त है। हत्या, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। खराब हो रही कानून–व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई व्यवहारिक तथा कारगर योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2–उत्तर प्रदेश में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, लगता है कि सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिये हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

3–धान की खरीद में प्रदेश सरकार के अधीन समस्त सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषकों का उत्पीड़न हुआ। कई–कई दिनों तक कृषकों को क्रय केन्द्रों पर खड़ा होने के लिये मजबूर किया गया तथा मजबूर होकर सस्ते दामों पर धान बेचना पड़ा। धान कृषकों का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

4–गन्ना कृषकों का मिलों द्वारा उत्पीड़न जारी है। बाहर के राज्यों से सस्ती दर पर गन्ना क्रय किया जा रहा है और प्रदेश के कृषकों की फसल अभी खेतों में खड़ी है जिससे गेहूं की बुवाई प्रभावित हुई है। गन्ना किसानों का उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

5–गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान ब्याज सहित किये जाने के सम्बन्ध में,

6–पेयजल हेतु प्रदेश के सभी मा0 विधायकों की संस्तुति पर 200–200 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में,

7–प्रदेश के नगरों में अधूरी पड़ी सीवर

लाइन को पूरा कराने तथा चोक पड़ी सीवर लाइन को ठीक कराने के लिये किसी विशेष कार्य योजना के सम्बन्ध में,

8–विद्युत आपूर्ति पूर्णतयः जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। ग्रामीण अंचलों में 3 से 4 घण्टे की भी आपूर्ति नहीं है। नये संयोजन बन्द होने के कारण कृषकों के पास सिंचाई की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे कृषक परेशान और बेहाल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

9–जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने तथा लिंग अनुपात भेद को कम करने हेतु कोई व्यवहारिक और प्रभावी कार्य योजना के सम्बन्ध में,

10–प्रदेश में नगरों में बढ़ती हुई आबादी तथा वाहनों के कारण हर समय रोड पर जाम की समस्या से निपटने के लिये किसी प्रभावी कार्य योजना के सम्बन्ध में,

11–सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक पूंजी निवेश के बढ़ चढ़कर वायदे किये गये थे परन्तु अभी तक उद्योगों की स्थापना में प्रदेश में कोई प्रगति नहीं हुई। नवयुवक भारी संख्या में बेरोजगार हैं। नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में,

12–अक्षय ऊर्जा के उपकरण को जनसामान्य के लिये उपयोगी बनाये जाने हेतु कीमतों को कम किये जाने के उद्देश्य से शोध कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–प्रदेश के नवयुवकों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार दिलाये जाने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

14–वृक्षों का बड़े पैमाने पर कटान हो रहा है जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षों के अवैध कटान पर रोक लगाने तथा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये किसी व्यवहारिक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

15–बढ़ती हुई आबादी तथा विद्युत के बढ़ते हुए कनेक्शनों को देखते हुए बड़ी क्षमता के ट्रान्सफार्मर पूरे प्रदेश में लगाये जाने के सम्बन्ध में,

16–प्रदेश व जनपदों के सभी मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में,

17–सम्पूर्ण प्रदेश को साफ–सुथरा रखने के लिये किसी विशेष कार्ययोजना के सम्बन्ध में,

18–उत्तर प्रदेश के समस्त खेती सम्बन्धी विवादों का निपटरा हेतु राजस्व रिकार्ड का जी0आई0एस0 तैयार कराने के लिये किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में,

19–शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् हजारों छात्र–छात्रायें प्रवेश से वंचित रहे। जिनको प्रवेश मिला भी उनकी फीस की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हुई। छात्रों की प्रवेश संबंधी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

20–प्रदेश के कक्षा–8 तक के सभी सरकारी विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनवाने तथा सभी प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

21–प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को जो बिना छत के निवास करने पर मजबूर हैं उनको अनिवार्य रूप से आवास दिलाने के सम्बन्ध में,

22–प्रदेश के ग्रामों में उन सभी परिवारों के लिये जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है उनको शौचालय बिना भेदभाव के दिलाने के सम्बन्ध में,

23–प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भी गरीब लोगों के लिये जिनके पास शौचालय नहीं हैं सर्वे कराकर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–प्रदेश के कुछ जनपदों में 20–25 साल पुराने लम्बित चकबन्दी के वाद निस्तारित न होने के सम्बन्ध में,

25–प्रदेश में दुधारू पशुओं के अवैध कटान को रोकने के लिये किसी विशेष कार्य योजना के सम्बन्ध में,

26–प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

27–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0,

अन्त्योदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

28–प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन व समाजवादी पेंशन वितरण में व्याप्त दलाली, घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,

29–औद्योगिक विकास की गति ठप्प पड़ गई है। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,

30–नहरों की सम्पूर्ण सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

31–बी0पी0एल0 श्रेणी के मरीजों को किडनी व लीवर जैसी गम्भीर बीमारियों में अस्पतालों में भर्ती रहकर इलाज कराने के बाद अस्पतालों से बाहर निकलने के बाद उनके शेष रोग के इलाज की सरकारी स्तर पर व्यवस्था के सम्बन्ध में,

32–प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने, गरीबों को मुफ्त दवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों की तैनाती एवं रिक्त पदों पर नियुक्त करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

33–सरकारी प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

34–विद्यालयों में मिलने वाले मिड–डे मील की पूरी मात्रा मिलने एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने एवं इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार व कालाबाजारी के सम्बन्ध में,

35–प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सुनिश्चित योजना एवं कृषि निवेश की धनराशि पर्याप्त बढ़ाने के सम्बन्ध में,

36–उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये किसी सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

37–प्रदेश के इण्टर व महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य एवं रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

38–प्रदेशवासियों को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण से बचाने के लिये किसी सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

39–नदियों के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने तथा प्रदूषित पेयजल आपूर्ति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

40–महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में,

41–महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने हेतु किसी प्रभावी कार्य योजना के सम्बन्ध में,

42–प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सघन जांच के लिये जिला स्तरीय प्रयोगशालायें स्थापित करने के सम्बन्ध में,

43–प्रदेश के थानों में पुलिस कर्मियों की अत्याधिक कमी होने के सम्बन्ध में,

44–गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में, तथा

45–प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादों को वैट से मुक्त करने के सम्बन्ध में।''

3 श्री प्रदीप माथुर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में अत्यधिक खराब कानून–व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में,

2–प्रदेश में महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार, चेन स्नेचिंग, हत्या इत्यादि की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में,

3–प्रदेश में ठप विकास कार्य को गति देने हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का सभी क्षेत्रों को समान रूप से धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश में तेजी से फैल रहे स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु प्रभावित स्थलों पर टीकाकरण कराने, पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों

में स्वाइन फ्लू की दवा टेमी–फ्लू उपलब्ध कराने तथा प्रभावित रोगियों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किये जाने के सम्बन्ध में,

5–प्रदेश में बेलगाम अफसरशाही तथा अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से सामान्य शिष्टाचार न प्रदर्शित किये जाने, में सुधार के सम्बन्ध में,

6–प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान को समय पर किये जाने के सम्बन्ध में,

7–प्रदेश के धान एवं गेहूं के क्रय केन्द्रों पर फैली दुर्व्यवस्था को दूर करते हुये समान रूप से किसानों के धान एवं गेहूं को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में,

8–प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सघन जांच कराये जाने तथा प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

9–प्रदेश में बन रही देशी एवं जहरीली शराब पर प्रभावी रोकथाम एवं दोषियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में,

10–प्रदेश में डा0 लोहिया समग्र गाम एवं पं0 जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम विकास में चयनित ग्रामसभाओं का चयन के उपरान्त धन न उपलब्ध कराने में सुधार करते हुये ससमय धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

11–पेट्रोल एवं डीजल मूल्यों के घटने के फलस्वरूप सरकारी परिवहन बसों/प्राइवेट यात्री बसों तथा ऑटो का किराया घटाये जाने के सम्बन्ध में,

12–प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों समेत ग्रामीण क्षेत्र में हो रही 08–10 घण्टे विद्युत कटौती में सुधार करते हुये 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

13–प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित, उद्योगों, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का समान रूप से विकास करने

तथा इस हेतु आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

14–प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

15–प्रदेश के मुख्य राजमार्गों की गड्ढायुक्त एवं अत्यधिक टूटी–फूटी सड़कों की तत्काल एवं प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–मथुरा में यमुना नदी पर घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–वृन्दावन में यमुना नदी पर बने पुराने घाटों 1–के0 सी0 घाट, 2–गोविन्द घाट, 3–जगन्नाथ घाट, 4–गोपाल घाट, 5–बारह घाट, 6–पानी घाट, 7–जुगल घाट, 8–भ्रमर घाट एवं 03 अन्य घाटों तथा 02 नये घाटों : 1–अक्रूर–वृन्दावन घाट तथा 2–यमुना के किनारे नये घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–वृन्दावन में राधा–कृष्ण पौड़ी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–मथुरा के मुर्गा फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20–मथुरा को नगर निगम बनाये जाने के संदर्भ में,

21–वृन्दावन को ए–ग्रेड की नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22–मथुरा एवं वृन्दावन क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 200 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प प्रतिस्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–मथुरा–वृन्दावन के देहात क्षेत्र में समुचित पेयजल की जलापूर्ति हेतु पानी की टंकियों से जलापूर्ति न किये जाने तथा उनका रख–रखाव न किये जाने से उत्पन्न स्थिति को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

24–यमुना एक्सप्रेस–वे से मथुरा, यमुना पुल तक चौड़ीकरण एवं डिवाइडर किये जाने के सम्बन्ध में,

25–यमुना एक्सप्रेस–वे से यमुना पुल होते हुये मथुरा–वृन्दावन रोड तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुद्ढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

26–बिड़ला मंदिर मथुरा से वृन्दावन में 100 शैया अस्पताल तिराहे तक 04 लेनिंग किये जाने एवं बी0एम0एस0डी0बी0सी0 तकनीक निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

27–मथुरा के एन0एच0–2 से गोकुल रेस्टोरेन्ट मसानी चौराहे तक चौड़ीकरण, डिवाइडर एवं बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

28–मथुरा स्थित एन0एच0–2 से भूतेश्वर चौराहे तक, एन0एच0–2 से महोली रोड होते हुये नये बस स्टैण्ड तक बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

29–मथुरा एन0एच0–2 से औरंगाबाद होते हुये सिविल लाइन से टैंक चौराहे तक का चौड़ीकरण बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

30–मथुरा एन0एच0–2 से धौली प्याऊ तक डिवाइडर, चौड़ीकरण एवं बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

31–मथुरा स्थित डीग गेट से भरतपुर होते हुये जनरलगंज तक, महोली रोड तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–मथुरा के बी0एस0ए0 कालेज से राधिका बिहार होते हुये एन0एच0–2 तक और सौंख अड्डे–रेलवे क्रासिंग होते हुये क्वालिटी होटल तक तथा म्यूजियम की सड़क निर्माण हेतु तत्काल धन आवंटित करते हुये निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–जनपद–मथुरा के थाना–महावन के अन्तर्गत गोकुल बैराज मोड़ होते हुये चिन्ताहरण महादेव तक जाने वाली रोड पर पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में,

34–मथुरा में यमुना नदी में गिरने वाले

नालों को टेप करते हुये उसके समानान्तर नाला बनाते हुये उसमें दूषित जल को शोधन संयंत्र तक ले जाने तथा शोधन के उपरान्त शोधित जल को खेतों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

35–यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

36–मथुरा के गोकुल बैराज पर गोकुल पार्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

37–मथुरा–वृन्दावन को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

38–मथुरा, वृन्दावन में राधाकृष्ण परिपथ बनाये जाने के सम्बन्ध में,

39–बृज क्षेत्र के 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण तथा पड़ाव स्थलों का समुचित विकास कराते हुये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–मथुरा, वृन्दावन एवं गोवर्द्धन का समग्र विकास समयबद्ध रूप से कराने के सम्बन्ध में,

41–बृज क्षेत्र की संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण एवं विस्तार हेतु बृज एकादमी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

42–मथुरा–वृन्दावन के हेरीटेज मन्दिरों जैसे कि श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री रंगजी मंदिर, राधा–रमण मंदिर, बरसाना मंदिर, के0सी0 घाट, पोतरा कुण्ड तथा अन्य विधि पुरातात्विक मंदिरों को हेरीटेज स्थल घोषित कर उनके विकास हेतु धन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

43–मथुरा शहर के मध्य में स्थित मथुरा संग्रहालय का विस्तार करते हुये उसे एन0एच0–2 पर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

44–पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग की मेगा डेस्टीनेशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मथुरा में यमुना नदी पर

अवस्थित घाटों के निर्माण हेतु दी गयी लगभग रुपये 14.00 करोड़ की धनराशि जो कि विगत् 03 वर्ष से उ0प्र0 शासन में डम्प पड़ी है, को सिंचाई विभाग, मथुरा प्रखण्ड को हस्तानान्तरित किये जाने के संदर्भ में,

45–प्रदेश के 07 बड़े शहरों का जेनर्म योजनान्तर्गत हुये विकास कार्य में अवशेष बचे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

46–मथुरा में सी0एन0जी0 पर आधारित औद्योगिक कलस्टर क्षेत्र की स्थापना चिन्हित क्षेत्र में किये जाने तथा उसमें साड़ी प्रिंटिंग, टोटी, सर्राफा, कांच से बनने वाले उपकरणों को बनाने वाले उद्योगों की स्थापना किये जाने के सन्दर्भ में,

47–टी0 टी0 जेड0 जोन में स्थित मथुरा को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

48–जनपद–मथुरा में लान–टेनिस का 03 कोर्ट का स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

49–मथुरा स्थित जनपदीय स्टेडियम के तरणताल (स्विमिंग पुल) का वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट ठीक कराये जाने, उसमें बिजली का कनेक्शन दिये जाने तथा नलकूप बोरिंग को ठीक कराते हुये शीघ्र तरणताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

50–मथुरा के गणेशरा स्टेडियम में रनिंग ट्रैक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

51–मथुरा शहर में स्थित परिवहन बस स्टैण्ड को नेशनल हाई–वे 2 पर गोकुल रेस्टोरेण्ट के सामने पराग डेरी परिसर में खाली पड़ी जमीन में से 5.00 एकड़ भूमि, नया बस स्टैण्ड बनाये जाने हेतु दुग्ध विकास विभाग द्वारा परिवहन विभाग को लांग टर्म लीज पर लिये जाने तथा बस स्टैण्ड निर्माण के लिये आवश्यक धनराशि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में,

52–इस्लामिया इण्टर कालेज, मथुरा

(मुस्लिम अल्प संख्यक विद्यालय) में 10 अध्यापक के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में,

53–जनपद–मथुरा के मथुरा ब्लाक अन्तर्गत मथुरा–भरतपुर रोड पर अडुकी, धनगांव एवं मुडेसी के पास एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।''

4 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–पश्चिमी उ0प्र0 में हाई कोर्ट बैन्च की स्थापना के सम्बन्ध में,

2–पश्चिमी उ0प्र0 के सबसे बड़े सार्वजनिक धार्मिक आयोजन कांवड़ व्यवस्था हरिद्वार–दिल्ली राजमार्ग के अलावा कांवड़ियों हेतु आवश्यक सुविधाओं से युक्त वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे आस्था के केन्द्र गढ़मुक्तेश्वर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,

4–पश्चिमी उ0प्र0 में बढ़ते पशुवध, बनती मांस मंडी, उसके फलस्वरूप मंहगा होते दूध एवं दूध उत्पाद एवं फलस्वरूप नकली दूध एवं उसके उत्पादन से पटता बाजार एवं जन–स्थ्वास्थ्य के गंभीर खतरे के सम्बन्ध में,

5–मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की जा रही अनियमित और नियम विरुद्ध नियुक्तियों के बारे में,

6–मेरठ के देववती देवी राजकीय कन्या इण्टर कालेज में छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–मेरठ में मंगल पाण्डे राजकीय महिला डिग्री कालेज की आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में,

8–मेरठ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में आवश्यक पदों के सृजन व उन पर नियुक्ति के

सम्बन्ध में,

9–जनपद–मेरठ के नगली तीर्थ स्थल को विकसित करने व सुदृढ़ सड़क मार्ग की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में,

10–मेरठ में 10–05–2014 की दुर्घटना में मृतक शुभम रस्तोगी के परिवार को नौकरी दिये जाने के शासन की सहमति से जिलाधिकारी, मेरठ की घोषणा के सम्बन्ध में,

11–मेरठ महानगर को दिल्ली नोएडा, गाजियाबाद होते हुए मैट्रो रेल सेवा से जोड़ने के सम्बन्ध में,

12–मेरठ में स्वर्ण नगरी की स्थापना के सम्बन्ध में विधान सभा में दिये गये सरकार की सहमति की पूर्ति के सम्बन्ध में,

13–मेरठ में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे के निस्तारण और उससे विद्युत उत्पन्न करने की योजना के सम्बन्ध में,

14–मेरठ नगर विधान सभा क्षेत्र में ब्रह्मपुरी क्षेत्र (भूमिया पुल, आलोक विहार, मास्टर कालोनी, गनेशपुरी, गौतम नगर, भगवतपुरा, शिव शक्ति नगर, बहादुर मोटर) बागड़ियान मोहल्ला, अजंता कालोनी, जैन नगर, सैनकपुरा, हरिनगर, इन्द्रानगर तथा क्षेत्र की जनता जल भराव, जल निकासी, टूटी सड़कों, अंधेरी गलियों के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर है के सम्बन्ध में,

15–मेरठ नगर के मोहल्ला रौनकपुरा के खस्ताहाल वाल्मीकि क्वार्टरों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में,

16–हापुड़ अड्डे मैट्रो चौपला और पुरानी दिल्ली चुंगी तक की सड़क (गढ़ सोनीपत मार्ग पर मिसिंग लिंक को भारी वाहनों की आवा–जाही होने के कारण लोक निर्माण मानक के अनुरूप) बनाने के सम्बन्ध में,

17–मेरठ–दिल्ली जाते समय मोदीनगर और मुरादनगर में लगने वाले जाम और उसके कारण होने वाले ईंधन और समय की बरबादी के सम्बन्ध में,

18–मेरठ में बेगम पुल व एल ब्लाक चुंगी के बीच में जल भराव के लिए जिम्मेदार दो डाट की पुलियों को लिंटर की पुलियों में परिवर्तित करके जल भराव से सुविधाजनक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19–मेरठ में जल निकासी के लिए वास्तविक जिम्मेदार ओडियन नाले की नगर निगम द्वारा सफाई न किये जाने और उसके कारण महानगर की जनता को जल भराव से त्रस्त होने के बारे में,

20–मेरइ महानगर की विभिन्न प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उपलब्ध नक्शों के आधार पर सड़क के मध्य से दोनों ओर फीता डालकर हो रहे अतिक्रमण से मुक्ति और जाम से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में,

21–मेरठ महानगर में उत्सर्जित जल जोकि आबू नाला नं0–1 व 2 और ओडियन नाले के माध्यम से होता है और यह नाले जाकर काली नदी में मिलते हैं, काली नदी का तल ऊंचा हो गया है, काली नदी में नालों के खुलने के स्थान पर अब और डाउन स्ट्रीम में काली नदी के तल को नींचा करने के सम्बन्ध में,

22–मेरठ में दिन में जलने वाले मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को दिन में बन्द करने के लिए मार्ग प्रकाश के फेस वायर लगाने के सम्बन्ध में,

23–मेरठ–दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन/8 लेन/16 लेन करने के सम्बन्ध में गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतमबुद्धनगर जनपद में भूमि अधिग्रहण और किसानों से भूमि लेने के सम्बन्ध में,

24–मेरठ में मेडिकल कालेज अस्पताल को उन्नत कर एम्स/पी0जी0आई0 जैसी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

25–मेरठ में वर्तमान में कार्यरत प्यारे लाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय शहर के मध्य भीड़–भाड़ इलाके में होने के कारण आपातकालीन स्थिति में किसी भी मरीज को पहुंचाना कठिन हो गया है। अतः दिल्ली रोड पर देवनागरी

पालीटेक्निक के सामने स्वास्थ्य विभाग की 18 हजार गज जमीन पर इस अस्पताल का द्वितीय परिसर स्थापित करने के सम्बन्ध में,

26–गेंहू और धान के सीजन में खरीद केन्द्रों की स्थापना न किये जाने और किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में,

27–गन्ना किसानों के पिछला शेष भुगतान, इस सत्र का भविष्य में गन्ना भुगतान कैसे होगा, के सम्बन्ध में,

28–किसानों के साथ कर्ज माफी में धोखा करने के सम्बन्ध में,

29–उ0प्र0 में बिजली की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अन्तर की पूर्ति की क्या योजना है और क्या समय–सीमा है, इसके सम्बन्ध में,

30–बेरोजगार नौजवानों तथा जिला रोजगार केन्द्र की वास्तविक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

31–प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ का स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

32–गौ–वध निषेध कानून के रहते हुए प्रदेश में बढ़ते गौ–वध को रोकने के सम्बन्ध में,

33–प्रदेश में बढ़ते पेय जल संकट, दुर्भाग्यपूर्ण विकसित होते डार्कजोन की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

34–राज्य सरकार की सड़कों की दुर्दशा और विकास कार्यों में उपेक्षा जिसका प्रमाण स्वीकृत बजट के राज्य भाग और जिला योजना भाग में निर्धारित धनराशि का मुक्त न होना और अवमुक्त धनराशि का उपयोग न होने के बारे में,

35–प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से प्रतिवर्ष हजारों बच्चों को लील रहा है, के सम्बन्ध में,

36–विधायकों के विकास कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराने में पक्षपात पूर्ण नीति के सम्बन्ध में,

37–प्रदेश में असंतुलित बढ़ रही जनसंख्या

को सार्वजनिक दृष्टि से संतुलित करने के सम्बन्ध में किसी कार्य योजना के बारे में,

38–लोहिया ग्राम के नाम पर ग्रामीण विकास क्षेत्र के योजना के निर्धारण में भा0ज0पा0 विधायकों के साथ हो रही पक्षपात पूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में,

39–केन्द्र सरकार द्वारा डीजल/पेट्रोल का रेट घटाने के बावजूद यात्री एवं माल परिवहन के परिचालन दर में अपेक्षित कमी कर जनता को लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में,

40–प्रदेश में पैर पसारते स्वाइनफ्लू के निदान और उपचार के सम्बन्ध में,

41–प्रदेश में व्याप्त हो रहे उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और परिणाम स्वरूप जनता में हो रही बेचैनी की जब उच्च स्तरीय लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो सामान्य जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी, के सम्बन्ध में,

42–यादव सिंह प्रकरण और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी अपना उद्देश्य प्राप्त न करने वाली नोएडा प्राधिकरण और उसके भ्रष्ट अधिकारियों के सम्बन्ध में,

43–प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही दुराचार की घटनाओं, सरकार की घोषित कथित 1090 योजना में प्राप्त शिकायतों और उनका प्रकार और उन पर की गई कार्यवाही और उसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में,

44–प्रदेश की बद्तर कानून व्यवस्था दरोगाओं और सिपाहियों को अपराधियों द्वारा मारे जाने, शहर के भीतर और बाहर जनता में व्याप्त हो रही असुरक्षा के बारे में,

45–प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् अपने मूल उद्देश्य सामान्य, गरीब एवं मध्यम वर्ग की जनता को आवास एवं स्वाथकर वातावरण उपलब्ध कराये जाने के मूल उद्देश्य से भटक कर बड़े–बड़े बिल्डरों के जाल में फंसकर भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त होने के बारे में,

46–प्राधिकरण एवं प्राइवेट बिल्डरों द्वारा विकसित कालोनियों में जल सुविधाओं का सर्वथा अभाव और उनको मानक के अनुरूप स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में,

47–उ0प्र0 में किसानों की लंबित मुआवजे प्रकरण का योजनाबद्ध निस्तारण करने के सम्बन्ध में,

48–उत्तर प्रदेश के ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली चोरों को सजा देने में विद्युत पावर कारपोरेशन, विद्युत नियामक आयोग की सांठ–गांठ से विद्युत मूल्य वृद्धि कर उत्पीड़न करने तथा पुनः विद्युत नियामक आयोग में विद्युत पावर कार्पोरेशन द्वारा विद्युत दर बढ़ाने की अपील करने के सम्बन्ध में,

49–दिनांक 10–02–2015 को विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आंदोलन पर लखनऊ की पुलिस द्वारा दमन चक्र करके कर्मचारियों के उत्पीड़न करने के बारे में,

50–प्रदेश में आंदोलनरत् होमगार्डों की सेवा शर्तों और उनकी मांगों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में,

51–उ0प्र0 में मंत्री तथा विधयक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (अधिनियम 19, 1975) अभी तक अनिवार्य रूप से लागू न होने के बारे में,

52–प्रदेश में लंबित मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरणों के बारे में,

53–सरकार द्वारा नगर निगम के माध्यम से अंधाधुंध टैक्स बढ़ाकर आम जनता का उत्पीड़न करने के बारे में,

54–विधवा, वृद्धावस्था, विकलांगता पेंशन व छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति करने, समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

55–आपातकाल के मीसा बन्दियों की पुनः घोषित व लागू भत्ते की योजनाओं में 11 माह में एक भी पैसा न दिये जाने के सम्बन्ध में,

56–प्रदेश में खाद्य पदार्थों की लखनऊ

स्थित प्रयोगशाला के सृदृढ़ीकारण के सम्बन्ध में,

57–प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ध्वस्त व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में,

58–मंहगाई नियंत्रित करने में असफल रहने के सम्बन्ध में,

59–प्रदेश के स्थानीय निकायों में विशेषतः मेरठ नगर निगम में स्वीकृत रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियमित भर्ती करने के सम्बन्ध में,

60–प्रदेश में फर्जी मार्कसीट के आधार पर उर्दू शिक्षकों की हो रही भर्ती के सम्बन्ध में,

61–बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा परिषद् के 1500 सहायक अध्यापक की भर्ती में रिक्तियां बढ़ाने के सम्बन्ध में, तथा

62–उ0प्र0 सहकारी समिति के कर्मचारियों के 10 वर्षों से अधिक बकाया वेतन दिलाने के सम्बन्ध में।''

5 श्री बब्बन सिंह चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र मुगलसरांय के विकास खण्ड नियमताबाद में छित्तमपुर से कमलापुर वाया पंचवटी जर्जर मार्ग ठीक कराने के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र मुगलसरांय के विकास खण्ड नियमताबाद के पड़ाव से वाया सकुराबाद होते हुए सहजौर तक जर्जर मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में,

3–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में दुलहीपुर से वाया व्यासपुर होते हुए फतेहपुर होते हुए परोरवा मेन रोड जर्जर मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में,

4–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड चन्दौली के ग्राम सभा बबुरी से होते शाहपुर डगरा मार्ग होते हुए एन0एच0 हाई–वे तक जर्जर

मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में,

5–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड चन्दौली से नहर कैनाल होते हुए ग्राम सभा गोरारी तक जर्जर मार्ग ठीक कराने के सम्बन्ध में,

6–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम सभा सतपोखरी में जल निकासी एवं ग्राम सभा की जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में ग्राम सभा मड़िया (पड़ाव) जल निकासी एवं ग्राम सभा के क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में,

8–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में अमोधपुर में जल निकासी एवं जर्जर रोड को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम सभा लौंदा, हिंदवारी, चौराहा, सैमरा कटेसर में पेयजल टंकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

11–विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम सभा हरिशंकरपुर मुस्लिम बस्ती, सतपोखरी, दुलहीपुर, मड़िया, अलीनगर, नई बस्ती (आलू मिल), मलोखर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि एवं जर्जर तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में।''

6 श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद महोवा की सदर सीट महोवा विधान सभा क्षेत्र के खनिज क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी, गंज, बरी, ग्योंडी, काजी बम्हौरी, जुआर, भटेवर, करात पहाड़ी, पहरा, खरका, सनैचा,

सुकौरा, रैवारा, धरौंन, अलीपुर, डहर्रा, मकरबई, सुरहा, उठवत इत्यादि ग्रामों की सम्पूर्ण सड़कें पूर्णतः ध्वस्त हैं जिनके निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

2–महोबा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भागना में पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण एवं पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में,

3–महोबा विधान सभा क्षेत्र के कलरई नगर में पेयजल हेतु कलशहा बाबा क्षेत्र में पानी की टंकी के शीघ्र निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

4–महोबा नगर में ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

5–महोबा विधान सभा क्षेत्र में अर्मिल बांध से जल आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

6–महोबा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु 500 हैण्डपम्प अतिशीघ्र चयनित स्थानों पर स्थापित करने के सम्बन्ध में,

7–महोबा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के अवशेष क्षेत्र में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

8–महोबा क्षेत्र के प्रमुख विद्युत विहीन ग्राम खरका, पहरा, बरहरा कलां, मकरनई, डमिलिया, बिलवार्ड, बरबई, ज्यौरइया, खम्हरिया, मडरा मजरा, दमौरा, सिंघनपुर, बछारी, किडारी, बहिंगा, कहरा, बलिया तलां, शाहपहाड़ी ग्रामों के शेष भाग में शीघ्र विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,

9–महोबा क्षेत्र के समस्त आवासीय क्षेत्र से एच0टी0 विद्युत लाइन अलग किये जाने के सम्बन्ध में,

10–महोबा विधान सभा क्षेत्र में खराब ट्रांसफारमर ठीक करने, बदले जाने एवं जर्जर तार बदले जाने के सम्बन्ध में,

11–महोबा विधान सभा क्षेत्र में लो–बोल्टेज की समस्या, समाप्त करने हेतु उच्चशक्ति के ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में,

12–महोबा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पिपराभाक, नरौना, मडरा, खरका, सिरसी कलां, तिन्दुरी, पचपहरा, अरधार, अकबई, बहिंगा, ग्योंडी,

छानीकलां, खरेला क्षेत्र के ग्राम छवारी, पहरेथा, ऐंचाना का उन ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

13–महोबा जिला अस्पताल के मानक के अनुरूप पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टर, अन्य स्टाफ तथा चिकित्सा संसाधनों को शीघ्र पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

14–महोबा विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु ऐतिहासिक कीरत सागर, विजय सागर, पक्षीविहार, मदन सागर, कल्याण सागर, बीजा नगर तालाब का सुन्दरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15–महोबा विधान सभा क्षेत्र के ऐतिहासिक, प्राचीन मंदिरों में बड़ी चन्द्रिका, छोटी चन्द्रिका, गोखारगिरी पहाड़, शिवताण्डव मंदिर, मनियादेव मंदिर, ताला सैय्यद मजार के सुन्दरीकरण के सम्बन्ध में,

16–महोबा क्षेत्र में वीर अमर शहीदों की स्मृति में स्मारक, पार्क बनाने के सम्बन्ध में,

17–महोबा, विधान सभा क्षेत्र में श्री जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम धवारी, रैपुरा, काकुन, सिजहरी, सिजवाहा, बनियातलां में सम्पूर्ण विकास शीघ्र करने के सम्बन्ध में,

18–महोबा क्षेत्र के नगर में महोबा में शिक्षा हेतु राजकीय महिला विद्यालय, इण्टर कालेज अतिरिक्त खोलने के सम्बन्ध में,

19–महोबा के वीरभूमि महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में,

20–महोबा क्षेत्र के ग्रामों में राजकीय स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,

21–महोबा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लुहेडी, कैमाहा, रिबई, चन्दपुर, मवई खुर्द, उरबारा, अतरार आदि ग्रामों में नवीन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,

22–महोबा विधान सभा क्षेत्र के कनरई पत्थर मंडी एवं पत्थर उद्योग से जुड़े सभी व्यापारियों को विस्फोटक के लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में,

23–महोबा के पत्थर व्यापारियों को उचित

संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

24–महोबा क्षेत्र के पत्थर उद्योग, मूर्तिकला उद्योग, पीतल उद्योग, पान व्यापारियों को आवश्यक सुविधा के सम्बन्ध में,

25–महोबा विधान सभा क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था ठीक करने के सम्बन्ध में,

26–महोबा जनपद में शीघ्र जनपद कारागार के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तथा

27–महोबा क्षेत्र के किसानों को अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा शीघ्र दिलाने के के सम्बन्ध में।''

7 डा0 रमेश चन्द्र बिन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :–

1–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

2–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में नकली दवाईयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

3–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में उत्पन्न हो रही पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में,

4–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सरकार द्वारा की जार रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची को रोकने के सम्बन्ध में,

5–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे शासकीय काम–काज के सम्बन्ध में,

6–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र

मझवां में बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

8–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

9–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में,

10–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिये जाने से रोकने के सम्बन्ध में,

11–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों में अराजकता का माहौल दूर करने तथा शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

12–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

13–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में गरीब लोगों की पुत्रियों की शादियों में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

15–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

16–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

17–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में किसानों को खाद, बीज व पानी समय

पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में वित्तीय, कानून व्यवस्था को सरकार द्वारा सुधारने के सम्बन्ध में,

19–जिला–मिर्जापुर मझवां विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पहाड़ी जमतुवा का बंधी का निर्माण एवं बेलवनपुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत टाण्डाफाल नहर का नये सिरे से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत 500 नये नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

22–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दिये जाने के सम्बन्ध में,

23–जिला–मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में,

24–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारंटी देने के सम्बन्ध में,

25–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,

26–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में किसानों के गेहूं की खरीददारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

27–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में कन्या विद्या धन योजना के निष्पक्ष व निश्चित मानक लागू कर सर्वसमाज के गरीब बालिकाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में,

28–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के किसानों को खाद बीज एवं पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में गरीबों की भूमि पर एवं घरों पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के सम्बन्ध में,

30–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

31–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने एवं सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने तथा पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के ब्लाक–सीटी, पहाड़ी, मझवां एवं कछवां टाउन एरिया में लगभग 3000 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

33–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां की गरीब जनता बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

34–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड–सीटी में स्थित गोरसण्डी को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

35–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत विकास खण्ड–पहाड़ी में बिल्ठम फाल से दांती सम्पर्क मार्ग को वन विभाग द्वारा रोके गये कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड सीटी में हर्रई नदी पर समोगरा से हर्रई सम्पर्क मार्ग पर सड़क व पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

37–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड सीटी व पहाड़ी में रेलवे लाईन के दक्षिण तरफ के गांवों में ट्यूबेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में,

38–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के देहात कोतवाली के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

39–जिला–मिर्जापुर में मण्डलीय जिला चिकित्सालय में न्यूरोलाजिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट, यूरोलाजिस्ट, गैस्टोलाजिस्ट, सुपर स्पेशिलिस्ट डा0 नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

40–जिला–मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

8 श्री उमेश पाण्डेय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :–

1–समाजवादी पार्टी के विधायकों, कार्यकताओं द्वारा खुले आम अराजकता फैलाने एवं आतंक का महौल पैदा करने के सम्बन्ध में,

2–प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

3–नकली दवाईयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में,

5–निरतंर बढ़ रही मंहगाई के सम्बन्ध में,

6–सरकार द्वार की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची को रोकने के सम्बन्ध में,

7–किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे शासकीय काम–काज के सम्बन्ध में,

8–महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9–जिला–मऊ के मधुवन विधान सभा क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

10–प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,

11–बाल मजदूरी व बधुंआ मजदूरी पर पाबंदी लगाने के सम्बन्ध में,

12–हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिये

जाने से रोकने के सम्बन्ध में,

13–सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों में अराजकता का माहौल दूर करने तथा शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

14–प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

15–जिला–मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–प्रदेश में गरीब असहाय लोगों की पुत्रियों की शदियों में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

17–मंत्रियों एवं उच्च राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रतिपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

18–सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

19–चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

20–किसानों को खाद, बीज व पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–प्रदेश में वित्तीय, कानून व्यवस्था को सरकार द्वारा सुधारने के सम्बन्ध में,

22–जिला–मऊ के विधान सभा क्षेत्र के विकास–खण्ड–दोहरी घाट में स्थित एशिया की सबसे बड़ी पम्प कैनाल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–जिला–मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के मधुवन बाजार को टाउन एरिया का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

24–जिला–मऊ के मधुवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कम से कम 600 नये नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

25–जिला–मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 24 घण्टे विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में,

26–जिला–मऊ के विधान सभा क्षेत्र के मधुवन के तीनों ब्लाक मधुबन, दोहरीघाट एवं बडरांव में नहरों पर टूटे हुए पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27–जिला–मऊ के विधान सभा क्षेत्र के मधुवन की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत दुबारी को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

28–जिला–मऊ के विधान सभा क्षेत्र के मधुवन में जर्जर सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–जिला–मऊ में स्थित तालाबों एवं पोखरों पर किये जा रहे अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

30–जिला–मऊ में स्थित डा0 भीम राव अम्बेडकर स्टेडियम में छात्रावास बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

31–जिला–मऊ–दोहरीघाट के अन्तर्गत सरयू नदी में लूप कटिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

9 श्री नीरज कुशवाहा मौर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो रामगंगा नदी के किनारे स्थित गांब मौजमपुर सिठौली, नेवादा, किलापुर, हरिहरपुर, कुनियां, शाहनजीरपुर से कुडरिया तक बांध/ठोकर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद के ग्राम लक्षमणपुर की स्रोतनदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध

में,

3–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद वि0ख0–मिर्जापुर के ग्राम पश्चिमी कबरा सलेमपुर को जोड़ने हेतु आर0सी0सी0 पुलिया/रपटा काजवे बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4– जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद वि0ख0–जलालाबाद में ग्राम सिकन्दरपुर अफगानान से मुडियाखुर्द को जाने वाला सम्पर्क मार्ग एवं सिकन्दरपुर अफगानान से करनापुर जाने वाला सम्पर्क मार्ग दोनों मण्डी परिषद् से बनायी गयी थी हालात अत्यन्त जर्जर एवं गढ्ढे होने के कारण ग्राम करना पुर व मुडियाखुर्द में हमेशा जल भराव रहता है। कृपया मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद वि0ख0–जलालाबाद में स्थित ग्राम संगहा व ओइला थाथर मई आदि गांव को जोड़ने हेतु बहगुल नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद वि0ख0–मिर्जापुर के ग्राम भरतपुर पैलानी सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं गढ्ढे होने के कारण जल भराव बना रहता है। मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद आजादी के 67 वर्षों के बाद भी तमाम गांवों में विद्युतीकरण से वंचित हैं। सर्वे कराकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद से कोलाघाट होकर वाया मिर्जापुर कलान बदायूं, जनपद को जोड़ने वाला स्टेट हाइवे 43 अत्यन्त जर्जर होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त हाइ–वे को तत्काल फोरलेन हाट मिक्स द्वारा बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9–जनपद–शाहजहांपुर की तहसील–जलालाबाद के अन्तर्गत सर्वे कराकर

कच्चे मार्गों को पक्का बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

10–जनपद–शाहजहांपुर के थाना परौर के गांव रजुआपुर, चितानगला आदि जो कि थाने से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण उक्त गांवों को नजदीकी थाना कलान से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।''

10 श्री ओम कुमार प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत बिलाई शुगरमिल के द्वारा किसानों के गतवर्ष का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

2–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत में एक नरभक्षी बाधिन द्वारा लोगों का शिकार करने से हुई मृत्यु में मारे जाने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता देने के सम्बनध में,

3–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत पानी की समस्या को देखते हुए 2000 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प देने के सम्बन्ध में,

4–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत अधूरी पड़ी सड़कों/लिंक रोड रोड जनहित में तत्काल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

5–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत पुरानी विद्युत लाइन जर्जर तारों को बदलवाने तथा नये ट्रांसफार्मर लगवाने के सम्बन्ध में,

6–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत बालक बालिकाओं के खेलों के लिए स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

7–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनवाने के सम्बनध में,

8–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत नहटौर और हल्दौर के सरकारी अस्पताल में प्रर्याप्त डाक्टर, एवं महिला चिकित्सक, दवा,

पैथालॉजी सुविधा की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के किसानों का ऋण माफ करने के सम्बन्ध में,

10–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के प्राइमरी व जूनियर स्कूल में प्रर्याप्त अध्यापकों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत बिलाई शुगरमिल के गन्ना सेन्टरों पर हो रही घटतौली की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

12–विधानसभा क्षेत्र नहटौर व हल्दौर में बालिका राजकीय इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में,

13–विधानसभा क्षेत्र नहटौर में इण्डियन गैस वितरण का कोई गोदाम न होने के सम्बन्ध में,

14–विधानसभा क्षेत्र नहटौर व हल्दौर में मानक पूर्ण होते हुए भी तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15–विधानसभा क्षेत्र नहटौर व हल्दौर के विकास खण्ड के ग्राम करीमपुर सिरोहा गिरधर, थम्मूचाऊ, दर्गोपुर नगली, गगोड़ा मिलक, सीकरी बुजुर्ग, विकास खण्ड बिजनौर के ग्राम धौकलपुर, हादरपुर, फत्तेपुर, लावलपुर, गोपालपुर विकास खण्ड अल्लापुर के ग्राम परमावाला मनकुआ, दौलतपुर, शेखूपुरा इथ्थामुक्ता में बरात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

16–विधानसभा क्षेत्र नहटौर एवं हल्दौर के ग्राम कनखेड़ी ग्राम टपरौला, गोवर्धनपुर नंगली, धनौरी, डल्लू धनौरा, पालीजट, गोपालपुर, भटियाना खुशहालपुर में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,

17–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत ग्राम कश्मीरी आबूनीसार में हुए एक्सीडेन्ट में जाम न लगाने के बावजूद पीड़ित पक्ष पर मुकदमा होने के सम्बन्ध में, तथा

18–विधानसभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत हल्दौर कस्बों में बसों के संचालन के सम्बन्ध में।''

1	श्री गयाचरण दिनकर	1	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–उ0 प्र0 की हर स्तर पर ध्वस्त कानून व्यवस्था से प्रदेश के हर वर्ग के लोगों में व्याप्त भय, दहशत, असुरक्षा व अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करने की दृढ़ इच्छाशक्ति प्रतिबद्वता एवं संवैधानिक कर्तव्यों व दायित्वों के निर्वहन की सकारात्मक भूमिका के सम्बन्ध में,

2–उ0 प्र0 में राजनैतिक बदले की भावना से अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धामिक अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्गों के साथ की जा रही गुण्डागर्दी, अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण व बेलगाम नौकरशाही के भेदभाव परक दुर्व्यवहार से त्रस्त लोगों के मौलिक मानवीय व संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा तथा संरक्षण के सम्बन्ध में,

3–उ0 प्र0 के उद्योग शून्य व अति पिछड़े जनपद बांदा की बुनियादी आवश्यकताओं व प्रस्तावित कार्य योजनाओं एवं परियोजनाओं के प्रति उपेक्षा एवं भेदभावपूर्ण रवैये में सुध की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में,

4–उ0 प्र0 सरकार द्वारा विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों से खरीदे गये धान का बकाया भुगतान किये जाने की समय सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में,

5–उ0 प्र0 के परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र/छात्राओं की सरकार द्वारा रोकी गयी छात्रवृत्ति यथावत किये जाने के सम्बन्ध में,

6–अनु0 जाति की पुत्रियों की शादी अनुदान एवं बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिये अनुदान के लिये लम्बित/वांछित धनराशि अवमुक्त किये जाने की समय–सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में,

7–उ0 प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की पुत्रियों की शादी व

बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु रोके गये शादी अनुदान/बीमारी अनुदान को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

8–उ0 प्र0 में अधिकतम 2000 उपभोक्ताओं के लिये ग्रामों व नगरों में उचित दर विक्रेताओं की व्यवस्था निर्धारण के सम्बन्ध में,

9–उ0 प्र0 के समस्त उचित दर विक्रेताओं को न्यूनतम निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से मासिक मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में,

10–उ0 प्र0 की समस्त उचित दर की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से 5.00 बजे शायं तक उपभोक्तागण को खाद्यान्न/आवश्यक सामग्री व वस्तुयें विवरण के निर्णयादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में,

11–उ0 प्र0 के समस्त पृथक परिवारों के लिये उचित श्रेणी का राशन कार्ड जारी किये जाने जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम व उनकी जन्मतिथि तथा परिवार के सभी सदस्यों की समस्त स्रोतो से आय का स्पष्ट उल्लेख हो, के सम्बन्ध में,

12–उ0 प्र0 के समस्त निराश्रित, असहाय व विपन्न, शारीरिक रूप से अशक्त महिला–पुरुषों को खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की सुगम एवं अनिवार्य आपूर्ति हेतु उन्हें किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले व आवश्यक वस्तुओं की दुकान से खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने की वैधता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

13–जनपद बांदा के तहसील मुख्यालय नरैनी, फतेहगंज, गिरवां, कालिंजर, अतर्रा, कस्बा बदौसा, ओरन, विसण्डा, बबेरू, कमासिन, तिन्दवारी, पैलानी, जसपुरा मटौंध में अनु0 जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों के लिये छात्रावासों के निर्माण के सम्बन्ध में,

14–उ0 प्र0 के पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को रु0 5000/– व अध्यक्ष को रु0 10,000/– मासिक दर से मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में,

15–उ0 प्र0 में पंचायतों के चुनाव की महत्ता व उद्देश्य की गरिमा व निष्पक्षता के लिये क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों व जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का निर्वाचन डेलीगेट्स की बजाय सीधे

मतदाताओं से कराये जाने हेतु नीतिगत निर्णय लेने के सम्बन्ध में,

16–जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति हेतु केन नदी की नहरी वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान व बागेन नदी के गुढ़ाकला वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट व किला कालिंजर बहादुरपुर के सगरा बांध के निर्माण हेतु वांछित धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में,

17–केन नदी के बरसड़ा घाट पर जल भण्डारण कर 1) कि0मी0 नहर बनाकर सिंचाई जल की आपूर्ति मुख्य नहर में करने की परियोजना की तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

18–जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी क्षेत्रान्तर्गत 100 या उससे अधिक आवास वाले अविद्युतीकरण मजरों/ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु क्ण्च्ण्त्ण् भारत सरकार को अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में,

19–जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी में पक्की सड़क से अनजुड़े ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़े जाने हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

20–जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी के कस्बों व ग्रामों की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हेतु शहबाजपुर, नहरी, सढ़ा, बहेरी, साधौपुर (भुसासी) बघेलाबारी, नांदनमऊ, शाहपुरसाद म्रें 33/11 ज्ञण्टण् क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में,

21–जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी के सिंचाई साधन रहित ग्रामों में कृषकों के आर्थिक उन्नयन हेतु राजकीय सिंचाई नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

22–जनपद बांदा की सीमा अन्तर्गत ैभ्71 के बिसण्डा–अतर्रा के मध्य 5 कि0मी0 अतर्रा–नरैनी के मध्य 1 कि0मी0 अधूरे अंश का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी में ओरन–बिसण्डा निर्माणाधीन मार्ग का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी, सीमा अन्तर्गत बागेन नदी

शाहपाटन–परशहर व राजापुर–नौगवां व उतरवां–नई दुनियां व पशरा–महई कलसारी भदावल–भर्रइया व रंज नदी में नेढुवा–चनपुरा व केन नदी में लहुरेटा घाटों पर सुविधा, आर्थिक उन्नयन हेतु पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में,

25–जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु ग्राम शहबाजपुर, नौगवां, रानीपुर, छतैनी, सिंघौरा, नहरी, पुकारी, संग्रामपुर, कल्यानपुर, तुर्रा, गंड़ाव, साधौपुर (भुसासी) शाहपुरसानी, उतरवां, मुंशीपुरवा (भदावल दशरथ पुरवा) (मोतियारी), दरगाहीपुरवा (बांसी), नौहाई में एक–2 एलोपैथिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में,

26–जनपद बांदा के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) 2014–15 के सामान्य मद में आवंटित धनराशि रु0 33.122 लाख आवश्यकता की दृष्टि से बढ़ाकर रु0 2.00 करोड़ किये जाने के सम्बन्ध में,

27–उ0 प्र0 के पुलिस स्टेशनों (थाना, कोतवाली, पुलिस चौकियों) में योग्य अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिकारियों/कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता के बाद भी अयोग्य, अनुभवहीन अक्षम व कनिष्ठों की तैनाती की अवैध व अनैतिक प्रक्रिया पर लगाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

28–उ0 प्र0 में धार्मिक उन्माद पैदा कर जनता के जान, माल, ईमान व मजहब खतरा पैदा करने वाले अराजकतत्वों के विरुद्ध कठोरतम् कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

29–जनपद बांदा सीमा अन्तर्गत केन नदी, यमुना नदी, बागेन नदी, रंज नदी व अन्य नदियों के सैकड़ों घाटों से बालू माफियाओं, पुलिस प्रशासन व खनन विभाग सांठ–गांठ से अंधाधुन्ध बेखौफ अवैध बालू खनन को रोकने व अवैध खनन तथा व्यापार संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोरतम् कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

30–उ0 प्र0 में अंधविश्वास, पाखण्ड व कुरीतियों तथा संवैधानिक व मौलिक अधिक को समाप्त करने अथवा न्यून करने जैसे असंवैधानिक एवं राष्ट्र विरोधी क्रिया–कलापों संलिप्त

व्यक्तियों/संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने व उनके विरुद्ध कठोरतम् वैधानिक कार्यवाही की कार्य योजना घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।''

12 श्री गेंदा लाल चौधरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद हाथरस के ब्लाक सासनी की अधोलिखित सड़कों का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सासनी–विजयगढ़ मार्ग से कौमरी तक, सासनी– इगलास रोड से हरदपुर तक, सासनी–इगलास रोड से बसगोई तक, सासनी इगलास रोड से छोड़ा तक, सासनी–इगलास रोड से जरौली तक, अलीगढ़–आगरा रोड से दरकौली तक, सलेमपुर से टौड़ तक, जसराना से सिर्घर तक, सासनी– विजयगढ़ रोड से नगला मियां तक, सासनी–नानऊ रोड से मढ़ाराक रेलवे स्टेशन तक, सासनी–विजयगढ़ रोड से टिकारी तक बाया कौमरी बम्बा,

2–जनपद हाथरस के ब्लाक सदर की अधोलिखित सड़कों का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में हाथरस–जलेसर रोड से सिकन्दरपुर, हाथरस–जलेसर रोड से गढ़ी गिरधरा, हाथरस–जलेसर रोड से पैकवाड़ा तक, हाथरस–जलेसर रोड से इगलास, हाथरस–जलेसर रोड से धातुरा, नगला मनी से विसरात, हाथरस–मुरसना रोड से कपूरा तक, हाथरस जंक्शन से पहाड़पुर तक, हाथरस–सिकन्दराराऊ रोड से वाहनपुर तक,

3–जनपद हाथरस की अधोलिखित पुलियों के चौड़ीकरण का कार्य–सोखना के पास हाथरस–सिकन्दराराऊ रोड पर कांशीराम आवास कालोनी के पास हाथरस–जलेसर रोड पर, हाथरस–मुरसान रोड पर गन्दे नाले की पुलिया, तथा

4–जनपद हाथरस में अधोलिखित कार्य कराया जाना भी जनहित में आवश्यक है–कटेलिया से टोडरपुर तक मार्ग का नवनिर्माण,

सासनी–विजयगढ़ रोड से नगला विजईया तक वाया बालाजी कोल्ड स्टोर तक, रघनिया से सुमिरतगढ़ी तक, सासनी–नानऊ रोड से नगला नन्ही तक एवं सासनी–विजयगढ़ रोड से बाधनू एवं नानऊ रोड तक।''

13 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–गोरखपुर स्थित बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2–पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस पर रोकथाम हेतु पुनः टीकाकरण कराये जाने तथा अभी तक अनुसंधान की सभी सुविधायें गोरखपुर में ही उपलब्ध न किये जाने के सम्बन्ध में,

3–गोरखपुर में स्वायत्त कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषि संकाय की स्थापना के सम्बन्ध में,

4–पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिक पिछड़ेपन के बावजूद इस क्षेत्र के विकास की कोई योजना बनाने तथा उद्योगपतियों को विशेष छूट देकर इस क्षेत्र में उद्योग धन्धे लगाने के लिये प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,

5–गोरखपुर महानगर में 12 वर्षों से बन्द पड़े फर्टिलाइजर के कारखाने को पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

6–पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के रोकथाम हेतु कोई स्थाई, प्रभावी तथा कारगर योजना के सम्बन्ध में,

7–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

8–पूर्ववर्ती सरकार की गोरखपुर विश्वविद्यालय में किशक गोरखपुरी पीठ की

स्थापना के सम्बन्ध में सदन में की गयी घोषणा का अनुपालन करने के सम्बन्ध में,

9–गोरखपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

10–गोरखपुर महानगर में सिविल एयरपोर्ट की स्थापना करने के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश में विद्युत की भीषण कमी को दूर करने के लिये कोई कारगर योजना बनाने के सम्बन्ध में,

12–प्रदेश की बिगड़ती कानून–व्यवस्था पर नियंत्रण में सरकार की पूरी असफलता के सम्बन्ध में,

13–पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान का क्रय लक्ष्य से अत्यधिक कम होने तथा गन्ना किसानों के हजारों करोड़ के भुगतान के बकाया होने के सम्बन्ध में,

14–गोरखपुर शहर विधान सभा की सीमा अन्तर्गत एक बड़े हिस्से में पाइप पेयजल आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में,

15–गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह पर लगे हुए स्थगन आदेशों को हटाये जाने तथा मुकदमों की पैरवी में विधिक अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रुचि न लिये जाने के सम्बन्ध में,

16–गोरखपुर शहर विधान सभा के सीमान्तर्गत एक बड़े हिस्से में जल निकासी हेतु नालों की कोई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में,

17–गोरखपुर महानगर के एक बड़े हिस्से के कच्ची/खड़न्जे की सड़कों को न बनवाकर पहले से बनी हुयी सड़कों को बार–बार बनवाने के सम्बन्ध में,

18–गोरखपुर नगर निगम में अत्यन्त घटिया पत्थर की ईंटों द्वारा इंटरलॉकिंग सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में,

19–गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई गयी बहुत सी कालोनियों को अभी तक नगर निगम को हैण्डओवर न होने के सम्बन्ध में,

20–गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत कोलोनाइजर या लैण्ड डेवलेपर द्वारा अत्यन्त अधोमानक कालोनियों को विकसित किये जाने के बारे में प्राधिकरण व अधिकारियों द्वारा कोई दण्डात्मक एवं विकासात्मक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

21–गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बुद्ध व्यवसायिक काम्लेक्स में कराये गये कार्यों से गोपालपुर में हो रहे जलभराव के सम्बन्ध में,

22–गोरखपुर में प्रस्तावित शहीद अशफाकुल्लाह खां जन्तु उद्यान के लिये धन न अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

23–गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने के सम्बन्ध में,

24–नेशनल हाई–वे–28 के फोर वे लेन से लेकर नौषण होते हुए पैडलगंज तक के मार्ग के अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में,

25–गोरखपुर जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा चिकित्सीय संसाधनों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

26–गोरखपुर महानगर में भगवानपुर तथा मोहरीपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला खोले जाने के सम्बन्ध में,

27–जिला जेल बाई पास पर फातिमा अस्पताल से पादरी बाजार पुलिस चौकी तक सड़क के दोनों ओर नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

28–गोरखपुर महानगर में बहुत से क्षेत्रों में अभी तक विद्युतीकरण न होने के सम्बन्ध में,

29–राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तर्ज पर शहरी विद्युतीकरण की योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

30–गोरखपुर महानगर में शहर विधान सभा सीमान्तर्गत बहुतेरे जर्जर पोलों व तारों को बदलने तथा ट्रांसफारमर की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,

31–विद्युत कर्मियों की भीषण कमी के कारण गोरखपुर महानगर में हो रहे अत्याधिक फाल्ट को ठीक करने में असफलता से मुकाबले के लिये विद्युत कर्मियों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

32–गोरखपुर महानगर सहित पूरे प्रदेश में नगर निगमों में हो रहे ठेके पर सफाई व्यवस्था को समाप्त करके सफाई कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

33–गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कामन एफ्लूण्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में,

34–गोरखपुर महानगर में बहुत सारे नैसर्गिक पोखरों/तालों के सौन्दर्यीकरण तथा डि–सिल्टिंग के सम्बन्ध में कोई योजना न बनाये जाने के सम्बन्ध में,

35–गोरखपुर महानगर में तरंग रेलवे क्रासिंग पर बन्द रेलवे क्रासिंग को पुनः खुलवाये जाने के सम्बन्ध में,

36–गोरखपुर महानगर की यातायात की समस्या के समाधान के लिये मोहद्दीपुर से इंजीनियरिंग कालेज के पहले तक, गोलघर में शास्त्री चौराहे से पुलिस लाइन्स के गेट के पहले तक तथा रुस्तमपुर चौराहे पर फ्लाईओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

37–अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि को बढ़ाकर रु0 10 लाख किये जाने के सम्बन्ध में,

38–विधवा, वृद्धा एवं विकलांगता पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर रु0 1000/–न किये जाने के सम्बन्ध में,

39–पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,

40–नगरीय गरीब नागरिकों की आर्थिक बदहाली को सुधारने हेतु कोई जमीनी मूलभूत योजना बनाने के सम्बन्ध में, तथा

41–इन्दिरा आवास योजना के तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में कोई बेहतर आवासीय योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।''

14 श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख व्यस्ततम जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

2–धार्मिक, तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर वाराणसी में घोषणा के बावजूद 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

3–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के गलियों के जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में,

4–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अनतर्गत विभिन्न मोहल्लों में जर्जर सीवर लाइनों के कारण प्रदूषित जलापूर्ति एवं ओवरफ्लो से उत्पन्न नारकीय स्थिति के सम्बन्ध में,

5–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल कष्ट को दूर किये जाने हेतु बड़े नलकूप तथा मिनी नलकूपों की रि–बोरिंग तथा नये नलकूप के निर्माण हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में,

6–वाराणसी की बढ़ती हुई आवादी एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए नया जलकल स्थापित करने के सम्बन्ध में,

7–कोनिया–कज्जाकपुरा क्षेत्र में स्थित वरूणा नदी पर एक मिनी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8–गंगा नदी में अभी भी गिर रहे दर्जनों नालों के मल–जल गिरने से रोक कर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में,

9–वाराणसी के भेलुपरु क्षेत्र में प्रस्तावित 220/33 के0वी0 नये सब स्टेशन को अभी तक चालू न किये जाने के सम्बन्ध में,

10–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अफसर शाही

और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के स्वीकारोक्ति के बावजूद भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय का उल्लेख न करने के सम्बन्ध में,

11–वराणसी में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

12–वाराणसी में प्रत्येक दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार सम्भावनाओं के बावजूद पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नयी योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में,

13–वाराणसी में हर प्रकार के विकास कार्यों में गुणवत्ताविहीन मानक के विपरीत कार्य होने तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों की आपसी मिलीभगत से भयंकर कमीशनखोरी को रोकने के सम्बन्ध में,

14–बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर पुष्टाहार आदि के सुचारु वितरण के सम्बन्ध में,

15–आंगनबाड़ी में मानदेय पर विगत अनेक वर्षों से कार्यरत सुपरवाइजरों को विनियमित करने के सम्बन्ध में,

16–श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर में दर्शनार्थियों को सम्मानपूर्वक दर्शन पूजन हेतु व्यवस्था में परिवर्तन तथा दर्शनार्थियों के पाकेटमारी एवं चैन स्नैचिंग को रोकने के सम्बन्ध में,

17–जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत कार्यक्रम को पारदर्शी बनाये जाने एवं जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों का अनुश्रवण कमेटी गठित करने के सम्बन्ध में,

18–वाराणसी के अस्पतालों में गम्भीर रोगों के उपचार में चिकित्सकों द्वारा उदासीनता बरतने एवं उनसे धन उगाही को रोकने के सम्बन्ध में,

19–प्रसिद्ध गंगा तट के घाटों को गन्दगी से बचाने एवं उन्हें साफ–सुथरा बनाये रखने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा धनावंटन के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यक्रम भौतिक रूप से प्रारम्भ न किये

जाने के सम्बन्ध में,

20–गोवंश हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा गोवंश के तस्करी को रोकने के सम्बन्ध में,

21–श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के पुजारी एवं अन्य सेवादारों हेतु सेवा नियमावली बनाये जाने तथा चढ़ावे के रूप में प्राप्त नकद तथा अन्य स्रोतों से आय से समाजिक हित के कार्यों में भागीदारी के सम्बन्ध में,

22–बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हस्तशिल्प में लगे हुए लाखों बुनकरों के समक्ष उत्पन्न बेरोजगारी एवं बेकारी को दूर करने हेतु कोई कार्यक्रम अपनाये जाने के सम्बन्ध में,

23–वाराणसी स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में गरीब व असहाय मरीजों हेतु डायलिसिस यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में,

24–वाराणसी नगर में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोनिया क्षेत्र, बांस–बल्लियों के सहारे दिये कनेक्शनों पर विद्युत पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में,

25–प्रदेश में फैल रहे संक्रामक रोग स्वाइन फलू जैसे रोगों के इलाज एवं उसकी जांच हेतु वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

26–प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु नीति बनाकर लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

27–वर्तमान मंहगाई को देखते हुए घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी किये जाने के निर्णय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में,

28–वाराणसी नगर में ध्वस्त सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु कोई पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की स्थायी नियुक्ति तथा कूड़ा उठान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

29–प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

30–वाराणसी में खुशीपुर में स्थित विकलांग जनों में कौशल विकास की ट्रेनिग और अध्यापन कार्य में लगे मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में,

31–वाराणसी नगर विधान सभा क्षेत्र 389 दक्षिणी विधान सभा के घनी आबादी के गलियों के ध्वस्त सीवर लाइनों तथा पेय जलापूर्ति को बदल कर शुद्ध पेय जलापूर्ति तथा आये दिन सीवर जाम से निजात दिये जाने के सम्बन्ध में,

32–वाराणसी नगर के ध्वस्त प्रमुख मार्गों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

33–वाराणसी नगर में बिजली के तारों के मकड़जाल को समाप्त करने एवं भूमिगत किये जाने के सम्बन्ध में,

34–निर्वाचन क्षेत्र संख्या–389 के अन्तर्गत दुर्गाकुण्ड वार्ड के अन्तर्गत कालोनियों के जर्जर हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तथा

35–वाराणसी महानगर में आवागमन की सुविधा एवं जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में।

15 श्री सुरेश राणा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है–

1–थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बनध में,

2–थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बनध में,

3– थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में महिला पालीटेक्निक की स्थापना के सम्बनध में,

4–थानाभवन क्षेत्र की जलालाबाद नगर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

5–थानाभवन क्षेत्र के कच्ची गढ़ी ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

6–शामली से लेकर गढ़ीपुख्ता होते हुए हथछोया तक सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–थानाभवन बिजली घर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में,

8–हरड़ फतेहपुर बिजली घर की क्षमतावृद्धि के सम्बन्ध में,

9–थानाभवन विधान सभा के ग्राम दसोड़ी, उमरपुर, जाफरपुर, गोसगड़, गदेवड़ा, मालेण्डी, कुतुबगढ़, वितारसी, भदोड़ा आदि ग्रामों में पानी की टंकी के सम्बन्ध में,

10–हिण्ड से लेकर गढ़ीपुख्ता तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

11–हिरनवाडा बाइपास के सी0सी0 के सम्बन्ध में,

12–उमरपुर ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में,

13–भन्दौड़ा ग्राम में हाईस्कूल के सम्बन्ध में,

14–लपराना गांव के मजरें नया गांव में जू0 हाईस्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,

15–ग्राम लुहारी में इण्टर कालेज एवं टंकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–ग्राम हरड़ फतेहपुर में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

17–ग्राम भनेडा व ग्राम खेड़ा गदाई में हाईस्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,

18–ग्राम पंचायत जलालपुर के मजरे समसपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–ग्राम भनेडा में 3 मजरों में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

20–थानाभवन नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में,

21–थानाभवन–शामली मार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में,

22–थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में,

23–ग्राम दुल्लाखेड़ी में बिजलीघर को शीघ्र

चलाने के सम्बन्ध में,

24–ग्राम नौनागली में 5 एम0वी0ए0 का नया बिजलीघर बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25–ग्राम पिण्डौरा में अस्पताल को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

26–मसावी देहात नाम की अलग ग्राम सभा बनाने के सम्बन्ध में,

27–ग्राम कैडी, नौजल, थानाभवन मे बिजलीघर निर्माण के सम्बन्ध में,

28–थानाभवन नगर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

29–बजाज हिन्दुस्तान लि0 थानाभवन से किसानों का गन्ना भुगतान कराने के सम्बन्ध में,

30–ग्राम हथछोया में राजकीय हाईस्कूल के सम्बन्ध में,

31–ग्राम अम्बेहटा याकूबपुर में हाईस्कूल बनाने के सम्बन्ध में,

32–नगर पंचायत जलालाबाद में शीघ्रातिशीघ्र अस्पताल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

33–गांव भैंसवाल में स्टेडियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16 श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद बुलन्दशहर के तहसील सिकन्द्राबाद तथा विकास खण्ड गुलावठी के क्षेत्र को ग्रेटर नोयेडा विकास प्राधिकरण में शामिल करने अथवा इस क्षेत्र के विकास के लिये सुपर नोयडा के नाम से अलग विकास प्राधिकरण बनाने के संबंध में,

2–जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर को मेट्रो सेवा से गाजियाबाद अथवा तीव्र रेल सेवा से दिल्ली के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में,

3–जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद

नगर में ट्रामा सेण्टर की स्थापना किये जाने के संबंध में,

4–जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद विकास खण्ड को विभाजित करके ककोड़ क्षेत्र के लिए ककोड़ के नाम से अलग विकास खण्ड बनाये जाने के संबंध में,

5–जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद् सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी में सीवर डालने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

6–जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद विधान सभा क्षेत्र में कन्या डिग्री कालेज तथा कन्या तकनीकी पोलिटैक्निक विद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में,

7–जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अंतर्गत आने वाले क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों का शीघ्र पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में,

8–जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अंतर्गत आने वाले गॉवों में अतिभारित विद्युत ट्रांसफार्मरों की तुरन्त क्षमता वृद्धि किये जाने के संबंध में,

9–जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद तथा गुलावठी नगर की विद्युतीकरण से छूटी आबादी में तुरन्त विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में,

10–जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा वैट आदि में छूट देकर राहत पैकेज देने के संबंध में,

11–जनपद बुलन्दशहर के नगरपालिका परिषद् गुलावठी को तहसील घोषित किये जाने के संबंध में,

12–जनपद बुलन्दशहर की ग्राम पंचायत झांझर को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में,

13–जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद ककोड़ मार्ग से हिरनौटी तथा अलियाबाद संपर्क मार्गों के अवशेष भागों का तुरन्त निर्माण किये जाने के संबंध में,

14–जनपद बुलन्दशहर के गांव आढ़ा

तथा सराय घासी के बीच करों नदी पर पड़ने वाले टूटे पुल का तुरन्त पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में तथा,

15–जनपद बुलन्दशहर के वि0ख0 सिकन्द्राबाद के अंतर्गत गॉव जाहिदपुर तथा नगला बढ़ौदा के बीच, चोला तथा बहोराबास के बीच तथा गांव सैदमपुर के पास पड़ने वाले नालों पर तुरन्त पुलों का निर्माण किये जाने के संबंध में।''

17 श्री मुकुट बिहारी वर्मा प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवादियों के आने–जाने एवं अवैध हथियारों के आने–जाने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

2–बहराइच जनपद में तस्करी का उद्योग फल–फूल रहा है, मानव तस्कर, पशु तस्कर तथा नकली नोट तस्कर सक्रिय है, उनके संरक्षकों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,

3–वन की लकड़ी का अवैध व्यापार वन माफिया कर रहे है जंगल की कीमती लकड़ी माफिया बड़े–बड़े संरक्षकों तथा सरकारी कर्मचारियों के संरक्षण में प्रदेश तथा देश की राजधानी तक पहुंचा कर देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गम्भीर चोट पहुंचा रहे हैं इस पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

4–पर्यावरण की दृष्टि से बहराइच में प्रत्येक राज्य मार्गों के दोनों तरफ पीपल लगे थे जो अधिकांश प्राणवायु (आक्सीजन) के वातावरण को स्वस्थ रखते थे तथा उनके साथ लगे अन्य पेड़ बरगद, आम, जामुन, अशोक आदि भी फल तथा पर्यावरण दोनों दृष्टि से लाभकारी थे उनके स्थान पर

करील तथा बबूल आदि के झाड़ लगाकर सरकारी धन के साथ पर्यावरण को चोट पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,

5–शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े बहराइच जनपद की घोर उपेक्षा हो रही है पिछले सत्र तक प्राथमिक विद्यालय तथा जूनियर विद्यालय शिक्षक विहीन थे इसके अतिरिक्त शिक्षक अन्य जनपदों से रखे गये है, परिणामतः वे अपना स्थानान्तरण अपने जनपद या अपने पड़ोस में कराने में व्यस्त रहते है। शिक्षकों पर निर्माण, भोजन, वस्त्र की ठेकेदारी सौंपकर गिर रहे शिक्षा के स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में,

6–गो–हत्या बहराइच जनपद की अहम समस्या है, गो–हत्या पर विराम लगे इसके स्थान पर सत्ता संरक्षण में गो–हत्या फल–फूल रही है, कई पशु बाजार केवल पशु तस्कर चला रहे है, थाना कैसरगंज की कसेहरी बाजार, थाना मोतीपुर की परवानी बाजार, थाना सुजौली की ढखेरवा बाजार इसके उदाहरण हैं, गो–हत्या का विरोध करने पर तीन यादवों को तस्करों के रैकेट ने सड़क पर काट–काट कर डाल दिया था, अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

7–विधान सभा कैसरगंज घाघरा एवं सरयू दो नदियों के बीच में स्थित है क्षेत्रवासी हमेशा बाढ़ से जूझते हैं लेकिन बाढ़ की बिभीषिका से बचाव हेतु कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

8–लखनऊ से बहराइच जिला केन्द्र तथा नैपालगंज अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नगर तक की सड़क अत्यन्त जर्जर है तथा इस 170 किमी0 रास्ते को पार करने में 5 घण्टे लगते हैं, अनेक बार उल्लेख करने के बाद इसे कभी राष्ट्रीय राज्य मार्ग तथा कभी प्रदेश राज्य मार्ग कह कर टाला जाता रह है, इन सबसे हटकर इस मार्ग के निर्माण

कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–विधान सभा कैसरगंज के मझारा, तौकली, गौडहिया अहाता तथा भूपानी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराकर मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

10–प्रदेश सरकार के जनपद के अधिकारी हिन्दू धार्मिक उत्सवों पर जबरदस्ती रोक लगाकर हिन्दुओं का उत्पीड़न कर हैं, थाना फखरपुर के ग्राम ढपरापुर में गणेश पूजा उत्सव में तोड़–फोड़ किया, लोगों पर फर्जी मुकदमें लाद दिये इन निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है उन्हें न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

11–विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में दोनों चीनी मिलें प्राइवेट सेक्टर की है जिनके द्वारा दूरस्थ क्षेत्र के किसानों के गन्ने का क्रय किये जाने की कोई व्यवस्था न किये जाने से गन्ना किसानों का गन्ना माफियाओं द्वारा शोषण करने से रोकने के सम्बन्ध में,

12–गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का तत्काल भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–धान के क्रय का समयबद्ध भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–गेहूं का समर्थन मूल्य लागत के सापेक्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

15–बहराइच में नहरों की सफाई एवं पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–जनपद में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, तीन सौ आबादी व 100 आबादी वाले मजरे विद्युत युक्त नहीं किये गये है, ऐसे सभी मजरों को विद्युत युक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

17–जनपद बहराइच में लगातार डकैती, हत्या बलात्कार, चैन छिनैती की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाये

जाने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में,

18 श्री राजीव गुम्बर प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–सहारनपुर नगर में दिनांक 14–2–2005 को तनिष्क शोरूम में हुई 10 करोड़ की डकैती व उससे पूर्व में हुई अन्य आपराधिक घटनाओं व लूट का खुलासा किये जाने के सम्बन्ध में,

2–सहारनपुर नगर निगम के चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–सहारनपुर नगर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिये विशेष आर्थिक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

4–सहारनपुर में विश्वविद्यालय तत्काल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–सहारनपुर नगर में ध्वस्त हुई सीवरेज व्यवस्था के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में,

6–सहारनपुर महानगर में जाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाई पास रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में,

7–सहारनपुर नगर क्षेत्र में टपरी व पेपरमिल रेलवे लाइन फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में,

8–सहारनपुर में यमनोत्री–दिल्ली मार्ग के कार्य को तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–पंचकूला–हरिद्वार हाई–वे निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में,

10–सहारनपुर में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रति वार्ड आर0ओ0 सिस्टम की स्थापना के सम्बन्ध में,

11–सहारनपुर के नगर निगम में शामिल की गई नई कालोनियों व गांवों में पीने के पानी हेतु नई टंकियों का व पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में,

12–प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून–व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

13–प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

14–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0, अन्तयोदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

15–प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,

16–औद्योगिक विकास की गति ठप्प पड़ गयी है। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,

17–सहारनपुर नगर में बीचों बीच रहने वाली ढमोला नदी के दोनों किनारों पर बसी कालोनियों को भविष्य में आने वाली बाढ़ से सुरक्षित करने के लिये नदी की पेंचिंग कराना अति आवश्यक है। देवपुरम कालोनी बाल्मीकि बस्ती, सन्त नगर सेतिया विहार, न्यू गोपाल नगर कालोनी, शान्ती नगर, सुक्खुपुरा, रणजीत नगर, गोविन्द नगर, जनक नगर तकिया, ब्रजेश नगर, कपिल विहार ब्रहमपुरी, टैगोर गार्डन, साकेत कालोनी, पंजाबी बाग में नदी के दोनों ओर पैचिंग कराने के सम्बन्ध में,

18–सहारनपुर नगर में मलिन बस्तियों जैसे नन्दपुरी कालोनी, गणेश विहार कालोनी, निकट लेबर कालोनी व इन्दिरा गांधी कालोनी, पेपर मिल रोड पर गन्दे पानी की निकासी नाले व सड़कों का निर्माण के सम्बन्ध में,

19–सहारनपुर नगर निगम को विकास

कार्यों हेतु विशेष आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में,

20–सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि का प्रयोग बिना भेदभाव करवाये जाने के सम्बन्ध में,

21–सहारनपुर नगर निगम की नई कालोनियों के विकास हेतु विशेष पैकेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

22–सहारनपुर नगर के चिलकाना रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–सहारनपुर नगर के बेहट रोड स्थित नई कालोनियों के पानी निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–सहारनपुर की प्रमुख धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला के सामने पवित्र पांव धोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

25–सहारनपुर नगर के एस0बी0डी0 बजौरिया सिविल हास्पिटल के आधुनिकीकरण की योजना के सम्बन्ध में,

26–सहारनपुर नगर के पुराने रोडवेज बस अड्डे को स्थानान्तरित कर किसी नये स्थान को चिन्हित कर आधुनिक रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में,

27–सहारनपुर नगर को विद्युत कटौती मुक्त रखने के सम्बन्ध में,

28–सहारनपुर नगर के अम्बाला रोड स्थित मुख्य पुल जोकि हरियाणा व उत्तर प्रदेश को जोड़ता है जिसकी हालत बहुत खराब (जर्जर हालत) है को पूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में,

29–सहारनपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत कटौती मुक्त करने के सम्बन्ध में,

30–सहारनपुर नगर निगम की

कालोनियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु नये ट्यूबवेल, पाइप लाइन व हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में,

31–सहारनपुर नगर के बाहरी क्षेत्र में बसी नई कालोनियों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–सहारनपुर नगर में बेहतर शिक्षा हेतु नये हाईस्कूल व इंटर कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में,

33–सहारनपुर नगर में बाल्मीकि कालोनियों व अन्य दलित कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे स्वच्छ पानी, सड़क, विद्युत व्यवस्था व पक्के शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

34–सहारनपुर परिक्षेत्र में गो–वध रोकने हेतु कानून का पालन कड़ाई से कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–सहारनपुर नगर के आस–पास अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के सम्बन्ध में,

36–सहारनपुर नगर में ढमोला नदी से कई स्थानों पर पानी के कटान को रोकने हेतु पक्की ढहांगों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

37–सहारनपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु दस नई पानी की टंकियों के निर्माण के सम्बन्ध में।''

19 श्री सतीश महाना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–प्रदेश में बढ़ रही भीषण महंगाई के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

2–कानपुर स्थित लवकुश गंगा बैराज से 200 एम0एल0डी0 वाटरवर्क्स द्वारा आवश्यकतानुसार पानी सप्लाई न करने के सम्बन्ध में,

3–कानपुर गंगा एक्शन प्लान अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट से सुचारू रूप से जल संशोधन न होने के कारण दूषित जल सीधे गंगा नदी में प्रवाहित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

4–कानपुर के महराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भू–गर्भ जल दूषित होने के समस्या के सुधार के सम्बन्ध में,

5–घरेलू गैस की भीषण कमी के सम्बन्ध में,

6–कानून–व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में,

7–मिड–डे मील योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में,

8–कानपुर नगर निगम को रिवाल्विंग फण्ड से कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के सम्बन्ध में,

9–कानपुर नगर में हो रही भीषण विद्युत कटौती के सम्बन्ध में,

10–शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट के कारण विधायकों को 225 हैण्डपम्प की घोषणा होने के पश्चात् भी न देने के सम्बन्ध में,

11–कानपुर के महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खराब पड़े ट्यूबवेलों के सुधार के सम्बन्ध में,

12–पुरानी पड़ी ध्वस्त सीवर लाइनों के सुधार के सम्बन्ध में,

13–कानपुर के बाहरी सोसाइटी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

14–कानपुर स्थित हंसपुरम् कालोनी में आवास विकास परिषद् द्वारा बड़ी संख्या में मकान बनाने के पश्चात् भी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में,

15–कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों–अर्रा, बिनगवां, गंगापुर

में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में,

16–कानपुर के यशोदानगर, गोपालनगर, शंकराचार्य नगर, राजीव विहार, द्विवेदी नगर, पटेल नगर, संजीव नगर, खाण्डेपुर इत्यादि क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

17–कानपुर के गोपालनगर, यशोदानगर, राजीवनगर में जल निकासी का समुचित प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में,

18–विश्व बैंक स्थित ओवरहेड टैंक बनने के पश्चात् उनको चालू न कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–खाण्डेपुर, नरायणपुरी, यशोदानगर, योगेन्द्र विहार, पटेल नगर इत्यादि क्षेत्रों में जर्जर विद्युत लाइनों को विद्युत पोल लगाकर सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में, तथा

20–कानपुर स्थित मान्यवर कांशीराम अस्पताल में समुचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।''

20 श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र में मैरी जेसिस डिवाडर रोड से देहली हनुमान मन्दिर बाई पास तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2–कानपुर में बनिवाई फैक्ट्री से के0डी0ए0 कालोनी ट्रान्सफारमर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–कानपुर छावनी में कानपुर बाई पास–सतवरी रोड सतवरी तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

4–कानपुर बाई पास पेट्रोल पम्प से (हंस मन्दिर) से चर्च तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

6–रामपुरम में सिन्हा रोड बनवाने के सम्बन्ध में,

7–कानपुर में बढ़ रही हत्या, डकैती, लूट बलात्कार की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,

8–कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान हेतु टंकी बनाकर जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

9–कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र में सीवर लाइन डालने एवं उनकी नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

10–जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

11–छावनी विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय, इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

12–छावनी विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा हेतु चिकित्सा केन्द्र एवं उनमें डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में,

13–छावनी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी की नियमित सफाई हेतु स्थायी सफाई कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

14–वार्ड–44, 66, 86 में जल निकासी हेतु सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में,

15–सतवरी रोड, कोयला नगर, मंगला बिहार प्रथम एवं द्वितीय, तिस्तीनगर, चाणक्यपुरी, देहली सुजानपुर गांव, भगवन टटिया आदि में सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में,

16–देहली गांव, भगवन टटिया, कोयला नगर, सतवरी रोड के बगल की

बस्ती, सड़क बनाने के सम्बन्ध में,

17–सतवरी रोड, कोयला नगर, मंगला बिहार प्रथम एवं द्वितीय, तिस्तीनगर, चाणक्यपुरी, देहली सुजानपुर गांव, भगवन टटिया आदि में पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

18–मोहनी वाटिका से चरारी तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–बाबूपुरवा में श्रम कालोनियों के पीछे भरी गलियों की सफाई के सम्बन्ध में,

20–बाई–पास से पी0एल0डी0 स्कूल होते हुये अन्त तक नाली एवं सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, तथा

21–गोविन्द स्वीट हाउस एवं मामा पी0सी0ओ0 के बीच की खराब सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में।''

21 श्री सलिल बिश्नोई

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–कानपुर महानगर में हो रही अंधाधुंध विद्युत कटौती को रोकने हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में,

2–कानपुर महानगर में भीषण गर्मी में पीने के पानी के संकट को समाप्त करने के प्रयासों के सम्बन्ध में,

3–कानपुर महानगर में जाम से मुक्ति दिलाने हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में,

4–जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बनकर तैयार फूलबाग, एक्सप्रेस रोड, हटिया और फीलखाना पानी की टंकी को चालू कराने के सम्बन्ध में,

5–कानपुर महानगर की ध्वस्त सीवर व्यवस्था को ठीक कराने सम्बन्धी किसी योजना की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,

6–कानपुर महानगर की टूटी–फूटी सड़कों के सुधार के लिये अभी तक कोई प्रयास नहीं किये गये न ही भविष्य में सुधारे जाने की किसी योजना की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

7–कानपुर महानगर में पतित पावनी गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने सम्बन्धी किसी कार्य योजना का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में,

8–शहरी क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्रों में विधायक कोटे के अन्तर्गत सबमर्सिबल पम्प तथा हैण्डपम्पों की अवस्थापना के सम्बन्ध में कोई घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,

9–प्रदेश की विशेषकर कानपुर महानगर में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में,

10–प्रदेश के व्यापारियों की सहूलियत तथा इस वैश्विक मंदी के दौर में उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वैट के सरलीकरण तथा टैक्स की दरों में कमी की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,

11–कानपुर महानगर के नानाराव पार्क में अमर शहीद नाना साहब पेशवा की मूर्ति लगवाने की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,

12–प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को छठें वेतनमान से उत्पन्न वेतन विसंगतियां दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

13–कानपुर महानगर की यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु कोई योजना प्रस्तावित न किये जाने के सम्बन्ध में,

14–गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में नव–निर्मित 50 बेड के आई0सी0यू0 को सुचारु रूप से प्रारम्भ कराने का कोई उल्लेख न किये जाने के

सम्बन्ध में,

15–कानपुर महानगर में कल्याणपुर, गुरूदेव सिनेमा, जरीबचौकी, दादानगर तथा खपरा मोहाल रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवर ब्रिज बनवाये जाने की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में,

16–वृद्धावस्था, विधवा पेंशन के प्रकरणों का समय से निस्तारण न कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–तकनीकी शिक्षा के लिये छात्रों को शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का समय से भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

18–कानपुर महानगर की ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित कराने के सम्बन्ध में,

19–पर्यावरण संरक्षण हेतु पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–कानपुर की ध्वस्त कानून–व्यवस्था, बढ़ते अपराधों को रोकने की किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में, तथा

21–बनी बनायी सड़क की बार–बार दुबारा खोदाई की समस्या के निदान के सम्बन्ध में।''

22 श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी गन्ना किसानों को बकाया भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

2–किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में,

3–पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र

प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में,

4–प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून–व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में,

5–प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने, बिचौलियों, जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

6–प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती के सम्बन्ध में,

7–विद्युत विभाग में परिवर्तकों की कमी को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में,

9–प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

10–किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट– खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में,

11–प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों के बराबर करने के सम्बन्ध में,

12–प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों की संस्तुति पर 50–50 सोलर लाइट देने के सम्बन्ध में,

13–प्रदेश में सभी विधायकों को लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण का कोटा न दिये जाने के सम्बन्ध में,

14–प्रदेश में डीजल/पेट्रोल की दरें पड़ोसी राज्य दिल्ली व हरियाणा के बराबर

करने के सम्बन्ध में,

15–प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में,

16–प्रदेश में मूक एवं बधिर बच्चों को सरकारी नौकरी में कम्प्यूटर सीट पर आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

17–प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों का आढ़तिया कमीशन बढ़ाने के सम्बन्ध में,

18–प्रदेश में मिड–डे मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,

19–प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को अन्य राज्यों की तरह गृहकर माफ करने के सम्बन्ध में,

20–प्रदेश में निवास करने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

21–प्रदेश में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से भी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

22–प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

23–प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांगलादेशी नागरिकों के सम्बन्ध में,

24–प्रदेश में दुधारू पशु के कटान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में,

25–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती गोकशी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

26–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार नये मांस प्लांटों को लाइसेंस न दिये जाने के सम्बन्ध में,

27–मेरठ मेडिकल कालेज में 10 शैयया की बर्न यूनिट खोलने के सम्बन्ध में,

28–मेरठ में नई कालोनी गंगा नगर, लोहिया नगर, पल्लव पुरम् में माननीय मुख्य

मंत्री जी की घोषणा के एक वर्ष उपरान्त भी थाना न खोलने के सम्बन्ध में,

29–मेरठ के मोहल्ला पटेल नगर, सोतीगंज में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में,

30–मेरठ की मलिन बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,

31–मेरठ स्थित हस्तिनापुर एवं परतापुर कताई मिल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

32–देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की प्रतिमा जिले में लगाये जाने के सम्बन्ध में,

33–खेल नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

34–खेल का सामान बनाने वाली कम्पनियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में,

35–मेरठ में 24 घंटे बिजली दिये जाने एवं घरेलू उपभोक्ताओं को चेकिंग के नाम पर उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में,

36–टी0पी0 नगर चौराहे से जैन नगर तिराहे तक नयी सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

37–प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने के लिये नीति बनाने के सम्बन्ध में,

38–मेरठ नगर निगम के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

39–मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

40–मेरठ नगर निगम द्वारा नाली की सफाई न कराये जाने के सम्बन्ध में,

41–मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में,

42–मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा

अवस्थापना निधि का उपयोग भेदभाव से करने के सम्बन्ध में,

43–मेरठ जिले में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के लिये हजारों की संख्या में चक्कर काट रहे व्यक्तियों को पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,

44–मेरठ महानगर में नयी आवासीय दलित एवं मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

45–मेरठ में बढ़ते ट्रैफिक जाम व उसके कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में,

46–नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा मलिन बस्तियों में माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में,

47–मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से दलित एवं मलिन बस्तियों में नाली एवं सड़क का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में,

48–प्रदेश के सभी जनपदों में बी0पी0एल0 कार्ड का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

49–मेरठ जनपद में सभी तहसीलों में जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र बनाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

50–मेरठ जनपद में बढ़ती आबादी के कारण शहर के बाहरी इलाकों में बन रही नई कालोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

51–मेरठ जनपद में राशन कार्ड न बनाये जाने के सम्बन्ध में,

52–मेरठ महानगर में पी0डब्लू0डी0 की टूटी–फूटी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,

53–जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत मेरठ जनपद में पानी लाइन का कार्य समय से पूरा न होने से खुदी सड़कों के कारण जाम व नागरिकों को अव्यवस्था

के सम्बन्ध में,

54–मेरठ महानगर में भोला रोड, मुलतान नगर पर बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा लटकते तारों को खम्भा लगाकर व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में,

55–पश्चिमी उ0प्र0 में गोकशी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

56–प्रदेश में महिलाओं से छेड़खानी उपरान्त तेजाब डालने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

57–मेरठ मेडिकल कालेज को उच्चीकृत कर गम्भीर रोगों (कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग आदि) के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

58–मेरठ एन0एच0 58 पर टोल कम्पनी द्वारा सुविधायें उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में,

59–मेरठ एन0एच0 58 पर उच्च स्तर का ट्रामा सेंटर बनाने के सम्बन्ध में,

60–मेरठ में कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में,

61–मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत सभी नालों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

62–मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत विज्ञापन घोटाले की जांच कराने एवं नई विज्ञापन नीति बनाने के सम्बन्ध में,

63–मेरठ नगर निगम में विकलांग भर्ती घोटाले के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में,

64–मेरठ सम्प्रेक्षण गृह (बाल जेल) से बार–बार कैदियों द्वारा उपद्रव तथा कैदियों के भाग जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

65–मेरठ में हवाई अड्डा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

66–मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा निर्मित आवासीय कालोनियों को मूलभूत सुविधा देने

के सम्बन्ध में,

67–मेरठ नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा) में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

68–मेरठ जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेज में गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क दवा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

69–मेरठ के सोती गंज में लगातार चोरी की गाड़िया काटने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में,

70–मेरठ में आधार कार्ड धीमी गति से बनाये जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तथा

71–मेरठ में बढ़ते हुये ट्रैफिक दबाव के कारण लगातार शहर की सड़कों पर जाम से उत्पन्न स्थिति के सुधार हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

23 श्री रामचन्द्र यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–लगभग तीन वर्ष की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य में कानून–व्यवस्था ध्वस्त हुई है। जनपद फैजाबाद में अपराधियों का राज व्याप्त है। हत्या, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। खराब हो रही कानून–व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई व्यवहारिक तथा कारगर योजना जाने के सम्बन्ध में,

2–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रमुख जर्जर सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

3–रूदौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये परिवहन निगम डिपो की स्थापना करते हुये बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति में हो रही कटौती से उत्पन्न

स्थिति से अविलम्ब निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

5–रूदौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रूदौली नगर सहित प्रमुख बाजारों व ग्रामीण बस्तियों के जर्जर विद्युत तार व पोल बदलने के सम्बन्ध में,

6–रूदौली विधान सभा क्षेत्र के रूदौली नगर के विभिन्न मोहल्लों में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति कष्ट को दूर करने व प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने के सम्बन्ध में,

7–रूदौली विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना तथा खराब पड़े हैण्डपम्पों की बोरिंग कराये जाने हेतु धन आवंटन करने के सम्बन्ध में,

8–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पौराणिक मान्यताओं वाले धार्मिक स्थलों 1–अमौनीमठ, 2–मां कामाख्या भवानी स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,

9–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक अग्निशमन केन्द्र स्थापना हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

10–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अग्निपीड़ित परिवारों को इन्द्रा आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में,

11–रूदौली विधान सभा क्षेत्र के रूदौली नगर में स्थापित पुरानी पी0एच0सी0 को महिला चिकित्सालय के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

12–रूदौली विधान सभा क्षेत्र के मवई सी0एच0सी0 क्षेत्र के रानीमऊ में 100 बेड के अस्पताल हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,

13–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मवई विकास खण्ड में बालिकाओं की शिक्षा हेतु इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में,

14–रूदौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत

मवई विकास खण्ड में बालिकाओं के उच्च शिक्षा हेतु बालिका महाविद्यालय स्थापना हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,

15–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनी कोडर विकास खण्ड के आंशिक हिस्से में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कछिया ओहरामऊ सिपहिया कोटवा मार्ग का निर्माण व गोमती नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बनी कोडर ब्लाक के आंशिक हिस्से में सरोहा ग्राम पंचायत में बालिकाओं की पढ़ाई के लिये उच्च शिक्षा हेतु बालिका इण्टर कालेज एवं बालिका महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कल्याणी नदी के अनारपट्टी घाट पर पुल निर्माण,

18–रूदौली विधान सभा क्षेत्र के कसारी बरवारी गांव के समीप गोमती नदी पर किशनी घाट पर पुल निर्माण,

19–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे बसे गांवों में किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिये कसारी सिंघागढ़ (रामपुरजनक), पूरे सिकदारी, रेछ, सुनबा, विछरा, सैदपुर, सैमसी, गनेशपुर, उमापुर में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित मजरों व ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण हेतु धन आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रूदौली नगर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,

22–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत

वि0ख0 रूदौली में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

23–रूदौली वि0स0 के रसूलपुर खुर्द व बेतौली स0मा0 पर मड़हा नाले पर पुल निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,

24–रूदौली वि0क्षे0अ0 अशरफपुर गंगरौला सुलतानपुर मार्ग पर भंवरी नाले पर पुल निर्माण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में,

25–रूदौली वि0स0क्षे0 अन्तर्गत ग्राम नैपुरा में बाढ़ पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये धन आवंटन के सम्बन्ध में,

26–रूदौली वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में गुणवत्ता व मानक के घोर अनदेखी तथा सार्वजनिक धन की लूट खसोट पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

27–गोवंश हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाये जाने के सम्बन्ध में,

28–रूदौली वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत रूदौली के नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम की स्थापना के सम्बन्ध में,

29–रूदौली वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत फैजाबाद नहर शाखा की पटरी पर बनी सड़क की मरम्मत व बची हुई पटरी को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,

30–सुलतानपुर शाखा की पटरी पर बनी सड़क की मरम्मत व पेंटिंग का शेष कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–भेलसर रूदौली मार्ग पर रूदौली क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में,

32–रूदौली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुकिंग गैस को उपभोक्ताओं को घोषित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा कुकिंग गैस की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

33–जनपद फैजाबाद की रूदौली तहसील को जनपद का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

34–रूदौली तहसील को जनपद का दर्जा मिलने पर नये जनपद का नामकरण राम सेवक नगर किये जाने के सम्बन्ध में,

35–जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में हर वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के रोकथाम हेतु कोई स्थाई, प्रभावी तथा कारगर योजना के सम्बन्ध में,

36–अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि को बढ़ाकर रु0 10 लाख किये जाने के सम्बन्ध में,

37–विधवा, वृद्धा एवं विकलांगता पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर रु0 1000/– न किये जाने के सम्बन्ध में,

38–पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,

39–नगरीय गरीब नागरिकों की आर्थिक बदहाली को सुधारने हेतु जमीनी मूलभूत योजना बनाने के सम्बन्ध में,

40–इंदिरा आवास योजना के तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में बेहतर आवासीय योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

41–लगभग 23 माह की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य में कानून–व्यवस्था चौपट हुई है, गुण्डाराज व्याप्त हैं, डकैती, अपहरण, राहजनी की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। खराब हो रही कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में,

42–अवैध वसूली और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, लगता है कि शासन तंत्र ने अपराधियों के समक्ष घुटने टेक दिये हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

43–धान की खरीद में समस्त सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषकों का उत्पीड़न हुआ। कई–कई दिनों तक कृषकों को क्रय केन्द्रों पर खड़ा होने के लिये मजबूर किया गया। अन्ततोगतवा व्यापारियों को किसानों ने अपनी उपज सस्ते दामों पर बेची जो बाद में सरकार द्वारा ऊंचे दामों पर क्रय की गयी। धान कृषकों का उत्पीड़ने रोके जाने के सम्बन्ध में,

44–गन्ना कृषकों का मिलों द्वारा उत्पीड़न जारी है। बाहर के राज्यों से सस्ती दर पर गन्ना क्रय किया जा रहा है और प्रदेश के कृषकों की फसल अभी खेतों में खड़ी है जिससे गेहूं की बुवाई प्रभावित हुई है। गन्ना किसानों का उत्पीड़ने रोकने के सम्बन्ध में,

45–गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

46–विद्युत आपूर्ति पूर्णतयः जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। ग्रामीण अंचलों में 2 से 3 घंटे की भी आपूर्ति नहीं है। नये संयोजन बंद होने के कारण कृषकों के पास सिंचाई की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे कृषक परेशान और बेहाल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

47–सरकार द्वारा राज्य में पूंजी निवेश के बढ़–चढ़कर वादे किये गये थे परन्तु अभी तक एक भी उद्योग की स्थापना प्रदेश में नहीं हुई। नवयुवक भारी संख्या में बेरोजगार है। नये उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में,

48–शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् हजारों छात्र–छात्रायें प्रवेश से वंचित रहे। जिन को प्रवेश मिला भी उनकी फीस की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हुई। छात्रों की प्रवेश संबंधी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

49–प्रदेश में दुधारू पशुओं के अवैध कटान तथा अवैध रूप से मांस के निर्यात के कारण घटते पशुधन के सम्बन्ध में,

50–प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

51–किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में,

52–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम गरीब जनता को दिलाने एवं बी0पी0एल0, अन्तयोदय कार्ड धारकों के अनाज, मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में,

53–प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन वितरण में व्याप्त घूसखोरी व भ्रष्टाचार रोकने तथा पात्रों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में,

54–चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने, गरीबों को मुफ्त दवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों की तैनाती एवं रिक्त पदों पर नियुक्त करने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

55–प्रदेश में स्थित कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सुनिश्चित योजना एवं कृषि निवेश की धनराशि पर्याप्त बढ़ाने के सम्बन्ध में,

56–गम्भीर बीमारियों जैसे कैंसर, गुर्दा, लीवर व हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

57–क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की निशानदेही पर गरीब व असेवित बस्तियों में पेयजल के लिये इण्डिया

मार्का–2 नल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।''

24 श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महिला डिग्री कालेज खोला जाय जिसमें बी0काम0 व बी0एस0सी0 की पढ़ाई के सम्बन्ध में,

2–कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था के सुधार हेतु हर वार्ड में सीवरेज की लाइन विछाने के सम्बन्ध में,

3–कुन्ड, पोखरा, तालाब में सीवर का गन्दा पानी गिरने से रोकने के सम्बन्ध में,

4–किसी भी कुण्ड, तालाब पोखरा को पाटना दंडनीय अपराध घोषित करने के सम्बन्ध में,

5–प्रत्येक कुण्ड, पोखरा, तालाब का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

6–कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में हर जगह पेयजल पाइप लाइन बिछाने, शहरी वार्डों के अलावा सम्बद्ध देहाती इलाकों में भी पेयजल पाइप लाइन का विस्तार करने के सम्बन्ध में,

7–कैण्ट विधान सभा वाराणसी के विकास प्राधिकरण की कालोनियों में सीवर व पेयजल की समस्याओं को दूर करने तथा उसे व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में,

8–शहर के अंदर पार्कों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा विशेषकर छोटे बच्चों के खेलने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

9–खुले नालों को ऊपर से ढक देने के सम्बन्ध में,

10–कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली सब–स्टेशन बनाई जायेगी अधिक लोड वाले इलाके की व्यवस्था में सुधार कराने के सम्बन्ध में,

11–बिजली ट्रांसफार्मर की संख्या व क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

12–विद्युत के जर्जर तार बदले जाने के सम्बन्ध में,

13–हाईटेंशन तारों को आबादी के इलाकों में घरों के ऊपर से हटाये जाने के सम्बन्ध में,

14–शहर के अंदर बिना शौचालय वाले घरों में शौचालय बनाने की सुविधा प्रदान के सम्बन्ध में,

15–गलियों से कूड़ा उठाने की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

16–गंगानदी में गिरने वाली शहरी नालों को तत्काल प्रभाव से रोकने के सम्बन्ध में,

17–कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक कुओं की सफाई कराई जायेगी जिससे पेयजल प्राप्त करने के सम्बन्ध में,

18–कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के साथ जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में तथा

19–कैण्ट विधान सभा वाराणसी में स्थित कतिपय गांवों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।''

2 श्री बावन सिंह प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

5

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–बेलवाभान से गुदगुदियापुर होते हुए वाया बनपुरवा भैरमपुर जयरामपुरवा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

2–करनैलगंज से आर्यनगर वाया कटरा बाजार–रामापुर–कौड़िया मार्ग एवं आर्यनगर से गोकरन शिवाला मार्ग जो पूर्णतयः ध्वस्त एवं गड्ढ़े में बदल गयी है लम्बाई 35 किमी0 का निर्माण उच्चीकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–दुबहा बाजार से कटुआनाला सम्पर्क मार्ग 10 किमी0 जो लो0नि0वि0 से 10 वर्ष पूर्व बनी थी का निर्माण हॉट मिक्स से कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–करनैलगंज–हुजूरपुर मार्ग से नहवापरसौरा से देव्यापसिया, धर्मपुर, चैनापुर, झौनहा बार्डर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 17 किमी0 ध्वस्त डामर रोड को निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में,

5–कौड़िया से अशोकपुर मार्ग लम्बाई 10 किमी0 का डामरीकरण हॉट मिक्स से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–दुबहा बाजार से कटुआनाला के बीच एक विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में,

7–दुबहा बाजार से नरायनपुरकला–रायपुर सरहद तक सम्पर्क मार्ग, जो पी0डब्लू0डी0 से निर्मित है लम्बाई 10 किमी0, गड्ढे में परिवर्तित हो गयी का निर्माण हाट मिक्स से कराने के सम्बन्ध में,

8–लगभग लाख हेक्टेयर जल प्लावित क्षेत्र वि0खण्ड–कटरा बाजार वि0खण्ड हलधरमऊ, वि0ख0 रूपईडीह जनपद गोण्डा के अन्तर्गत किसानों को उबारने के लिए 1–टेढ़ी नदी/नाला की सफाई/खुदाई, 2–चदहा नाला की सफाई/खुदाई, 3–विसुही नाला की सफाई/खुदाई के सम्बन्ध में,

9–वित्त विहीन जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान सूची पर लिये जान के सम्बन्ध में,

10–गिरते भू–जल स्तर एवं भीषण पेयजल की समस्या को देखते हुए पहले की भांति विधायकों को क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष कम से कम 500 इंडिया मार्का–2 हैण्डपम्प का काटा दिये जाने के

सम्बन्ध में,

11–टेढ़ी नदी पर ग्राम मथुरा एवं जयरामजोत के मध्य पक्का पुल निर्मित कराने के सम्बन्ध में,

12–टेढ़ी नदी पर ग्राम भूलभुलिया एवं दुल्लापुर खालसा के मध्य पक्का पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

13–गोपालबाग से इटियाथोक मार्ग पर बलही जोत त्रिर्रेमनोरामा वाया दरियापुर हरदोपट्टी नवाबगंज मार्ग को हाट मिक्स से बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

26 डा0 अरुण कुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–बरेली में यातायात समस्या को दूर करने के लिये थाना बारादरी से बरेली कालेज तक एक ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2–इज्जतनगर से बहेड़ी तक राजमार्ग (नैनीताल रोड) जो हार्टमैन पुल से काफी खराब है को हाट मिक्स प्लान्ट से जल्द बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–बरेली में रेल के आई0वी0आर0आई0 फाटक, फतहगंज पूर्वी एवं लाल फाटक पर ओवर बिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4–आई0बी0आर0आई0 गेट से डेलापीर होते हुए मण्डी समिति के निकट से पीलीभीत रोड से मिलाने वाली 100 फुटा रोड को फोरलेन बनाने के सम्बन्ध में,

5–सभी पात्र गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड बनाकर दिये जाने एवं न्यूनतम पात्रता की आय दो लाख रुपये तक बढ़ाने के सम्बन्ध में,

6–वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन के विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किये जाने एवं समस्त पात्रों को पेंशन की सुविधा दिलाये जाने

के सम्बन्ध में,

7–बरेली के समस्त चिकित्सालयों एवं डिस्पैन्सरियों में मानक के अनुसार चिकित्सकों एवं टैक्नीशियतों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

8–गम्भीर बीमारियों जैसे कैन्सर, गुर्दा, हृदय रोगों के मरीजों की चिकित्सा बिना वी0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए भी पूरी तरह से सरकारी खर्च पर किये जाने के सम्बन्ध में,

9–जिला अस्पताल बरेली में स्पेशलिस्ट एवं सुपरस्पेशलिस्ट डाक्टरों की देखरेख में आई0सी0यू0 एवं ट्रामा सेन्टर तथा रेजिस्टेन्ट टी0वी0 के इलाज की व्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में,

10–मिलावटी दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच के लिये जिला स्तर प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

11–बरेली में आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज नई दिल्ली के स्तर का एक बड़ा अस्पताल, अनुसंधान केन्द्र मानसिक चिकित्सालय परिसर बरेली में खोले जाने के सम्बन्ध में,

12–प्रदेश में समस्त रोग निरोधक, टीके0 लगाने पर और ज्यादा ध्यान दिये जाने एवं इसके लिए निजी चिकित्सकों का सहयोग लिये जाने के सम्बन्ध में,

13–कालेजों एवं कोचिंग सेन्टर के पास नशाखोरी के अड्डों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

14–अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाये जाने हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15–बरेली में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेन्च स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

16–बरेली में बढ़ती हुई चोरी, चेन स्नेचिंग एवं वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में,

17–बरेली में गिरती हुई कानून व्यवस्था एवं

साम्प्रदायिक सद्भाव के सम्बन्ध में,

18–प्रत्येक विधायक की संस्तुति पर प्रति वर्ष 25 किमी0 गलियों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–बढ़ती हुई अग्निकाण्ड की समस्या से निपटने के लिए बरेली शहर के उत्तरी भाग में एक और फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20–गिरते भू–गर्भ जलस्तर एवं बढ़ते हुए पेयजल समस्या के निदान हेतु प्रत्येक विधायन की संस्तुति पर 100 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

21–बरेली शहर के निचले क्षेत्र में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

22–बरेली के मो0–संजयनगर, गोपालनगर, दुर्गानगर, गुसाई गौटिया, सैनिक कालोनी, जोगी नवादा, मिथिलापुरी, आकाशपुरम, वीरसावरकर नगर, ग्रेटर आकाश मठ, लक्ष्मीपुर, सैदपुर हाकनस, विहामान नगला स्थित नई कालोनीज, कर्मचारी नगर, सिद्धार्थनगर, भीमनगर, आलोकनगर, डिफेन्स कालोनी, कटघर, सनौआ, विधौलिया, महेशपुरा, कटरिया, पस्तोर, खडउआ, सरनिया, नदोसी, गोकिलपुर, मरगडया, परसाखेड़ा, टिओलिया, मथुरापुर, जौहरपुर, मन्डिया, मिलिक, कन्यादासपुर, नगरियाकलां, सुन्दरासी, कानूनगोयान, बांके की छावनी, सनसिटी, पीरवहोड़ा, कंजादासपुर, कुर्मान्चलनगर में सड़क एवं जलनिकासी की समस्या का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–बरेली को काउन्टर मैगनेट सिटी घोषित किये हुए काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक विकास योजनायें नहीं शुरू हुई, तत्काल विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–बरेली में नितान्त आवश्यक ''सालिड बेस मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट'' सब कुछ तैयार होने के बावजूद अब तक पूरी क्षमता से प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में,

25–नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथार्टी के

अन्तर्गत बरेली को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

26–बरेली शहर की पुरानी पड़ गयी एवं ध्वस्त सीवर लाइन बदलवाने को जवाहर लाल नेहरू अरबन डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत बरेली को शामिल कराने के सम्बन्ध में,

27–बरेली नैनीताल रोड हवाई अड्डा गेट से पीर बहोड़–पीलीभीत रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28–महानगर में जलापूर्ति के लिये और अधिक बोरिंग तथा नई टंकिया बनायी जाने तथा टंकियों को नियमित सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–बरेली शहर क्षेत्र की डेरिया को शहर के बाहर गोकुलनगरी बसाकर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में,

30–महानगर बरेली के भूतपूर्व सैनिकों के मकानों को गृहकर व जलकर से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

31–बरेली में कम से कम एक बड़ा उद्योग स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

32–बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ते के अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–नये रोजगार सृजित करने हेतु उद्योगों को सहयोग कर उनका विस्तारीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

34–उद्योगों को दी जा रही विद्युत दरों को घटाने के सम्बन्ध में,

35–औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा से निकल रहे नाले को पूरा बनवाने के सम्बन्ध में,

36–बरेली के जरी, माझा एवं फर्नीचर उद्योग को और ज्यादा प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में,

37–बरेली में लघु उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

38–बरेली में बन्द रबड़ फैक्ट्री की खाली पड़ी जमीन में कोई बड़ी इन्डस्ट्री अथवा हाईटेक सिटी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

39–बरेली शहर में एक आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक और खोले जाने तथा वर्तमान में जो हैं उनमें सीटे और बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

40–बरेली में ट्रान्सफार्मर फुंकने की वजह से विद्युत आपूर्ति समस्या के त्वरित निदान हेतु मोबाइल ट्रान्सफारमर और अधिक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

41–प्रदेश में मांग के अनुरूप गन्ना मिलों एवं अन्य स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन बढ़ाये जाने तथा वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

42–नगरीय क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण विद्युत फीडर से विद्युत सप्लाई की जाती है और बिजली बहुत कम समय के लिये आती है वहां नगरीय क्षेत्र के विद्युत फीडर से सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में,

43–बरेली शहर के कुछ हिस्सों गोकुलपुर गरगैया, परसाखेड़ा गौटिया, पचागौटिया में जहां बिजली नहीं है वहां पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

44–पुराने जर्जर बिजली के तारों को बदला जाय तथा ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ायी जाय विशेषकर मो0 भूड, कानूनगोयान, जगाती, गुलाबनगर, गूदडबाग, माडल टाउन, आलमगिरीगंज, नया टोला, बलरिया पूरनमल, ब्रम्हपुरा, शाहूकारा, गुलाब नगर, चौधरी मोहल्ला के सम्बन्ध में,

45–वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में,

46–बरेली में सिवीलियन हवाई पट्टी बनाये जाने के सम्बन्ध में,

47–बरेली महानगर में माध्यमिक कालेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

48–बरेली नगर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में रिक्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शीघ्र नियुक्त किया जाय के

सम्बन्ध में,

49–बरेली नगर के क्षेत्र में पुरानी नहरों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाय तथा

50–स्लम क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को मुफ्त मकान बनाकर दिये जायं।''

27 श्री जगन प्रसाद गर्ग

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–आगरा में पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों को तामील न कराने व बाद में गैर जमानती वारन्ट आने पर सम्भान्त व्यक्तियों को थाने में बन्द कर उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में,

2–आगरा में पास के जिलों के लिये सस्ता एवं सुलभ न्याय देने हेतु हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के स्म्बन्ध में,

3–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में,

4–आगरा में स्थित ताजमहल, सिकन्दरा, लालकिला व फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों हेतु आगरा मथुरा के बीच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के सम्बन्ध में,

5–आगरा में कृषि शिक्षा हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

6–आगरा में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिये नगर निगम के स्कूलों के नये निर्माण व पुराने भवनों की मरम्मत व फर्नीचर निर्माण के सम्बन्ध में,

7–आगरा में बिना लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानों को बन्द करने व सार्वजनिक, धार्मिक एवं विद्यालयों से दूर हटाकर खोले जाने के सम्बन्ध में,

8–आगरा में वी0पी0 आयल मिल के पास घटिया आजम खां व महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के पास धूलियागंज दोनो रेलवे पुलों के नीचे बेलनगंज व एत्माददौला स्मारक के सामने जमुना ब्रिज स्टेशन रोड व आलमगंज पानी की टंकी सहित के अतिक्रमणों को हटाने के सम्बन्ध

में,

9–आगरा में तोता का ताल, आगरा कालेज फील्ड के बगल नाले, महाराणा प्रताप नगर नाले व राजश्री सिनेमा के बगल वाले नाले तथा बालिमिकि बस्ती पीर कल्याणी सहित सम्पूर्ण नालों की क्रमवार सफाई के सम्बन्ध में,

10–आगरा में 89 उत्तरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े लगभग 550 हैण्डपम्पों की मरम्मत व रि–बोर कराकर ठीक कराने के सम्बन्ध में,

11–आगरा में मस्ता बगीची बल्केश्वर, जौन्स मिल, जीवनीमण्डी व रावतपाड़ा तथा किनारी बाजार सहित सम्पूर्ण गिरासू विद्युत पोलों तथा खराब ट्रान्सफारमरों को बदलने के सम्बन्ध में,

12–आगरा में अब्बूलाल दरगाह से ए–6 जनता क्वाटर के सामने से पुलिया कमला नगर तक नाला चौड़ा व गहरा बनाने के सम्बन्ध में,

13–उत्तर प्रदेश में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों पर सैल टैक्स को दिल्ली व हरियाणा के समकक्ष करने के सम्बन्ध में,

14–आगरा के मदिया कटरा, लोहामण्डी राजा मण्डी व कमला नगर तथा बल्केश्वर आदि प्रमुख क्षेत्रों को बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने के सम्बन्ध में,

15–आगरा के राजा की मण्डी रेलवे स्टेशन जोकि शहर के मध्य है का नाम जोकि हास्यापद है, बदलकर आगरा सैन्ट्रल कराने के सम्बन्ध में,

16–उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि, भगवान गौतम बुद्ध जयन्ती, भगवान महावीर जयन्ती व गांधी जयन्ती के अवसर पर धर्म प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मांस की दुकानें व बधशालाओं को बन्द कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू कराने के सम्बन्ध में,

17–आगरा से आगरा किला से एत्माउदौला तक रोप–बे एवं ताजमहल से बल्केश्वर महादेव मन्दिर तक हाथ चलित एवं पेट्रोल चलित नाव चलाने के सम्बन्ध में,

18–उत्तर प्रदेश में गौ–रक्षा कानून का सख्ती से पालन कराने के सम्बन्ध में,

19–आगरा में धोबियों को कपड़े धोने हेतु शहर के वाहर नजदीक पर्याप्त नये घाटों के निर्माण के सम्बन्ध में,

20–उत्तर प्रदेश में भू–गर्भ जल विभाग में अवशेष 418 कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

21–आगरा में अतिक्रमण के कारण नाले व नालियों की सफाई नहीं होती है इस कारण जलभराव की समस्या बहुत ही ज्यादा है उसके निदान के लिये विशेष रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में,

22–आगरा में खटीक पाड़ा (रघुनाथ टाकीज के पास) में अनुसूचित जातियों के लिये प्राइमरी स्कूल एवं बारात घर निर्माण के सम्बन्ध में,

23–उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को देखते हुये मुख्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे गेहूं, चावल, दालें, चीनी, गुड़, चना, सरसों का तेल, वनस्पति घी, रिफाइण्ड आयल, आलू, प्याज की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में,

24–आगरा में यातायात व्यवस्था जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ध्वस्त है उसके निवारण के लिये सैंट जौन्स कालेज रेलवे से मदिया कटरा, के रेलवे पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

25–आगरा में मीट आदि के बिक्री केन्द्रों को हटाकर वाहरी इलाकों में स्थानान्तरित कर सम्बन्धित लोगों को आगरा विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् द्वारा तथा नगर निगम द्वारा सस्ते दामों पर जगह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

26–आगरा मे बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुये राजधानी दिल्ली की तरह पर्याप्त मात्रा में चौराहों को सड़कों को व नालों के ऊपर पुलों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में,

27–आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा, फतेहपुर सीकरी के सभी ऐतिहासिक व धर्मस्थलों को मैट्रो रेल से जोड़ने के सम्बन्ध में,

28–उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों, होमगार्डों का वेतन बढ़ाने तथा उनसे नियमित कार्य लेने के

सम्बन्ध में,

29–उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का बीमा कराकर निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

30–उत्तर प्रदेश में किसानों को दैवीय आपदा के समय पर्याप्त मात्रा में व अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में,

31–उत्तर प्रदेश में वृद्धों के लिये ओल्ड एज होम पर्याप्त मात्रा में बनाये जाने के सम्बन्ध में,

32– उत्तर प्रदेश में नारी निकेतन, अनाथालयों, भिक्षुक गृहों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में,

33–आगरा में मलिन बस्तियों में आवश्यक रूप से सुलभ शौचालय व पेशावघर बनाए जाने के सम्बन्ध में,

34–आगरा में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निरन्तर 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के सम्बन्ध में,

35–आगरा में विद्युत तारों, ट्रान्सफार्मर, विद्युत पोल की जर्जर दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में,

36–आगरा में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई हेतु नये विद्यालय व महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

37– आगरा में गरीब लोगों की चिकित्सा हेतु निम्न अस्पतालों में टी0बी0 अस्पताल, जिला चिकित्सालय (एस0एन0 मैडिकल कालेज, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानिसक अस्पताल, इ0एस0आई0 (बीमा डिस्पेन्सरी व अस्पताल) विस्तार व दयनीय स्थिति के सुधार के सम्बन्ध में,

38–आगरा में जल निकासी के लिये नाला और नाली व सीवर के निर्माण के सम्बन्ध में,

39–उत्तर प्रदेश में जल, वायु, ध्वनि–प्रदूषण व दूषित पर्यावरण को रोकने के सम्बन्ध में,

40–आगरा में ताजमहल के आसपास विशेष

सफाई कर्मचारी लगाकर दो समय विशेष सफाई कराने के सम्बन्ध में,

41–उत्तर प्रदेश में गिरते हुए भू–जल स्तर को ऊपर उठाने के सम्बन्ध में,

42–उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर स्कूलों व इण्टर कालेजों के शिक्षा स्तर को उठाने के सम्बन्ध में,

43–उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

44–आगरा में पोइयाघाट, दयालबाग से जमुना पार जाने के लिये पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

45–आगरा में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में तथा 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में,

46–आगरा में फाउन्ड्री उद्योगों के बन्द होने के कारण बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देने हेतु इलेक्ट्रोनिक उद्योग विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में,

47–आगरा में कमला नगर, बल्केश्वर व ट्रान्सपोर्ट नगर में बन्द पड़ी सीवर लाइनों को खुलवाकर चालू करने के सम्बन्ध में,

48–आगरा में पर्याप्त मात्रा में लोड के अनुसार सीवर लाइन एवम् पानी हेतु पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में,

49–उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की ब्लैक को रोकने व घटतौली रोकने तथा पैट्रोल, डीजल में हो रही मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में,

50–आगरा में जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लान्ट लगवाये जाने एवं शुद्ध पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

51–आगरा में जल संस्थान का सीवर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जेटिंग मशीन खरीद कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

52–आगरा नगर में जल संस्थान द्वारा सैकड़ों नलों से व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने व लाइन लीकेज को ठीक करने

के सम्बन्ध में,

53–आगरा में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये समरसेबिल पम्प शीघ्र लगाने के सम्बन्ध में,

54–आगरा विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद् द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

55–आगरा में जनसंख्या बढ़ने के कारण सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के सम्बन्ध में,

56–आगरा में सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, रिकशा, फावड़े, झाड़ू, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

57–आगरा में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु बचाव साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

58–उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को ही अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सेनेटरी इन्सपेक्टर व चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर बनाने एवं फण्ड व वोनस आदि समय से देने के सम्बन्ध में,

59–आगरा में स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूबलाईट लगाने के सम्बन्ध में,

60–आगरा नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण व डूडा द्वारा पार्षद, महापौर, विधायक व जन प्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,

61–सम्पूर्ण आगरा को अतिक्रमणों से मुक्त करने हेतु स्थाई अतिक्रमण हटाओं दस्ता मय मजिस्ट्रेट के बनाने के सम्बन्ध में,

62–हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश में वाहन परिवहन शुल्क एवम् सालाना टैक्स बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टैक्स करने के सम्बन्ध में,

63–आगरा में सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त संख्या में अध्यापक

व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति के सम्बन्ध में,

64–आगरा में लोहामण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ0 वि0 प्रा0 द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

65–आगरा में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में,

66–उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0, अधिकारियों, चिकित्सकों, वकीलों, अभियन्ताओं, बिक्रीकर व आयकर अधिकारियों के निवास स्थान तथा रहन–सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

67–आगरा में गंगा नदी से पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में,

68–आगरा में दयालबाग से श्रीराम फार्म हाउस तक सड़क का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में,

69–आगरा में देहली गेट पर रेलवे पुल का चौड़ीकरण व डिवाइडर लगाने व बीच में विद्युत पोल लगाने के सम्बन्ध में,

70–आगरा में गरीब लोगों द्वारा बनाई व खाई जाने वाली रेबड़ी, गजक व पेठा सीजनल मिठाई से वैट हटाने के सम्बन्ध में,

71–आगरा में जनसंख्या अत्याधिक हो जाने के कारण पानी सप्लाई हेतु एक नया जल संस्थान का निर्माण ट्रान्स यमुना कालोनी में करने के सम्बन्ध में,

72–आगरा के जिलाधिकारी द्वारा केवल सत्ता पक्ष के विधायकों की स्वीकृत पर ही शस्त्र लाइसेन्स बनाये जाने व अन्य पार्टी के विधायकों की स्वीकृत से शस्त्र लाइसेन्स न बनाये जाने के कारण पारदर्शी शस्त्र नीति बनाने के सम्बन्ध में,

73–आगरा मे बाल्मीकि बस्ती शिवपुरी बल्केश्वर के पूर्ण रूप से गिरासू शौचालयों को

दोवारा बनाने के सम्बन्ध में,

74–आगरा में ट्रान्सपोर्ट नगर, ग्रीन पार्क कालोनी, तोता का ताल व न्यू राजामण्डी कालोनी के राजामण्डी स्टेशन स्थित पार्क से अवैध कब्जे हटाकर पार्कों का सौन्दर्यकरण कराने के सम्बन्ध में,

75–आगरा में जमुना किनारा ताजमहल से बल्केश्वर तक घाटों का निर्माण पार्कों का सौन्दर्यकरण व लाइटिंग करके बम्बई की तरह चौपाटी बनाने के सम्बन्ध में,

76–आगरा में ताजमहल से लेकर कैलाश महादेव मन्दिर तक जमुना की खुदाई करके (वीयर) बनाकर पानी को रोकने के सम्बन्ध में,

77–आगरा में सुल्तान गंज की पुलिया के निकट कालोनियों की जर्जर एवं गड्डा युक्त सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में,

78–आगरा में ताजमहल, लालकिला, सिकन्दरा, उत्माददौला स्मारकों तथा बल्केश्वर महादेव मन्दिर व कैलाश महादेव मन्दिर को जमुना में नाव (वोट) के माध्यम से दिखाने व घुमाने के सम्बन्ध में,

79–आगरा में गाय व भैंसों के मालिकों को शहर के बाहर नजदीक तवेला हेतु सस्ती दर पर जगह दिलाने के सम्बन्ध में,

80–आगरा में मुख्य मार्गों को दबंग लोगों द्वारा खोखे लगाकर अवरूद्ध कर दिया है उनमें से दयालबाग, भगवान टाकीज पुल के नीचे, रामबाग पुल के नीचे, आगरा फोर्ट स्टेशन के सामने, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, धुलिया गंज सहित सम्पूर्ण नाजायज खोखों को हटाने के सम्बन्ध में,

81–आगरा में विगत 5 वर्षों से हो रहे ताज महोत्सव में फिजूल खर्ची के अस्लील नाच व गन्दे गानों पर सरकार व जनता के धन के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में,

82–आगरा में वगैर लाइसेन्स के भगवान टाकीज पुल के नीचे, सुल्तानगंज पुलिया चौराहे के पास, गधापाडा तिराहे के पास, किदवई पार्क

से उतरकर डा0 दयाल की कोठी के पास व नुनिहाई जिला उद्योग केन्द्र के सामने सड़क पर रखकर अवेध रूप से मछली बेचने को रोकने के सम्बन्ध में,

83–उत्तर प्रदेश में छावनी परषिदों द्वारा कस्वों तथा शहरों से स्थानीय प्रवेश कर हटाने तथा उन्हें प्रदेश फण्ड से सहायता देने के सम्बन्ध में,

84–आगरा में मोती कुंज व मालवीय कुंज कालोनी सहित प्रदेश की अन्य विस्थापित कालौनी के निवासियों को उनके क्वाटर कम कीमत पर उन्हें ही बेचने के सम्बन्ध में,

85–उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006–07 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रत्येक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 7 कि0मी0 सड़क निर्माण कराने हेतु दी थी। उस व्यवस्था को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में,

86–उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पिता नहीं और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है उन्हें सरकारी सहायता देने अथवा उन्हें कोई हल्का श्रम करने की छूट देने के सम्बन्ध में,

87–उत्तर प्रदेश में बी0एड0 के छात्रों को पुरानेपन के आधार पर नम्बर सरकारी नौकरी देने के सम्बन्ध में,

88–आगरा में बेसिक प्राईमरी पाठशालाओं में मिड–डे–मिल खाने में हो रही धांधली रोकने व वासी व मिलावटी खाने को हमेशा के लिए बन्द करने के सम्बन्ध में,

89–आगरा में सड़क पर घूम रहे आवारा पागल कुत्तों व आवारा पशुओं को पकड़कर वेयर हाउस में रखने के सम्बन्ध में,

90–आगरा में गन्दे लैट्रिन युक्त नाले जो जमुना जी में जाकर मिल रहें जिसके कारण जमुना जी का पानी विषाक्त हो रहा है हजारों की संख्या में मछली मर गई हैं इस गन्दे नालों को रोकने के सम्बन्ध में,

91–उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों एवं

आवास विकास परिषद् द्वारा बनाई जाने वाली कालोनियों में स्कूल, पार्क अस्पताल, कम्युनीटी हाल, पानी की टंकी व बिजली घर के लिए भू–खण्ड अवश्य छोड़े जाने के सम्बन्ध में,

92–आगरा में ट्रान्सपोर्ट नगर की आन्तरिक सड़कें व नालियां विगत 5 वर्षों से नहीं बनी हैं। पानी की कोई निकासी न होने के कारण जलभराव से साक्षात नरक बन गाया है, उन्हें बनवाने के सम्बन्ध में,

93–आगरा में मदरसे वाली गली, बजीरपुरा के विद्यार्थियों व वहां के निवासियों को गन्दगी व बदवू से निजात दिलाने के लिए वहां से छोटे कट्टी खाने को हटाने के सम्बन्ध में,

94–आगरा में शरीर का व धन का नुकशान करने वाली नशे के लिए हो रही टिंचर की अवैध बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में,

95–उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के टैक्सों को कम कर के कुल दो ही टैक्स लगाकर ईमानदारी व कढ़ाई से पूरा वसूल करने के सम्बन्ध में,

96–आगरा में गरीबों के लिए पेठा मिठाई बनाने वाले पेठा व्यवसाइयों को शहर से बाहर कम कीमत पर डबलप कर प्लाट उपलब्ध कराने व कन्ट्रोल रेट पर गैस की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में,

97–आगरा में पानी के कमी की विकट समस्या के निवारण हेतु प्रस्तावित वैराज को जल्दी से जल्दी बनवाने के सम्बन्ध में,

98–आगरा जनपद में बनने वाले ताज कोरीडोर को पुनः सुधार अथवा संसोधन करके बनाने के सम्बन्ध में,

99–उत्तर प्रदेश में स्कूटर व मोटर साईकिल के चालानों का मौका स्थल पर ही जुर्माना कर छोड़ने के सम्बन्ध में,

100–आगरा के आगरा कैन्ट स्टेशन, ताजमहल, किला, सिकन्दरा व एत्माउदौला आदि प्रमुख स्मारकों पर देश–विदेश के पर्यटकों की

लूटपाट रोकने हेतु विशेष पुलिस व्यवस्था लगाने के सम्बन्ध में,

101–उत्तर प्रदेश में परसीमन होने के कारण व विधायक क्षेत्र बढ़ जाने तथा वोटरों की संख्या बढ़ जाने व मंहगाई बढ़ जाने के कारण विधायक निधि कम से कम 2 करोड़ करने के सम्बन्ध में,

102–आगरा नगर की जर्जर सड़क व नाली जो कि तोता का ताल से नगर निगम स्कूल तक उषा देवी मन्दिर मोती कुंज तक तथा सिन्धी गुरूद्वारा विल्लोचपुरा तक बनवाने के सम्बन्ध में,

103–उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की अतिरिक्त भूमि व नगरों में पड़ी अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों किसानों व भूमिहीन नगर वासियों को देने के सम्बन्ध में,

104–उत्तर प्रदेश में बहुत पुराने लम्बित विवादों को निपटाने हेतु न्यायालयों की डवल शिफ्ट लगाने अथवा नये न्यायालय बनाने के सम्बन्ध में,

105–उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य राजस्थान की तरह पत्थरों द्वारा बनायी गयी मूर्तियों को वैट कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में,

106–आगरा में जिला योजना समिति के सदस्य हेतु नगर निगम व नगर पालिका स्तर से चुनाव कर प्रत्येक से एक सदस्य चुनकर भेजने के सम्बन्ध में,

107–उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न को रोकने हेतु गलत तरीके से लगाये जा रहे दहेज ऐक्ट एवम् हरीजन एक्ट को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

108–आगरा में रामबाग पुल के नीचे एवम् भगवान टाकीज के पास पुल के नीचे बहुत गन्दगी रहती है। गन्दगी एवम् अवैध कब्जों को रोककर उसके नीचे अन्दर स्कूटर, ऑटो, कार एवम् बस पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में,

109–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवम् पुत्रियों की शादी हेतु सहायता गरीबी के आधार पर बगैर किसी जाति धर्म के दी जा रही है। अतः जाति धर्म की प्रमाण–पत्र की वाध्यता को हटाने के सम्बन्ध में,

110–आगरा में आगरा फोर्ट के पास 50 साल से बन्द पड़े हुये पुराने बिजलीघर को हटाकर उसके स्थान पर या पार्किंग स्थल बनाने के सम्बन्ध में,

111–आगरा में वेदान्त मन्दिर के निकट स्थित यमुना किनारा व कैलाश मन्दिर के प्राचीन घाटों के सुधार एवम् सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में,

112–उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को काम एवं खेतों को बिजली–पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

113–उत्तर प्रदेश को सूखा एवं बाढ़ से बचाने के लिये प्रदेश की नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के सम्बन्ध में,

114–आगरा में छोटे–छोटे झगड़े तथा प्रदर्शनों को दवाने के लिये गलत तरीके से गैंगरिस्टर व रासुका लगाने को रोकने के सम्बन्ध में,

115–आगरा में जीवनी मंडी स्थित जागरण अखबार के सामने कृष्णा कालोनी में सम्पूर्ण सड़कें जो विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं गड्डा युक्त हो गई हैं उनकी मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में,

116–आगरा में ताजमहल व एत्माददौला के पीछे जमुना जी में विगत एक वर्षों से पड़ी भारी गन्दगी व कूड़े के ढेरों को साफ करने के सम्बन्ध में,

117–आगरा में बहुत से स्थानों पर शौचालय व पैशाबघर नहीं है तथा नगर निगम द्वारा बनाये गये अधिकांश शौचालय एवं पैशाबघर गिरासू एवं जर्जर हो गये हैं। उनकी मरम्मत तथा नये शौचालय एवं पैशाबघर बनाने के सम्बन्ध में,

118–आगरा के मनोहर पुर से जमुना पार जाने के लिये पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

119–आगरा के मोतीगंज मार्केट (जमुना किनारे के पास) की आन्तरिक व वाहरी सड़क विगत 5 वर्षों से गड्डा युक्त एवं जर्जर हैं। सड़कें व नाली के मरम्मत के सम्बन्ध में,

120–आगरा की सैंट्रल बैंक रोड कमला नगर की सड़क जर्जर एवं गड्डा युकत हैं तथा

कमला नगर की जनसंख्या को देखते हुए उसकी चौड़ाई बहुत कम है। इस सड़क को चौड़ा कर बीच में डिवाईडर डालकर मय लाइट व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

121–आगरा में बहुत से पुत्र अपनी आर्थिक परेशानी के कारण अपनी विधवा माता व वृद्ध माता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं ऐसी विधवा माता, वृद्ध माताओं को भरण पोषण हेतु प्रति माह 1000/– रु0 सहायता राशि देने के सम्बन्ध में,

122–उत्तर प्रदेश में मनमाने तरीके से सर्किल दर बहुत बढ़ा दी हैं उसे कम कर के जनता को स्टाम्प से राहत दिलाने के सम्बन्ध में,

123–उत्तर प्रदेश में विधायकों को कूपन के कारण होने वाली परेशानीह से वचाने हेतु कूपन के स्थान पर नगी धनराशि देने के सम्बन्ध में,

124–उत्तर प्रदेश में सभी विधायकों को विगत वर्ष तक 100 हैण्डपम्पों का कोटा लगवाने हेतु अधिकार दिया गया था उस पर लागू करने के सम्बन्ध में,

125–आगरा में आर्थिक विकास व देश–विदेश के पर्यटकों के मनोरंजन हेतु वेदान्त मन्दिर जमुना किनारे से एदमाद्दौला होते हुए लाल किला से ताजमहल तक रोप–वे चलाने के सम्बन्ध में,

126–आगरा में छावनी परिषद् द्वारा लगाये गये नाजायज शुल्क को हटाने के सम्बन्ध में,

127–आगरा में सम्पूर्ण नगर में सड़कों में जगह–जगह गड्उे हैं उनका पेच वर्क (मरम्मत) कराने के सम्बन्ध में,

128–आगरा में जीवन ज्योति हास्पीटल के पास बैनारा फैक्ट्री सिकन्दरा के पीछे तथा सामने 10 फुट चौड़ाई 10 फुट गहराई 5 कि0मी0 लम्बा नाले की मशीनों द्वारा तलीझाड़ सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

129–आगरा में कमला नगर क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाने के कारण अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नये थाने के निर्माण के सम्बन्ध

में,

130–उत्तर प्रदेश मं डीजल व पेट्रोल में हो रही मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिये मिट्टी के तेल में दी जाने वाली सब्सिडी (छूट) को बन्द करने व कन्ट्रोल की दुकान से हटाने के सम्बन्ध में,

131–आगरा जनपद में आलू की अधिकतम पैदा को देखते हुए आलू पर आधारित चिप्स, पापड़, आलू, पाउडर व शराब आदि की इण्डस्ट्रीज आगरा में लगाने के सम्बन्ध में,

132–आगरा में कैलाश महादेव मन्दिर से बल्देव जाने हेतु जमुना परबड़ा पुल बनाने के सम्बन्ध में,

133–आगरा में विभिन्न मार्केटों के बाहर खुले में बिक रहे मीट को रोकने के लिये आगरा महानगर की चारों दिशाओं में मीट मण्डी बनाने के सम्बन्ध में,

134–आगरा की सफाई व्यवस्था दो पारी में प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक एवम् दोपहर 1 बजे से सायं 7 बजे तक कराने के सम्बन्ध में,

135–उत्तर प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे भिखारियों को पकड़कर भिक्षुक गृह में रखकर उन्हें काम सिखकर स्वालम्बी बनाने के सम्बन्ध में,

136–आगरा में परिषदीय प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है जो शिक्षा मित्रों की भर्ती 2007 में हुई थी वो भी पर्याप्त नहीं थी। नई शिक्षा मित्रों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,

13––आगरा नगर क्षेत्र के 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय नहीं हैं उन 17 वार्डों में परिषदीय विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में,

138–आगरा में बालिमिकि बस्ती महाराणा प्रताप नगर वाईपास के 10ग्10 चौड़े नाले की तली झाड़ सफाई कराने के सम्बन्ध में,

139–आगरा में नहर पुलिया लंगड़े की चौकी से मोतिया की बगीची में मानसिंह कुशवाह के मकान से वाटर वर्क्स रोड तक की जर्जर एवं गड्डा युक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

140–उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस बनाने के

लिए पुलिस चौकी से लेकर डी0आई0जी0 तक की स्वीकृति ली जाती है उसके बाद मा0 विधायक व मा0 सांसद की स्वीकृति से शस्त्र लाइसेन्स बनते हैं उनकी अनिवार्यता खत्म कराने के सम्बन्ध में,

141–आगरा में मण्टोला क्षेत्र में आये दिन जातीय व साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, उसे रोकने के लिये काजीपाड़े में स्थाई पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में,

142–आगरा में सिकन्दरा कालोनी की विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सडत्रकों को बनाने के सम्बन्घ में,

143–आगरा में सौंठ की मण्डी डबल फाटक के पास वाली गली के पास विगत 5 वर्षों से जर्जर आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

144–उत्तर प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक लाख की आबादी पर मात्र लगभग सौ (100) पुलिस कर्मी है, वर्तमान में प्रदेश में हो रही लूट, अपहरण चोरी व डकैती की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक लाख की आवादी परएक हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में,

145–आगरा नगर को ताजमहल, सिकन्दरा, लालकिला व एत्माददोला जैसे स्मारकों के कारण पर्यटन स्थल बनाने के सम्बन्ध में,

146–उत्तर प्रदेश में व्याप्त गुण्डागर्दी, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, अपहरण उद्योग, महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में बढ़ोत्तरी, मानव अंगों की तस्करी, साम्प्रदायिक दंगे, लूटपाट व डकैती आदि को रोकने हेतु ठोस योजना बनाने के सम्बन्ध में,

147–आगरा में नगलापदी न्यू आगरा की जर्जर हो चुकी सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

148–आगरा में बृज विहार कमलानगर की जर्जर हो चुकी सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

149–आगरा में बोदला चौराहे पर आये दिन घण्टों यातायात जाम रहता है। यातायात के जाम से निजात दिलाने हेतु शीघ्र से शीघ्र फ्लाईओवर बनाने के सम्बन्ध में,

150–आगरा में राधिका विहार गेट से लेकर एकलव्य वाटिका मनोहरपुर तक की जर्जर हो चुकी सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

151–आगरा में एस0एन0 मैडीकल कालेज को एम्स हॉस्पीटल को एम्स हास्पीटल घोषित कराने के सम्बन्ध में,

152–आगरा में संजय प्लेस की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में,

153–आगरा में कमलानगर क्षेत्र की कावेरी एक्सटेंशन की जर्जर हो चुकी सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

154–आगरा में लॉयर्स कालोनी की आन्तरिक सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

155–आगरा में सी0एन0जी0 गैस पर आधारित विद्युत स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में,

156–आगरा में ट्रान्सपोर्ट नगर मे सेक्टर–1 के पार्क से अवैध कब्जे हटाने व बाउन्ड्रीबाल बनाने के सम्बन्ध में,

157–आगरा में सिकन्दरा स्मारक के बराबर से भयंकर जाम के निस्तारण हेतु एलीवेटिड रोड के निर्माण के सम्बन्ध में,

158–उत्तर प्रदेश में विधायक निधि से होने वाले कार्यों को टैक्स से मुक्त कराने के सम्बन्ध में,

159–आगरा में नाली के ऊपर–बाहर से तथा सड़कों पर हो रहे अतिक्रमणों को स्थाई रूप से हटाने के सम्बन्ध में,

160–आगरा में दयाल बाग क्षेत्र की प्रेम बिहार कालौन, अदन बाग कालौनी, सरला बाग कालौनी में जर्जर हो चुकी गड्डायुक्त सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

161–आगरा में दयालबाग क्षेत्र की जयराम बाग कालौनी मे जर्जर गड्डायुक्त सड़कों को

बनाने के सम्बन्ध में,

162–आगरा में टैगोर नगर में जर्जर हो चुकी गड्डायुक्त सड़कों को बनाने के सम्बन्ध में,

163–आगरा में कमलानगर के बी–ब्लाक सत्यम पार्क का बाउन्ड्रीबाल बनाने के सम्बन्ध में, तथा

164–आगरा मे बल्केश्वर शनिदेव मन्दिर से चांदनी चौक तक की जर्जर हो चुकी गड्डायुक्त सड़क को बनाने के सम्बन्ध में,

28	मो0 जासमीर अंसारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में जो लोग बाढ़ से बेघर हो गये हैं उन लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

2–लहरपुर विधान सभा के मेन रोड जो लहरपुर से बिसवा होते हुए महमूदाबाद जाता है जिसकी दूरी लगभगा 54 किलोमीटर है उसका चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–नगर पंचायत दैतेपुर को नगर पालिका परिषद बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4–सोवता विधान सभा में बसुडा गांव को जोकि वर्तमान में ग्राम पंचायत है इसको नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

5–प्रदेश के बुनकरों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाय 24 घण्टे बिजली दी जाय उनको बीमा सुविधा दी जाय। डिपो खोले जायं सूत उनको सस्ता अच्छा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–अल्पसंख्यकों की पढ़ायी हेतु, शादी हेतु, रोजगार हेतु धन की व्यवस्था की जाय स्कूल खोले जायें नौकरियां उपलब्ध करायी जाने के सम्बन्ध में,

29	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–तहसील धौरहटा अन्तर्गत ग्राम कफारा, खमरिया पं0 ईसानगा, ईसानगर कटौती में विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

2–धौरहटा तहसील में मुसिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में,

3–धौरहटा में खेल स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4–खमरिया पं0 में सरकारी कृषि विद्यालय व महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

5–धौरहटा विधान सभा में क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

6–मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

7–गन्ना विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

8–प्राईमरी स्कूलों में अध्यपकों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में,

9–किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य व मण्डी समिति बनायी जाने के सम्बन्ध में,

10–धौरहटा विधान सभा के तीनों ब्लाक ईसानगर, धौरहटा रमिया बेहड़ में पीने के पानी में अर्सेनिक, फ्लाराईड है अतः पेयजल हेतु इण्डिया मार्क–ष व ओवर हेड टैकों से पानी सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में?

11–ग्राम ओझापुरवा, कैराती पुरवा, बेलागढ़ी को पक्की सड़कों से जोड़ा जाय व यहां सरकारी अस्पताल खोला जाय, प्रतापपुर में सरकारी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में,

12–बाढग्रस्त लोगों का पुर्नवास हेतु जमीन दी जाय तथा क्षतिग्रस्त बन्धों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

13–तटबन्धों पर पक्की सड़क बनायी जाने के सम्बन्ध में,

14–सुजईकुण्डा–धौरहटा मार्ग पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15–तहसील धौरहटा मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को

राशन कार्ड बनवाकर उनको गल्ला दिये जाने के सम्बन्ध में

16–विधवा, विकलागों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

17–विकलांगों को ट्राई साईकिल दी जाने के सम्बन्ध में,

18–ग्रामीण क्षेत्राों में 22 घण्टे बिजली दी जाने के सम्बन्ध में,

19–सरसवां से महराजनगर तक रोड मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

20–सरैंया से सिंगावर तक रोड की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

21–रमिया बेहड़ से परौरी तक रोड की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

22–ग्राम अकठी से परौरी तक पक्की रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23–ग्राम सेमरिया में हनुमानगढ़ी धौरहटा मे रामवटी ऐतहासिक/पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

24–गन्ना समिति ऐरा मे ंकर्मचारी की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,

25–ग्राम खमरिया, ईसानगर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

26–रेहुआ चौराहा से धौरहटा वाया बस्तीपुर रोड का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

27–ग्राम खमरिया पं0 को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

28–ग्राम खमरिया से ईसानगर तक रोड का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

29–तह0 धौरहटा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

30–तह0 धौरहटा में राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाय। अल्पसंख्यकों के भी विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

30 श्री जय प्रकाश निषाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं

किया है–

1–जिला–गोरखपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के सभी ग्रामों के विद्युत तारों की हालत अत्यन्त जर्जर हैं जिन्हें बदले जाने के सम्बन्ध में,

2–जिला–गोरखपुर की चौरी–चौरा क्षेत्र में दिवानी न्यायालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

3–जिला–गोरखपुर की चौरी–चौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड सरदार नगर में एक पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

4–जिला–गोरखपुर की चौरी–चौरा के अन्तर्गत मां तर्कूलही मंदिर एक एतिहासिक पर्यटक स्थल है, जिसे अधिग्रहित करके रिसीवर बैठने के सम्बन्ध में,

5–जिला–गोरखपुर की चौरी–चौरा के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन के पूरब और पश्चिम रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–जिला–गोरखपुर के क्षेत्र चौरी–चौरा के अन्तर्गत मोती राम अड्डा से कुसम्ही बाजार की सड़क का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–जिला–गोरखपुर के क्षेत्र चौरी–चौरा के अन्तर्गत वि0ख0 ब्रम्हपुर, ग्राम सभा हरैया (टोला झिरझरवा) के पास मझना नाला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8– जिला–गोरखपुर की चौरी–चौरा क्षेत्र के अन्तर्गत एक अतिथि गृह निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–जिला–गोरखपुर स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–जिला–गोरखपुर के क्षेत्र समुचित विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में,

11–जिला–गोरखपुर के क्षेत्र चौरी–चौरा के अन्तर्गत वि0ख0–ग्रम्हपुर में बरही, छितहरी, सिंहोड़वा, सराय मजगवां, टम्ठा आदि बन्धे का बोल्डर पिचिग कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–जिला–गोरखपुर के क्षेत्र चौरी–चौरा के अन्तर्गत फरेन नाला की सफाई किये जाने के

सम्बन्ध में,

13– जिला–गोरखपुर की चौरी–चौरा क्षेत्र अन्तर्गत मझना नाला की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में,

14– जिला–गोरखपुर की चौरी–चौरा क्षेत्र अन्तर्गत मझना नाला पर स्थित शमशान घाट का सौन्दर्यकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों में अराजकता का माहौल दूर करने तथा शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

16–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

17–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये के सम्बन्ध में,

18–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में गरीब लोगों की पुलियों की शादियों में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में,

19–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

20–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में चिकित्सालयों मेमं आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

21–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में किसानों को खाद, बीज एवं पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

22–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में वित्तीय, कानून व्यवस्था को सरकार द्वारा सुधारने के सम्बन्ध में,

23–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र

चौरी चौरा के अन्तर्गत 500 नये गहरे नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

24–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दिये जाने के सम्बन्ध में,

25–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के अनुदान की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

26–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारंटी देने के सम्बन्ध में,

27–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,

28–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में किसानों के गेहूं की खरीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

29–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में कन्या विद्या धन योजना के निष्पक्ष व निश्चित मानक लागू कर सर्वसमाज के गरीब बालिकाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में,

30–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में सरकारी निगमों को पुर्नजीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

31–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के किसानों को खाद, बीज एवं पानी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में गरीबों की भूमि पर एवं घरों पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के सम्बन्ध में,

33–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

34–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत ग्राम सभा भरतपुर सरकारी

ट्यूबेल से इमलिहवा होते हुए विश्वनाथपुर होते हुए केशव के भट्ठे तक पिच सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

35–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत पन्द्रह मील रामपुर चौराहे से बाल बुजुर्ग तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत घटुलीघाट फरेन नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत गौरी नदी मटियरवा घाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत गोबड़ऊर चौराहे पर पुलिस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

39–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत गोबड़ौर में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

40–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत आने वाले शहर से लगे निम्नलिखित ग्राम सभाओं को जैसे राम नगर, कड़जहां, कुरमौल, बहरामपुर, कुसुम्मी कोठी, रूद्रापुर, माड़ापार तकिया, कुसही बाजार, भैसहां आदि ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

41–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत आने वाले शहर से लगे निम्नलिखित ग्राम सभाओं को जैसे राम नगर, कड़जहां, कुरमौल, बहरामपुर, कुसुम्मी कोठी, रूद्रापुर, माड़ापार तकिया, कुसही बाजार, भैसहां आदि ग्रामों में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

42–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के विकास खण्ड–पिपराइच के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सभा बहरामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

43–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा के अन्तर्गत शहीद स्मारक में जिन शहीदों के नाम अंकित नहीं है तथा उनकी मूर्तियां स्थापित नहीं हैं उनके नाम एवं मूर्तियां स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

44–जिला–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी चौरा में वृद्धा आश्रम बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

31 श्री मनीष असीजा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

1–नगर फिरोजाबाद में कांच की औद्योगिक इकाइयों के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु कांच उद्योग की इकाइयों को प्रयोगक में लाने दिये जाने वाला एक मात्र ईंधन प्राकृतिक गैस ए0पी0एम0 की कटौती एवं गैस की दरों में अनाप–शनाप वृद्धि रोकने के सम्बन्ध में,

2–फिरोजाबाद नगर में बीच आबादी से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच–2 पर आये दिन होने वाली भीषण दुर्घटनाओं के बचाव हेतु राजा का ताल से मख्खनपुर तक आउटर रिंग रोड बनाने के सम्बन्ध में,

3–नगर फिरोजाबाद में विद्युत विभाग में ए0आर0पी0डी0आर0पी0 योजना समय–सीमा में पूरी करने के सम्बन्ध में,

4–फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग में लाखों की संख्या में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये आकस्मिक दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में,

5–फिरोजाबाद की पेयजल आपूर्ति की समस्या निराकरण हेतु बनाई जा रही झेड़ा–झाल परियोजना में व्यय होने वाली धनराशि ''स्टेट फण्ड'' से कराने के सम्बन्ध में,

6–फिरोजाबाद में कार्यरत लाखों की संख्या में मेहनतकश मजदूरों के लिये एक विस्तृत आवासीय योजना बनाकर उन्हें आवास उपलब्ध

कराने के सम्बन्ध में,

7–नगर फिरोजाबाद में 20–10–2008 में सीमा विस्तार में आने वाली 13 नयी ग्राम सभाओं में आने वाले परिषदीय एवं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति आज तक न हो पाने के सम्बन्ध में,

8–नगर फिरोजाबाद में वृन्दावन की भांति विद्युत तारों की जगह भूमिगत केबल डालने के सम्बन्ध में,

9–जनपद फिरोजाबाद में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिये जनपद में आलू शोध संस्थान की स्थापना करने के सम्बन्ध में,

10– जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के अन्तर्गत बहुत बड़ी निष्प्रयोजित भूमि पर मेडिकल कालेज बनवाने हेतु केन्द्र सरकार को डी0पी0आर0 भेजने के सम्बन्ध में,

11–जिला अस्पताल में हड्डी के आपरेशन में प्रयुक्त होने वाली मशीन ''सी0 आर्म'' स्थापित कराने के सम्बन्ध में,

12–जिला अस्पताल में आई0सी0यू0 यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में,

13–न्यू अम्बेडकर नगर, नया बाईपास रोड की कच्ची गलियों एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

14–दयाल नगर, कोटला रोड की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

15–कुशवाहा नगर, कोटला रोड की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

16–सविता नगर, कोटला रोड की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

17–द्वारिकापुरी की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

18–भगेल कालोनी, कोटला रोड की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

19–महादेव नगर की कीचड़ युक्त कच्ची

गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

20–विवेकानन्द नगर हिमायूंपुर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

21–अशर्फीनगर हिमायूंपुर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

22–दादू नगर हिमायूंपुर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

23–तुलसी विहार मून होटल के पीछे हिमायूंपुर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

24–चतुरी नगर हिमायूंपुर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

25–सविता नगर, सी0एल0 जैन कालेज के पीछे हिमायूंपुर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में,

26–पीपल नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

27–झलकारी बाई नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

28–बजरंग नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

29–न्यू रामगढ़ की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

30–आनन्द नगर, ककरऊ की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

31–परशुराम कालोनी की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

32–इन्दिरा नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

33–सुदामा नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

34–सत्य नगर टापा की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

35–कृष्णा नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

36–कौशल्या नगर की कीचड़ युक्त कच्ची

गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

37–भरत नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

38–अम्बेडकर नगर नाले के पास की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

39–यमुना नगर नाले के पास की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

40–गंगा नगर नाले के पास की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

41–उर्दू नगर, रामगढ़ थाने के पीछे की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

42–हबीबगंज, मदर फरीदा के पीछे की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

43–मोहल्ला छपरिया, दीदामई की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

44–दुर्गेश नगर दीदामई की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

45–ममता नगर, रहना की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

46–फिरोजाबाद नगर में हशमत नगर की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

47–ब्रह्मपुरी, रहना की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

48–इंदरा नगर, रहना की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

49–बिहारी नगर, रहना की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

50–बलदेव नगर, रहना की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

51–ऐलान नगर, ककरौव की कीचड़ युक्त

कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

52–आनन्द नगर, रहना की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

53–नेहरू नगर नाले के किनारे की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

54–श्रीनगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

55–ओमनगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

56–सती नगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

57–ऐलानी नगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

58–प्रेमनगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

59–राठौर नगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

60–शांति नगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

61–हाथी वाली गली, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

62–यादव नगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

63–संगम विहार, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

64–गुरूदेव नगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

65–मोतीनगर, अब्बास नगर, आफसाबाद की

कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

66–ठारफूठा मोहल्ला में कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

67–हुमायूंपुर हंसवाहिनी स्कूल के पास कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

68–नगला पचिया की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

69–मोती की पाखर के पास आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

70–प्रभात नगर, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

71–हनुमान मन्दिर के पास की गलियां, आफसाबाद की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

72–दुर्गा मन्दिर से मठ मन्दिर तक की आंतरिक गलियां की कीचड़ युक्त कच्ची गलियां व नाली निर्माण के सम्बन्ध में,

73–कन्हैया नगर में एक ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0 एवं तीन नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

74–गणेश नगर में एक ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0 एवं तीन नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

75–रहना में एक ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0 एवं तीन नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

76–ताड़ो वाली बगिया, दुर्गेश नगर में एक ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0 एवं तीन नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

77–बजरंग वाटिका के पास में एक ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0 एवं तीन नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

78–श्रीनगर कालोनी, पंचायत घर के पास में एक ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0 एवं तीन

नलकूप की स्थापना के सम्बन्ध में,

79–हिमायूंपुर नाले के किनारे ग्रीन स्टेट कालोनी पार्क में सी0डब्लू0आर0 के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

80–नगला विष्णु पानी के टंकी के पास में सी0डब्लू0आर0 के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

81–नगला पचिया स्थित पानी की टंकी के पास में सी0डब्लू0आर0 के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

82–दीदामई पानी की टंकी के पास में सी0डब्लू0आर0 के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

83–मण्डी समिति रानी नगर पानी की टंकी के पास में सी0डब्लू0आर0 के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

84–मोहल्ला मीनाक्षीपुरम् स्थित सार्वजनिक पार्क में 15 लाख लीटर की क्षमता का ओवरहेड टैंक एवं सी0डब्लू0आर0 के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

85–फिरोजाबाद नगर में मोहल्ला धडैया में स्थित पुरानी तहसील की भूमि पर एक 15.00 लाख लीटर क्षमता ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

86–लालपुर क्षेत्र में 15 लाख ली0 क्षमता का ओवरहेड टैंक एवं सी0डब्लू0आर0 के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

87–फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा गृहकर एवं जलकर के नाम पर नगर की जनता का भयदोहन कर अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में,

88–फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर का वर्षों से लम्बित पड़ा रहने के सम्बन्ध में,

89–फिरोजाबाद जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं ट्रेंड, अनट्रेंड स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में,

90–नगर फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हेतु मिलने वाली सहायता के अपर्याप्त बजट के सम्बन्ध में,

91–जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पेंशन

की पात्रता रखने वाले नागरिकों को बजट अभाव में समाजवादी पेंशन न मिल पाने की परेशानी को दूर करने के लिये बजट बढ़ाने के सम्बन्ध में,

92–नगर फिरोजाबाद में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं के अन्दर नारकीय परिस्थितियों यथा–सड़कों का अभाव, जल निकासी व्यवस्था का अभाव, पेयजल आपूर्ति का अभाव की अत्यन्त गम्भीर समस्या के निदान न हो पाने के सम्बन्ध में,

93–फिरोजाबाद नगर के एक मात्र स्टेडियम में एक टर्फ विकेट के निर्माण एवं स्टेडियम के उचित रख–रखाव के सम्बन्ध में,

94–फिरोजाबाद नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान में कार्यरत लाखों की संख्या में श्रमिकों के लिये पेयजल हेतु वाटर कूलर विश्राम हेतु रैन बसेरा एवं दैनिक क्रियाओं हेतु सुलभ शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में,

95–फिरोजाबाद नगर की नयी आबादी के क्षेत्र में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में,

96–फिरोजाबाद नगर में बहुत से जर्जर पोलों, तारों व ट्रांसफार्मरों के बदलवाने के सम्बन्ध में,

97–औद्योगिक आस्थान स्थित बिजली घर की क्षमतावृद्धि के सम्बन्ध में,

98–एस0एन0 हास्पिटल स्थित बिजली घर की क्षमतावृद्धि के सम्बन्ध में,

99–पुरुषोत्तम विहार कालोनी स्थित बिजली घर की क्षमतावृद्धि के सम्बन्ध में,

100–फिराजोबाद स्थित आफसाबाद नाला चौराहे पर से उपरिगामी सेतु के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

101–फिरोजाबाद नगर में व्याप्त भीषण पेयजल संकट निवारण हेतु जेड़ा झाल (निचली गंगा नहर प्रणाली) से जल उपलब्ध कराने के लिये सिंचाई विभाग एवं जल निगम के मध्य सतही (कच्चे) जल की उपलब्धता कराने हेतु समझौता पत्र (एम0ओ0यू0) कराकर शासनादेश जारी कराने के सम्बन्ध में,

102–फिरोजाबाद स्थित लेबर कालोनी

क्रासिंग संख्या–63 पर से उपरिगामी सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

103–फिरोजाबाद नगर में शामिल 13 ग्राम सभाओं सहित पूरे नगर का रि–आर्गनाइजेशन सर्वे जल निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में,

104–नगर फिरोजाबाद में कार्यरत मेहनतकश मजदूरों के भविष्य निधि के तथा उनके वास्तविक अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में,

105–फिरोजाबाद नगर स्थित निर्यात करने वाली इकाइयों पर वैट नहीं लगता है फिर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा एस0आई0बी0 सर्वे के नाम पर अवैध रूप से उत्पीड़न के सम्बन्ध में,

106–फिरोजाबाद स्थित निर्यातकों को फ्रेट कम्पलसेशन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि के दो वर्षों से लम्बित होने के सम्बन्ध में,

107–नगर फिरोजाबाद में रोडवेज के स्टैण्ड की जर्जर दशा को सुधारने तथा नई नगरीय बस सेवाओं के परिचालन के सम्बन्ध में फिरोजाबाद नगर में विद्युत कर्मियों की भारी कमी के चलते पहले से ही कम मिल रही आपूर्ति की और बदतर हालात के सम्बन्ध में,

108–ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत आने के कारण फिरोजाबाद नगर को 24 घण्टे की अबाधित पूर्ति के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये हैं। इस अति महत्वपूर्ण आदेशों के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में,

109–फिरोजाबाद नगर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज न होने तथा उन्हें गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड जारी न किये जाने के सम्बन्ध में,

110–फिरोजाबाद की वर्षों से कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 न दिये जाने के सम्बन्ध में,

111–फिरोजाबाद नगर की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर उठाने एवं उनके आधारभूत ढांचों में सुधार के सम्बन्ध में,

112–फिरोजाबाद नगर के यमुना किनारे स्थित प्राचीन नगर चंद्रवार के ऐतिहासिक जैन मन्दिर, हनुमान मन्दिर तथा सूफी साहब तथा यमुना के धारों का विकास कर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में,

113–फिरोजाबाद नगर स्थित लेबर कालोनी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में,

114–फिरोजाबाद नगर से गुजरने वाले हाथरस ब्रांच के रजवाहा में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में,

115–फिरोजाबाद नगर में चले आ रहे विश्वप्रसिद्ध कांच उद्योग के विकास हेतु एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के माध्यम से नगर के कांच उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में,

116–फिरोजाबाद नगर के समीप असायनी में एक बड़ी क्षमता के बिजली घर निर्माण के सम्बन्ध में,

117–फिरोजाबाद जनपद में सिरसागंज स्थित 220 के0वी0 क्षमता के बिजली घर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अतिशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,

118–फिरोजाबाद नगर में अनुसूचित समाज के तथा व्यापारियों के साथ आये दिन होने वाले लूट, डकैती, हत्या तथा बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध कठोरतम कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

119–फिरोजाबाद में राशन डीलरों द्वारा अवैध रूप से वितरित होने वाली सामग्री की कालाबाजारी पर कठोर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में,

120–फिरोजाबाद जनपद में गिरते हुए भू–जल स्तर को उठाये जाने के सम्बन्ध में,

121–फिरोजाबाद नगर में पेयजल की समस्या की तत्काल राहत के लिये 500 सबमर्सिबल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में,

122–फिरोजाबाद नगर में छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति अनुदान में घोटाले की जांच के सम्बन्ध में,

123–बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए

विधायक निधि 2.50 करोड़ करने तथा प्रत्येक विधायक को पूर्व की भांति 7–10 कि0मी0 सड़क प्रदान करने तथा हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प तथा विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

124–प्रदेश में फिल्मों के अश्लील पोस्टर न लगाये जाने के सम्बन्ध में,

125–प्रदेश मे मिड–डे–मील योजना में भोजन की गुणवत्ता तय करने के सम्बन्ध में,

126–जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में स्थित जिला महिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल में गम्भीर मरीजों को तत्काल गेट से ही बाहर रेफर करने की दशा में बहुत बड़ी जनहानि होती है। इस आपराधिक लापरवाही रोके जाने के सम्बन्ध में,

127–प्रदेश तथा जनपद में गोकशी की घटनाओं पर तत्काल कठोर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

128–फिरोजाबाद नगर के सबसे बड़े कन्या विद्यालय महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान जिसमें कि लगभग 14000 बच्चियां पढ़ रही हैं, की भूमि से सटी जिला पंचायत की बरसों से निष्प्रयोजित भूमि विद्यालय को प्रदान करने के सम्बन्ध में,

129–फिरोजाबाद नगर की सड़कों की सीवर तथा वाटर लाइन खुदाई के कारण हुई टूट–फूट को दूर कर नयी सड़कें बनवाने के सम्बन्ध में,

130–फिरोजाबाद नगर के शमशान गृहों तथा कब्रिस्तानों के विकास के लिये कार्य कराने के सम्बन्ध में,

131–प्रदेश में खाद्य सामग्री एवं दूध में होने वाली मिलावटखोरी को रोकने हेतु कठोरतम प्रावधानों की तथा उनके क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में,

132–फिरोजाबाद नगर निगम के नये कार्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में,

133–प्रदेश में तथा नगर फिरोजाबाद में रिक्शा, हाथ ठेला चालकों पर लाइसेन्स शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में,

134–प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क रक्त चढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

135–गम्भीर रूप से बीमार गरीबों को सप्ताह के अन्दर चिकित्सकीय सहायता/आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में,

136–फिरोजाबाद नगर की एन0एच0–2 हाई–वे स्थित सर्विस रोडों की दयनीय दशा सुधारे जाने के सम्बन्ध में,

137–फिरोजाबाद नगर के कांच के कलात्मक कार्यों में लगे कुशल एवं दक्ष कारीगरों को प्रदेश स्तर पर कलाकार का दर्जा देकर पुरस्कृत करने के सम्बन्ध में तथा इस्तशिल्पियों के भविष्य के लिये सुदृढ़ आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में,

138–फिरोजाबाद नगर में स्थापित 220 के0वी0 क्षमता के बिजली घर में 40–40 एम0वी0 क्षमता के तीन ट्रांसफार्मर के स्थान पर 60–60 एम0वी0 क्षमता के ट्रान्सफार्मर स्थापित कराने के सम्बन्ध में,

139–फिरोजाबाद नगर के दक्षिण क्षेत्र के अन्तर्गत पैमेश्वर गेट, हुण्डा वाला बाग, मोहम्मदगंज बगिया, राजपूताना, गली नोहरान, बड़ी छपैटी, कन्हैया नगर आदि मोहल्लों की पीने के पानी की अत्यन्त भीषण समस्या के निराकरण हेतु कन्हैया नगर स्थित पार्क में एक अवर जलाशय (पानी की टंकी) के निर्माण के सम्बन्ध में,

140–फिरोजाबाद नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र शीतल खां, गालिब नगर, हाजीपुरा, शीशगान मोहल्ला, हुसैनी मोहल्ला आदि क्षेत्र में पेयजल की अत्यन्त भीषण समस्या के निदान हेतु इस क्षेत्र में पानी की टंकी की स्थापना के सम्बन्ध में,

141–आने वाली वर्षा ऋतु से पहले नगर फिरोजाबाद के सभी छोटे–बड़े नाले नालियों की तली झाड़ सफाई के सम्बन्ध में,

142–नगर फिरोजाबाद में राज्य परिवहन निगम का बस डिपो बनाने के सम्बन्ध में,

143–जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन

स्थापित कराने के सम्बन्ध में,

144–जिला अस्पताल फिरोजाबाद में एम0आर0आई0 की स्थापना के सम्बन्ध में,

145–नगर फिरोजाबाद में बहुत बड़ी संख्या में खुले में सड़क किनारे लगने वाले फुटकर चूड़ी बाजार ''गड्डा बाजार'' को व्यवस्थित एवं पक्के स्थान पर लगवाने के सम्बन्ध में,

146–फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक सचिव एवं वी0सी0 की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

147–फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में टूण्डला क्षेत्र को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में,

148–टूण्डला–फिरोजाबाद–शिकोहाबाद के किनारे बहने वाली यमुना नदी के वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल स्तर से इससे सटे हुए खादरों/दर्रों/रिवाइंस में जल संचय कर इन क्षेत्रों का जल स्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

149–फिरोजाबाद में 'जेनेरिक दवाओं' की बिक्री हेतु एक 'माडल शाप' खोलने के सम्बन्ध में,

150–जिला अस्पताल फिरोजाबाद में हड्डी के रोगियों के सटीक इलाज हेतु 'सी आर्म' मशीन की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

151–फिरोजाबाद में लगभग 110 कांच–चूड़ी पकाई भट्ठियों को कलस्ट बनाकर तत्काल प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

152–नगर निगम फिरोजाबाद में प्रतिदिन निकलने वाले हजारों टन कूड़ा–कचरा एवं गन्दगी का निस्तारण कराने के लिये एक ''ट्रेचिंग ग्राउण्ड'' (खत्ताघर) बनाने के सम्बन्ध में,

153–नगर फिरोजाबाद में यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 स्कीम के अन्तर्गत सैकड़ों रुपया सीवर बिछाने के कार्य में लगने के बाद भी एस0टी0पी0 (सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट) न बन पाने के कारण पूरी की पूरी धनराशि बर्बाद होने के सम्बन्ध में,

154–नगर फिरोजाबाद में गांधी पार्क चौराहे पर भगवान परशुराम द्वार का निर्माण कराये जाने

के सम्बन्ध में,

155–नगर फिरोजाबाद में कोटला रोड स्थित लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर जी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा स्थल की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

156–नगर फिरोजाबाद में बस अड्डे के सामने वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

157–नगर फिरोजाबाद में रसूलपुर तिराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

158–नगर फिरोजाबाद में गांधी पार्क चौराहे पर पद्म विभूषण दादा बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रतिमा के सामने क्षतिग्रस्त फौव्वारों एवं पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

159–नगर फिरोजाबाद में रामलीला चौराहे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

160–नगर फिरोजाबाद में स्टेशन रोड पर स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

161–नगर फिरोजाबाद में सुभाष तिराहे पर स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

162–नगर फिरोजाबाद में चन्द्रशेखर मार्केट स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

163–नगर फिरोजाबाद में शास्त्री मार्केट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

164–नगर फिरोजाबाद में भारत माता पार्क स्थित भारत माता की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

165–नगर फिरोजाबाद में गांधी पार्क स्थित गांधी जी की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

166–नगर फिरोजाबाद में लेबर कालोनी स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के

क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

167–नगर फिरोजाबाद में लेबर कालोनी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त पेडस्टल की मरम्मत के सम्बन्ध में,

168–नगर फिरोजाबाद में नगर निगम फिरोजाबाद के प्रेक्षागार (आडीटोरियम) पालीवाल हाल को नगर के विभिन्न समाजों, विद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं को एवं सामाजिक कार्यों को करने वाली संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

169–नगर फिरोजाबाद में बनने वाली कांच की अलंकृत चूड़ियों की देश एवं विदेश में एक अभियान के साथ ब्रांडिंग करने के सम्बन्ध में,

170–आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के फिरोजाबाद मार्ग के पास कांच चूड़ी एवं कांच के अन्य उत्पादों के निर्यात, प्रोत्साहन, प्रसार–प्रचार हेतु एक ग्लास एक्सपो मार्ट बनाने के सम्बन्ध में,

171–हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में कांच की अलंकृत चूड़ी को शामिल कर इसमें लगे कुशल जुड़ाई मजदूर, कटाई मुड़ाई मजदूर एवं डेकोरेशन कराने वाले मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य गुणवत्ता के उन्नयन के सम्बन्ध में,

172–नगर फिरोजाबाद में ककरूऊ की कोटी चौराहे पर पुलिस रिपोर्टिंग चौकी खोलने के सम्बन्ध में,

173–जनपद फिरोजाबाद में जघन्य अपराधों की वृद्धि को देखते हुए ''डायल 100 सर्विस'' मोबाइल पुलिस स्टेशन वैन सेवा आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

174–नगर फिरोजाबाद में थाना दक्षिण की रेलवे स्टेशन रोड स्थित पुलिस चौकी के जर्जर भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नया भवन बनाने के सम्बन्ध में,

175–नगर फिरोजाबाद में थाना दक्षिण की नाल बन्द चौराहे स्थित पुलिस चौकी के जर्जर भवन को नये सिरे से बनाये जाने के सम्बन्ध में,

176–नगर फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के

जर्जर पुलिस क्वार्टर के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में,

177–जनपद फिरोजाबाद के राजा का ताल एवं मक्खनपुर कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देने के सम्बन्ध में,

178–नगर फिरोजाबाद के नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान की जर्जर सड़कों, नाली एवं ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के सम्बन्ध में,

179–नगर फिरोजाबाद के सेंट जांस चौराहे से लालऊ तिराहे तक पूर्णतया क्षतिग्रस्त, कच्चे दलदल युक्त मार्ग पर सड़क एवं नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में,

180–नगर फिरोजाबाद में चंद्रवार गेट की पुलिया से कोटला मोहल्ला के पीछे से रेलवे साइडिंग के अन्दर से स्टेशन रोड तिराहे तक गेट द्वारा अवरुद्ध किये गये मार्ग का खुलवाने के सम्बन्ध में,

181–जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में एक ''फेको मशीन' की स्थापना कर आंखों के रोगियों को सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

182–नगर निगम फिरोजाबाद के भंग पड़े वार्ड के पुनर्गठन कराने हेतु नये परिसीमन आरक्षण एवं चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में,

183–नगर फिरोजाबाद जैन मन्दिर स्थित भारत की दूसरी सबसे विशाल ग्रेनाइट पत्थर से बनी भगवान बाहुबली महाराज की प्रतिमा को पर्यटन मानचित्र में स्थान देने के सम्बन्ध में, तथा

184–नगर फिरोजाबाद के लाखों मेहनतकश मजदूरों के उत्तम स्वास्थ्य सेवा के लिये ई0एस0आई0 हास्पिटल खोलने के सम्बन्ध में।''

3 श्री कृष्णपाल सिंह
2 राजपूत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

2–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना

में उत्पन्न हो रही पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में,

3–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मदों में की जा रही फिजूलखर्ची को रोकने के सम्बन्ध में,

4–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में किसानों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

6–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में नहरों की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

7–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में औद्योगिक क्षेत्र में बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में,

8–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिये जाने से रोकने के सम्बन्ध में,

9–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में सरकारी शिक्षण संस्थाओं, प्राइमरी से लेकर महाविद्यालयों में अराजकता का माहौल दूर करने तथा शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में,

10–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के 300 की आबादी वाले ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गरीब लोगों की पुत्रियों की शादियों में अनुदान राशि हेतु पात्रता के लिए आय सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,

13–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी रोके जाने के सम्बन्ध में,

14–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने तथा ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

15–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में असिंचित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में,

16–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्रीष्म कालीन पेयजल संकट से निपटने हेतु करीब 1000 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई दिये जाने के सम्बन्ध में,

18–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में अवैध रूप से किये जा रहे बालू, मौरंग एवं गिट्टी के खनन को रोकने के सम्बन्ध में,

19–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में गरीब किसानों की भूमि एवं घरों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के सम्बन्ध में,

20–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विभिन्न उद्देश्यों हेतु अधिग्रहीत भूमि के बदले उपलब्ध कराई गई पुनर्वास की भूमि पर किसानों को उनका मालिकाना हक प्रदान करने के सम्बन्ध में,

21–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

22–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में भू–माफियाओं द्वारा किसानों की उपजाऊ जमीनों का बिना भू–उपयोग परिवर्तन कराये बिना धड़ल्ले से कम दामों में हड़पकर अवैध प्लाटिंग किये जाने से सरकार को हो रही भारी राजस्व हानि को रोके जाने के सम्बन्ध में,

23–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना

में किसानों को सिंचाई हेतु 2 किलोवाट के विद्युत मोटरों के कनेक्शन सस्ती दर पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में बुनकरों को किसानों की भांति विद्युत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

25–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में कन्या विद्या धन योजना को निष्पक्ष व मानक अनुसार लागू करके सर्वसमाज की गरीब बालिकाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में,

26–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में तहसील–टहरौली जो विकास खण्ड विहीन है, में मानक के अनुसार दो ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

27–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम पंचायत रक्सा में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

28–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में सुकुवां–ढुकुवां बांध से लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

29–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम आरी तथा पोहरा के मध्य पहूंज नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

30–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम करगुवां से रामनगर रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में सुकवां–ढुकुवां रोड से चन्दौली तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

32–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में निवी से खिरिया राम होते हुए ग्राम नरी तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

33–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम गनेशपुरा से राजगढ़ तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

34–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना के ग्राम रसोई से गंगली होते हुए ग्राम झौंरों तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

35–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम पंचायत बैदोरा के छर्रा, छोटी डुबकी एवं बड़ी डुबकी मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की ग्राम पंचायत सिमरावारी के चौका, मखरउ, बादली, कोंडरा, डुबकी मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की ग्राम पंचायत रक्सा के जनकपुर, भरतेले का डेरा, सिमरइयन का डेरा, पुरतनया बांध मुहल्ला में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

38–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत खजुराहा–बुजुर्ग के मोंटा, टौरिया, दयानगर, पथरवारा एवं पनिहारी मुहल्लों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

39–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत मथुरापुरा के भड़रा, टपरियन एवं आदिवासी बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत बुढ़पुरा के हरपालपुर, धरमपुरा, आदिवासी बस्ती, ग्राम–खाड़ी के बैरागढ़ खुशीपुरा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

41–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत बबीना रूरल के गोंची खेड़ा, मुखिया मुहल्ला में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

42–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना

के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत सरवां के भंडरा, रसीना के मटियारी मुहल्ला तथा ग्राम पंचायत हीरापुर के ढंगा मुहल्ला में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

43–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव की ग्राम पंचायत चिपलौठा के धमनाई खिरक एवं ग्राम पंचायत कोलवा के हनुमान खिरक में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

44–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विकास खण्ड–बड़ागांव, बबीना एवं चिरगांव में राजकीय बालिका इण्टर कालेजों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

45–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड–बड़ागांव, बबीना एवं चिरगांव में राजकीय महिला महाविद्यालयों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

46–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में बल्लमपुर रेलवे क्रासिंग से नगरा होते हुए सीपरी नहर तक नहर पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

47–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में स्थित नहरों पर नहर पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

48–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विभिन्न रेलमार्गों पर रेलवे ओवर ब्रिज एवं अण्डर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

49–जिला–झांसी में जिला मुख्यालय के मुख्य मार्गों जैसे ग्वालियर रोड, ललितपुर रोड, आई0टी0आई0 रोड पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

50–जिला–झांसी में जिला मुख्यालय आने वाले प्रमुख मार्गों जैसे झांसी–कानपुर, झांसी–सागर, झांसी–खजुराहो, झांसी–ग्वालियर तथा झांसी–शिवपुरी मार्गों पर रोड किनारे स्टोन क्रेशर संचालित है जिनसे बराबर डस्ट उड़ती रहती है जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इस प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में,

51–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्रामों एवं मजरों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

52–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में स्थित प्राचीन झीलों, तालाबों का सुन्दरीकरण कर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में,

53–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में कस्बा बबीना को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में,

54–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम पंचायत खैलार–बी0एच0ई0एल0, सिमरावारी की आबादी 20000 से अधिक होने के कारण इन दोनों ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

55–जिला–झांसी के महानगर मुख्यालय झांसी में महानगर बस सेवा झांसी से बबीना, झांसी से चिरगांव, झांसी से बरुआसागर, झांसी से अम्बाबाय, झांसी से रक्सा, राजापुर, इमिलिया चौराहा, बैदोरा होते हुए सिमरावारी तक शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में,

56–बुन्देलखण्ड विकास निधि के बजट की बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

57–जिला–झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में स्थित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में नाली, रोड, विद्यालय, सामुदायिक भवन एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में,

58–जिला–झांसी में स्थित कब्रिस्तान की जमीनों को भू–माफियाओं से बचाने हेतु इनकी बाउन्ड्री बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

59–जिला–झांसी में बुन्देलखण्ड विकास पैकेज से निर्मित करायी जा रही कृषि उपज मण्डियों के निर्माण में हो रही गम्भीर अनियमितताओं एवं धांधली को रोके जाने के सम्बन्ध में,

60–जिला–झांसी में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

61–प्रदेश में बेरोजगार टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों

की भर्ती माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अविलम्ब शुरू करने के सम्बन्ध में,

62–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम नन्दसिया से देवरा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

63–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में चिरगांव देहात–फोरलेन से सन्तरी डेरा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

64–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में सितौरा रोड से आदिवासी बस्ती तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

65–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में मियांपुर मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

66–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में बमनुआ राजीव गांधी स्कूल से दलित बस्ती होते हुए रौरा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

67–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में पहाड़ी बुजुर्ग से पचार रोड के बीच से जरयाई तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

68–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम–दिनेरी से शंकरगढ़ तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

69–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम–महेवा, बिरहटा रोड से ध्वावनी तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

70–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम–डेली से पाली रोड के बीच से सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में,

71–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना

के विकास खण्ड बबीना में ग्राम–सुकवां से प्रधान पुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

72–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम–पलींदा से परबई तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

73–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बदनपुर से ग्राम उमरवाय तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

74–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम खैरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय से ग्राम उमरवाय तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

75–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में फोर लेन से ग्राम बधौरा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

76–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बधौरा से ग्राम पंचमपुर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

77–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बैदौरा से डुबकी तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

78–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बसाई से बसाई नये धरन तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

79–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम पुनावली से ग्राम कंचनपुर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

80–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बदनपुर से पटकुइया तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

81–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना

के विकास खण्ड बबीना में ग्राम सरवां से मड़बर मजरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

82–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम गौंची खेड़ा की पुलिया से शंकर भगवान के नाग मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

83–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम डोमागोर से सिमरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

84–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बाजना में रोता ताल से कुड़ी घाट होते हुए वमेर से रक्सा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

85–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम रसोई से गंगली होते हुए झौरों मुहल्ला तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

86–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम ढिकौली से नया खेड़ा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

87–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम लहर ठकुरपुरा से सारमधु तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

88–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम पुनावली से पठलापुरा मुहल्ला तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

89–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बाजना से गागौंनी तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

90–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम बाजना से ग्राम मठ तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

91–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम गढ़ा से ढिमरापुरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के

सम्बन्ध में,

92–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम राजापुर से गागौनी तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

93–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम धिसौली पाइप लाइन से सूरजपुरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

94–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम रक्सा में जनकपुर मार्ग से खैराईपुरा होते हुये कोडरा मुहल्ला तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

95–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम पुनावली रोड से परवई तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

96–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में ग्राम ठकुरपुरा से खिरकन तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

97–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम रूंद करारी से रोंनिजा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

98–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम चिपलौठा से धमनाई खिरक तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

99–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में नहर की पुलिया से मवई प्राथमिक पाठशाला तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

100–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम जौंरी बुजुर्ग से पालर रोड बाईपास तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

101–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र

बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम पारीछा रेलवे क्रासिंग से बझेरा होते हुये पचार तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

102–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम रमइयापुरा नहर की पुलिया से धरमपुरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

103–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम मबई से खिरिया तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

104–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम रनगुवॉ रोड से नहर की पट्टी ईसागढ़ तक सम्पर्क बनाये जाने के सम्बन्ध में,

105–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम फुटेरा बरूआसागर–मउरानीपुर रोड से जराय मठ तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

106–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम तैंन्दौल से पुरैनिया खिरक तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

107–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में मुस्तरा फोरलेने से मुस्तरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

108–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम जौंरी खुर्द साहब सिंह के खेत से रमइयापुरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

109– जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम खैरापति बराटा से बराटा घाट तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

110–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम गंगावली पालर सम्पर्क मार्ग के बीच से बावल टॉडा तक

सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

111–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम जौंरी बुजुर्ग मोड़ से जौंरी खुर्द तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

112–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में तेंदौल तिगैला से तेंदौल गांव तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

113–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम तेंदौल मेन रोड से दलित बस्ती तक सम्पर्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

114–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड–बड़ागांव में पालर–रनगुवां रोड से बाबल टांडा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

115–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड–बड़ागांव में ग्राम मड़ौरा से हाजीपुरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में

116–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में ग्राम रूंद करारी सम्पर्क मार्ग से प्रीतमपुर लकारा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

117–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड–चिरगांव में चिरगांव भाण्डेर रोड से बेहटा सन्त तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

118–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग से कबूतरों के डेरों तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

119–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम बरल से राम नगर रोड तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

120–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम बमनुवां से रौरा

होते हुए सिलौरी तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

121–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत धिसौली के मजरा सूरजपुरा में प्रा0वि0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

122–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत खजुराहा बुजुर्ग में मजरा रामपुर तथा मोटा में प्रा0वि0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

123–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत मानपुर के मजरा कारीटोरन में प्रा0वि0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

124–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत सुकुवां के मजरा मटियारी एवं राजगढ़ में प्रा0वि0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

125–जिला झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत पाड़री के मजरा कबूतरन का डेरा में प्रा0वि0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

126–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत बड़ौरा के मजरा पाल मुहल्ला में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

127–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत धिसौली के मजरा जौनपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

128–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत सुकुवां के मजरा बड़ैरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

129–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना की ग्राम पंचायत सरवां के मजरा भड़रा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

130–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव की ग्राम पंचायत सिकरी धमना के मजरा बड़ैरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

131–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

132–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड चिरगांव में आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

133–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बड़ागांव में आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

134–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

135–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड–बड़ागांव में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

136–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड–चिरगांव में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

137–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना के ग्राम पंचायत बैदौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

138–जिला–झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्टमार्टम केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।''

33 श्री सन्तराम कुशवाहा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं

किया है :–

1–जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत आवादी लगभग 15 लाख है लेकिन सम्पूर्ण विधान सभा में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। कोच नगर में एक राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा माधौगढ़ कस्बा में राजकीय महाविद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में,

2–जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। चीनी मिल को लगभग 10 वर्ष पहले नीलाम कर दिया गया है। किसानों को अपनी फसल को भूसे के भाव बेचना पड़ता है। चीनी मिल लगवाने के सम्बन्ध में,

3–जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में लगभग 35 मजरों में विद्युतीकरण अभी तक नहीं है। विद्युतीकरण बनाये जाने के सम्बन्ध में,

4–जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में कोंच से कैलिया सलैलिया होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा से स्टेट हाइवे से जोड़ने के सम्बन्ध में,

5–जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ पांच नदियों की जाल से घिरा होने के कारण उपजाऊ जमीन ऊबड़–खाबड़ को समतलीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में एवं लगभग 100 राजकीय नलकूप स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में तथा

6–जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में पेयजल की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। जोकि कम से कम 500 नये हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।''

34 श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है :–

1–जिला आजमगढ़ विधान सभा मुबारकपुर को जो कि ब्लाक सठियांव में है तहसील घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा मुबारकपुर के कस्बे मुबारकपुर, अमिलो, इब्राहिमपुर, जहानागंज आदि

जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है वहां बिना किसी कटौती के विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाये तथा इसको इण्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

3–विधान सभा मुबारकपुर के जहानागंज से सठियांव को जाने वाली रोड को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

4–विधान सभा मुबारकपुर के जहानागंज को जो ब्लाक जहानागंज में आता है इसको नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।''

35 श्रीमती रजनी तिवारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में जनपद हरदोई एवं फर्रुखाबाद को जोड़ने के लिए अर्जुनपुर–बड़गांव के मध्य रामगंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत भरखनी से रूपापुर माइनर एवं बरवन माइनर की सफाई एवं पानी छोड़ने के सम्बन्ध में,

3–तहसील मुख्यालय सवायजपुर में कोतवाली क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में,

4–तहसील सवायजपुर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

5–कस्बा चौसार, भरखनी सवायजपुर, दहेलिया, पचदेवरा एवं सहजनपुर को पाइप लाइन पेयजल योजना उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में,

6–कस्बा–हरपालपुर को नगर पंचायत, कस्बा सवायजपुर को नगर पंचायत एवं नगर पंचायत–पाली को नगर पालिका परिषद् बनाने के सम्बन्ध में,

7–मंसूरपुर उमरौली जैतपुर व नोनखारा के मध्य गम्भीरी नदी पर छोटे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

8–विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में विद्युत

समस्या के शीघ्र निस्तारण हेतु पूर्व में स्वीकृत 132 के0वी0ए0 पावर सब–स्टेशन के संचालित करने के सम्बन्ध में,

9–विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में श्री मऊ दहेलिया, चौंसार एवं किरतियापुर, पचदेवरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में,

10–पांच नदियों से घिरे हुए बाढ़ग्रस्त विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में प्रत्येक वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ से होने वाली भारी जन–धन हानि के स्थायी समाधान के सम्बन्ध में,

11–विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु विकास खण्ड हरपालपुर, साण्डी, नगला एवं भरसनी में इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों की स्थापना तथा सैकड़ों खराब हैण्डपम्पों के रि–बोर के सम्बन्ध में,

12–सवाजयपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे विद्युतीकृत राजस्व ग्रामों छूटे हुए राजखर ग्रामों एवं मजरों में न विद्युतीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

13–रूपापुर से शाहाबाद मुख्य मार्ग पर अधूरे पड़े रूपापुर से खनिकला खुर्द मार्ग लगभग 3 कि0मी0 को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में,

14–भरखनी ब्लाक में अनंगपुर से चांदपुर नगला दूरी लगभग 1 कि0मी0 पक्का मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में,

15–भरखनी ब्लाक में अम्बरपुर से कनिकापुर दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 पक्का मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में,

16–भरखनी ब्लाक में मदारपुर से चकौती तक दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 मार्ग मरम्मत के सम्बन्ध में,

17–पाली से असमधा होते हुए कनकापुर लाल तक दूरी लगभग 7 कि0मी0 मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

18–भरखनी ब्लाक में बाबरपुर से रनधीरपुर पक्के मार्ग तक दूरी लगभग 2कि0मी0 पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

19–भरखनी ब्लाक में बरुआरा से डडिया तक दूरी लगभग 1.05 कि0मी0 तक पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

20–भरखनी ब्लाक में मुर्तजा नगर से मानपारा तक दूरी लगभग 5 कि0मी0 मार्ग के मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में,

21–भरखनी ब्लाक में नांदखेड़ा से बहाउद्दीनपुर तक 700 मी0 पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

22–भरखनी ब्लाक में रतनापुर नहर पुलिया से रतनापुर पुरवा तक 1.5 कि0मी0 पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

23–भरखनी ब्लाक में आमतारा गांव में मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में,

24–भरखनी ब्लाक में नरभा गांव के पश्चिम मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में,

25–भरखनी ब्लाक में बाबरपुर से बहने वाले अतिदूषित नाले में बह रहे फैक्ट्रियों के दूषित पानी को गर्रानदी में गिरने से रोकने के सम्बन्ध में,

26–भरखनी ब्लाक में पिपरिया से कपूरपुर गांव तक दूरी लगभग 2.5 कि0मी0 मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

27–भरखनी ब्लाक में निजामपुर पुलिया से भरखनी मुख्य मार्ग तक दूरी लगभग 4 कि0मी0 मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

28–बावन ब्लाक में रामापुर छैया से रामपुर अधैकन के मध्य मुख्य मार्ग के पक्का निर्माण दूरी लगभग 1कि0मी0 के सम्बन्ध में,

29–बावन ब्लाक में मिरकापुर से जनियामऊ गांव तक मुख्य मार्ग के पक्का निर्माण दूरी लगभग 800 मी0 के सम्बन्ध में,

30–बावन ब्लाक में बरसोहिया से बरवन तक मार्ग दूरी लगभग 4 कि0मी0 के मरम्मत के सम्बन्ध में,

31–भरखनी ब्लाक में गिरधरपुर मार्ग से भापुर सपहा होते हुए डडिया तक दूरी लगभग 2.

5 कि0मी0 पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

32–भरखनी ब्लाक में सेडामऊ घसा तक दूरी लगभग 1 कि0मी0 पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

33–भरखनी ब्लाक में हथौड़ा से सेढ़ा पुल तक लगभग 10 कि0मी0 तक पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

34–साण्डी ब्लाक में श्रीमऊ मार्ग से सिया कदीम तक लगभग 800 मी0 पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

35–साण्डी ब्लाक में भदार पुल से श्रीमऊ तक लगभग 700 मी0 एप्रोच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

36–साण्डी ब्लाक में मंसूरपुर ग्राम में यदुवीर त्रिवेदी के आवास के पास मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में,

37–साण्डी ब्लाक में श्रीमऊ चौराहे से निबियाखेड़ा होते हुए चदऊ तक दूरी लगभग 2 कि0मी0 तक पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

38–साण्डी ब्लाक में श्रीमऊ से उमरौली जैतपुर मुख्य मार्ग दूरी लगभग 5 कि0मी0 मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में,

39–साण्डी ब्लाक में गुर्रा गांव में गुर्रा पन्देउला के मध्य नाले पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में,

40–साण्डी ब्लाक में मोहद्दीनपुर गांव के पास मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में,

41–साण्डी ब्लाक में लमकन पुल से रौरा तक मुख्य मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

42–साण्डी ब्लाक में लमकन महितापुर मुख्य मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

43–हरपालपुर ब्लाक में दहेलिया खरगपुर मार्ग पर खरगपुर से शिवपुरी तक पक्के मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 900 मी0 के सम्बन्ध में,

44–हरपालपुर ब्लाक में दहेलिया नरौथा मार्ग पर नदुआपुर से नरौथा पक्के मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 900 मी0 के सम्बन्ध में,

45–हरपालपुर ब्लाक में प्रतिपालपुर कुढा से कुढा मडैया तक दूरी लगभग 800 मी0 पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

46–हरपालपुर पवन क्लीनिक से मेघौली मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

47–हरपालपुर ब्लाक में खरगपुर तिराहे से चांदापुर होते हुए धनियामऊ तक मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

48–हरपालपुर ब्लाक में चांदापुर मार्ग से गुरुसहायपुरवा तक पक्के मार्ग के निर्माण दूरी लगभग 900 मी0 के सम्बन्ध में,

49–हरपालपुर ब्लाक में छोटी महदईन मार्ग से नौअनपुरवा तक पक्के मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

50–हरपालपुर ब्लाक में बड़ी महदईन से अन्तूपुरवा तक पक्के मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 4 कि0मी0 के सम्बन्ध में,

51–हरपालपुर ब्लाक में चौसार पुल से थाना अरवल होते हुए करनपुर तक मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में,

52–हरपालपुर ब्लाक में चाऊपुर से धरमपुर मार्ग के मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में,

53–सवायजपुर से बम्रौली मुख्य मार्ग के मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में,

54–सवायजपुर से मिरगावां होते हुए खसौरा तक मुख्य मार्ग के मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में,

55–हरपालपुर ब्लाक में शेखापुर से नगरिया तक पक्के मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 900 मी0 के सम्बन्ध में,

56–भरखनी ब्लाक में मरभावनगंज से मैकपुर तक दूरी लगभग 1500 मी0 के पक्के निर्माण के सम्बन्ध में, तथा

57–भरखनी ब्लाक में गिरधरपुर से विवियापुर मार्ग दूरी लगभग 2 कि0मी0 के पक्के निर्माण के सम्बन्ध में।''

3 श्री रामहेत भारती प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

6

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने

अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद सीतापुर में शारदा नदी की कटान व बाढ़ की रोक थाम एवं कटान से पीड़ित प्रभावितों को सरकारी भूमि को पट्टे पर आवंटित कर बसाने के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र में हरगांव सहित जनपद–सीतापुर में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

3–कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के सम्बन्ध में,

4–हरगांव विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बेहटा में ग्राम दोनवा तथा रूकनापुर के मध्य काजवे (रपटापुल) निर्माण के सम्बन्ध में,

5–विधान सभा क्षेत्र हरगांव के ब्लाक बेहटा के अन्तर्गत आवॉ सम्पर्क मार्ग से लोनियन पुरवा तथा बहिया, बहिरामपुर मिश्रन पुरवा का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–विधान सभा क्षेत्र हरगांव के ब्लाक हरगांव में मंगरूवा से मोमनाबाद तथा कटियारा से पंडित पुरवा लक्षिमणपुर का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–विधान सभा क्षेत्र हरगांव के ब्लाक बेहटा के अन्तर्गत सैतियापुर सम्पर्क मार्ग से खालेपुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8–क्षेत्र हरगांव के ब्लाक बेहटा में चंदेसुवा एवं तकिया सुल्तानपुर पकरिया के मध्य घघरिया नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

9–विधान सभा क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड परसेडी, हरगांव बेहटा तथा लहरपुर में किसानों की सिंचाई के लिए खराब राजकीय नलकूपों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,

10–विधान सभा क्षेत्र हरगांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

11–विकास खण्ड बेहटा के ग्राम रमुवापुर का बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत तथा टूटी पुलिया का निर्माण एवं टिकौना सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–ग्राम शाहपुर ब्लाक बेहटा के गांव के पूरब नाले पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

13–ग्राम भदफर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–ग्राम भदफर ब्लाक बेहटा में सुचारू विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15–विकास खण्ड बेहटा के ग्राम अ मर नगर, चौरा चनिया के चोरी गये विद्युत तारों को पुनः लगवाकर विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–ब्लाक हरगांव के ग्राम नया पुरवा मजरा मुद्रासन, ग्राम कसियापुर तथा नफुरी कला से कटियारा सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

17–ग्राम बांकीपुर चक सम्पर्क मार्ग से ददवारा सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

18–ब्लाक–बरसेंडी के अन्तर्गत पगरोई सम्पर्क मार्ग से तोखीपुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

19–ब्लाक–बरसेंडी के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर लखीमपुर रोड से धरनाग, नेवादा नौखा महमूदपुर होते हुए फऱ्रकपुर के पुल तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग का पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–ब्लाक हरगांव के अन्तर्गत झरेखापुर से ढोलईकला राम बिलास पुरवा का क्षतिग्रस्त डामर रोड का पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–ब्लाक लहरपुर के अन्तर्गत बृजवासिन पुरवा का डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22–ब्लाक बेहटा के अन्तर्गत ग्राम हरखी बेहड़ तथा ग्राम पसियर पुरवा मजरा ईरापुर तथा ईरापुर के सभी मजरों के सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23–ब्लाक बेहटा के ग्राम टिकौना, चंदवा सोत, बिचला बरेली समौदीडीह इब्राहिमपुरवा, चहलुवा आदि गांवों के शारदा नदी के कटान से प्रभावित सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर गुजर बसर करने वाले ग्रामीणों को पुनः बसाये जाने हेतु ग्राम समाज की भूमि का आवंटन किये

जाने के सम्बन्ध में,

24–ब्लाक बेहटा के अन्तर्गत मरसण्डा, सलारपुर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25–ब्लाक परसेण्डी के ग्राम कोड़री तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

26–केसरीगंज नवीनगर से भदफर रोड के क्षतिग्रस्त मार्ग का पुर्ननिर्माण तथा मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

27–ब्लाक हरगांव में राजेपुर सम्पर्क मार्ग से खेदरापुर होते लघनिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28–ब्लाक हरगांव के अन्तर्गत ककराही से डिहुआ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–ब्लाक परसेण्डी के ग्राम ढोलई खुर्द तथा अहमदपुर केजा के टूटे विद्युत तारों को जोड़कर पुनः विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

30–ब्लाक हरगांव के ग्राम रूकनापुर का पम्प कैनाल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

31–ब्लाक बेहटा के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर से ग्राम दोनवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

37 श्रीमती कृष्णा पासवान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–

1–गोपालपुर से घूरी (वुदवन) तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2–कल्लनपुर से कीसापुर वाया दवन्नापर का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–अकिलपुर ऐराना से अरबपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–हरदो से भवानीपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–काही से शुकुरूपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–कुसयापुर से गोढ़यार तक डामरीकरण 2.0 किमी0 तक कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–रानीपुर से छोटा मखउवा डामरीकरण व पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–ईट–गांव–उकाथू रोड से छीमी तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–चंदापुर से बरियाछे तक बाया लोहंगपुर डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–किशनपुर नगर पंचायत से पहाड़पुर ग्राम हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–खागा रेलवे गेट से पाम्भीपुर तक सम्पर्क मार्ग व नाले में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–हरदासपुर गढा रोड से बरियाछे होकर संमोलीपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–बरइनपुर छीम ग्राम से उकाथू सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–घीसापुर दवन्ना के मध्य प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

15–चंदापुर गढा 33/11 के0बी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–बिछियावां 33/11 के0बी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–ससुर खदेड़ी नदी मेठेठा के मध्य ससुरखदेरी नदी में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

18–गढवा सरीके मध्य ससुर खदेरी नदी में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

38 श्री रोशन लाल वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :––

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :––

1–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ऊनकलां से भर्री बसन्तपुर होते हुये चमरुआ चौराहे तक जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर रोड पर गुरगवां शिवाला तिराहे से पराझरसा होते हुए बरैचा तक जर्जर ऊबड़ खाबड़ मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में निगोही तिलहर रोड से रटी होते हुए रतूली तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में खुदागंज मार्ग अत्यन्त ऊबड़ खाबड़ व गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में तिलहर निगोही रोड पर डडिया गांव से सुनरा होते हुए अम्बेडकर ग्राम सतनुआ तक ऊबड़ खाबड़ मार्ग की निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के महमदपुर से मदारीपुर होते हुए कजरी कुदिरना रोड तक गढ्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में डा0 अम्बेडकर ग्राम विकरनपुर से कुदिरना तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में गुरुगवां पराझरसा मार्ग से कजरी नूरपुर, कुदिरना कालेदेव कि मठिया तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में शाजहांपुर बीसलपुर मार्ग पर

डालमिया चीनी मिल नहर पुलिया से नहर पटरी पर कुदिरना तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में कुकहा महमूदपुर से विक्रमपुर चकौरा तक कच्चे मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में नवियापुर सतनुआ सम्पर्क मार्ग से कलक्टरगंज होते हुए खरगापुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण व एक बड़ी पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

12–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में तिलहर निगोही रोड पर दूल्हाढकिया से भटपुरा होते हुए तिराहा डामर तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत/अवशेष कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर मार्ग पर डालमिया चीनी मिल नहर पुलिया से नहर पटरी पर कुदिरना तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत/कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बरैचा से हटादलेलपुर तक होते हुए कैमुआ नाला के किनारे–किनारे विकास खण्ड ददरौल के ग्राम कपेड़ कटका तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में जिन्दपुरा नहर की पटरी से नरायनपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में नरायनपुर से जनपद–पीलीभीत के ग्राम हरैया बार्डर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर निगोही मार्ग से धुल्लिया नहर पटरी पर ताल गांव लोहरगवां तक

गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर शाहजहांपुर रोड से वजीरपुर होते हुए अजीजपुर तक इसी रोड से टिकमापुर तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बिलसण्डा रोड पर ईशापुर से बहादुरपुर तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत/कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

20–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में रेलवे स्टेशन गिगोही से कटैया उसमानपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बरैचा से बुढानपुर तक कच्चे गड्ढ़ा युक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

22–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में पराझरसा बरैचा मार्ग से नवीपुर होते हुए हटा दलेलपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम बुढानपुर से विकास खण्ड ददरौल के ग्राम उदयपुर कटैया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में हथगांव से नहरपटरी पर बिकरनपुर कुदिरना मार्ग तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

25–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में तिलहर निगोही रोड पर डडिया बाजार से महमदपुर तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत/कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

26–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिन्धौली में बरौरा से नथुआपुर होते हुए बचुइया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की

डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिधौली में बरौरा से अखित्यारपुर होते हुए पाता तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिन्धौली में पाता से नया गांव पल्हनापुर होते हुए खिरिया सम्पर्क मार्ग तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिन्धौली में कटिया बुजुर्ग शाहजहांपुर मार्ग से करनापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

30–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिन्धौली में कटिया बुजुर्ग शाहजहांपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम तेरा तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग की डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में चमरुआ चौराहे से बरौरा होते हुए विक्रमपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत/ डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में परसरा परसरी से चकौरा होते हुए दिलावरपुर खुर्द नहरपुलिया तक गड्ढायुक्त खड़न्जा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ढकिया तिवारी से परसरा परसरी तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

34–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ढकिया तिवारी से धरायू तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर रोड रगवापुर खुर्द तिराहे से बझेड़ा–बझेड़ी होते

हुए नेकापुर तक गड्ढायुक्त मार्ग इसी रोड से रगवापुर खुर्द तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में तिलहर निगोही रोड से कालेदेव की मठिया होते हुए महमदपुर तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर शाहजहांपुर रोड से बिछौली तक नहर पटरी पर गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

38–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर शाहजहांपुर रोड पर राघवपुर, सिकन्दरपुर से छतैनी होते हुए ढकिया तिवारी तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

39–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में कुदिरना डालमिया चीनी मिल मार्ग से नेकापुर होते हुए कालेदेव की मठिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बीसलपुर शाहजहांपुर रोड पर कजरीनूरपुर से अरेली इस्माइलपुर होते हुए पचदेवरा तक इसी रोड से सहतेपुर तक गड्ढा युक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

41–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर पुवायां रोड पर महुआ पाठक से विकास खण्ड सिन्धौली के ग्राम दिवाली तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

42–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर पुवायां रोड पर महुआ पाठक से ग्राम सकुलिया तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

43–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड पुवायां के डुगरौची मोड़ से वगड़ेर तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

44–जनपद शाहजहांपुर के निगोही तिलहर सिधौली रौजा व जनपद के अन्य थानों में मेरे व मेरे परिवार व मेरे समर्थकों प्रधानों व अन्य पर गम्भीर धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में,

45–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम खिरिया पाठक चौराहे से चांदा होते हुए उमरिया नहर पुल तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

46–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में उमरिया नहर पुल से महासिल नहर पुल तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

47–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम कोटावारी से ग्राम बढेला तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

48–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में कोटावारी से खड़सार तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

49–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में उमरिया नहर पुल से मुड़िया पमार तक गड्ढायुक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

50–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में मुड़िया पमार गन्दानाला पुल से महमूदापुर तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

51–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में पटई रोड से भूड़खेड़ा तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

52–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में पटई रोड से पटवागांव तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

53–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में पटई गांव से सिसोरा तक

गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

54–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में पटई रोड से भूड़खेड़ा तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

55–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में अनावा चौराहे से पसिया खेड़ा तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

56–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में बबरा गांव से रक्शा तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

57–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवाया रोड पर सिंधौली से सैजना तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

58–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवायां रोड पर सिंधौली से मूढ़ाहारिस तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

59–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में कटिया बुजुर्ग नहर पुलिया से इमलिया हमीदनगर भण्डेरी होते हुए पचदेवरा मोड़ तक पक्के गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

60–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में मुरछा कटिया बुजुर्ग मार्ग से बरौरा होते हुए अख्तयारपुर तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

61–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवायां रोड से महानन्दपुर होते हुए ताहरपुर तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

62–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवायां रोड से

नगला लाहौरी तक पक्के गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

63–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में सकुलिया से वि0खं0 पुवायां के ग्राम जमालपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

64–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में बगड़ेल से कलन्दरगंज तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

65–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में हरबल्लभपुर से बबरा गांव तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

66–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में हरबल्लभपुर से सिसैया तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

67–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में सिसइया से पटवा तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

68–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम उल्लिया से ग्राम ताहरपुर तक नहर पटरी पर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

69–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर पुवायां रोड से नवलपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

70–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में सिंधौली सैजना मार्ग से कटैया तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

71–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में डुगरौंची मोड़ से दिवाली तक खड़न्जा गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का

डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

72–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में कोरोकुइया नहरपुल व उमरिया नहर पुल के बीच से नवादा असरफ तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

73–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में महमूदापुर से महाऊ महेश तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

74–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवाया रोड पर कोरोकुइया नहर पुल से नहर पटरी पर नगला बलेटू तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

75–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवाया रोड से गन्धरपुर तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

76–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नेशनल हाइ–वे पर दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कालेज के पास से ग्राम बिलहरा तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

77–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में मोहल्ला मुस्तफाबाद से शेरगढ़ हरभानपुर चांदपुर होते हुए निजामपुर धर्मपुर कन्जा तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

78–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में बिलहरी से नौगाई होते हुए हरभानपुर नहर पुलिया तक कच्चे गडढा युक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

79–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नरसा नगला से राजूपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

80–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नौगाई से मित्रपुर बरुआ तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

81–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में तिलहर बंधा मार्ग पर धनकपुर से लखोहा तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

82–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में बंधा मार्ग पर मरियाधाम आश्रम से अम्बेडकर ग्राम मिर्जापुर होते हुए लखोहा तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

83–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में रूजवारी पुरायूं रोड से अल्हदापुर गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

84–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में बिहारीपुर सुनौरा मार्ग से हुसैनापुर कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

85–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नेशनल हाई–वे से फिरोजपुर तक गड्ढायुक्त जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

86–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में निगोही तिलहर रोड से बढ़ेपुर होते हुए जोगीपुर तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

87–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में जोगीपुर सम्पर्क मार्ग से पुरायूं तक खड़न्जा गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

88–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में समधाना सम्पर्क मार्ग से खड़करी तक खड़न्जा गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामकीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

89–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नेशनल हाई–वे से धनेली पलटू तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

90–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में तिलहर जैतीपुर मार्ग से सुल्तानपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

91–विधान सभा क्षेात्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में तिलहर जैतीपुर मार्ग से मन्सूरपुर गौटिया तक खड़न्जा गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

92–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में तिलहर से फतेहपुर गैसरा वाया पिथनपुर होते हुए टाह बनारस नहर पुलिया तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

93–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में अहियापुर मोहनपुर से जिक्रीपुर होते हुए ईश्वरा तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

94–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाईवे से बावर हरपला होते हुए चन्युरा तक जर्जर गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

95–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में बिरियागंज से बंधा बन्धीचक होते हुए बरखेड़ा जयपाल कटरा जलालाबाद मुख्य मार्ग तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

96–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नेशनल हाई–वे से सुल्तानपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

97–विधान सभा क्षेात्र तिलहर के विकास

खण्ड तिलहर में वीरमपुर सम्पर्क मार्ग से कबरा हुसैनपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

98–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में वीरमपुर से सैजना तक कच्चा गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

99–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड मदनापुर में जलालाबाद कटरा हाइ–वे पर बरखेड़ा जयपाल से दियुतरा गौसगंज होते हुए नहर की पुलिया तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

100–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड मदनापुर में दियुतरा गौसगंज नहर पुलिया से नहर पटरी होते हुए समसपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

101–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड मदनापुर में दियुतरा गौसगंज सम्पर्क मार्ग से ढका होते समसपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

102–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड मदनापुर में जलालाबाद कटरा हाई–वे से नगला बन्नू उर्फ नगरिया तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

103–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड मदनापुर में जलालाबाद कटरा हाई–वे से काबिलपुर तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

104–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में प्याऊ जल की गंभीर समस्या उत्पन्न होने के कारण 2500 इण्डिया मार्का–ॠ हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

105–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही बीसलपुर शाहजहांपुर मार्ग से सण्डाखास होते हुए गंगा जमुनी तक गड्ढायुक्त

एवं जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

106–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में निगोही से पवाया मार्ग प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बन रही है, जिसमें घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

107–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0खं0 निगोही में मिलिकिया रोड से सिन्दल खेड़ा रोड बन रही है जिसमें घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

108–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में हमजापुर से गागेपरा दियुरिया रोड की मरम्मत हो रही है, जिसमें घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

109–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0खं0 निगोही में बाबर पुलिया से छोटी ऊन तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बन रही है, जिसमें घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

110–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में रानी खिरिया रोड से बाबूपुर होते हुये गौठिया तक रोड बन रही है, जिसमें घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,

111–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में राजकीय महिला पालीटेक्निक के अधूरे पड़े कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

112–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में बरैचा रतूली के मध्य कैमुआनाला पर पुल निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

113–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में हमजापुर डींग मध्य कैमुआनाला पर जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

114–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर रोड पर कैमुआ नाला पर पुल जर्जर सकरा व पुराना होने

के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

115–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के निगोही हमजापुर चौराहे से तिलहर तक गड्ढायुक्त एवं जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में इसी सड़क पर विरसिंहपुर के आगे कटी सड़क पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

116–निगोही पुवायां मार्ग से उदारा उदरिया ढकिया तिवारी होते हुए विलन्दपुर गद्दी तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

117–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम पंचायत निगोही में छात्र छात्राओं के लिये खेल स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

118–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में बयुर नहर पुलिया से नहर पटरी पर रोड बनी है रोड पर घटिया सामग्री की जांच कराने के सम्बन्ध में,

119–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में बरौंरा नथुआपुर के मध्य बारानाला पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

120–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही, सिंधौली तिलहर में जर्जर तार एवं छूटे हुए गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

121–विकास खण्ड निगोही में ग्राम मदारीपुर से पराझरसा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

122–विकास खण्ड सिंधौली में पिपरिया ग्राम प्रहलाद उर्फ भुड़िया में गांव के उत्तर बड़ी पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

123–विकास खण्ड तिलहर में सरेली नवदिया के पूरब भक्सी नाला पर बड़ी पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

124–विकास खण्ड तिलहर के ग्राम खड़करी में भक्सी नाला पर बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

125–शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाईवे से ग्राम बनास देवी तक गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण

कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

126–विकास खण्ड निगोही में प्राथमिक विद्यालय रतूली में बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में,

127–विकास खण्ड निगोही में उच्च प्राथमिक विद्यालय रतूली में बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में,

128–विकास खण्ड निगोही में ग्राम रतूली के आगे चकबरैचा तिराहे से कैमुआनाला तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

129–विकास खण्ड निगोही में ग्राम रतूली मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

130–विकास खण्ड निगोही में बिलसण्डा निगोही रोड पर भटपुरा मिश्र नहर पुलिया से नहर पटरी पर सहतेपुर अलहादादपुर होते हुए हरसेली तक जर्जर गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

131–विकास खण्ड निगोही में ग्राम बरैचा से ग्राम खरगापुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

132–विकास खण्ड निगोही में ग्राम गंगाजमुनी से शहजादपुर होते हुए ऊंनकलां मार्ग तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

133–विकास खण्ड निगोही ग्राम गंगा जमुनी से ग्राम अण्डखेड़ा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

134–विकास खण्ड निगोही में ग्राम चकौरा से ग्राम तिन्दुलिया तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

135–विकास खण्ड निगोही में ग्राम चकौरा से बरौरा तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

136–विकास खण्ड निगोही में ग्राम बुढ़ानपुर से हटादलेलपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

137–विकास खण्ड निगोही में ग्राम बझेड़ा बझेड़ी से ग्राम जहानपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

138–विकास खण्ड निगोही में ग्राम निगोही में बनी पानी की टंकी की पाइपलाइन में जगह–जगह लिकेज व घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में,

139–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली में महाऊदुर्ग से महमूदापुर तक खड़न्जा गड्ढ़ा युक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

140–तिलहर नेशनल हाइवे से गुलचम्पा होते हुए हाजीपुर तक गड्ढा युक्त अवशेष कार्य का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

141–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम भटियुरा पृथ्वीपुर, चकबरैचा, कलट्टरगंज, कबीरचक आदि छूटे हुए दर्जनों गांव में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

142–विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाईवे के ग्राम मिश्रीपुर में 11 हजार वोल्टेज के लटक रहे जर्जर तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में,

143–विकास खण्ड तिलहर के ब्लाक मुख्यालय के पास से ग्राम गुरगवा तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

144–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 11 हजार वोल्टेज के लटक रहे जर्जर तारों आये दिन दुर्घटना होती रहती है तार बदलवाने के सम्बन्ध में,

145–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में धान क्रय केन्द्रों पर कृषकों का धान न तौल कर बिचौलियों के माध्यम से धान क्रय किया गया किन–किन कृषकों का धान तौला गया कितने सेन्टर स्थापित किये गये सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

146–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में पशुओं

की बीमारी को रोकने के लिए न्याय पंचायत बार पशु चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में,

147–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सी0एच0सी0 पर तैनात डाक्टरों की कमी पूरी कराये जाने के सम्बन्ध में,

148–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में जनमानस की बीमारियों को रोकने के लिए न्याय पंचायत बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

149–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में ध्वस्त कानून व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

150–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बरात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

151–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में बन्दरों के आतंक को रोकने के लिए पकड़वाये जाने के सम्बन्ध में,

152–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में नीलगाय वनरोज के आतंक को रोकने के लिए पकड़वाये जाने के सम्बन्ध में,

153–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में पुलिस द्वारा क्षेत्रीय जनता को बेवजह परेशान करने के सम्बन्ध में,

154–विकास खण्ड मदनापुर में जलालाबाद कटरा स्टेट हाईवे पर बरखेड़ा जैपाल से तिलहर रोड पर गांव में अत्याधिक गड्ढों में पानी भरे रहने के सम्बन्ध मे,

155–विकास खण्ड निगोही में बड़ी ग्राम पंचायत निगोही को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में,

156–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में शिक्षा के स्तर में उत्थान हेतु न्याय पंचायत बार बालिका इण्टर कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में,

157–विकास खण्ड तिलहर में बहादुर पुर हाल्ट से ग्राम ढकिया शोभा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

158–विकास खण्ड निगोही में गुरगवां शिवाला से अरेली स्टेशन तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

159–विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम सूथा निवासी अरूण कुमार सिंह पुत्र वीरपाल सिंह सरकारी दो पदों पर कार्यरत हैं। 1–पोस्ट मास्टर, 2–नलकूप चालक की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, विकास खण्ड निगोही में ग्राम पिपरिया खुशाली से ग्राम रघुवापुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

160–विकास खण्ड निगोही में दियुरिया से बरीलालपुल तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

161–विधान सभा क्षेत्र तिलहर में निगोही तिलहर रोड पर प्रति गांवों में बड़े–बड़े गड्ढ़े हो जाने से अत्याधिक पानी भरे रहने के सम्बन्ध में,

162–विकास खण्ड तिलहर के ग्राम मोहनपुर से ढकिया शोभा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

163–विकास खण्ड निगोही में ग्राम हमजापुर से ग्राम दियुरिया होते हुए विक्रमपुर तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

164–विकास खण्ड निगोही में ग्राम साधोवाली गोटिया से कुकहा महमूदपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

165–विकास खण्ड निगोही में परसौना खलीलपुर से बेलगौटिया होते हुए ग्राम बिरासिन तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण एवं बीच में कैमुआ नाला पर बड़ी पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

166–विकास खण्ड निगोही में ग्राम कुकहा महमूदपुर से विकास खण्ड तिलहर के ग्राम पकड़िया तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

167–विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाइवे से रामनगर होते हुए सण्डा खास तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

168–विकास खण्ड निगोही में ग्राम डेलखेड़ा से ग्राम खेड़ासंडा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

169–विकास खण्ड निगोही में ग्राम खिरिया पश्चिमी से ग्राम खिरियापूर्वी तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

170–विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर पीलीभीत स्टेट हाईवे पर गिरगिचा नहर पुलिया से ककरौआ होते हुए ग्राम बिछौली तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

171–विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम महुआ पाठक से ग्राम पटई तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

172–विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम महुआ पाठक पटई रोड से खिरिया पाठक तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

173–विकास खण्ड सिंधौली में खिरिया पाठक से चांदा होते हुए जमदुया तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

174–विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम रमापुर उत्तरी से ग्राम बाजपुर कुमरिया तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

175–विकास खण्ड तिलहर के ग्राम चौढ़ेरा चौढेरी से ग्राम बथुई अक्का तक गड्ढायुक्त मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

176–विकास खण्ड तिलहर में ग्राम गुवार से बरखेड़ा हवेली होते हुए कालाबोझ एवजपुर तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

177–विकास खण्ड तिलहर के ग्राम बथुई अक्का ग्राम पकड़िया तक कच्चा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

178–विकास खण्ड निगोही में ग्राम बरैचा की राजस्व जमीन बरैचा खादर पर अवैध रूप से नीलामी कराये जाने के सम्बन्ध में,

179–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत

सम्पूर्ण ग्रामों में हजारों की संख्या में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों का रि–बोर कराये जाने के सम्बन्ध में,

180–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम रटी, भरतापुर, प्रह्लादपुर, धवनपुर, विक्रनपुर, दुल्हाढकिया गर्रा नदी की बाढ़ से कट रहे गांवा में ठोकरे बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

181–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम बैदापुर के मृतक गंगादाम पुत्र मैकू लाल, ग्राम परसौरा खलीलपुर के मृतक ओम प्रकाश पुत्र शिवराज व उनके पुत्र अनिल कुमार विकास खण्ड सिंधौली के ग्राम महाउदुर्ग के निवासी मृतक अवनीश पुत्र तोताराम के मृतक आश्रितों को कृषक दुर्घटना बीमा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

182–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के पात्रतासूची में एवं स्थाई पात्रता सूची के पात्र लोगों व अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीब निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तथा

183–विधान सभा क्षेत्र तिलहर के निगोही तिलहर सिंधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड मशीनें स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।''

39 प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है–

1–हमारे कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में तीन विद्युत के सब–स्टेशन हैं जिनके नाम श्रंगार नगर, चन्दन नगर एवं हुसैनगंज हैं। तीनों सब–स्टेशनों में नये ट्रांसफार्मरों के साथ पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जय प्रकाश नगर, नटखेड़ा रोड से लेकर आजाद नगर तक दो सब–स्टेशन तथा विशेश्वर नगर, प्रेम नगर, गीता नगर, मेंहदी खेड़ा, मानक नगर, सरदारी खेड़ा, नया सरदारी खेड़ा, मुरदहीया में नये ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है

तथा चन्दर नगर सब डिवीजन में 16 नये सब–स्टेशन तथा इसी प्रकार तीनों सब–स्टेशनों में स्थित 400 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़कर 630 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर तथा एक एम0वी0 (ए0एम0पी0) की जाने की नितान्त आवश्यकता है। साथ ही साथ विभिन्न मोहल्लों के लिये नये पोल केबिल वायर को बदले जाने तथा फिनिशिंग एवं अर्थिंग के जो प्रस्ताव उक्त तीनों सब–स्टेशनों द्वारा एल0एन0टी0 को भेजे गये हैं उनको निश्चित रूप से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

2–जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत लेवेल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित रु0 306. 71 करोड़ की सीवर योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

3–100 शैया का सामान्य अस्पताल बाल महिला चिकित्सालय चन्दर नगर, आलमबाग के समीप ही हेल्थ डिस्पेन्सरी में बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

4–18 माह पहले रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सदर बाजार रेलवे क्रासिंग पर 50.50 ''शैयरिंग बेसिस'' पर रु0 4,76,53000/– आर0यू0बी0 का निर्माण हेतु प्रदेश सरकार अपना हिस्सा अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

5–हैदर कैनाल व शारदा कैनाल के दोनों ओर घनी कालोनियां विकसित हुई हैं। जिनमें लाखों लोग निवास कर रहे हैं। दोनों नहरें ''फुल कपैस्टिी'' पर ''ओवर फ्लो'' कर रही हैं। इसकी तत्काल सफाई सुनिश्चित करें,

6–गीतापल्ली वार्ड में इको पार्क में एक नया भूमिगत साइफन (नाले) का निर्माण,

7–जलभराव समाप्ति हेतु अवध हास्पिटल से रामनगर, आलमबाग चौराहा होते हुए आलमबाग थाने तक एक बड़े नाले का निर्माण,

8–मेरी विधान सभा में स्थित 29 पार्कों का जीर्णोद्धार किया जाय, तथा

9–कैण्ट विधान सभा में पानी के गम्भीर संकट को देखते हुए निम्न ट्यूबवेल स्वीकृत

किया जाय। अ0–गीतापल्ली वार्ड में कच्ची बस्ती में एक ट्यूबवेल। ब0–अर्जुन नगर मोहल्ले में तिकोनिया पार्क के पास एक ट्यूबवेल। स0–तेजीखेड़ा कालोनी मस्जिद के पीछे एक ट्यूबवल। द0–गणेशगंज वार्ड में हाता मातादीन पर एक ट्यूवबेल।''

40 श्री गयादीन अनुरागी

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

1–जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुस्करा को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

2–हमीरपुर–राठ मार्ग से श्यामलाय देवी मन्दिर होते हुये ग्राम–बड़ा (सरसई) तक जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3–जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम उमरी, में अस्पताल के पास से 2.00 किमी0 पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम बिहार में थाना के पास से विद्युत उपकेन्द्र होते हुये नहर तक लगभग 1 कि0मी0 पक्का नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े हुये उद्योगों को चलाने के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

6–जनपद हमीरपुर के राठ में बन्द पड़ी चीनी मिल को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

7–बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को देखते हुये पृथक राज्य बनाये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है, को पृथक राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8–बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु मा0 विधायकगणों को

पांच–पांच सौ इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

9–राठ कुछेछा से कोठापुल होते हुये गोहानी सम्पर्क मार्ग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–इमिलिया–उमरी–बिबार से भरखरी सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–टोलारावत से मडईयन सम्पर्क मार्ग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–चन्दा का डेरा सम्पर्क मार्ग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13–गहरौली से गोरनपुरा सम्पर्क मार्ग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–कुपरा से भुजपुर सम्पर्क मार्ग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15–नौहाई से रोरो सम्पर्क मार्ग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16–बगरा से मगरौठ मोड़ मार्ग का नव–निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

17–पूर्व की यू0पी0ए0 सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास हेतु जारी पैकेज की धनराशि का दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।''

41 श्री संजय कपूर

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

1–जनपद रामपुर की टाउन एरिया केंमरी में उपमण्डी निर्माण के सम्बन्ध में,

2–जनपद रामपुर की टाउन एरिया केंमरी में 30 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर–स्वार मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–जनपद रामपुर की तहसील मिलक

में ग्राम गदैया, निकट हरसू नगला मुझियाना–मार्ग के बीच भाखड़ा नदी पर दुजौड़ा पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

5–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज का बस–अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में,

7–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

8–जनपद रामपुर की तहसील मिलक में ग्राम रठौडा पर थाने का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में अहरों बंगाली कालोनी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में विडुआ–नगला में 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

11–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लैक्चरर्स की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में,

12–जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र विलापुर के ग्राम दिवदिवा व दनकरा में इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

13–जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम अहरों में पी0एच0सी0 खोले जाने के सम्बन्ध में,

14–जनपद रामपुर के विधान सभा विलासपुर में पशु चिकित्सालयों के डाक्टरों व स्टाफ की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में,

15–जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र

विलासपुर के ग्रामों में विद्युत विभाग द्वारा अधूरे ग्रामों के विद्युतीकरण व ट्रांसफर का कार्य पूरा करने के सम्बन्ध में,

16–जनपद–रामपुर के तहसील विलासपुर में अफसर नगर से बेगमाबाद मार्ग व रूद्र विलास शुगर मिल के सामने से टैमरा होते हुये मनिहार खेड़ा तक दोनों मार्गों के मरम्मत के सम्बन्ध में।''

42 श्री दलजीत सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है–

1–बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसान आये दिन कर्ज, बेरोजगारी व सिंचाई के साधन न होने से परेशान होकर आत्महत्या करते रहते हैं। आत्महत्याएं रोके जाने के सम्बन्ध में,

2–बुन्दलेखण्ड क्षेत्र किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत कटौती मुक्त करके लो–वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाया जाय तथा किसानों को अलग फीडर बनाकर बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

3–बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में दिन–प्रतिदिन वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कुछ दिनों बाद सिंचाई ही नहीं पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जायेगी। अतः इस समस्या को रोकने के लिये नलकूपों की जगह नदियों में बांध बनाकर बारिश का पानी रोककर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–बांदा जनपद की समस्त छोटी–बड़ी सड़कों को गड्ढामुक्त करके छूटे हुए गांवों में नयी सड़कें बनाकर जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

5–बांदा जनपद के समस्त लिफ्ट कैनालों की क्षमता बढ़ाकर ठीक ढंग से चलाया जाय तथा नलकूपों की मरम्मत करके अतिशीघ्र चलाये जाने के सम्बन्ध में,

6–धान व गेहं खरीद केन्द्रों में कोटे बढ़ाकर समय से किसानों का गेहूं व धान खरीदा जाय तथा खाद भी समय से पर्याप्त मात्रा में दिये जाने के सम्बन्ध में,

7–बालू गिट्टी के ओवरलोड ट्रकों को रोककर सड़कों को टूटने से बचाये जाने के सम्बन्ध में,

8–सभी विभागों की कमीशनखोरी बन्द कराकर गुणवत्तापरक काम कराये जाने के सम्बन्ध में,

9–तहसीलों व थानों की रिश्वतखोरी बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–जिलों में ईमानदार अधिकारियों की पोस्टिंग की जाय, जिससे भ्रष्टाचार व क्राइम में कमी आये तथा पोस्टिंग में जाति धर्म के आधर पर नहीं, काबिलियत के आधार पर ईमानदार तथा काम करने वाले अधिकारियों की पोस्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–परिवहन विभाग द्वारा गरीब किसानों के ट्रैक्टरों तथा गरीब टैम्पो वाले से अवैध वसूली बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–बुन्देलखण्ड क्षेत्र को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में,

13–बुन्देलखण्ड पैकेज की जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कराकर शेष बचे धन का सही जगह इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में,

14–बुन्देलखण्ड विकास परिषद् गठन करके बुन्देलखण्ड क्षेत्र को प्लान के तहत विकसित किये जाने के सम्बन्ध में,

15–बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में, तथा

16–बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पहाड़ी नदियों में बारिश का पानी, बांध बनाकर रोका जाय। उसी से सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाय तथा छोटी–छोटी विद्युत परियोजनाओं को

लगाकर बिजली उपलब्ध करायी जाय तथा विशेष छूट देकर उद्योग धन्धे लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

43 श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है

1–प्रतापगढ़ जनपद में अठेहा–संग्रामगढ़ मार्ग को ''राजमार्ग'' घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी, प्रतापगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3–राष्ट्रीय एकता महोत्सव घुइसरनाथ, प्रतापगढ़ की धनराशि रु0 15.00 (पन्द्रह लाख रुपये) से बढ़ाकर रु0 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) किये जाने के सम्बन्ध में,

4–तहसील मुख्यालय लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

5–जनपद प्रतापगढ़ में उदयपुर मंगापुर नये विकास खण्ड की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

6–प्रतापगढ़ में मेडिकल कालेज की घोषण किये जाने के सम्बन्ध में,

7–प्रतापगढ़ में 20 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

8–किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

9–राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33ः आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

10–राज्य सरकार की नौकरियों में 15ः आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

11–अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का

अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में,

12–जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में,

13–प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप होने के सम्बन्ध में,

14–अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

15–पूर्वांचल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द बड़े उद्योगों को चलाने के लिये स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

16–बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,

17–गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

18–बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था की किये जाने के सम्बन्ध में,

19–कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

20–ग्रामीण अंचलों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

21–जनपद अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, बहराइच, बस्ती, महराजगंज, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर महानगर, रामपुर, बांदा, इलाहाबाद, जालौन, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, कुशीनगर, प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर, बिजनौर, अलीगढ़ एवं मथुरा आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

22–प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ जाने के सम्बन्ध में,

23–किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन

मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

24–प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

25–सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुये पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में,

26–बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराये जाने एवं उनका बकाया कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

27–25 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बेरोजगार नवजवान को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

28–किसानों के रु0 50,000 (पचास हजार रुपये) तक के कर्जे प्रदेश सरकार अथवा उसके अधीनस्थ चलने वाले विभागों द्वारा माफ किये जाने के सम्बन्ध में,

29–पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कायम किये गये झूठे राजनैतिक मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,

30–जनपद रायबरेली एवं जनपद अमेठी में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के लिये एम्स सहित केन्द्रीय प्रस्तावों के लिये आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डाटैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

32–विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाकर रु0 5.00 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) किये जाने के सम्बन्ध में,

33–पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच–पांच सौ इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में तथा

34–प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10–10 ग्रामों को विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

44 श्री दिलनवाज खान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है–

1–विधान सभा क्षेत्र–स्याना (बुलन्दशहर) सरकार द्वारा फलपट्टी क्षेत्र घोषित है। किन्तु क्षेत्र में फल उत्पादक/व्यावसायियों को विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से न मिलने के कारण आम की फसल को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। अतः तहसील स्याना को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराई जाने के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र–स्याना (बुलन्दशहर) में विद्युत घरों की हाईटेंशन लाइन आम के बागात के ऊपर से गुजर रही है, जिस कारण तार टूटने की सम्भावनायें बनी रहती हैं तार टूटने की दशा में आम की फसल को नुकसान पहुंचता है। अतः बागों के ऊपर की हाईटेंशन लाइनों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में तथा

3–विधान सभा क्षेत्र–स्याना (बुलन्दशहर) की मुख्य अनूपशहर नहर मार्ग जो स्याना, जहांगीराबाद, गुलावठी सहित कई अन्य ग्रामों को भी जोड़ती है। परन्तु इस महत्वपूर्ण मार्ग की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, जिस कारण क्षेत्रवासियों/किसानों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। अतः जनहित में स्याना–अनूपशहर नहर मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

45 श्री बंशी सिंह पहाड़िया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1–विश्व में खुर्जा पाटरी उद्योग जो चीन जैसे देश को भी टक्कर देता रहा है, उसकी कोयला की नियमित सप्लाई बाधित है। बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है।

इण्डस्ट्रीज क्षेत्र में सड़कें न के बराबर हैं। गैसा आपूर्ति में 26 प्रतिशत टैक्स का भार जो अधिक है। अन्य जगह 5 प्रतिशत है, के बराबर किये जाने के सम्बन्ध में,

2–जी0टी0 रोड एन0एच0 91 नव शक्ति देवी मन्दिर गेट से जेवर बस स्टैण्ड खुर्जा में टूटी सड़क का उल्लेख नहीं है,

3–सेठ गंगासागर जटिया अस्पताल का अधूरा ट्रामा सेन्टर अस्पताल में जरूरी उपकरण नहीं है, के सम्बन्ध में,

4–खुर्जा जहांगीरपुर मुख्य मार्ग अधूरा है। वर्षों से सड़क निर्माण नहीं हुआ है, के निर्माण के सम्बन्ध में,

5–खुर्जा–चोला मुख्य सड़क की आधा अधूरा निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6–लोहिया ग्रामों में कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, को कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–जहांगीरपुर से आकलपुर वाया हसनपुर को झाझर जेटा रोड पर जुड़ता है, क्षतिग्रस्त है, का उल्लेख नहीं है,

8–पहासू–सोमना मार्ग जो आवश्यकता के हिसाब से कम चौड़ा है, को चौड़ किये जाने के सम्बन्ध में,

9–खुर्जा शिकारपुर मार्ग के सेमड़ा फरीदपुर से महमदपुर बड़ागांव तक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10–जहांगीरपुर सहकारी चीनी मिल जो 22–23 वर्ष से आधी अधूरी बनी, को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–सारंगपुर इण्टर कालेज से नोएडा को जोड़ता है, सम्पर्क मार्ग का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में, तथा

12–हवीवपुर नहर से तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।''

46 श्री राधेश्याम

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है–

1–पी0एम0जी0एस0आई0 के सड़क निर्माण के कार्यों की स्वीकृति पूर्व की यू0पी0ए0 सरकार के द्वारा प्रदान की गयी थी। मौजूदा समय से समस्त कार्यों को रोक दिया गया है। उक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराया जाय,

2–जगदीशपुर कस्बा (निहालग) को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाय,

3–कानूनगो सर्किल हलियापुर जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में सम्मिलित था। जनपद अमेठी के गठन के उपरान्त इस क्षेत्र को सुल्तानपुर में ही रखा गया है जिससे क्षेत्र की गरीब जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्ववत् की भांति पुनः तहसील मुसाफिरखाना जनपद अमेठी में सम्मिलित कराया जाय,

4–जगदीशपुर से सत्थिन मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 12 कि0मी0 है। सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण (रिन्यूवल) स्तर तक का निर्माण कार्य कराया जाय,

5–वारिसगंज एन0एच0–56 से देवकली चौराहा तक की सड़क लम्बाई लगभग 10 कि0मी0 है। सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण (रिन्यूवल) स्तर तक का निर्माण कार्य कराया जाय,

6–डा0 राममनोहर लोहिया योजना में चयनित विकास खण्ड शुकुलबाजार तथा विकास खण्ड जगदीशपुर के विभिन्न ग्रामसभाओं मगरौरा, सिंधियावा, कचनाव व दिछौली जाने वाले सभी सम्पर्क मार्गों का पुनर्निर्माण/(रिन्यूवल) स्तर तक का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–ग्राम सभा पिपरी विकास खण्ड बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर गोमती नदी के द्वारा हो रहे कटान से अनेक ग्रामसभाओं के लिये खतरा उत्पन्न हो चुका है। कटान को रोकने के लिये

बन्धा का निर्माण कराया जाय,

8–33/11 विद्युत उपकेन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिनके लिये जमीन 1–ग्राम सभा–वारिशगंज, विकास खण्ड–जगदीशपुर, विकासखण्ड, शुकुल बाजार की ग्राम सभा हसनपुर तिवारी तथा विकास खण्ड जामो की ग्राम सभा दिक्खनवारा में निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराया जाय,

9–गोमती नदी में पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसकी गति काफी धीमी है। ऊरेरमऊ घाट तथा सत्थिनघाट को समय से पूर्ण कराया जाय,

10–कस्बा जगदीशपुर तथा पालपुर जो कि एन0एच0 सड़क पर स्थित है। यहां पर विद्युत आपूर्ति पुराने जर्जर तारों के द्वारा की जाती है जिससे हर वक्त बाधा उत्पन्न होती है। सप्लाई के समय तार काटकर गिर जाते हैं। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुराने तार को हटाकर नये केबिल तार लगाकर विद्युत सप्लाई किया जाय,

11–ब्लाक मुख्यालय, शुकलबाजार में सी0एस0सी0 भवन का निर्माण कराया जा रहा है जोकि अपूर्ण है। उपरोक्त पूर्ण कराया जाय,

12–राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन का निर्माण कराया जा रहा है जोकि अपूर्ण है। उपरोक्त को पूर्ण कराया जाय,

13–डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम मगरौरा में स्टेडियम के लिये जमीन आरक्षित है, उस पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाय,

14–ग्राम सभा किश्नी विकास खण्ड शुकुल बाजार के विद्युत तार तो बहुत ही जर्जर व पुराने हैं, जिनके कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा होती है। पुराने तार को हटाकर नये केबिल तार लगाकर विद्युत सप्लाई किया जाय,

15–वारिसगंज से बरगद पेड़ के पास से जलालपुर से होकर ग्राम पिछौली को जाने वाला सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त है जिसकी लम्बाई 3 कि0मी0 है, उपरोक्त सड़क मार्ग का पुनः निर्माण कराया जाय,

16–फैजाबाद–रायबरेली रोड (हलियापुर) से मा0 कामाख्या मन्दिर तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

17–मिण्ट पार्क की स्थापना वि0ख0–शुकुल बाजार की ग्राम सभा बरसण्डा में जमीन उपलब्ध है, पर किये जाने के सम्बन्ध में,

18–एम्स सर्च लाइट सेण्टर की स्थापना जिसके लिये जमीन कौहार यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में उपलब्ध है, पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19–यू0पी0 सरकार के द्वारा पिछले बजट में केन्द्रीय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु धन स्वीकृत हुआ था, किन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में,

20–जगदीशपुर विकास खण्ड तथा जामों विकास खण्ड की ग्राम सभा गुंगे मऊ और गौरा के बीच पड़ने वाले कादू नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

47 श्री अजय कुमार ''लल्लू'' प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है–

निम्नलिखित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

(1) विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के ब्लाक–सेवरही में आई0टी0 आई0 कालेज,

(2) तमकुहीराज में पालिटेक्निक कालेज,

(3) विधान सभा क्षेत्र–तमकुहीराज में स्थित दुद्धी व तमकुहीराज को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय,

(4) गौरी घाट, गोला घाट व रामायन डोभ, केशरी डोभ पर पुल निर्माण कार्य,

(5) बुन्नी सिंह घाट पर पुल निर्माण,

(6) गौरी जगदीश सिसवनिया से लाला टोला (ब्लाक–दुदही) के बीच में पुल निर्माण,

(7) गगलवा में नारायण टोला (ब्लाक–दुदही) के तिवारी घाट पर पुल निर्माण,

(8) जवही दयाल (ब्लाक–सेवरही) के तिवारी घाट पर पुल निर्माण,

(9) गोड़रीया से तमकुहीरा तक बी0एम0सी0टी0 मार्ग की चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण,

(10) समउर, खानगी सलेमगढ़ के उप प्रा0 स्वा0 केन्द्रों को प्रा0स्वा0 केन्द्र का दर्जा दिया जाय,

(11) तमकुहीराज से सिसवा नाहर तक स्टेट हाई–वे बनाया जाय,

(12) समउर में एक 33/11 का एक सब–स्टेशन खोला जाय,

(13) दोमाठ में एक शुगर फैक्ट्री लगाया जाय,

(14) सरया वाला शिवजी का मन्दिर, तमकुहीराज का शिवजी का मन्दिर तथा सेवरही का विष्णुजी के मन्दिर को सुन्दरीकरण एवं पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाय,

(15) जीरो से स्थित पिपराघाट होते हुए नरवाजोत तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण,

(16) विधान सभा क्षेत्र–तमकुहीराज में सड़क मरम्मतीकरण के लिये निम्नलिखित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

(1) सलेमगढ़ से तरयासुजान तक की सड़क,

(2) तरयासुजान बाजार से भूलिया तक सम्पर्क मार्ग,

(3) दाहूगंज बाजार से मथौली तक सम्पर्क मार्ग,

(4) तीरथराम पेट्रोल पम्प से अहिरौली मिश्र होते हुए तमकुहीराज तक सड़क निर्माण,

(5) समउर से पटहेरवा तक सम्पर्क मार्ग,

(6) समउर से फाजिलनगर तक सम्पर्क मार्ग,

(7) तमकुहीराज से समउर

बिहार–बार्डर तक।

48 डा0 मो0 मुस्लिम

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है।

1–विधान सभा क्षेत्र तिलोई के अन्तर्गत नगर पालिका जायस में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय जो कि माननीय सांसद राहुल गांधी जी द्वारा स्वीकृत कराया गया था जिसका अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जबकि उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु जिलाधिकारी अमेठी द्वारा जायस स्थित सिंचाई विभाग की खाली पड़ी 3 से 4 एकड़ भूमि पर विद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भी किया गया हे। तत्काल विद्यालय का निर्माण व संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित 200 बेड का अस्पताल शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

3–विभिन्न सड़कों क्रमशः का निर्माण/बृहद मरम्मत शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में,

ण्ण विकास क्षेत्र बहादुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सरांय महेशा से ओदारी चौराहे तक लगभग 3.0 किमी0,

ण्ण्ण विकास क्षेत्र सिंहपुर के अन्तर्गत अहोरवा भवानी मन्दिर से मोक्षेश्वरी मन्दिर तक लगभग 3.0 किमी0,

ण्ण्ण्ण हैदरगढ़–सेमरौता सम्पर्क मार्ग से ग्राम महियां सेन्दुरिया ग्राम पूरे शुक्लन चौराहे से सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 1.3 किमी0,

प्टण् ग्राम सभा बहादुरपुर में मौलवी खुर्द चौराहे से पूरे इब्राहिम तक लम्बाई

लगभग 1.5 किमी0,

टण विकास क्षेत्र सिंहपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पेडारा से ग्राम इटहिला तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 तथा

टण्ण विकास क्षेत्र, तिलोई के अन्तर्गत ग्राम सभा ओनडीह खास में सुलेमान की दुकान से कुटिया तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0।''

49	श्रीमती माधुरी वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।

1–बहराइच नानपारा तहसील एवं विधान सभा क्षेत्र को तत्काल जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2–रूपई डीहा को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

3–मिहींपुरवा (मोतीपुरवा) को तत्काल तहसील बनाकर कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–सरयू नदी (घाघरा नदी) के चालारी घाट, शिवपुर ब्लाक में नदी पर स्थापित पुल जो कि बाढ़ के कारण एकदम कटने के कगार पर है, को रोकने हेतु नदी को सीधा करने तथा दोनों तरफ गाइड बंध बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा

5–नानपारा विधान सभा क्षेत्र के धोविहार को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

50	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–उ0प्र0 में राजकीय आस्थान की भूमि

को भी प्रदेश की 1 दिसम्बर 1998 की नजूल नीति के समान फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में,

2–प्रदेश में नजूल भूमि पर बसे कमजोर दलित वर्ग के लोगों को मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पी0डी0टंडन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या–11932/81 में दिनांक 25 मार्च, 1986 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 जनवरी, 1987 को दिये गये निर्णयों के अनुसार पुनर्वासन कराये जाने के सम्बन्धी,

3–इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में निवासित कमजोर वर्ग के लोगों के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संगम क्षेत्र मलिन बस्ती बनाम भारत सरकार रक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 03–05–2010, 27–07–2010 व 03–12–2010 को दिये गये निर्णयों के अनुसार पुनर्वासन कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–इलाहाबाद महानगर में कुम्भ मेले 2013 के पूर्व रेल विभाग भारत सरकार द्वारा एम0एम0आई0टी0, पूरा गड़ेरिया पर स्थिति रेलवे क्रासिंग, बक्शीबांध, एलनगंज रेलवे क्रासिंग, महात्मा गांधी मार्ग सी0एम0पी0 डिग्री कालेज के सामने अंडरब्रिज पर क्रमशः आर0ओ0बी0 तथा रेल बाईपास का निर्माण कराने,

5–इलाहाबाद में नागबासुकी मंदिर, संगम क्षेत्र दारागंज से उत्तर शिवकुटी महादेव मंदिर से होते हुये फाफामऊ–तेलियरगंज तक बांध बनाकर रिंग रोड बनवाने तथा प्रतिवर्ष इस क्षेत्र के मुहल्लों को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में,

6–इलाहाबाद में स्थिति मोतीलाल नेहरु मेडिकल कालेज को सुपर स्पेशिलिस्ट सुविधायें प्रदान करके उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

7–इलाहाबाद में काल्विन तथा डफरिन

महिला अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था तथा पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

8–इलाहाबाद महानगर में जवाहर लाल नेहरु राजकीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत तथा बाद में राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण व विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत शेष भागों में सीवर लाइन की व्यवस्था पूर्ण कराने के सम्बन्ध में,

9–इलाहाबाद को लखनऊ से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24बी0 तथा फैजाबाद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 96 को चार लेन किये जाने के सम्बन्ध में,

10–राष्ट्रीय राजमार्ग 96 में फाफामऊ तेलियरगंज में संगम यातायात हेतु एक नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11–इलाहाबाद में बड़ा बघाड़ा, सादियाबाद, चांदपुर, सलोरी, ओमगायत्री नगर, मानस नगर, ईश्वरशरण आश्रम क्षेत्र, बड़ी बगिया, शुतुरखाना–ऊँटरवाना, गल्लाबाजार, स्वराज्य नगर, काटूज बाग आदि क्षेत्रों के लगभग एक लाख नागरिकों को बाधारित सुगम यातायात हेतु चैथम्स लाइंस रेलवे क्रासिंग, उ0रे0पर आर0ओ0बी0/फ्लाई ओवर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12–इलाहाबाद में स्थिति उत्तर रेलवे के अन्तर्गत तेलियरगंज–शिवकुटी–गोविन्दपुर मार्ग पर महावीरपुरी के पास स्थिति आर0यू0बी0, कुंदन गेस्ट हाउस अल्लापुर के पास स्थिति आर0यू0बी0, सोहबतियाबाग तथा बैरहना में स्थिति आर0यू0बी0 एवं उ0पू0रेलवे के अन्तर्गत अल्लापुर में मटियारा तथा बाघम्बरी रोड पर स्थिति आर0यू0बी0 को चौड़ा करने के सम्बन्ध में।''

51 श्री चन्द्रभान सिंह पटेल प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने

अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है–

1–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में राजकीय बालिका इण्टर कालेज स्थापना के सम्बन्ध में,

2–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में इटवा डुडौली में राजकीय इण्टर कालेज स्थापना के सम्बन्ध में,

3–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में यमुना नदी में पीपे का पुल ग्राम पंचायत बियावल के सामने से पाली ग्राम पंचायत कौशाम्बी तक जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

4–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में हनुमानगंज से कोटा कंदैला सम्पर्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

5–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में रैपुरा राजापुर सम्पर्क मार्ग से करौदी के सामने से शिकरी तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

6–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में बरगढ़ मोड़ से परानूबाबा होते हुए परदवा से सम्पर्क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में,

7–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में जमुनीहाई से अमरावती होते हुए सती अनुसुइया सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

8–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में कल्यानपुर से धारकुण्डी आश्रम तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में,

9–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में मारकुण्डी से वाहिलपुरवा ददरी एवं मडइयन तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में,

10–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में ददरी से टिकरिया अमरावती होकर अनुसुइया तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के

सम्बन्ध में,

11–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में ददरी से अनुसुइया तक सीधा सम्पर्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

12–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में प्रधानमंत्री सड़क मऊ नीवी से दानूबाबा के आगे लापांव सम्पर्ग मार्ग को जोड़ने के सम्बन्ध में,

13–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में सिरावल टिकरा प्रधानमंत्री सड़क से बरूआ सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में इटवा डुडौली में एक डिग्री कालेज कालेज स्थापना के सम्बन्ध में,

15–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में न्याय पंचायत बियावल में एक डिग्री कालेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,

16–हनुमानगंज से कोटा कंदैला सम्पर्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

17–विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के विकास खण्ड के ग्राम बगरेही, कैमहा, रूखमा बुजुर्ग, भौरी, पवारी कलां, मजरा मदना, गौरिया, बौबरा आदि छूटे हुए दर्जनों ग्रामों एंव मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18–विकास–खण्ड मऊ के ग्राम मोहनपुर मजरा खण्डेहा ग्राम पूरब पताई, पटोरी आदि दर्जनों छूटे हुए ग्रामों में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

19–क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम पंचायत उफरौली स्थित रामदयाल खंगार के डेरा में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

20–क्षेत्र पंचायत कर्वी के ग्राम पाही मे श्री दद्दू प्रसाद पूर्व मंत्री के आवास के डेरा में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

21–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम पंचायत

सेमरदहा के मजरा लोहसरिया पुरवा में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

22–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम पंचायत भौरी के मजरा लक्ष्मीपुरवा में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

23–क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम पियरिया कला स्थित कुम्हारों के पुरवा एवं गडरियन पुरवा में विद्युतीकरण मेन लाइन से दूरी लगभग 300 मी0 के सम्बन्ध में,

24–ग्राम पंचायत तितिलिहा पुरवा मजरा भिटारी में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में,

25–जनपद–चित्रकूट में ग्राम खोह पुलिस लाइन से बेडीपुलिया चौराहा चित्रकूट तक नगर पालिक सीमा से बाहर बाईपास पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

26–चित्रकूट तीर्थ स्थल स्थित कामता नाथ परिक्रमा मार्ग पर लगे कोटा स्टोन पत्थर जो गर्मी ऋतु मे अत्याधिक गरम होना एवं बरसात ऋतु में अत्याधिक चिकने होने से फिसलन एवं शीत ऋतु मे अत्याधिक ठण्डे होने के कारण गुणवत्ता विहीन है। जिससे प्रतिवर्ष आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को परिक्रमा में कठिनाई एवं खतरे का सामना करना पड़ता है। पर्यटक दृष्टिकोण से परिक्रमा मार्ग पर लगे कोटा स्टोन पत्थर के स्थान पर लोकल में प्राप्त होने वाले पत्थर लगाने तथा परिक्रमा मार्ग में बरसात व गर्मी ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये छाया सेड तथा कामदगिरी पर्वत एवं परिक्रमा मार्ग सुन्दरीकरण कराने के सम्बन्ध में,

27–जनपद चित्रकूट के विधान सभा कर्वी व मानिकपुर में विकास खण्डवार कृषि सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप स्थापित कराने के सम्बन्ध में। क्षेत्र पंचायत मऊ–ग्राम वियावल, तहसील–मऊ, ग्राम–मण्डौर, तहसील मऊ, ग्राम रीठी, तहसील–मऊ, ग्राम बरवार, तहसील–मऊ, क्षेत्र पंचायत मानिकपुर–ग्राम लोढिया माफी, तहसील मानिकपुर, ग्राम रैपुरा, तहसील–मानिकपुर, क्षेत्र पंचायत पहाड़ी–ग्राम सुरवल, तहसील–राजापुर,

ग्राम जमौली मजरा भदेंदू तहसील राजापुर, ग्राम पिलखिनी तहसील, राजापुर में स्थापित कराने के सम्बन्ध में,

28–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम लक्ष्मणपुर से रामपुर तक नहर पटरी से पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

29–क्षेत्र पंचायत मऊ के अन्तर्गत एन0एच0–76 से ग्राम मुजरा तक पक्का मार्ग निर्माण दूरी लगभग 5.00 किमी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

30–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत झरी रेलवे फाटक से मानिकपुर कल्याण केन्द्र तक पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत भौरी मजरा कलवारा पुरवा छेछरिहा पक्के मार्ग से कलवारा पुरवा से पक्का सम्पर्क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

32–क्षेत्र पंचायत मऊ के अन्तर्गत कोंपा से चक भडेसर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

33–क्षेत्र पंचायत मऊ के अन्तर्गत ग्राम बियावल से मेडिया के डेरा तक पकका सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

34–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत दतिया देवस्थान से मजरा मझटोला ऐलहा तक पक्का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

35–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत उडकी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

36–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत मडैयन जू0वि0 से दाऊ का पुरवा तक का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

37–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम भौरी मजरा गेटा पुरवा प्रा0वि0 से नहर पटरी

होते हुये गड्डू पुरवा तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

38–क्षेत्र पंचायत मऊ के अन्तर्गत ग्राम पिपरौंड के मजरा मदारी का पुरवा खरसहा नाले पर रपटा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

39–क्षेत्र पंचायत रामनगर के अन्तर्गत ग्राम घुनुवां सम्पर्क मार्ग कुम्हारन के पुरवा तक पकका मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

40–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर स्थित झरी रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन मानिकपुर तक पक्की सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

41–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर दाऊ बाबा का पुरवा मजरा मडैयन से विशाली के पुरवा मडैयन तक पक्का समपर्क मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

42–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम भौरी स्थित एन0एच0–76 से ललितपाल का डेरा (गडरियन पुरवा) तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

43–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम सेमरदहा में रामस्वरूप गुप्ता के दरवाजे से हीरालाल त्रिपाठी के दरवाजे तक सीसी मार्ग एवं नाली का पक्का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

44–विकास खण्ड–रामनगर के ग्राम उफरौली में महगू मेहतर के दरवाजे से जुडाखन के घर तक सीसी रोड एवं नाली पक्का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

45–ग्राम सरैंया–चन्द्रामारा पक्के सम्पर्क मार्ग के ऊपर स्थित हेमनरायण के डेरा से रामकेश के पुरवा तक मय रपटा के पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

46–मानिकपुर पककी सड़क स्थित ग्राम सरैंया अस्पताल से खांच पुरवा हरिजन बस्ती तक पक्का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

47–ग्राम पियरा मजरा खण्डेहा श्यामलाल विश्वकर्मा के घर के पास से कल्लू कोल के घर

तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

48–ग्राम भडेसर के प्राथमिक विद्यालय से अवध बिहारी मास्टर के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

49–पुराना अस्पताल मऊ के पास से कुर्मिन पुरवा मऊ तक पकका सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

50–ग्राम खण्डेहा में बदल यादव के डेरा स्थित पुलिया अहिरनपुर तक पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

51–ग्राम मौजा किटहना मजरा औंझर में मिसिर के डेरा से किटहना मजरा तक पक्का समपर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

52–ग्राम पचपेढा मजरा रूखमा खुर्द में बेलउहन पुरवा से पचपेढा तक पक्का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

53–विकास खण्ड–मऊ के ग्राम सुरौंधा में रामकृपाल पुत्र छोटइयां के घर से बाजीगर के घर के पास से सीसी रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

54–विकास खण्ड–मानिकपुर के ग्राम कोठिलिहाई स्थित अमिर्ती नाला में पक्की पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

55–क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम औंझर में मिश्र के डेरा से मजरा किटहना तक डब्लू0 बी0एम0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

56–क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम इटहा देवीपुर मे पूर्व माध्यमिक विद्यालय से ग्राम मवई खुर्द तक शून्य से लेकर लेपन स्तर तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

57–क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्रम हन्ना बिनैका में श्री रामचन्द्र कुशवाहा के दरवाजे से सुहेल सम्पर्क मार्ग तक पक्का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

58–क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम नांदिन

कुर्मियान मे श्री बाबूलाल मेहतर के मकान के पास स्थित पुलिया से डामरी करण पक्के रोड नादादायी तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

59–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम लक्ष्मणपुर से ग्राम रामपुर तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 1 कि0मी0,

60–क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम कुई में कुई तालाब से रोड पर पीपल के पेड के पास पुलिया निर्माण,

61–ग्राम चका में पक्की सड़क से हनुमान मंदिर तक दो मय पुलिया मिट्टी कार्य दूरी लगभग 400 मी0,

62–खण्डेहा में जगदीश के डेरा से 4 मय पुलिया खण्डेहा नदी पुल तक मिट्टी कार्य पूरा 1.3 किमी0,

63–खण्डेहवा में पक्की सड़क से नदी पुल तक मय दो पुलिया मिट्टी कार्य पूरा दूरी लगभग 1 कि0मी0,

64–चकवा में राजेश की चक्की से कालका बी0डी0सी0 के घर तक मय दो पुलिया दूरी लगभग 700 मी0,

65–ग्राम इटवां डूडैला स्थित अस्पताल से सुरजा चमार के घर तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 200 मी0,

66–विकास खण्ड मऊ के ग्राम खण्डेहा से मजरा लबेद जाने वाले पक्के मार्ग मउहा के पेड के पास से चतुर्भुजी देवी जी देवस्थान लबेद तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 2 कि0मी0,

67–विकास खण्ड राजापुर के ग्राम सिकरी में राजापुर–सरैंया पकके मार्ग के कि0मी0 7 से ग्राम सिकरी तक पकका सम्पर्क मार्ग एवं तीन पुलिया निर्माण दूरी लगभग 4 कि0मी0।

68–विकास खण्ड कर्वी में ग्राम सिद्धपुर मे बांके सिद्ध देवस्थान पक्के सम्पर्क मार्ग से सलैया पुरवा रामशरण के डेरा तक पक्के मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 1.5 कि0मी0।

69–विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम उडकी

माफी–लौढिया पक्के सम्पर्क मार्ग से सलैया पुरवा तक पक्का मार्ग मय पुलिया निर्माण दूरी लगभग 2 किमी0।

70–विकास खण्ड मऊ स्थित ग्राम लोढौता खुर्द में गंजरिया नदी से लोढौता खुर्द तक मय रपटा के पक्के सड़क का निर्माण दूरी लगभग 2 कि0मी0,

71–विकास खण्ड मऊ में ग्राम गढवा से गजरी होते हुये आमस्त्रोत घाट तक पक्के सड़क का निर्माण दूरी लगभग 5 कि0मी0,

72–विकास खण्ड मऊ स्थित ग्राम परदवां पकके रोड से ऋषियन आश्रम तक पक्के मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 2 किमी0,

73–विकास खण्ड मऊ के ग्राम अर्जुनपुर खण्डेहा पू0मा0वि0 अर्जुनपुर से कूंड़ी आश्रम म0प्र0 सीमा तक पक्के सड़क का निर्माण दूरी लगभग 3 किमी0,

74–विकास खण्ड मऊ के ग्राम कडैहा पुरवा हर्दी खुर्द से पनिहाई रोड सेमरा तक पक्के सड़क का निर्माण दूरी लगभग 2 कि0मी0,

75–विकास खण्ड मऊ के ग्राम बोझ से ग्राम भटगवां होते हुये छपरिहा पुरवा तक पक्के सड़क का निर्माण दूरी लगभग 3 कि0मी0,

76–विकास खण्ड मऊ में ग्रम अरवारी से अदकडिया तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 2 कि0मी0,

रौंदीकला के सामने से ग्राम सिकरी तक पक्का सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,

95–विक77–विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम जीरा से बढैया तक पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण दूरी लगभग 1 किमी0,

78–टिकारी मजरा सेमरदहा में ओहन बांध पूर्व शाखा के ऊपर से शिवमिलन पिड़हा टिकारी के घर तक पक्का सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 2 किमी0,

79–क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम पंचायत मोहनी से ग्राम बिहटा तक शून्य से लेकर लेपन स्तर तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग

1.50 किमी0,

80–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम देवागंना ददरी माफी पक्के मार्ग स्थित कैलहा पक्के रोड से श्री शिवमोहन यादव के डेरा से पूरव से नया पुरवा मजरा रूखमा बुजुर्ग तक मय दो पुलिया के पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण दूरी लगभग 2 किमी0,

81–क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम राजापुर लालता रोड पक्के मार्ग से ग्राम पियरिया कला तक नवीनीकरण दूरी लगभग 3.50 किमी0,

82–निही चरैयां समपर्क मार्ग के किमी0 2 से टिकुरा कोलान होते हुये दुबरा भौंठी तक सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 3 किमी0,

83–ग्राम पंचायत माराचन्द्रा से धोबरहा, लोढतरी, ऊंची तक सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 3 से 4 कि0मी0,

84–ग्राम वियावल प्रधानमंत्री सड़क से चक अलैया होते हुये मेड़िया के डेरा तक सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 3 किमी0,

85–ग्राम कटैया खादर से ग्राम चकौर के सामने पक्का रोड निर्माण दूरी लगभग 4 कि0मी,

86–विकास खण्ड मानिकपुर में कल्याणपुर से धारकुण्डी आश्रम तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में जो मध्य प्रदेश को जोड़ता है,

87–विकास खण्ड मऊ में प्रधानमंत्री सड़क मऊ नींबी से दानूबाबा के आग लपांव सम्पर्क मार्ग को जोड़ने के सम्बन्ध में,

88–विकास खण्ड मानिकपुर मे मारकुण्डी से ददरी माफी, मडैयन होते हुये बहिलपुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में,

89–विकास खण्ड मानिकपुर में ग्राम ददरी माफी से अनुसुइया आश्रम तक सीधा समपर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

90–विकास खण्ड रामनगर में ग्राम टिकरा मजरा सिरावल प्रधानमंत्री सड़क से बरूआ सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

91–विकास खण्ड मऊ में मुरका से मुजरा सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

92–विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम

जमुनिहाई से अमरावती आश्रम होते हुये सती अनुसुइया आश्रम सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

93–विकास खण्ड मऊ में बरगढ़ मोड़ से परानू बाबा होते हुये ग्राम परदहां तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में,

94–विकास खण्ड रामनगर में ग्राम सरैंया से राजापुर पक्के सम्पर्क मार्ग स्थित ग्राम क ास खण्ड मऊ में हनुमानगंज मजरा लौरी से कोटा कदैंला पक्का सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

96–विकास खण्ड मऊ स्थित ग्राम पंचायत बियावल से यमुना नदी में पीपे का पुल जो ग्राम बियावल जनपद चित्रकूट के सामने से ग्राम पाली जनपद कौशाम्बी को जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

97–विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत सरैंया सरकारी अस्पताल के पास से ग्राम खांचा पुरवा सेमरदहा तक मय रपटा के पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

98–विकास खण्ड मऊ के ग्राम नींबी प्रधानमंत्री पक्की सड़क से ग्राम हटवा तक मय रपटा के पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

99–क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम मडैयन से बहिलपुरवा पक्के सम्पर्क शंकर तालाब के पास से टेडी पुरवा होते हुये ग्राम बन्धिन तक पक्की सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

100–क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम रामू पुरवा स्थित भैरो बाबा देवस्थान से गडरियन पुरवा होते हुये ग्राम लबेद मजरा खण्डेहा स्थित नहर तक पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

101–मानिकपुर के ग्राम बन्धिन मजरा मडैयन के कांटा नाला के गढ़वा स्थान पर रपटा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

102–मानिकपुर के मऊ तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 76 के ऊपर ग्राम कटिया में स्थित बरमबाबा पेड़ के पास से ग्राम चंदई मजरा तिलौली होते हुये ग्राम कोटर्रा खाम्भा से ग्राम गढ़वा के मजरा गंजरी तक पक्के सड़क निर्माण

कार्य के सम्बन्ध में,

103–मानिकपुर स्थित ग्राम दाऊ बाबा का पुरवा मजरा मडैयन से विशाली का पुरवा तक पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

104–मानिकपुर में मस्तान बाबा देवस्थान ग्राम बरगढ़ से ग्राम घटेहा तक पक्की सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

105–मानिकपुर के ग्राम अहिरन पुरवा मजरा खण्डेहा स्थित नहर सर्विस रोड होते हुये ग्राम तुर्री प्राथमिक विद्यालय तक तथा पुनः सर्विस नहर पटरी से दानू बाबा देवस्थान तक पक्की सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

106–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर स्थित ग्राम पहाड़ी विकास खण्ड रामनगर के भैरव बाबा देवस्थान से ग्राम भखरवार स्थित भैरव बाबा देवस्थान तक पक्की सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

107–मानिकपुर के ग्राम बियावल नहर पटरी से चन्देल पुरवा होते हुये जमुना के डेरा तक पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

108–मानिकपुर के ग्राम इटवां विकास खण्ड रामनगर में लौखरी पुरवा से धौहाई पुरवा इटवां तक पक्के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

109–मानिकपुर के ग्राम कल्याणपुर स्थित बरदहा नाला रपटा से धारकुडी गौशाला आश्रम से म0प्र0 की सीमा तक पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

110–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के मानिकपुर बाजार तिराहा से ग्राम चुरेह केशरूवा अनुसूचित जाति बस्ती के आगे म0प्र0 सीमा तक सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

111–मानिकपुर के मानिकपुर तिराहा से ग्राम ऊंचाडीह होते हुये ग्राम कोटा कदैंला के आगे म0प्र0 सीमा तक पूर्ण रूप से ध्वस्त पक्की सड़क का नवीनीकरण कराने के सम्बन्ध में,

112–मानिकपुर के ग्राम लखनपुर से ददरीमाफी पक्के सम्पर्क मार्ग से ग्राम खांच होते

हुये बजरंग इण्टर कालेज सपहा तक पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

113–मानिकपुर के ग्राम अगहुंडा–सरैंया पक्के मार्ग से ग्राम ओडकी–लौढ़ियामाफी जाने वाले पक्के मार्ग से सलैया पुरवा तक पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

114–मानिकपुर के ग्राम सिद्धपुर के बांकेसिद्ध देवस्थान मार्ग से सलैया पुरवा रामशरण के डेरा तक पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

115–मानिकपुर ग्राम कोंपा का पुरवा तहसील मऊ से ग्राम भडेसर तक पक्के सड़क एवं औझरी नदी में पक्के पुल निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

116–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के ग्राम खण्डेहा से ग्राम लबेद जाने वाली पक्की सड़क महुवा के पेड़ से चतुर्भुजी देवी देवस्थान तक पक्के सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

117–मानिकपुर के ग्राम मऊ मण्डौर पक्के मार्ग से ग्राम मैदाना तक मय पुलिया के पक्की सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

118–मानिकपुर के ग्राम ऐलहा के दतिहा देव स्थान से ग्राम मझटोला ऐलहा तक पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

119–विकास खण्ड मऊ के ग्राम गंजरिया मजरा हरदीकला से ग्राम लोढौता खुर्द तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण मय रपटा के दूरी लगभग 2 किमी0 के सम्बन्ध में,

120–क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम रामूपुरवा स्थित भैंरो बाबा देवस्थान से गडरियन पुरवा होते हुये ग्राम लबेद मजरा खण्डेहा चतुर्भुजी देवी जी स्थान तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 4 किमी0 के सम्बन्ध में,

121–राजापुर–बोडीपोखरी पक्के मार्ग से ग्राम अमानपुर तक पक्का सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 4 किमी0 के सम्बन्ध में,

122–ग्राम सरबदा पुरवा मजरा सरहट क्षेत्र

पंचायत मानिकपुर में राममिलन कोल के दरवाजे लगा हैण्डपम्प रिबोर,

123–विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत किहुनिया मजरा मारकुण्डी में एक डिग्री कॉलेज स्थापना के सम्बन्ध में,

124–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में ग्राम पंचायत बियावल में एक डिग्री कॉलेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

125–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में इटवां डूडैला में राजकीय इण्टर कालेज स्थापना के सम्बन्ध में,

126–विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों में खराब पड़े हजारों हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने के सम्बन्ध में,

127–मानिकपुर के ग्राम ऐलहा के दतिहा देव स्थान से ग्राम मझटोला ऐलहा तक पक्का सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य के सम्बन्ध में,

128–विकास खण्ड मऊ के ग्राम गंजरिया मजरा हरदीकला से ग्राम लोढौता खुर्द तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण मय रपटा के दूरी लगभग 2 किमी0 के सम्बन्ध में,

129–क्षेत्र पंचायत मऊ के ग्राम रामूपुरवा स्थित भैंरो बाबा देवस्थान से गडरियन पुरवा होते हुये ग्राम लबेद मजरा खण्डेहा चतुर्भुजी देवी जी स्थान तक पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण दूरी लगभग 4 किमी0 के सम्बन्ध में,

130–राजापुर–बोडीपोखरी पक्के मार्ग से ग्राम अमानपुर तक पक्का सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 4 किमी0 के सम्बन्ध में,

131–ग्राम सरबदा पुरवा मजरा सरहट क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में राममिलन कोल के दरवाजे लगा हैण्डपम्प रिबोर,

132–विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत किहुनिया मजरा मारकुण्डी में एक डिग्री कॉलेज स्थापना के सम्बन्ध में,

133–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड मऊ में ग्राम पंचायत बियावल में

एक डिग्री कॉलेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

134–विधान सभा क्षेत्र 237 मानिकपुर के विकास खण्ड में इटवां डूडैला में राजकीय इण्टर कालेज स्थापना के सम्बन्ध में तथा

135–विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों में खराब पड़े हजारों हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने के सम्बन्ध में।''

52 श्री पंकज कुमार मलिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–मेरे विधान सभा क्षेत्र–शामली में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

2–शामली में सरकारी मेडिकल कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

3–शामली विधान सभा क्षेत्र से होकर निकलने वाली दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4–जिला अस्पताल, शामली को निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5–मेरे विधान सभा क्षेत्र, शामली बुढ़ाना रोड से झाल, सल्फा, मतनावली, किवाना मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

6–मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत समस्या है, गंदा पानी पीने के कारण लोगों को गम्भीर बीमारी कैंसर इत्यादि हो रही है, को दृष्टिगत रखते हुये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7–जनपद–मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

8–जनपद–शामली मुजफ्फरनगर के किसानों को सिंचाई की समस्या है, इसे दृष्टिगत रखते हुये बिजली कनेक्शन खोले

जाने के सम्बन्ध में।''

पी0एस0यू0पी0–एल0 30 विधान सभा (55)–3–6–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।